(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तांत

अंक 2] सप्तम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का छठा दिवस [संख्या 4

बुधवार, दिनांक 25 फरवरी, 1981

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न.

श्री जनार्दनसिंह गहलोत ।

सवाई माधोपुर स्थित सीमेंट कारखाना

48. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) सवाई माधोपुर स्थित सीमेंट के कारखाने में 1980-81 के आलोच्य वर्ष में अब तक कुल कितना सीमेंट का उत्पादन हुआ ? गत आलोच्य वर्ष में कितना उत्पादन हुआ था ?

(2) क्या यह सही है कि यह उद्योग कुछ वर्षों से घाटे में चलता आ रहा है ?

(3) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इसके कारणों की जांच करायी है और क्या तथ्य सामने आए हैं ?

(4) यदि नहीं, तो कितना लाभ हुआ है ?

राज्य मन्त्री, उद्योग (श्री प्रद्युम्नसिंह): (1) वर्ष 1980-81 में दिनांक 1-7-1980 से दिनांक 18-2-1981 तक सीमेंट का उत्पादन 3,19,126 मैट्रिक टन हुआ। गत वर्ष दिनांक 1-7-1979 से दिनांक 30-6-1980 तक सीमेंट का उत्पादन 4,35,719 मैट्रिक टन हुआ था।

(2) जी हां।

(3) कोई जांच नहीं कराई गई क्योंकि नुकसान होने के कारण मालूम हैं।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब पिछले वर्ष के मुकाबले में इस वर्ष सीमेंट का उत्पादन कम हुआ है और जब हम इसको घाटे में मानते हैं तो क्या राज्य सरकार की इसे अपने हाथ में लिये जाने की मंशा है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने भारत सरकार को इस फैक्ट्री को लेने के बारे में पिछले कई सालों से लिखा है। पिछली सरकार ने भी लिखा और हमारी सरकार ने भी लिखा है। अब भारत सरकार को निर्णय लेना है कि इस फैक्ट्री को टेक-ओवर करना है या नहीं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताना चाहेंगे कि राजस्थान सरकार का 3।। करोड़ के लगभग रुपया इस फैक्ट्री पर बकाया है। इस फैक्ट्री को चलाने के लिए 5 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। अगर 5 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार इसे दे सकती है तो अपने हाथ में ले सकती है। क्या ऐसा कोई मसला राज्य सरकार के विचाराधीन है? केवल मात्र 1।। करोड़ रुपये में सीमेन्ट फैक्ट्री राज्य सरकार अपने हाथ में ले सकती है जब कि 3।। करोड़ रुपया तो राज्य सरकार का इस फैक्ट्री पर बकाया है। तो राज्य सरकार इस संबंध में तुरन्त कार्यवाही क्यों नहीं करती?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। इस पर 3।। करोड़ रुपया नहीं बल्कि 6 करोड़ 74 लाख रुपया बकाया है विभिन्न मदों में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, सेल्स टैक्स का, हमारे शेयर्स का और दूसरे ड्यूज, सबका मिलाकर और जो गवर्नमेन्ट के शेयर्स हैं करीब हमारा इनवाल्वमेन्ट राज्य सरकार का इसमें 6 करोड़ 74 लाख रुपये का है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि 1।। करोड़ रुपये की लागत से ही हम फैक्ट्री को चलाने की स्थिति में आ जायेंगे, यह बात सही नहीं है। यह 1948 का प्लान्ट है, अध्यक्ष महोदय, और आज के प्लान्ट के मुकाबले में मशीनें काफी आब्सलीट हो चुकी हैं। एक तरह से इसके रिहेबिलिटेशन के लिए काफी रुपयों की आवश्यकता होगी। पुरानी लाइबिलिटीज भी बहुत हैं और इतनी हैं कि राज्य सरकार इस फैक्ट्री को खुद चलाने की स्थिति में नहीं है। राज्य सरकार के पास इतने फण्ड्स नहीं हैं कि इस फैक्ट्री को चलाया जा सके। अब तो भारत सरकार को ही निर्णय करना है इस फैक्ट्री को टेक-ओवर करने के लिए।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : कितने रुपयों की आवश्यकता होगी?

श्री अध्यक्ष : विरोधी पक्ष के नेता महोदय!

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आपने भारत सरकार को पत्र लिखे हैं, जैसा आपने बताया, उन पत्रों में इस फैक्ट्री को राजस्थान सरकार को दिये जाने के संबंध में लिखा है या भारत सरकार इसको टेक-ओवर करे इस संबंध में लिखा है?

श्री प्रद्युम्नसिंह : इसके बारे में हमने कोई पत्र नहीं लिखा कि हम इस फैक्ट्री को टेक-ओवर करना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लिखे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : नहीं हमने राज्य सरकार के द्वारा टेक-ओवर करने के बारे में कभी नहीं लिखा। जो मुझे जानकारी है और जो मुझे जानकारी दी गयी है उसके अनुसार भारत सरकार ने ही लिखा है कि इस फैक्ट्री को टेक-ओवर करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : केन्द्रीय सरकार द्वारा लोक सभा में इस फैक्ट्री को टेक-ओवर करने के लिए एक विधेयक पेश किया गया और उस विधेयक में मांग राज्य सरकार द्वारा की गई थी कि इस फैक्ट्री को टेक-

(श्री भैरों सिंह शेखावत)

ओवर करने में जो कम्पन्सेशन दिया जाता है वह कम्पन्सेशन लगभग 10 करोड़ के करीब आता है, वह कम्पन्सेशन राजस्थान सरकार देगी। इस फैक्ट्री का जो रफ एस्टीमेट कराया गया था सारा एस्टीमेट 50–60 करोड़ के लगभग आता है। यह सारी पूंजी राजस्थान सरकार को ट्रांसफर कर दी जाये ताकि राजस्थान सरकार, बैंक से सहयोग लेकर इसके रिहेबिलिटेशन में जितने फण्ड्स की आवश्यकता होगी उसका प्रबन्ध करे, ऐसा संसद में पेश बिल में किया जाये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने उस पत्राचार को तो नहीं देखा क्योंकि यह प्रश्न मूल रूप से संबंधित था प्राडक्शन और लासेस से। तब भी मैंने इसके बैक ग्राउन्ड में जाने की कोशिश की। जितनी मैं इसके बारे में जानकारी एकत्रित कर सका उसके आधार पर यह बात सही है कि भारत सरकार ने पार्लियामेंट के अन्दर फरवरी, 1979 में इसके नेशनलाइजेशन के लिए तय किया और 1979 के अन्दर एक बिल पार्लियामेन्ट में पेश किया गया इस कम्पनी को नेशनेलाइजेशन करने के बारे में लेकिन जैसा विपक्ष के नेता महोदय ने कहा इसके असेट्स के बारे में कि 10 करोड़ रुपया इसके रिहेबिलिटेशन के लिए चाहिए। हम डिटेल में तो नहीं गये, लेकिन जो जानकारी मुझे प्राप्त है उसके अनुसार हम इस बात के लिए इनसिस्ट कर रहे हैं, भारत सरकार ने सिंक फैक्ट्री को नेशनलाइज किया है, भारत सरकार इस फैक्ट्री को टेक-ओवर करे। इसकी पूरी डिटेल मुझे मालूम नहीं है क्योंकि काफी पत्र लिखे गये हैं। इस फैक्ट्री को लेने के बारे में सबसे पहले 17-10-77 को कार्यवाही शुरू की गयी। उसके बाद में बराबर पुरानी सरकार ने भी, इस सरकार ने भी पत्र लिखे हैं। यह निर्णय अन्तिम रूप से भारत सरकार को ही लेना है लेकिन हमारी सरकार की साफ नीति यह है, क्योंकि जैसे मैंने एक्सपर्टस से बात की थी, इस फैक्ट्री के डायरेक्टर्स से, इस फैक्ट्री को चलाने के लिए हमको करीब-करीब 20 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। पुरानी लाइबिलिटीज और रिहेबिलिटेशन के लिए। तो हम आज इस स्थिति में नहीं हैं कि खुद यानी राज्य सरकार इस फैक्ट्री को चला सके। जैसे दूसरी सिक यूनिट्स को भारत सरकार ने नेशनलाइज किया है और टेक-ओवर किया है हम यही चाहते हैं कि भारत सरकार इसको भी टेक-ओवर करे और चलाये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत इम्पार्टेन्ट सवाल है। अफसोस यह है कि इस प्रश्न का उत्तर मुख्य मंत्री जी को देना चाहिए। मैं इनकी नालेज को चेलेन्ज नहीं करता हूं। इन्होंने पूरा प्रयत्न किया होगा। खास मुद्दा यह है कि भारत सरकार इसको टेक-ओवर करे या टेक-ओवर करके चलाने के लिए इसके सारे असेट्स राजस्थान सरकार को ट्रांसफर करे। यह बहुत अहम मसला है। मैं इसलिए चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी को बुलाया जाये और जब तक वह नहीं आते हैं तब तक इस प्रश्न को स्थगित किया जाये। यह उत्तर नहीं है। इन्होंने काफी प्रयास किया। काफी जटिल मामला है, मैं मानता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न स्थगित किया गया।

श्री भगवानदास शास्त्री।

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत पंचवर्षीय योजना का प्रारूप

49. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा योजना आयोग के समक्ष आगामी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप समय पर एवं उचित तरीके से न रखने से उचित धन राशि प्राप्त नहीं हो सकी ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा केन्द्र के समक्ष कितनी धन-राशि की मांग रखी गयी थी तथा उसमें से कितनी धनराशि स्वीकृत हुई ? कृपया सूची सदन की पटल पर रखें।

(2) वर्ष 1977 व वर्ष 1980 में विभिन्न दलों की राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र से कितनी धनराशि विविध मदों के लिए मांगी गयी थी ? उसमें से कितनी धनराशि को कम किया गया था ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्या उचित प्रतिनिधित्व की कमी अथवा समय पर प्रारूप न प्रस्तुत करने के कारण ही राज्य को उचित धनराशि से वंचित रहना पड़ा है ? कृपया धनराशि के विवरण सहित सूची सदन के पटल पर रखें।

योजना मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (1) जी नहीं, राज्य सरकार द्वारा पंच-वर्षीय योजना का प्रारूप समय पर एवं उचित ढंग से प्रस्तुत किया गया था। राज्य योजना का···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय सुनाई नहीं देता। आपके माध्यम से जवाब आ जाये।

श्री अध्यक्ष : कोशिश कीजिए। दुबारा पढ़ दीजिए, मंत्री महोदय !

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं दुबारा पढ़ देता हूं।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर): और थोड़ा जोर से।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (1) जी नहीं, राज्य सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना का प्रारूप समय पर एवं उचित ढंग से प्रस्तुत किया गया था। राज्य योजना का आकार अन्तिम रूप से राज्य के स्वयं के संसाधनों एवं केन्द्रीय सहायता की राशि को ध्यान में रखकर निश्चित किया जाता है। राज्य द्वारा प्रस्तावित प्रारूप एवं अन्तिम रूप से तय आकार में मदवार प्रावधि राशि की सूची संलग्न है।

(2) वर्ष 1977 व वर्ष 1980 में भेजे गये मदवार प्रस्ताव तथा योजना आयोग द्वारा स्वीकृत राशि की सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि छठी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने में राज्य सरकार ने कुछ रिसोर्सेज के लिये कमिट किया है ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : जी हां।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने यह कमिट किया है

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
कि छठी पंचवर्षीय योजना के लिये साधन जुटाने के लिये प्रोहिबिशन को स्क्रेप किया जायेगा, बिजली की रेट्स को बढ़ाया जायेगा और जो रोडवेज द्वारा पैसेन्जर किराया लिया जाता है उसको दुगुना किया जायेगा ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, शराब के लिये कोई कमिटमेंट नहीं है। और स्रोतों की डिटेल्स इस समय मेरे सामने नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : योजना मंत्री के सामने रिसोर्सेज की बात नहीं है तो किस के सामने है। किससे पूछें ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : बजट के प्रोवीजन्स कैसे लीक आउट हो सकते हैं ?

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या योजना आयोग को आश्वस्त किया था कि रिसोर्सेज मोबिलाइज करेंगे ? माननीय विरोधी दल के नेता महोदय ने तीन बातें पूछी हैं, क्या उन्हीं तीन बातों का उल्लेख था ? क्या आपने हां की ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : यह प्रश्न अलग है।

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है । प्रश्न की परिधि में नहीं आता ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रश्न अलग है या प्रश्न की परिधि में नहीं आता, इन दोनों का फैसला आप करेंगे। प्रश्न बहुत सीधा है। आपने कहा कि योजना फलां तारीख को मन्जूर कर ली। हमने समय पर पेश कर दी। जो योजना समय पर पेश कर दी उसमें रिसोर्सेज की कमी के कारण आपने भारत सरकार के सामने, योजना आयोग के सामने कमिट किया है या नहीं कि प्रोहिबिशन को स्क्रेप करेंगे, बिजली की दरें बढ़ायेंगे और यात्री भाड़े में वृद्धि करेंगे ? इस बारे में आपने कमिटमेंट किया है या नहीं ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पढ़ कर सुनाता हूं। क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा योजना आयोग के समक्ष आगामी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप समय पर एवं उचित तरीके से न रखने पर उचित धनराशि प्राप्त नहीं हो सकी ? इसमें रिसोर्सेज के बारे में कहीं सवाल नहीं है। अगर आप पूछेंगे · · ·

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक बात तो आपने कह दी कि प्रोहिबिशन को स्क्रेप करने के बारे में कोई कमिटमेंट नहीं किया है।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : अब भी कह रहा हूं।

श्री राज बहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय विकास परिषद् में ड्राफ्ट प्लान डिस्कस हुआ था अगस्त 80 में। राजस्थान की कुछ विशेष कठिनाइयां हैं। हमारी न्यूनतम आवश्यकतायें हैं उनके लिये रिसोर्सेज के बारे में डिस्कशन हुआ उस वक्त कुछ जवाब दिये गये थे। इसमें तीनों प्रश्न आ जाते हैं। क्या यह सही नहीं है कि अक्टूबर, 80 तक ड्राफ्ट प्लान मांगा गया था राज्य सरकार से वह समय पर पेश नहीं कर सकी ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय विकास परिषद् की जब मीटिंग हुई

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
थी तब मुख्य मंत्री जी मौजूद थे । मैं भी मौजूद था। यह हमेशा लगातार प्रयास करते रहते हैं कि सैन्ट्रल से सहायता मिले और हमारे रिसोर्सेज बढ़ें । हमारे यहां प्रोहिबिशन की वजह से 5 साल में 340 करोड़ का घाटा होना है जो जनता पार्टी की देन है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं नशाबन्दी के बारे में, मैंने प्रश्न तो किया नहीं था। आप चाहे किसी भी पार्टी या दल के लिये कहें, करीब-करीब एक साल होने जा रहा है जहां तक योजना आयोग का सवाल है नशाबन्दी को समाप्त करने के कारण जो लॉस रहा है वह राजस्थान की देन है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् की रिपोर्ट में साफ कहा है योजना आगामी वर्ष के लिये ठीक है लेकिन चाहे बिजली हो, चाहे सिंचाई सब में कमी करनी पड़ेगी··

एक माननीय सदस्य : यह सुरक्षा परिषद् क्या है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही नहीं है कि इस योजना के प्रारूप को राज्य सरकार द्वारा योजना मण्डल से एप्रूव नहीं कराया गया ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : यह अलग से प्रश्न है।

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्री जी जवाब देने में असमर्थ हैं तो···

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा जो प्रस्ताव भेजे गये उसमें छठी पंचवर्षीय योजना में विकास परिषद् ने 11 अरब 43 करोड़ की कटौती की है ?

एक माननीय सदस्य : यह भी अलग प्रश्न है ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : यह विशेष जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी ड्राफ्ट योजना कितने रुपये की थी और कितने की मन्जूर हुई ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : 3167.87 करोड़ रुपये की भेजी थी और 2025 करोड़ की मन्जूर हुई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 11 अरब 43 करोड़ की कटौती की गई है, यही मेरा प्रश्न था।

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर आने दीजिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इसी से सम्बन्धित है। 11 अरब के बारे में एक पूरक प्रश्न है। 1980-81 वर्ष के लिये 330 करोड़ रुपये योजना भेजी गई थी केवल 30 करोड़······

एक माननीय सदस्य : यह अलग प्रश्न है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : 30 करोड़ की कटौती हुई। 300 करोड़ बचे। 31 जनवरी तक क्या यह सही है कि केवल मात्र 90 करोड़ रुपये खर्च किये गये ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : यह सवाल तो बिल्कुल ही अलग है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरे प्रश्न का जवाब दिलाइये।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने मन्जूर कर लिया।

अगला प्रश्न।

सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में शय्याओं की कमी

150. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में मरीजों की आउटडोर और इनडोर संख्या की प्रति दिन औसत क्या है ?

(2) अस्पताल में नियुक्त स्टाफ और शय्याओं की संख्या का मरीजों की संख्या के संदर्भ में क्या अनुपात है ? क्या यह अनुपात सरकार कम मानती है ? यदि नहीं, तो इस अनुपात को घटाने के बारे में सरकार क्या कदम उठायेगी ?

चिकित्सा मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) सवाई मानसिंह चिकित्सालय में मरीजों की आउटडोर एवं इनडोर औसत संख्या वर्ष 1980 के अनुसार निम्न है :—

आउटडोर	1429 मरीज प्रति दिन
इनडोर	89 मरीज प्रति दिन भर्ती होते हैं

(2) अस्पताल में नियुक्त स्टॉफ और शय्याओं की संख्या का मरीजों की संख्या में अनुपात निम्नानुसार है :—

चिकित्सक हाउस	3 शय्याओं पर एक चिकित्सक स्टॉफ सहित
परिचर्या स्टॉफ	7 शय्याओं पर एक परिचारिका
वार्ड बॉय एवं वार्ड मेड	12 शय्याओं पर एक वार्ड बॉय/वार्ड मेड
स्वीपर	12 शय्याओं पर एक स्वीपर

प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ के अभाव में परिचर्या स्टॉफ का अनुपात कुछ कम है। इस अनुपात को कम करने के लिये प्रशिक्षित स्टॉफ उपलब्ध कराने के लिये प्रशिक्षण केन्द्रों में वृद्धि कर दी गई है।

श्री दीपेन्द्र सिंह : कितनी वृद्धि कर दी गई है ? मंत्री महोदय बताने की कृपा करें।

श्री हीरालाल देवपुरा : प्रशिक्षण केन्द्र अलग-अलग तरह के प्रशिक्षण देने के लिये अलग-अलग हिसाब से बढ़ाये गये हैं। सामान्य प्रशिक्षण में बाड़मेर के अन्दर एक प्रशिक्षण केन्द्र और खोला गया है। सामान्य प्रशिक्षण महिलाओं के लिये बांसवाड़ा में प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है। इसी प्रकार बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिये बीकानेर के अन्दर और दूसरे कार्यक्रमों के लिये अलग-अलग स्थानों पर और प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायेंगे।

(8.)

श्री दीपेन्द्र सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जो प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण लेकर आयेंगे उनको पहले नौकरी में रखेंगे या प्रशिक्षण से आने के बाद सरकार की नौकरी देने की गारन्टी होगी ? यदि हां, तो कितने समय में ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जो अन-ट्रेन्ड स्टाफ डिपार्टमेंट के पास है वह भी प्रशिक्षण के लिये जाता है और नये लोग भी उसमें जाते हैं। दोनों तरीके बने हुए हैं। प्रशिक्षण लेकर आते हैं उसके बाद प्रायः जितने हैं उनको डिपार्टमेंट में लेने का प्रयत्न किया जाता है।

श्री दीपेन्द्र सिंह : क्या रोजगार देने की गारन्टी सरकार की है ?

श्री अध्यक्ष : उत्तर दे दिया मंत्री महोदय ने।

एक माननीय सदस्य : मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं एस. एम. एस. हास्पिटल में मरीजों के लिये जो शय्याओं की कमी है उसको भी कभी मंत्री महोदय ने देखा है ? हास्पिटल में मरीज जानवरों की तरह पड़े रहते हैं। शय्याओं की कमी को पूरा करने के लिये और सुधार के लिये कभी आपने सोचा है ? दूसरी बात यह है कि वार्डों में लेट्रीन और बाथरूम की कमी है, क्या मंत्री महोदय ने उस ओर भी ध्यान दिया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है। यह स्थिति एस.एम.एस. हास्पिटल की ही नहीं है बल्कि दूसरे अस्पतालों में भी ये कमियां हैं। ज्यों ज्यों आर्थिक साधन उपलब्ध होते जायेंगे इनमें सुधार करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, एस.एम.एस. में बढ़ते हुए रश को देख कर डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल की जो पूर्व में स्वीकृति हो चुकी है, वह कब तक खोले जाने की सम्भावना है।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है। मैं देख कर ही बता सकता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जितने मरीज हास्पिटल में आते हैं उनके अनुपात में जितने डाक्टरों की आवश्यकता है, क्या उतने डाक्टर हैं ?

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर दे दिया गया है। अनुपात बता दिया गया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : जितनी दवाओं की आवश्यकता है, क्या उतनी दवायें हास्पिटल में उपलब्ध हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जो भी दवा दी जाने वाली होती हैं वह सब दी जाती हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री दीपेन्द्र सिंह : केवल एक प्रश्न। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जितने मरीज इनडोर में औसतन भर्ती होते हैं, क्या उन सबको शय्यायें उपलब्ध करा दी जाती हैं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, जिला अस्पताल

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

खोले जाने की स्वीकृति पहले हो चुकी है। उसे अब तक नहीं खोले जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है।

(व्यवधान)

भाषण नहीं। ऑर्डर प्लीज।

श्री दीपेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का उत्तर माननीय मंत्री जी दे रहे हैं। जितने मरीज भर्ती होते हैं क्या उन सबको शय्यायें उपलब्ध करा दी जाती हैं ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, शय्याओं की संख्या के बढ़ाने के बारे में कहा लेकिन श्री श्रीराम गोटेवाला ने जो डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल की बात की है, जब शय्याएं कम पड़ती हैं तो शय्याओं की व्यवस्था करेंगे या दूसरी जगह डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल खोलेंगे क्योंकि राज्य सरकार पूर्व में डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल की योजना को स्वीकार कर चुकी है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल की अलग स्थिति है, जनाना हास्पिटल की अलग स्थिति है। सबकी अलग-अलग स्थितियां हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जवाब देना चाहते हैं। कितनी शय्याए हैं, कितने मरीज आते हैं और क्या उन सब मरीजों को शय्याएं उपलब्ध करा दी जाती हैं ?

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, वे जवाब देने को तैयार हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जवाब दे रहे हैं कि कितनी शय्याएं हैं और कितने मरीजों को उपलब्ध करा सकते हैं···

(व्यवधान)

उत्तर देने को तैयार हैं। क्या समस्त मरीजों को आप शय्याएं उपलब्ध करा देते हैं····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, औसतन इन-डोर में जितने मरीज आते हैं उनमें से 80·90 प्रतिशत तक को शय्याएं उपलब्ध कराने का प्रश्न है। जो वास्तविक स्थिति है वह यह है कि मरीजों को जहां तक होता है शय्याएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अगर किन्हीं विशेष परिस्थितियों में मरीजों को हास्पिटल में रखा जाता है तो उनके लिये और व्यवस्था भी की जाती है। दूसरा, मैंने खुद निवेदन किया कि ये कमियां हैं, मैंने कहीं नहीं कहा कि कमियां नहीं हैं। यह स्थिति न केवल एस. एम. एस. में है बल्कि राज्य के दूसरे अस्पतालों में भी है। अब ज्यों-ज्यों आर्थिक साधन उपलब्ध होते जायेंगे, उस तरह भी व्यवस्था करते जायेंगे। बाथरूम और लेट्रीन के लिये भी कहा गया तो उसके लिये भी व्यवस्था करेंगे। सुधार

(श्री हीरालाल देवपुरा)
के लिये हम देख रहे हैं। जो दूसरी बातें पूछी, डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल के बारे में, वह इस प्रश्न से रिलेटेड नहीं हैं ...

(व्यवधान)

सुनिये तो सही।

मैं निवेदन कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल के लिये अलग से प्रश्न करने की बात है। जैसा आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार की स्वीकृति हो चुकी है। अभी मेरे ध्यान में नहीं है! यह मामला कहां रुक गया है, मैं इसे देखूंगा। अभी मेरे ध्यान में नहीं है। यह देख कर ही मैं बता सकूंगा। जो चीज मेरे ध्यान में नहीं है, उसको मैं देखूंगा और देखने के बाद सदन को अवगत करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मंत्रिमण्डल के सदस्यों के लिये शय्याओं की क्या व्यवस्था कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

खेत मजदूर संरक्षण कानून

51. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या राज्य सरकार ने खेत मजदूर संरक्षण के कोई कानून बनाये हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसा कानून बनाने का विचार रखती है?

राज्य मंत्री, श्रम (श्री दिनेश डांगी) : खेत मजदूर संरक्षण के लिये कोई अलग से कानून नहीं बना हुआ है। न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राज्य सरकार को खेत मजदूरों के लिये भी न्यूनतम वेतन निर्धारण करने की शक्तियां प्राप्त हैं।

केन्द्रीय सरकार के समक्ष खेत मजदूर संरक्षण कानून बनाने का मामला विचाराधीन है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा क्या 17 सितम्बर, 1980 को केन्द्रीय श्रम मंत्री ने राज्य सरकार को परिपत्र भेज कर एक खेत मजदूर संरक्षण कानून भेजा है?

श्री दिनेश डांगी : इस प्रकार की राज्य सरकार को कोई सूचना नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राज्य सरकार को इसकी सूचना 17 सितम्बर, 80 को श्री टी.एन. अंजैया, जो उस समय श्रम मंत्री थे, ने भेजी है, आगामी सत्र में इस बिल को पेश किया जायगा। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एक बिल लोक सभा में पेश करके पास किया है-उस पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री दिनेश डांगी : यह केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राज्य सरकार के पास भेजा है, उसका क्या हुआ?

श्री दिनेश डांगी : उसकी सूचना नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या राज्य सरकार खेतिहर मजदूरों के लिये अलग से कानून बनाने के पक्ष में है ?

श्री दिनेश डांगी : जी हां।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : केन्द्रीय सरकार ने 17 सितम्बर, 1980 को राज्य सरकार के पास भेजा है लेकिन जो बड़े जागीरदार हैं उन्होंने दबाव डाला है और जो मजदूरों के लिये कानून बनने वाला था, उसको रोका है। अध्यक्ष महोदय, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार के कानून बनाये गये हैं। राज्य सरकार ने जागीरदारों के दबाव में आकर इसको रोक दिया है। रामनारायण जी चौधरी...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री त्रिलोक सिंह : मैं, अध्यक्ष महोदय, यह पूछना चाहूंगा कि...

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री त्रिलोक सिंह : अध्यक्ष महोदय, उनकी न्यूनतम मजदूरी कम से कम 10 रुपये होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा। प्रश्न संख्या 52।

माणक चौक, जयपुर पर बारात के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार

52. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) एवं श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 9 नवम्बर, 1980 की रात को माणक चौक, जयपुर में कुछ सिपाहियों तथा बारातियों के बीच झगड़ा हो गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) इस झगड़े में कौन दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

(3) क्या यह सही है कि इस घटना से सारे राजस्थान में रोष है ? यदि हां, तो सरकार इस तरह की कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को दूर करने के लिए क्या कठोर कदम उठा रही है ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) जी हां, यह झगड़ा थाना माणक चौक के एक शराब पिये कांस्टेबल के द्वारा बारात में बज रहे बैण्ड को रुकवाने को लेकर हुआ था।

(2) प्रारम्भिक जांच से इस झगड़े में श्री मनोहर लाल, मुख्य आरक्षी श्री राम कान्सटेबल, गोपालदास कान्सटेबल एवं मोहनसिंह कान्सटेबल को दोषी पाये जाने पर तुरन्त निलम्बित कर दिया। श्री राम कान्स्टेबल के विरुद्ध मद्य निषेध कानून एवं धारा 147/341/329 आई. पी. सी. के अन्तर्गत पृथक-पृथक 2 चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये जा चुके हैं। अन्य दोषी पुलिस

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
अधिकारियों की कार्यवाही शिनाख्तगी की जानी शेष है।

(3) जी नहीं। राज्य की कानून एवं व्यवस्था पूर्ण नियन्त्रण में है।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि शराब पीकर उन लोगों ने बारात में आकर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की ? और क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि यहां पर इन बारातियों पर हमले के लिए आर.ए.सी. और पुलिस फोर्स बुलाई थी और उन्होंने भी आक्रमण किया ? यदि बुलायी गयी तो किसके आदेश से बुलायी गई और किसके आदेश से आक्रमण किया ?

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया · · ·

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक पुलिस कान्सटेबल था, उसने सबसे पहले ऊधमबाजी शुरू की, उसके बाद और मिल गये तो उन्होंने मिलकर कार्यवाही कर दी। उनको सस्पेण्ड कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी मन्शा किसी को प्रोटेक्ट करने की नहीं है, एक का चालान भी कर दिया और जो दोषी पाये जायेंगे, उनके खिलाफ कोई कदम उठाने में हम हिचकिचाएंगे नहीं, यह मैं बताना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि उस समय कितने आदमी थाने पर रेस्ट पर थे और कुल स्टॉफ कितना था तथा उनमें क्या तिवारी नाम का एक अधिकारी भी था ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्बन्धित प्रश्न है, इसका उत्तर दिया जाय।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसकी तो सूचना नहीं है। मुख्य प्रश्न में यह प्रश्न पूछा नहीं गया है कि थाने पर कितना स्टाफ था लेकिन इतना मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, मैं माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि जो मूल भावना है, दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि जितने व्यक्ति स्टॉफ के रेस्ट में थे, उन सबने लाठी चार्ज में भाग लिया। क्या ऐसा कोई नियम है कि जो रेस्ट में कच्छे बनियान में होता है, वह चलती हुई, बारात को रोक कर लाठी चार्ज करे ? आपके यहां क्या कोई ऐसा नियम है ? बतायें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : ऐसा कोई नियम नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यदि ऐसा नियम नहीं है तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगी कि सरकार ने, आपके विभाग ने इन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की, क्योंकि एफ. आई. आर. में साफ-साफ लिखा हुआ है कि इन लोगों ने लाठी चार्ज किया ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने, अध्यक्ष महोदय, कहा कि 4 आदमियों के मैंने नाम गिनाये कि इनको तुरन्त सस्पेन्ड किया गया। जिनकी शिनाख्तगी की कार्यवाही बाकी रही है उनकी शिनाख्तगी के बाद उनके खिलाफ फिर चालान कर दिया जायेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, केवल 4 व्यक्ति उस सारे झगड़े में नहीं थे। मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि उस समय स्टाफ में जितने भी रेस्ट में या ड्यूटी पर थे, उन सब ने लाठी चार्ज किया, माननीय मंत्री महोदय को इसकी जानकारी है? जानकारी है तो क्या यह 8–9 नवम्बर, 80 की घटना है अब तक इसके अन्दर क्या कार्यवाही की?

श्री हीरालाल आर्य : क्या बताते हैं? मैंने प्रश्न पूछा था कि आर. ए. सी. और पुलिस फोर्स अलग से बुलायी गयी थी और क्यों बुलाई गयी?

श्रीमती उजला अरोड़ा : और कितनी बुलायी गयी, किसके आदेश से बुलायी गयी?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न था कि कितनी फोर्स बुलायी गयी? हो सकता है, झगड़ा हुआ हो, लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन हो गयी हो। फोर्स तो कहीं से भी बुलायी गयी हो लेकिन आपका एलीगेशन यह है, वैसे मुझे जानकारी नहीं लेकिन जैसा कह रहे हैं कि लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन आ गई, सिपाहियों ने हरकत की तो जनता का उत्तेजित होना स्वाभाविक है। माननीय विधायका वहां पर मौके पर थीं, उसके मुताबिक उत्तेजनात्मक वातावरण रहा होगा, लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन को मेन्टेन करने के लिए, व्यवस्था की स्थिति बनाने के लिए फोर्स बुलायी गयी तो क्या हो गया।

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, उन बारातियों को थाने में रखा गया, उनको पीटा गया इस तरह के जुल्म किये गये और सिर्फ इन्होंने एक आदमी का चालान पेश किया और उसके विरुद्ध कार्यवाही की। मंत्री महोदय कह रहे हैं कि आर.ए.सी. बुलायी गयी तो क्या जुल्म हो गया। क्या उनको पीटने के लिए आर.ए.सी. बुलायी गयी?

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, कभी आपने सुना है कि एक दूल्हे को थाने में ले जाकर पीटा गया। यह थाने की फोटो है। उनकी पिटाई की गयी। यह किस कानून के तहत किया गया, किस कानून के तहत पीटा गया? अगर एक आदमी दोषी था तो एक आदमी का प्रमोशन किया। चूंकि मैं वहां पहुंच गयी, उस आदमी का इन्होंने प्रमोशन करके उसको सस्पेंड किया।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप उत्तेजित न हों मैं फैक्ट की इन्फोर्मेशन दूंगा। मुझे आपके स्वास्थय का ध्यान है। अब आज्ञा हो तो फोर्स को बुलाया गया उस...

श्री अध्यक्ष : आप उत्तर दीजिए, एक एक करके।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप स्थान ग्रहण करें तब तो मैं उत्तर दूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
से पूछता हूं कि इस सारे झगड़े में कितने लोगों को पीटा गया और कितनों को चोटें आयीं ? सबसे ज्यादा किस आदमी के चोटें आयीं और कितनी चोटें आयीं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, इस मामले के अन्दर कुल मिला करके 8 आदमियों को चोटें आयीं। उनकी मेडिकल रिपोर्ट हुई। सबको सिम्पल इन्जरीज थी कोई बड़ी नहीं थी। उनकी मेडिकल रिपोर्ट हुई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने दूसरा प्रश्न यह पूछा कि किसी एक व्यक्ति के ज्यादा से ज्यादा कितनी चोटें आयीं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जिस व्यक्ति के सबसे ज्यादा चोटें आयी हैं, 5 से ज्यादा चोटें किसी व्यक्ति के नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दूसरा प्रश्न था, क्या मन्त्री महोदय सही मानते हैं कि एक ही व्यक्ति का चालान किया है ? क्या इतने व्यक्तियों को एक आदमी मजबूर कर सकता है ?

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन सब का उत्तर मैं एक साथ तो दे नहीं सकता। विपक्ष के नेता महोदय बहुत तजुर्बेकार आदमी हैं···

श्री भंवरलाल शर्मा : आप दे दीजिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं सब का उत्तर देने के लिए तैयार हू। श्रीमान्, यह बात सही है कि इतने आदमियों को एक आदमी चोट नही पहुंचा सकता। मैंने आपसे निवेदन किया कि इस मामले के अन्दर हमने चार आदमियों को सस्पेंड किया है···

श्री अहमद बक्श सिंधी (जोधपुर) : कब किया गया था ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, एफ. आई. आर. जो लाज की गई उसमें सबसे मैन कल्प्रिट श्री श्रीराम को नामजद किया गया है। और उसके बाद उन लोगों ने चार पांच आदमियों के नाम और बताये थे···

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : श्रीराम गोटेवाला तो नहीं थे ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आपस में बात नहीं करें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो इस केस की आज स्थिति है, वह यह है कि जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया कि हमें खुद दुःख है, सरकार खुद सजग है, हमारे अधिकारी मौके पर पहुंच गये, एडीशनल एस. पी., कलेक्टर मौके पर पहुंच गए···

श्रीमती उजला अरोड़ा : ×××

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले उत्तर आने दीजिए। मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं।

×××अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि कार्यवाही शनाख्तगी के लिए अदालत द्वारा कई तारीखें मुकर्रर की गई। मैं तो आपसे यह निवेदन करता हूं, माननीय सदस्या, आप इसमें सहयोग करें। कार्यवाही शनाख्ती के लिए नहीं आ रहे हैं गवाह और इससे कार्यवाही शनाख्तगी की नहीं हो रही है। जैसा मैंने आपसे शुरू में ही निवेदन किया कि इसके अन्दर सरकार की मंशा किसी को प्रोटेक्ट करने की नहीं हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सदन को आश्वासन देता हूं कि इसमें जो भी लोग दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ सरकार, सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी और जो कुछ भी सजा दे सकते हैं, वह हम देंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहती हूं कि उस समय थाने का इन्चार्ज कौन था ? मैं फिर आपसे कहती हूं कि वहां पर कलेक्टर नहीं पहुंचे। मैं नाम नहीं लेना चाहती थी लेकिन मैं आपको बताती हूं कि जब मैंने उनको फोन किया तो उनका उत्तर इतना गैर जिम्मेदाराना था, एक एक घटना की जांच के लिए कलेक्टर आएगा तो मैं भी आ जाऊंगा। मैं आपको कहती हूं कि कलेक्टर नहीं आए। थाने में रात को मैं मौजूद थी, 11 बजे शादी का मुहूर्त था और रात को तीन बजे तक मैं सारे अधिकारियों से जूझती रही कि आप आइये। यह बारात का मामला था। कोई चोरी डकैती का मामला नहीं। मैं पूछना चाहती हूं कि उस समय थाना इन्चार्ज कौन था मैं पूछना चाहती हूं कि ड्यूटी आफिसर कौन था ? मैं आपको कहती हूं कि वहां पर कोई नहीं था।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझसे गलती हुई। वहां पर ए. डी. एम. और एडीशनल एस पी. पहुंचे थे। मैंने जो पूर्व में उत्तर दिया था कलेक्टर का वह मैं करेक्ट कर रहा हूं। एडीशनल एस. पी. डालचन्दजी मौके पर पहुंचे थे। कलेक्टर की बात जो मैंने कही तो ए. डी. एम. को मैंने कलेक्टर समझ लिया जिसको अब मैं करेक्ट कर रहा हूं। मैंने आपसे पूर्व में निवेदन किया, माननीय सदस्या, आपकी जो व्यग्रता है, आपकी भावना की मैं कद्र करता हूं। हमारी कतई मंशा नहीं है कि हम किसी को प्रोटेक्ट करें। लेकिन बार-बार उसी बात को आप रिपीट करें तो उससे पर्पज सर्व होने वाला नहीं है। आप हमारी नियत को देखिये, अध्यक्ष महोदय, फर्स्ट इंस्टांस में हमने जो दफा लगाई थीं वे मामूली लगाई थीं लेकिन जब गौर करके देखा तो एफ. आई. आर. की दफायें बदल दीं। इसके अन्दर ढिलाई हमारी तरफ से कतई नहीं है। मैं आपसे पुनः कहना चाहूंगा कि सरकार कार्यवाही कर रही है और दोषी पाये जाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्रीमती उजला आरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है....

(व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : मंत्री महोदय ने बिल्कुल स्पष्ट उत्तर दे दिया है। अब बार-बार खड़े होकर जान-बूझ कर सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : गवाह जो है, क्या शहजादसिंह नामक व्यक्ति गवाह में है ?

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सप्लीमेंट्री माननीय सदस्या ने पूछा है, उसका उत्तर दूं।

श्री अध्यक्ष : अगर आपके पास सूचना हो तो दे दें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जी हां, मेरे पास सूचना है।

गवाहान हैं, जगजीतसिंह, हरसासिंह, स्वरूपसिंह, हरचन्दसिंह, लालाराम, सूरज सिंह। माननीय सदस्या, मैंने आपको नाम बता दिये हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह जो गवाहों की सूची है····

(व्यवधान)

रात को 12 बजे जिनको पीटा जाय वे शनाख्त नहीं कर सकते।····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर, मेरी मजबूरी है। अब मैं और प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं दूंगा।... आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : लेकिन जो गवाह हैं उनके खिलाफ चोरी के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। गवाहों के ऊपर जुल्म किये जा रहे हैं बाकी उनको झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। जिनको रात को 12 बजे पीटा गया हो वे कैसे शनाख्त कर पायेंगे ? आप बताइये, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जिसको रात में पीटा गया हो वह कैसे पहचान सकता है। मेरा क्वेश्चन है····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर, माननीय सदस्य आपस में बातें नहीं करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास ये सारे कागजात हैं, मेरे पास फोटोज हैं, मेरे पास अखबारों की कटिंग्स हैं जिनमें पूरा विवरण दिया गया है। आप कहते हैं कि दोषी पाये जाने पर सख्त कार्यवाही करेंगे। लेकिन दोषी कैसे सिद्ध होंगे ? कैसे उनको शनाख्त कर सकेंगे····

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपको हस्तक्षेप करना चाहिए। बार बार वही प्रश्न पूछ कर सदन का समय बर्बाद किया जा रहा है।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : सरकार ने स्पष्ट आश्वासन दे दिया है उसके बाद क्यों इसको लम्बा किया जा रहा है ?

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसमें पुलिस दोषी है····

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पूरी पुलिस फोर्स ने मिल कर लोगों को पीटा है, दूल्हे को

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
थाने में बन्द कर दिया और थाने के किवाड़ बन्द कर दिए····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, मैं और समय नहीं दे सकता।··· ऑर्डर प्लीज ! अब और मौका नहीं दूंगा। अगर आप संतुष्ट नहीं हों उत्तर से तो इस प्रश्न को अन्य किसी तरीके से उठाने की कृपा करें। अब और प्रश्न करने की इजाज़त नहीं दूंगा।

अगला प्रश्न, श्री हरिसिंह।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर अपर्याप्त दिया गया है, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि मुझे दुबारा मौका दिया जाय।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : प्रश्न सं. 59 का उत्तर भी इसी के साथ दिला दिया जाय।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, इसकी जो एफ.आई.आर. दर्ज हुई है, वह क्या एफ.आई.आर. दर्ज हुई है, यह बता दें ?

श्री अध्यक्ष : मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है। अब और सप्लीमेंट्री प्रश्न नहीं होंगे।

श्री मोहन लाल मोदी : शायद सत्तारूढ़ पक्ष के माननीय सदस्यों को इस घटना की जानकारी नहीं है। उनको सही जानकारी दे देंगे तो वे भी चुप हो जावेंगे। ···

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : सही जानकारी अखबारों में आई है, यह राजस्थान पत्रिका की कटिंग है, यह नवज्योति की कटिंग है।··

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 53।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इसके साथ प्रश्न संख्या 59 का भी जवाब दे दें।

चिकित्सा मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा): नम्बर आयेगा तब दे देंगे।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 59 इससे संबंधित है।

श्री अध्यक्ष : कौन सा 59 ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, 59 अलग से है।

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, विश्नोई जी को सुन लें।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं। अलग से प्रश्न है।

भरतपुर जिले की डिस्पेंसरीज़ में डाक्टर्स के रिक्त पद

53. **श्री हरिसिंह (कुम्हेर)** : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले की कई डिस्पेन्सरीज में वर्ष 1980–81 में किसी डाक्टर का पदस्थापन नहीं

(18)

(श्री हरिसिंह)

किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? कृपया उन डिस्पेन्सरीज की सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) भरतपुर जिले की तहसील बयाना के ग्राम खेड़ली गडासिया में इस वर्ष कौन डाक्टर कार्यरत थे और वह कितने दिन वहां उपस्थित रहे हैं ?

चिकित्सा मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) भरतपुर जिले की निम्नलिखित डिस्पेंसरियों में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनित डाक्टरों के अभाव में तथा तदर्थ नियुक्ति पर प्रतिबन्ध होने के कारण पदस्थापन नहीं किया जा सका :–

1. राजकीय डिस्पेंसरी, खेड़ली गड़ासिया
2. राजकीय डिस्पेंसरी, बरोलीछार
3. राजकीय डिस्पेंसरी, मूड़िया

(2) राजकीय डिस्पेन्सरी, खेडली गड़ासिया में किसी भी डाक्टर का पदस्थापन इस वर्ष नहीं किया गया है।

श्री हरिसिंह : डाक्टर्स के अभाव में क्या वहां पर कम्पाउन्डर जो नियुक्त हैं, वह सक्षम है कि बीमारों को देख सके और दवाई आदि दे सकें ?

श्री हीरालाल देवपुरा : क्या ?

श्री हरिसिंह : डाक्टर के पदस्थापन के अभाव में वहां नियुक्त कम्पाउन्डर क्या बीमारों को देखने और दवा आदि देने के लिए सक्षम हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : कम्पाउन्डर की सक्षम सेवायें हैं। जो कम्पाउन्डर जितना काम कर सकते हैं, जो उनका काम है, उतना ही काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि कम्पाउन्डर सक्षम नहीं होता। जो मजबूरी थी वह मैंने आपको बतायी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से डाक्टरों का चयन हो चुका है और बहुत जल्दी ही सभी डिस्ट्रिक्ट्स में डाक्टर्स भेज रहे हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : भरतपुर जिले में कितनी डिस्पेन्सरीज खोली हैं और कितने स्थान रिक्त हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इसका इससे कोई संबंध नहीं है।

श्री सूरजपाल सिंह : यह आपकी टेबल पर जवाब पड़ा है, बता दीजिये।

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : आप इसका उत्तर नहीं दिलायेंगे तो हम आपको बोलने नहीं देंगे।

श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा) : भरतपुर जिले की डिस्पेन्सरीज में डाक्टर्स नहीं हैं।

श्री दीपेन्द्रसिंह : इसमें कसूर आपका नहीं, बद्रीप्रसाद जी से पूछें।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा मालानी): एक भी डिस्पेन्सरी में डाक्टर नहीं है। चार डिस्पेन्सरी हैं, उनमें डाक्टर्स नहीं हैं।

श्री सूरजपाल सिंह : भरतपुर में कितनी डिस्पेन्सरीज खोली हैं ?

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): क्या यह सही है कि पब्लिक सर्विस कमीशन से आपने बताया · · ·

श्री अध्यक्ष : आपस में बातें नहीं करें, कृपया शान्त रहें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है, जैसा आपने बताया कि पब्लिक सर्विस कमीशन से चयन विलम्ब से होने के कारण डाक्टर्स नियुक्त नहीं किये जा सके ? क्या आप बता सकते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन से चयन कब हुआ था ?

श्री हीरालाल देवपुरा : लेटेस्ट पी.एस.सी. से चयन अभी-अभी हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तारीख बता दीजिए ?

श्री हीरालाल देवपुरा : तारीख नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, चयन हुए कई दिन हो चुके हैं, बद्रीप्रसाद जी ने डाक्टर्स के सिर्फ ट्रांसफर किए। पब्लिक सर्विस कमीशन से जो सलेक्ट हो चुके हैं, उनकी नियुक्ति नहीं हुई है।

श्री हीरालाल देवपुरा : पी.एस.सी. से लिस्ट आये 15 दिन हुए हैं। हम पोस्टिंग कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि भरतपुर में कितनी डिस्पेन्सरी में पद रिक्त हैं ? यह भरतपुर का ही नहीं सारे राजस्थान का प्रश्न है।

एक माननीय सदस्य : राजस्थान में जितनी जगह डाक्टरों की पोस्ट खाली हैं, वह कब तक भरदी जायेंगी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : सभी जगह जहां पद खाली हैं, वहां पोस्टिंग कर दी जायेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : प्रश्न सं. 59 जो है, इसको आप स्थगित कर दें। यह रिलेवेन्ट क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष : उसके लिए मंत्री महोदय से बात कर लें।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : सदन को कैसे जानकारी होगी इसकी ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के सभी जिलों की सभी डिस्पेन्सरियों का महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान के सभी विधायकों से यह संबंधित है, एक जिलेवार सूची बन जायेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई। क्या बात कहना चाहते हैं ?

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न पिछले तीन दिन से आ रहे हैं। वह हमेशा 7, 8, 10 नम्बर पर लगे हुए आते हैं और सदन में उनका उत्तर नहीं आ पाता है। मेरा निवेदन है कि जो सम्बन्धित प्रश्न है इसे स्थगित कर दें या जवाब दिला दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उससे सम्बन्धित प्रश्न है, इसलिये जवाब दिलाया जाय, यह नहीं हो सकता है। आप उनसे मिल लें।

श्री रामसिंह विश्नोई : उनके पास उत्तर मौजूद है।

श्री अध्यक्ष : उत्तर सभी प्रश्नों का मौजूद है। मैं बीच के प्रश्नों को छोड़ कर इसका उत्तर देने के लिये बाध्य नहीं कर सकता हूं।

श्री रामनारायण डूंडी : इसको स्थगित किया जाये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : आपने एक जिले में 20 डिस्पेन्सरी खोली हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझे एक-एक की बात सुनने दीजिये। श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नम्बर 59 जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न को...

श्री अध्यक्ष : सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हीं की इजाजत दी जाती है।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : पूरे राजस्थान का बजट एक भरतपुर जिले पर खर्च कर दिया, यह कोई न्याय की बात है ?

श्री सूरजपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम आपका प्रोटेक्शन चाहते हैं। हम चाहते हैं आप हमें न्याय दिलायें। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप आसन पर होते हुए न्याय नहीं दिला सकते हैं, आप हमारी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं तो यह हमारे साथ अन्याय है।

श्री अध्यक्ष : मैं जितनी ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकूं, यह मेरे सौभाग्य की बात होगी। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न यहां आयें, यही मैं चाहता हूं।

(व्यवधान)

विपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कुल 97 चिकित्सालय खोले गये...

यातायात मंत्री (श्री हनुमान प्रभाकर): अध्यक्ष महोदय, यह किस प्रश्न का जवाब पूछ रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनमें से 24 भरतपुर जिले में खोले गये।

(व्यवधान)

15 धौलपुर में खोले गये...

(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा) : सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, यह वही बात कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : आपने एजूकेशन के मामले में ऐसा सिलसिला बना दिया था कि· ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। आप इस प्रश्न को किसी और तरीके से उठावें लेकिन ऐसी कोई परम्परा नहीं डाल सकते· · ·

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आप विराजें।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारी भावना को ध्यान में रखिये। हम आप से न्याय की आशा करते हैं। मैं यह अर्ज कर रहा हूं, आपने फर्माया कि एक सदस्य मंत्री महोदय से मिल कर पूछ लें, तो फिर विधान सभा की क्या जरूरत है। हम दो सौ आदमी कैसे जानेंगे कि कहां-कहां डिस्पेंसरियां खोली गईं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैंने, यह निवेदन किया था कि मैं बहुत ही अति विशेष कारणों से किसी प्रश्न को स्थगित नहीं कर सकता। मैंने सुविधा के लिये यह कहा कि इतने आतुर हो तो कोई एक माननीय सदस्य देख आवें। प्रश्नों के उत्तर सदन की मेज पर रखे जाते हैं।

एक माननीय सदस्य : इस पर आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिये, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : कृपया, मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि नियमों को ध्यान में रख कर· · ·

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है। मेरी बात सुनिएगा।

मेरी सदैव कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक प्रश्न आवें। मैं पूरी कोशिश करता हूं जो सवाल पूछे जाते हैं उनको मैं स्क्रूटिनी भी करता हूं कि यह लोक महत्व से संबंध रखता है या नहीं। लेकिन माननीय सदस्यों के सामने एक प्रश्न आ जाता है तो पूरे प्रश्नों की सूची से ध्यान हट जाता है और उस पर ध्यान चला जाता है। मैं समझता हूं कि जो प्रश्न सूची में आ जाते हैं वे सब प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। उनमें से मुझे बड़ा संतोष होगा यदि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर दिला सकूं लेकिन माननीय सदस्यों के सहयोग के अभाव में मेरे लिये यह करना संभव नहीं होगा। यह जो 59वां सवाल है, तो नियमों में कई तरह के प्रावधान हैं नियमों से जिस प्रावधान का फायदा आपको मिल सकता है उसमें मेरी मदद की जरूरत होगी तो मैं उसमें कोई कसर नहीं रखूंगा।

(व्यवधान)

22

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर प्लीज, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आपने फर्माया कि लोक महत्व के प्रश्न हों उनको उचित समझें तो स्थगित कर सकते हैं। मेरा निवेदन यह था, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का जो बजट होता है उसको किसी पर्टीकूलर व्यक्ति या पर्टीकूलर क्षेत्र के लिये खर्च नहीं कर सकते। यह राजस्थान का खजाना होता है जो पूरी जनता को, पूरे क्षेत्र को, सब को ध्यान में रख कर खर्च करना होता है। हम भी उम्मीद करके चलते हैं कि हमारे क्षेत्र में सरकार औषधालय, स्कूल खोलेगी लेकिन अगर लूणी में ही सरकार सिर्फ मेरे ही क्षेत्र में सारा खर्च कर दे तो उसका दो सौ विधायकों पर असर पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : आपने जो फर्माया है उस पर मैं विचार करूंगा। आप मेरे से मिल सकते हैं। यदि स्थगित करना ही आवश्यक होगा तो ...

श्री रामसिंह विश्नोई : चाहे मुख्य मंत्री हो चाहे कोई भी मंत्री हो लेकिन वह जनता के धन का दुरुपयोग नहीं कर सकता। उसका उपयोग सही ढंग से करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : यह आपका सुझाव है, आप इसे किसी अन्य तरीके से सदन में प्रस्तुत करें।

(व्यवधान)

इस प्रश्न के सम्बन्ध में बहुत से माननीय सदस्यों ने यह चाहा है कि इसको स्थगित किया जाय। मैं इस पर विचार करूंगा और इसकी व्यवस्था बाद में दे दूंगा।

श्री सूरजपाल सिंह : आप इसको स्थगित करने में सक्षम हैं, अध्यक्ष महोदय, हम आपसे न्याय चाहेंगे।

श्री रामसिंह विश्नोई : हम विधान सभा में इस तरह से कतई बरदाश्त नहीं करेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अगर आप इस प्रश्न को स्थगित नहीं करेंगे तो कौन से प्रश्न को स्थगित करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : मैंने कह दिया है, मैं इस पर विचार कर रहा हूं।

(व्यवधान)

आप थोड़ा धीरे बोलें तो मैं सुन सकूं।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : मैं निवेदन कर रहा हूं, यह सारे राजस्थान से सम्बन्धित है आप इस पर मतदान करा कर सदन की राय जानें।

श्री अध्यक्ष : ऐसे छोटे-मोटे प्रश्नों पर मुझे सदन ने अधिकार दे रखे हैं इसलिये वोट की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : हम असेम्बली की कार्यवाही बिल्कुल बरदाश्त नहीं करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप क्या फर्माना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : पाइन्ट ऑफ आर्डर।

23

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया है कि मैं इस पर विचार करूंगा···

श्री रामसिंह विश्नोई : इस पर क्या विचार करना है···

श्री सूरजपाल सिंह : इसकी प्रायोरिटी स्पष्ट है···

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जाएं।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, पहले भी आपने प्रश्न को स्थगित किया है···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : सदन का बहुमत इस लोक महत्व के प्रश्न को स्थगित कराना चाहता है···

श्री अध्यक्ष : बहुमत तो जब यहां पर वोट होंगे तब पता चलेगा।

एक माननीय सदस्य : वोट करा लीजिए।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक महोदय प्रस्ताव रख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्यों की जो भावना है उसको मैंने समझ लिया है और इसके ऊपर मैं निर्णय दे दूंगा। यह मैंने अर्ज कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी : यह लोक महत्व का प्रश्न है। इस पर जल्दी व्यवस्था दे दें।

श्री अध्यक्ष : इस तरह आप आसन को बाध्य नहीं कर सकते। आपकी भावनाओं को देखते हुए मैं इस पर निर्णय दे दूंगा। इसके सिवाय आप और क्या चाहते हैं? आप हाउस की कार्यवाही न चलने दें तो न चलने दें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था···

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आपको हमारी भावनाओं को देखकर इसको स्थगित कर देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आपकी भावनाओं को देख कर मैं इस पर निर्णय दे दूंगा। आप इससे अधिक क्या चाहते हैं?

व्यवस्था का प्रश्न

प्रश्नकाल की अवधि में वृद्धि के लिये नियम का निलम्बन

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से नियम 306 के अन्तर्गत प्रस्ताव मूव करता हूं। वह यह है : "कोई सदस्य, अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेगा कि सदन के समक्ष किसी खास प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होना विलम्बित कर दिया जाये और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो वह प्रासंगिक नियम उस समय के लिये निलम्बित कर दिया जायेगा। मैं आपके समक्ष यह प्रश्न रख रहा हूं कि क्वेश्चन आवर का जो एक घंटा निर्धारित है उसको निलम्बित कर दिया जाए और सदन की सहमति हो तो इस प्रश्न को ले लिया जाए। सहमति न हो तो न लिया जाए। यह प्रश्न जैसी आप व्यवस्था करेंगे वैसे लिया जाएगा।

(२५)

श्री खेतसिंह राठौड़ (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी दल के नेता महोदय ने जिस रूल 306 का हवाला दिया है सस्पेन्शन के बारे में वह यह है

"Any member may, with the consent of the Speaker...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कन्सेन्ट मांगी है। आपने सुना नहीं है। मैंने कन्सेन्ट मांगी है। जो प्रश्न काल का एक घण्टा निर्धारित किया गया है वह इस प्रश्न के पूछे जाने तक बढ़ाया जाए। यह मेरा प्रस्ताव है। इस प्रकार से नियमों में रिलेक्सेशन हो, इसकी अनुमति मैंने मांगी है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि यह ऐसा विषय नहीं है...

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को वोट के लिए रखा जाए ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव सदन की सारी कार्यवाही को स्थगित किया जाकर पहले लिया जाय...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन के सामने मोशन प्रस्तुत किया गया है....

श्री रामसिंह विश्नोई : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है...

श्री हरिदेव जोशी (बांसवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह बुरा प्रिसिडेंट होगा कि जीरो आवर को स्थगित कर दिया जाय। यह तो जीरो बिलकुल हो गया। मेरा निवेदन यह है कि माननीय सदस्यों की भावनाओं को जब आपने समझ लिया है तो इस प्रश्न को कल के लिए स्थगित कर दें। इसके ऊपर आप निर्णय दे दें। आप यह फर्मा दें कि स्थगित प्रश्नों में इसको आप कल ले लेंगे। आप फर्मा दें। यह कोई नई बात नहीं है। इसलिए हम यह मानकर चलें कि आप यह प्रश्न स्थगित करके चल रहे हैं। अच्छा होगा यदि यह कल ले लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : मैंने यह निवेदन किया है कि सदन के माननीय सदस्यों की, हर एक पक्ष की जो भावना है उसको मैंने समझ लिया है। उस पर विचार करके मैं अपना निर्णय दूंगा। यह मैंने निवेदन किया है...

(व्यवधान)

इसमें बहुत से प्रश्न हैं। कई माननीय सदस्य 10–20 अपने-अपने प्रश्नों को स्थगित कराएंगे। आपने मुझे चुना है। मैंने निवेदन कर दिया, मैं निर्णय देने का अधिकारी हूं। जहां तक मुझे अधिकार है उसके हिसाब से मैंने निवेदन किया है...

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : आप कहते हैं सहयोग दें। हम आपसे भी सहयोग चाहते हैं। आप इस प्रश्न को स्थगित करें। एक तरफ तो सहयोग की बात करते हैं ××× हम विधान सभा की कार्यवाही को नहीं चलने देंगे।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपकी भावनाओं को समझ लिया है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : आप व्यवस्था नहीं दे रहे हैं। जब तक आप व्यवस्था नहीं देंगे हम विधान सभा की कार्यवाही को आगे नहीं चलने देंगे।

×××-अभिव्यक्ति-माननीय, अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हम आपसे आशा करते हैं···

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : एक तरफ आप सहयोग की बात करते हैं दूसरी तरफ हमें प्रश्न पूछने से वंचित किया जा रहा है।··

श्री रामनारायण डूंडी : आपको क्या तकलीफ हो रही है ? यह कोई कानूनी मुद्दा नहीं है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : ×××

श्री अध्यक्ष : एक अन्य विकल्प मैं आपके सामने रख रहा हूं। यदि सत्ता पक्ष इस प्रश्न को स्थगित कराना चाहता है तो प्रस्ताव कर दे। मैं प्रश्न को स्थगित कर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण) : इसको क्यों नहीं स्थगित किया जा रहा है ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मुख्य सचेतक के कहने के बाद इसको स्थगित कर देना चाहिए।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय सदस्यों की जैसी भावना है उस पर आपने निवेदन किया तो यह अच्छा होता कि माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय ने जो निर्णय दिया, इस सदन और आसन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए उसको मानते। हम इस बात को जानते हैं, मानते हैं कि माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखा जाए···

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : इसमें आसन की गरिमा का क्या प्रश्न है। गरिमा की क्या बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

प्रस्ताव

तारांकित प्रश्न संख्या 59 का स्थगन

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं प्रस्ताव करता हूं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सूरजपालसिंह : हमने रिक्वेस्ट की है। यह हमारा···

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस प्रश्न को···

श्री अध्यक्ष : प्रश्न 59 को।

श्री हीरालाल देवपुरा : प्रश्न संख्या 59 को स्थगित कर दिया जाय और आप अपने हिसाब से इसको जब लेना चाहें तब लें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाये।

(ध्वनि मतदान)

व्यवस्था का प्रश्न

तारांकित प्रश्न के स्थगन सम्बन्धी प्रस्ताव

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह

×××अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
है कि मंत्री महोदय ने प्रस्ताव क्या रखा है और आप उसको किस रूप में स्वीकार करा रहे हैं।

(व्यवधान)

नियमों को तो देखें। ऐसी कोई प्रक्रिया है क्या ?

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि यह प्रस्ताव कौन से नियमों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है ? कोई भी प्रस्ताव जो इस सदन में दिया जा सकता है यदि उसमें विनिश्चय की आवश्यकता हो और अध्यक्ष यदि जरूरी समझे सदन की राय जानना तो किसी भी वक्त अध्यक्ष की अनुमति से प्रस्ताव किया जा सकता है। इसमें कोई नियमों की बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी मैंने मान ली। जब ऐसा विनिश्चय किया जाता है अगर उस वक्त सदन में विनिश्चय का दूसरा मामला पैंडिंग हो तो उसका निर्णय नहीं होने तक दूसरा मामला नहीं ले सकते हैं। मेरा प्रस्ताव ...

श्री अध्यक्ष : आपका प्रस्ताव यह था कि नियम को सस्पेन्ड कर दिया जाय..

श्री भंवरलाल शर्मा : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ ऑर्डर के ऊपर पाइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं आ सकता है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने आपके सामने जो प्रस्ताव रखा था वह यह रखा था कि नियमों में रिलेक्सेशन करके प्रश्न पहले रखने की अनुमति दे दी जाये। आपने उस पर अपनी अनुमति दे दी। आपने उस पर अनुमति लेने के लिये हाउस में वोट के लिये प्रस्ताव किया ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोलने दीजिये।

श्री भंवर लाल शर्मा : I am on my feet आपने व्यवस्था दी, विरोधी दल के नेता महोदय ने जो प्रश्न रखा है उस पर सदन का मत जान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : मैंने अनुमति नहीं दी थी बल्कि सत्ता पक्ष की तरफ देखा था कि सत्ता पक्ष क्या कहता है, उन्होंने भी इसमें अपने सुझाव दिये थे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने कहा था कि मोशन ही नहीं है इसको अनुमति देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। यह ...

श्री अध्यक्ष : मोशन में तो आता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या देवपुरा जी को ही यह अधिकार दिया है जिस समय चाहें जिस प्रश्न को चाहें स्थगित करने का प्रस्ताव रख सकते है। इस प्रकार का प्रस्ताव रखने का अधिकार तो सभी को है।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव को रखने की बात है तो देवपुरा जी प्रथम तो संसदीय कार्य मंत्री हैं, सरकार की ओर से कोई भी मंत्री किसी भी वक्त इस प्रकार का प्रश्न आये तो वह प्रश्न हमेशा रख सकता है

(श्री अध्यक्ष)

जिसमें कि ऐसा प्रश्न नहीं हो कि विरोधी पक्ष को या किसी माननीय सदस्य को कोई आपत्ति हो जैसे कि वित्तीय व्यवस्था नहीं हो, एक निश्चित समय की बात हो, एक निश्चित समय की सूचना होनी चाहिए या कोई संविधान का प्रश्न निहित हो या नोटिस की आवश्यकता हो तो वह नहीं रख सकते हैं। यह तो तात्कालिक प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आगे चल कर कई दिक्कतें आयेंगी इसमें। आपने प्रस्ताव कराया प्रश्न 59 को स्थगित किया जाय। मैं अमेण्डमेण्ट रख सकता हूं कि प्रश्न 58 को स्थगित किया जाये। मुझे भी अधिकार है। सत्ता पक्ष की तरफ ही देखें इसमें थोड़ी आपत्ति है। आप भी एक ही तरफ देख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने यह निवेदन किया था कि जब आपने प्रश्न उठाया था तो इसमें दूसरे पक्ष की क्या राय हो सकती है यह जानने के इरादे से ही मैंने उधर देखा था। तुरन्त ही चीफ ह्विप महोदय अपने पैरों पर खड़े हो गये थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चीफ ह्विप महोदय तो उस समय वहां थे ही नहीं, उस समय धक्के खा रहे थे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपकी तरफ देख रहा था। आपकी तरफ देखना धक्के खाना है क्या ?

श्री राजबहादुर : सदन की मंशा स्पष्ट हो चुकी है। सबकी राय यह है कि इस प्रश्न को स्थगित किया जाये तो मैं समझता हूं कि इस विवाद को टाला जाये और आप निर्णय दे दें कि इसको स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : मैंने तो निर्णय दे दिया कि अभी निर्णय दे दूंगा। चैम्बर में जाकर निर्णय दूंगा।

श्री राजबहादुर : आप भी ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : ऐसा है अध्यक्ष किसी प्रश्न को स्थगित न करे तो उसका इतना सीरिअस व्यू लिया जाये। जब इतने माननीय सदस्य ऐसा करेंगे तो हमको भी करना पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर...

श्री अध्यक्ष : मैं सदन की राय जान लेता हूं क्या सदन की राय है कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाये।

(स्वीकृत)

स्थगित किया गया।

श्री नाथूसिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है, अध्यक्ष महोदय, अभी जो प्रक्रिया डाली है इसके बारे में मेरी आपत्ति है। कोई भी मंत्री इस तरह का प्रस्ताव मूव कर देगा और आप उसे सदन में प्रस्तुत करने देंगे तो इस तरह तो हर कोई मंत्री जिस समय चाहेगा जिस प्रश्न को चाहेगा स्थगित करा लेगा।

श्री अध्यक्ष : स्थगित कराना इतना आसान नहीं है।

श्री नाथूसिंह : ऐसे समय में वे यह प्रस्ताव रखेंगे क्योंकि वे सत्ता में होते हैं और

(श्री नाथू सिंह)
सत्ता पक्ष का बहुमत होता है इसलिये वे उसको स्थगित करवा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी बात समझ गया हूं। किसी प्रश्न को स्थगित करना और किसी प्रश्न को स्थगित न करना यह आसन के ऊपर निर्भर करता है। मैंने इसके ऊपर निर्णय दे दिया था कि मैं विचार करूंगा, सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा। पर आप तत्काल निर्णय चाहते थे, सभी पक्ष के माननीय सदस्यों की यह राय थी कि स्थगित किया जाना चाहिए। आप यह जानते हैं कि आसन का जो निर्णय होता है उससे भी ऊपर सदन का निर्णय होता है। उसकी राय ले ली। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सभी माननीय सदस्यों ने यह राय प्रकट की थी कि स्थगित कर दिया जाये लेकिन कोई माननीय सदस्य यह सोचे कि कोई मंत्री बार-बार इस तरह का प्रस्ताव ले आयेगा तो प्रश्न को स्थगित करने का अधिकार आपकी तरफ से हमको दिया हुआ है। पर हमारे से ऊपर सदन है सदन की राय थी इसलिये यह उठाया गया। ऐसी स्थिति आगे नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका सहयोग मिले। सहयोग हमेशा मिला है और आगे भी मिलता रहेगा।

श्री नाथूसिंह : मेरी आपत्ति इस प्रक्रिया पर है। यह पावर आपको है, मंत्री महोदय को नहीं है कि वह किसी प्रश्न को स्थगित कर दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आप कल्पना कर रहे हैं। कोई भी काल्पनिक प्रश्न पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं आ सकता है। जो वास्तविक परिस्थितियां हैं जो सदन के सामने लायी जा सकती हैं जो आगे आ सकती हैं उन पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता है, न कोई प्रस्ताव दिया जा सकता है। मैंने पूर्व में ही यह फर्मा दिया था कि यह आसन का अधिकार है लेकिन अधिकतर माननीय सदस्यों की राय यह थी कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाये इसलिये मैंने सैक्रेटरी के हिसाब से पूछ लिया था।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह हमेशा की परम्परा नहीं बनेगी।

श्री अध्यक्ष : परम्परायें सदन बनाता है।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : प्रश्न 56 की सूची बाकी है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न के बारे में आप अलग से पूछ लें।

श्री देवीसिंह भाटी : हमारे पास सूची नहीं है। सूची तो आपके · · ·

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : सूची का तो सुबह नाश्ता कर लिया।

श्री देवीसिंह भाटी : म्हाने तो व्यवस्था दिराओ।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं आयेगा। कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य !

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मंडावा विधान सभा क्षेत्र में विद्युतीकरण

38. श्री लच्छू राम (मण्डावा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मण्डावा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मार्च, 1981 तक कौन कौन से गांवों को बिजली दी जावेगी ?

(श्री लच्छूराम)

(2) क्या यह सही है कि ग्राम निरादनू तहसील, झुंझुनू को बिजली देने की स्वीकृति प्राप्त है ? यदि हां, तो अब तक बिजली क्यों नहीं दी गई ?

उत्तर

(1) मण्डावा विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 1980-81 में माह मार्च के अन्त तक निम्न ग्रामों में विद्युत उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्य प्रगति पर है:—

1. दीनवा
2. फूसरवानी
3. मेहरादासी
4. कुमास
5. मदनसर
6. कुंहारू
7. हमीरवास नुआ
8. सेंसवास
9. कोलाली
10. टोडरवास
11. मोजास
12. वजीदसर
13. धनूरी
14. वासड़ी
15. लादूसर
16. सोनासर
17. रामपुरा
18. हरिपुरा
19. कांट
20. मुखवास
21. भीमसर (पीपल का वास)
22. ढाणी-जोशियान

(2) जी हां। कार्य प्रगति पर है।

जिला भीलवाड़ा की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

39. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले में सन् 1979-80 व 1980-81 में किन-किन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत गांवों में कितनी लम्बी बिजली की लाइन खींची गई ?

(2) इसी अवधि से पिछड़े वर्ग व हरिजन बस्तियों में लाइनें खींचने के कितने प्रस्ताव विद्युत विभाग के अधिशासी अभियन्ताओं के पास आये और इनकी क्रियान्विति के परिणाम क्या रहे ?

उत्तर

(1) ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के अन्तर्गत खींची गई लाइनों का विवरण विधान सभा क्षेत्रवार संकलित नहीं किये जाते हैं अपितु उपखण्डवार विवरण संकलित किया जाता है। भीलवाड़ा जिले में वर्ष 1979-80 व 1980-81 में खींची गई लाइनों का

(विद्युत् मंत्री)

उपखण्डवार विवरण निम्न प्रकार है :—

(लाइन कि. मी. में)

क्र. सं. योजना का नाम/उपखन्ड	33 के.वी. लाइन 1979-80	33 के.वी. लाइन 1980-81	11 के.वी. लाइन 1979-80	11 के.वी. लाइन 1980-81	एल.टी. लाइन 1979-80	एल.टी. लाइन 1980-81
1. ग्राविनि.कोटड़ी	–	–	3.600	7.328	13.974	7.726
2. ,, गंगापुर	–	–	1.060	0.742	7.745	3.216
3. ,, सुवाना	–	–	6.552	3.343	12.289	12.352
4. ,, हुरड़ा	–	–	24.010	3.510	36.874	20.793
5. ,, शाहपुरा	–	–	29.246	10.970	21.230	13.881
6. ,, ग्रासिन्द	–	–	29.085	6.525	57.668	27.598
7. ,, मांडलगढ़	–	–	12.360	11.980	37.992	37.601
8. ,, जहाजपुर	–	45.00	65.219	11.822	33.603	18.141
9. ,, मान्डल	–	–	29.890	8.435	10.140	4.460
10. एम.एफ. रायपुर	–	–	1.260	0.212	4.436	26.498
11. एसपीए. कोटड़ी	--	–	–	1.700	–	4.700
योग	--	45.00	200.282	66.567	235.951	176.967

(2) उक्त ग्रवधि में भीलवाड़ा जिले की 44 हरिजन बस्तियों में विद्युत् लाइन डालने हेतु प्रस्ताव हुए जिनमें से वर्ष 1979–80 में 16 तथा 1980–81 में ग्रब तक 11 हरिजन बस्तियों में लाइनें डाली जा चुकी हैं तथा 6 ग्रन्य हरिजन वस्तियों में विद्युत् लाइनें खींचने का कार्य प्रगति पर है।

विद्युतीकरण लक्ष्य की प्राप्ति

40. श्री गुलाबचंद कटारिया (उदयपुर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 1980–81 में कितने गांवों, कुओं तथा हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया था तथा इनमें से दिसम्बर, 1980 तक कितना लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) वर्ष 1980–81 में कितने कितने हाई टेन्शन उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने का लक्ष्य था व दिसम्बर, 1980 तक कितने उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिया गया ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1980–81 में 20,000 कुओं व 1800 ग्रामों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा गया था। इनके अतिरिक्त लगभग 500 हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का भी प्रस्ताव है। माह दिसम्बर, 1980 के अन्त तक उपलब्धियां निम्न तालिका में दर्शाई गई हैं।

	लक्ष्य वर्ष 1980-81	उपलब्धियां माह दिसम्बर 1980 के अन्त तक
1. गांव	1,800	666
2. कुएं	20,000	17,919
3. हरिजन बस्तियां	500	152

(2) हाई टेंशन उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता वरन मांग के आधार पर आर्थिक उपादेयता, तकनीकी साध्यता व विद्युत् की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए कनेक्शन दिये जाते हैं। वर्ष 1980–81 में माह दिसम्बर, 1980 के अन्त तक 34 हाई टेंशन उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिये जा चुके हैं।

तहसील डीडवाना के ग्रामों का विद्युतीकरण

41. श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना)
श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या ग्राम बरड़वा तहसील डीडवाना का विद्युतीकरण करने हेतु राज्य सरकार द्वारा सर्वेक्षण किया गया है ? यदि हां, तो वहां कब तक विद्युत् उपलब्ध कराने की योजना है ?

(2) क्या ग्राम आगुन्ता और आजडोली के चारों तरफ के गांवों में विद्युत् उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार का इन गांवों में बिजली देने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। अभी कोई स्वीकृत योजना नहीं है।

(2) जी नहीं, केवल ग्राम आगुन्ता के चारों तरफ के गांवों में विद्युत् उपलब्ध है। स्वीकृत योजना के अभाव में इन गांवों को बिजली दिये जाने के बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ भी कहना सम्भव नहीं है।

तहसील देवगढ़ व भीम के ग्रामों का विद्युतीकरण

42. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्ष 1980-81 में देवगढ़ भीम क्षेत्र के कुछ गांवों के विद्युतीकरण की स्वीकृति दी जा चुकी है ?

(2) यदि हां, तो क्या स्वीकृत राशि वर्ष 1980–81 में व्यय कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं, सम्पूर्ण स्वीकृत राशि का प्रावधान वर्ष 1980–81 में नहीं है।

ग्राम अजयराजपुरा (जयपुर) के विद्युत सम्बन्ध का प्रकरण

43. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जयपुर जिले की पंचायत अजयराजपुरा का ग्राम चिरोटा विद्युतीकृत है ? यदि नहीं, तो क्या इस ग्राम में एक व्यक्ति विशेष को अपवाद स्वरूप विद्युत कनेक्शन दिये जाने की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है ?

(2) यदि हां, तो सरकार ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी नहीं। उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय बालिका विद्यालय, अजमेर का भवन

44. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय बालिका विद्यालय, अजमेर जिस भवन में स्थित है, वह राजकीय भवन है और वहां होने वाला निर्माण, पुनर्निर्माण एवं मरम्मत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ही होना चाहिए ?

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में इस भवन में नया निर्माण कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो इस निर्माण कार्य का अनुमान तथा मानचित्र (प्लान) किस तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा स्वीकृत किये गये हैं और कौन तकनीकी विशेषज्ञ इसकी देखभाल कर रहा है ?

उत्तर

(1) यह जरूरी नहीं है कि विद्यालय में होने वाला निर्माण, पुनःनिर्माण एवं मरम्मत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ही हो। यदि किसी संस्था के भवन के नये कार्य व पुनः निर्माण कार्य का पैसा किसी व्यक्ति विशेष या किसी संस्था से इकट्ठा किया जाता है और वह कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग से करवाना चाहता है तो सारा पैसा पहले इस विभाग को जमा कराना पड़ता है। इसके अतिरिक्त ऐसा कार्य संस्था द्वारा गठित समिति भी करा सकती है परन्तु उसे इस विभाग से तकनीकी सलाह लेनी

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)
पड़ती है और उसका तखमीना व नक्शा इस विभाग द्वारा तैयार किया जाता है और उस समिति में तकनीकी सदस्य इस विभाग का होता है ।

(2) जी हां ।

इस निर्माण कार्य के फोरकास्ट एस्टीमेट व नक्शे इत्यादि अधिशासी अभियन्ता द्वारा तैयार किये गये हैं और कार्य की देखभाल संस्था की गठित भवन निर्माण समिति कर रही है जिसके तकनीकी सदस्य अधिशाषी अभियन्ता, नगर खण्ड, अजमेर हैं ।

टोंक से गहलोद घाट पर पुलिया निर्माण

45. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–-

टोंक से गहलोद घाट पर पुलिया या रपट बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं ।

बनास नदी पर गहलोद घाट होते हुए कच्चे रास्ते से गहलोद (679), कूरेड़ा (898), नाथरी (272), भिराना डामर सड़क तथा गहलोद से गाता, डीडवारी (1207) व नानेर (1347) गांवों के लिए उपयोग किया जाता है । इस सड़क पर यातायात बहुत कम है इसके लिए आगे कोई निर्मित सड़क भी नहीं है । और जो भी यातायात जाता है, वह कच्चे रास्ते होकर जाता है ।

अतः इस पुल का निर्माण छठी पंच-वर्षीय योजना के मापदण्डों के अन्तर्गत न आने के कारण यह इस योजना में शामिल नहीं किया गया है ।

करौली क्षेत्र में डाकू उन्मूलन योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कें

46. श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–-

क्या यह सही है कि करौली क्षेत्र में डाकू उन्मूलन योजना के अन्तर्गत कुछ सड़कों की योजना स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो कौन कौन सी सड़कें हैं व इन पर कितना रुपया व्यय होने का अनुमान है ? आगे कौन कौन सी सड़कें उक्त योजना के तहत ली जाने वाली हैं ।

उत्तर

जी नहीं ।

डाकू उन्मूलन योजना के अन्तर्गत कोई भी सड़क की स्वीकृति नहीं की गई है । अभी कोई नई सड़कों की योजना डाकू उन्मूलन योजना के अन्तर्गत निकट भविष्य में भी नहीं है ।

करौली क्षेत्र में आर्थिक महत्व/अन्त-र्राज्यीय महत्व के अन्तर्गत निम्न सड़कें प्रगति पर हैं जो डाकू उन्मूलन योजना में सहायक होंगी:–-

1. करौली सरमथुरा बाड़ी, धौलपुर सड़क राज्य मार्ग नं. 3 मिलाने ।

2. कैला देवी करणपुर नाडी गांव सिल्लीपुर सड़क मध्यप्रदेश को मिलाने ।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

3. करौली से मण्ड्रायल मुरेना सड़क वाया सबलगढ़ मध्य प्रदेश से मिलाने।

4. करौली मासलपुर जगनेर सड़क सातपुर तक उत्तर प्रदेश।

सीकर कोतवाली में दर्ज मामले

48. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीकर कोतवाली क्षेत्र में 1 अप्रेल, 1980 से अब तक कितने व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं में मारे गये ?

(2) उक्त क्षेत्र में 1 अप्रेल, 80 से अब तक शराब पीकर बदमाशी करने वालों की कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं ?

(3) उक्त क्षेत्रों में अप्रेल, 80 से अब तक गेम्बलिंग एक्ट में कितने मुकदमे दर्ज हुए एवं कितने लोगों का चालान पेश किया गया ? जिन लोगों का चालान पेश किया गया उनमें से कितने लोग बरी हो गये ?

(4) उक्त क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री के कितने मुकदमे दर्ज हुए ? इनसे कितनी शराब बरामद हुई तथा उसका क्या उपयोग किया गया ?

उत्तर

(1) 1 अप्रेल, 80 से माह जनवरी, 81 तक 5 व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं में मारे गये।

(2) एक अप्रेल, 80 से 31-1-81 तक 40 व्यक्तियों की शराब पीकर बदमाशी करने के कारण गिरफ्तारी की गई।

(3) एक अप्रेल, 80 से 31-1-81 तक कुल 14 अभियोग जुआ अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध हुए हैं. इन अभियोगों में 35 व्यक्तियों का चालान पेश किया गया जिनमें से एक केस में 2 व्यक्तियों को न्यायालय से सजा हो चुकी है। शेष सभी अभियोग जेर तजवीज अदालत हैं, कोई बरी नहीं हुआ है।

(4) एक अप्रेल 80 से 31-1 81 तक कुल 33 अभियोग नाजायज शराब बिक्री के पंजीबद्ध हुए हैं। इन अभियोगों में कुल 287 बोतल शराब जप्त की गई, जो सभी अदालत में जमा है।

जिला अजमेर में हत्या के मामले

49. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर जिले में दिनांक 1 जनवरी, 1980 से 1 फरवरी, 1981 तक कितनी हत्यायें हुईं ?

(2) कितने मामलों में पुलिस द्वारा अभियुक्तों को पकड़ा गया तथा कितने अभियुक्त अभी तक पकड़ में नहीं आये हैं ?

(3) कितने मामलों में अनुसंधान पूरा होकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है और कितने किस कारण से अभी तक अनुसंधानाधीन हैं ?

(4) कितने मामलों में न्यायालय में फाइनल रिपोर्ट (नेगेटिव) दी गयी है और इसका क्या कारण (अदम सबूत अथवा अदम वकुवा) रहा है ?

(5) कितने मामलों में न्यायालय में अन्वीक्षा पूरी होकर अन्तिम निर्णय सुना दिया गया है ? तदनुसार कितनों को सजा

(श्री. कैलाश मेघवाल)
हुई और कितने बरी हुए तथा बरी होने वालों में से कितने मामलों में न्यायालय द्वारा अनुसन्धान की कमियां एवं गफलत मानी गयी ?

उत्तर

(1) उक्त अवधि में 30 हत्यायें हुई हैं।

(2) इन हत्याओं में से 19 मामलों में मुलजिमानों को पकड़ा गया है, 11 मामलों में मुलजिमान नहीं पकड़े गये हैं। प्रयास जारी हैं।

(3) 19 मामलों में अनुसंधान पूर्ण कर चालान न्यायालय में पेश कर दिया गया है। सात मामले मुलजिमान की तलाश के लिये अनुसंधानाधीन हैं।

(4) चार मामलों में फाइनल रिपोर्ट अदम पता में दी गई है। कारण अदमपता रहा है।

(5) न्यायालय द्वारा दो मामलों में अन्तिम निर्णय सुनाया गया है। जिनमें एक मामले में सजा हुई है व एक मामले में बरी किया गया है। बरी होने का कारण गलत या अनुसंधान में कमी नहीं थी।

जिला भीलवाड़ा के विभिन्न थानों में दर्ज चोरी के मामले

50. **श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

भीलवाड़ा जिले के किन किन पुलिस थानों में चोरियों के मामले सन् 1979-80 व 1980-81 में दर्ज किये गये ? इनमें से कितनी बरामद हुई और कितनी बरामद नहीं हुई तथा कितने मामलों में अन्तिम प्रतिवेदन (एफ.आर.) संलग्न किया गया ?

उत्तर

सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

बीकानेर के थानों में दर्ज चोरी के मामले

51. **श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बीकानेर जिले के विभिन्न थानों में कितने चोरी के मामले वर्ष 1980 व 1981 में दर्ज हुये हैं ?

(2) उनमें कितने ऐसे मामले हैं जिनमें कोई सुराग या बरामदगी नहीं हुई है? कृपया रिपोर्टकर्ता का नाम, पता व कितनी कितनी कीमत का माल गया है मय तारीख, थानेवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) बीकानेर जिले में थाना गंगाशहर में जनवरी, 1980 से अब तक कुल कितने चोरी के मुकदमे दर्ज हुये ? क्या यह सही है कि दर्ज मुकदमों में एक भी मामले में कोई बरामदगी नहीं हुई ? अगर यह संख्या अधिक है, तो क्या थाना अधिकारी को चार्जशीट दी गई ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में विभिन्न थानों में वर्ष 1980-81 में चोरी के कुल 479 मुकदमे दर्ज हुए हैं।

(2) 224 मुकदमात अदम पता रहे जिनमें कोई बरामदगी नहीं हुई। वांछित सूचना संलग्न है।

(गृह मंत्री)

(3) वर्ष 1980 व 81 जनवरी तक 42 चोरी के अभियोग दर्ज हुए। दर्ज शुदा 8 अभियोगों में माल बरामद किया जाकर न्यायालय में चालान पेश किया गया है। यह सही नहीं है कि एक भी मामले में बरामदगी नहीं हुई। चोरी के मामलों में बरामदगी में समय लगता है, बरामदगी के पूर्ण प्रयत्न किये गये हैं अत: थानाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

जिला सवाई माधोपुर में घटित विभिन्न अपराध

52. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला सवाई माधोपुर में 1 जनवरी, 1980 से 31 जनवरी, 1981 तक कितनी डकैतियां, कितनी चोरियां, कितने बलात्कार व मर्डर के केस हुए हैं? कृपया प्रत्येक ग्राम व थानावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त प्रकरणों में लिप्त कितने व्यक्ति अपराधी रूप में पकड़े गये तथा कितनों के चालान कोर्ट में पेश कर दिये गये व कितने केसों में सजा दी गई व कितने मामले पेंडिंग हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सवाई माधोपुर क्षेत्र में गत वर्ष कितनी चोरियां हुईं तथा कितने का माल चोरी गया?

(4) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर क्षेत्र में गत वर्ष में होने वाली चोरियों में से एक भी चोरी पुलिस ने बरामद नहीं की है? यदि बरामद की है, तो कितनी?

उत्तर

(1) सूचना परिशिष्ट 'अ' में संलग्न है।

(2) सूचना परिशिष्ट 'ब' में संलग्न है।

(3) कुल 587 चोरियां हुईं जिनमें 11,84,273.25 रु. का माल चोरी गया।

(4) जी नहीं। पुलिस ने 587 चोरियों में से 176 चोरियां बरामद करने में सफलता प्राप्त की है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

टोंक जिले में सहायक पुलिस अधीक्षक के पद की स्वीकृति

53. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार का टोंक जिले में सहायक पुलिस अधीक्षक का पद स्वीकार करने का विचार है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

जी हां। टोंक जिले के लिए हाल ही में दिनांक 28-11-80 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद का सृजन किया गया है, जिस पर शीघ्र ही अधिकारी को पदस्थापित किया जावेगा।

उपक्षेत्र गरमपुरा की जलप्रदाय योजना

54. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि नगरपालिका लाखेरी जिला बूंदी के उपक्षेत्र गरमपुरा की जल प्रदाय योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या इरादा है ?

उत्तर

लाखेरी नगर के अन्य उप क्षेत्रों व उपक्षेत्र गरमपुरा की पेयजल व्यवस्था की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में लाखेरी कस्बे की पुनर्गठित जल प्रदाय योजना स्वीकृत की जाकर वर्ष 1980–81 में 12 लाख रुपये राज्य मद से आवंटित किये गये हैं तथा 24 लाख रुपये जीवन बीमा निगम से प्राप्त होने के हैं।

पी. बी. एम. अस्पताल बीकानेर का ग्लूकोज संयंत्र

55. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर के पी. बी. एम. हास्पिटल में ग्लूकोज संयंत्र की मशीन का उपयोग नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो यह कब तक उत्पादन शुरू कर देगा ?

(2) क्या यह सही है कि संयंत्र तकनीकी विशेषज्ञों के अभाव में बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो इस संयंत्र पर ग्लूकोज का उत्पादन शुरू करने हेतु विशेषज्ञ फार्मेसिस्ट को कब तक रखा जायेगा ?

उत्तर

(1) फार्मेस्यूटीकल केमिस्ट लैक्चरार फार्मेसी के लिये योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण इस मशीन का उपयोग नहीं हो सका है।

(2) तकनीकी विशेषज्ञ के अभाव में यह संयंत्र अब तक बन्द पड़ा था। हाल ही में इसके लिए विशेषज्ञ की नियुक्ति कर दी गई है।

राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

56. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं ? जिलेवार कितने कितने हैं ?

(2) सीकर विधान सभा क्षेत्र में कितने हैं ?

उत्तर

(1) राज्य में कुल 232 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। जिलेवार सूची संलग्न है।

(2) सीकर विधान सभा क्षेत्र में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

राज्य के पशु चिकित्सालय

59. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
करेंगे :––

राज्य में कुल कितने पशु चिकित्सालय हैं ? कृपया जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

राज्य में कुल 357 चिकित्सालय, 90 स्वास्थ्य केन्द्र एवं 210 औषधालय कार्यरत हैं।

सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में विशेष भू-आवंटन

60. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा विशेष आवंटन नियमों के अन्तर्गत राज्य सेवा में रहते हुए अधिकारियों के निधन पर उनकी पत्नी को राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में नहरी एक मुरब्बा भूमि आवंटन की गई है ? यदि हां, तो कृपया उनके नामवार आवंटन की सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्रम सं. 1 के संदर्भ में कितने आवेदन राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार उपनिवेशन विभाग के स्वर्गीय चौथमल सवार, जिनकी मृत्यु राज्य सेवा में ड्यूटी देते हुए वीरान क्षेत्र में सम्मन तामील कराते हुए हुई थी, के आवेदन पर उनकी पत्नी को भी नहरी मुरब्बा आवंटन करने का विचार कर रही है ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) राज्य सरकार के पास कोई ऐसा मामला विचाराधीन नहीं है।

(3) श्री चौथमल की पत्नी का आवेदन पत्र अस्वीकृत हो चुका है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

1. सर्वश्री गोपाल पचेरवाल व उम्मेदसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 15 जनवरी को गोगोर, तहसील नावां, जिला नागौर में मोहन बलाई की पिटाई से हुई हत्या के विषय में;

2. श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीकर जिले में बिजली के अभाव में कुओं से जल न मिलने के कारण फसलों को हो रहे नुकसान के विषय में;

3. श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य विधान सभा की ओर से पुलिस लाइन चित्तौड़गढ़ से 38 राइफलों के गायब हो जाने की घटना के विषय में;

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(39)

(श्री अध्यक्ष)

जिन अन्य स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है, वे इस प्रकार हैं:--

	माननीय सदस्य का नाम	विषय	निर्णय
	1	2	3
1.	श्री लच्छूराम श्री महाराम चौधरी श्री फतेसिंह श्री बहादुरसिंह	राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल द्वारा कृषकों को रबी की फसल के लिए पूरी बिजली नहीं दिये जाने के विषय में।	यह एक विस्तृत विषय है और इसकी चर्चा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हो रही बहस के समय उठाई जा सकती है।
2.	श्री नाथूसिंह	राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के विषय में	,, ,,
3.	श्री बालचन्द्र आर्यवीर	झालावाड़ के डग कस्बे के थानेदार द्वारा बलात्कार	घटना का पूरा विवरण नहीं है, दिन, मिति तारीख यह कुछ भी नहीं है।
4.	श्री हरीश शर्मा	कोटा जिले की रामगंज मंडी में खदान मालिकों द्वारा चरागाहों पर अतिक्रमण	किसी घटना विशेष से सम्बन्धित नहीं है और स्थगन प्रस्ताव की परिधि में नहीं आता है।
5.	श्री भगवान दास शास्त्री	अजमेर नगर परिषद् द्वारा नाना प्रकार की सोसायटियों के नक्शे रोकने के विषय में।	यह भी स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है।
6.	श्री दाऊदयाल जोशी श्री हंसराज शर्मा श्री चुन्नीलाल जेलिया	सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री की अव्यवस्था	इसका सम्बन्ध इस फैक्ट्री में लम्बे अर्से से चली आ रही व्यवस्था से प्रतीत होता है और यह किसी हाल की घटना से सम्बन्धित·

(श्री अध्यक्ष)

1	2	3
		नहीं है और स्थगन प्रस्ताव का विषय भी नहीं है।
7. श्री गुलाबचन्द कटारिया	उदयपुर जिले में बलात्कार की अनेक घटनायें	एक से अधिक घटनाओं का उल्लेख है और स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है।
8. श्री रामकिशोर मीणा	रामलीला मैदान जयपुर में गणतन्त्र मेला प्रदर्शनी में सट्टा एवं भद्दे नृत्यों का प्रदर्शन।	अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना से सम्बन्धित नहीं है।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं—

9. श्री भंवरलाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 23 फरवरी, 1981 को बनी पार्क जयपुर में हुई एक डकैती की घटना के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। इस विषय में प्राप्त तथ्यों से प्रकट होता है कि पुलिस द्वारा इस मामले की तफतीश की जा रही है अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

10. सर्वश्री लच्छूराम, महाराम चौधरी, बहादुरसिंह व फतेसिंह ने झुंझुनूं जिले में अकाल की स्थिति के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इन्हीं माननीय सदस्यों ने एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना भी दी है। अतः अकाल के सम्बन्ध में इस प्रस्ताव को व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया है।

श्री महाराम चौधरी ने नागौर जिले में नियंत्रित वस्तुओं के वितरण में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में भी एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह भी उपरोक्त कारणों से व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया है।

11. सर्वश्री अनंगकुमार जैन व बालचन्द्र आर्यवीर ने दिनांक 31 जनवरी, को अकलेरा में धना पुत्र बल्देव मीणा की पुलिस अभिरक्षा में मारपीट तथा मृत्यु के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी;

श्री लच्छूराम, सदस्य, विधान सभा ने मोतीलाल कालेज झुंझुनूं के एक छात्र की अपेण्डिक्स के आपरेशन के बाद होने वाली मृत्यु के विषय में भी एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी,

इन दोनों प्रस्तावों पर राज्य सरकार की ओर से कल दिनांक 26-2-81 को वक्तव्य दिये जायेंगे।

अब जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव जो राज्य सरकार को सूचना प्राप्त करने के लिए भेजे हैं उनके संबंध में सोच के जो अस्वीकार कर दिये गये हैं, इस

(श्री अध्यक्ष)

आधार पर कि हमारे पास राज्य सरकार से सूचना आई है अथवा वह किन्हीं कारणों से अस्वीकृत किये गये हैं तो उनके सम्बन्ध में माननीय सदस्य दो-दो मिनट में अपनी बात कह सकते हैं।

(व्यवधान)

अभी मैं पैरों पर हूं, माननीय सदस्य! कल परसों क्या हुआ, इस सम्बन्ध में आप चैम्बर में मिल लीजिये।

(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : यह एक नमूना है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को मैं सूचित करना चाहता हूं कि इस अवसर पर ये प्रस्ताव उठाना उचित नहीं होगा कि अमुक दिन माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव दिया था उसमें क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। सामान्यत: जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं उन पर उसी दिन व्यवस्था दे दी जाती है या राज्य सरकार के पास जानकारी हेतु भेजे जाते हैं अथवा उनको अस्वीकृत कर दिया जाता है। अस्वीकृत होने की स्थिति में माननीय सदस्यों को दो दो मिनट बोलने का अवसर दिया जाता है। जिन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से सूचना आ जाती है उसका हवाला आसन की व्यवस्था में कर दिया जाता है। यदि हमने राज्य सरकार के पास जानकारी के लिए भेजा है और उसका उत्तर यहां अंकित नहीं किया गया है तो इसका मतलब यह हुआ कि उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। उस प्रश्न को माननीय सदस्य यहां नहीं उठावें। उस सम्बन्ध में माननीय सदस्य चैम्बर में मिल सकते हैं ताकि तारीद कर उत्तर मंगाया जा सके। आसन के लिए यह सम्भव नहीं है कि पिछले सात, आठ और दस दिनों में जितने भी स्थगन प्रस्ताव, जो बड़ी संख्या में प्राप्त होते हैं, का जुबानी हवाला दिया जा सके। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि इस प्रकार का जिक्र आज नहीं उठावें। जिनके बारे में राज्य सरकार से सूचना चाही है उनके सम्बन्ध में मुझ से चैम्बर में मिल लें ताकि काफी दिनों से सूचना नहीं आई तो उसका पीछा किया जाये। इसी क्रम में अब मैं माननीय सदस्यों के

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नों के उत्तर सदन के पटल पर रखा जाना

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : पाइन्ट आफ आर्डर। माननीय अध्यक्ष महोदय, रूल 35 में यह अंकित है कि जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाता उनका तुरंत उत्तर सदन की मेज पर रख दिया जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, 23 तारीख का एक प्रश्न है जिसका जवाब नहीं दिया गया, उसका उत्तर अभी तक नहीं मिला है। जो आज प्रश्न थे उनका भी उत्तर नहीं मिला। इसमें यह है कि समय के अभाव में उत्तर नहीं आवे तो...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यदि ऐसी कोई गलती हुई है कि जिस प्रश्न का उत्तर दिया जाना था उस दिन आपको उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है तो इसकी जानकारी दे दूंगा। आप अलग से मिल लें . .

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव दिया था

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्यगण, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था पंचायत समिति इटावा में एक साल हो गया, कई स्कूल बंद पड़े हैं उनके बारे में–

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने कल जो स्थगन प्रस्ताव दिया है उसके संबंध में मेरा निवेदन है कि वह आज कार्य सूची में नहीं आये यह कैसे हो सकता है। इसके बारे में आप मेरे से आकर अलग से मेरे चैम्बर में मिलने का कष्ट करें। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री गोपाल पचेरवाल !

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : अगर आपका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था तो उसके लिये आप मुझ से अलग से मिलने का कष्ट करें।

श्री कटारिया

व्यवस्था का प्रश्न

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्न पूछने का अन्य सदस्य को अधिकार

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न नहीं आ सका। जब कि मैं उसके बारे में बहुत ही उत्सुक था। आपने मेरा नाम भी पुकारा और मैंने प्रश्न नम्बर भी बोल दिया। हमारे राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया के नियम 44 के भाग (3) में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि कोई प्रश्न पुकारे जाने पर न पूछा जाय या जिस सदस्य के नाम प्रश्न हो वह अनुपस्थित हो, तो अध्यक्ष किसी सदस्य की प्रार्थना पर निर्देश दे सकेंगे कि उसका उत्तर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आप भी उत्सुक थे और मैं भी उत्सुक था कि वह प्रश्न आये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकारे जाने पर भी मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। ऐसी परिस्थिति में आप मुझे व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिये पर सदन मे ऐसी परिस्थितियां हो गयी कि दुर्भाग्यवश आपका प्रश्न नहीं आ सका। मैं बहुत उत्सुक था कि आपका प्रश्न आये। अब ऐसी परिस्थितियों में अन्य व्यवस्था तो क्या हो सकती है जब कि प्रश्न काल ही समाप्त हो गया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : रूल 44 में स्पष्ट लिखा है कि उत्तर दिया जाय। रूल 44 का पार्ट (3)...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर आपको भिजवा दिया जायेगा, यह हो सकता है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न नम्बर बोल दिया था उसका उत्तर यहां आना चाहिये। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न तो महत्वपूर्ण होगा। सदन में कई बार ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाते हैं पर ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि वह रह जाते हैं। मैं कई बार माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करता रहता हूँ। वैसे प्रश्न काल एक घन्टे का होता है इस एक घन्टे में जो भी प्रश्न आ जायें उनका उत्तर दे दिया जाता है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : पर, अध्यक्ष महोदय, इसको हाउस में रूल 44 के तहत लिया जा सकता है।

(व्यवधान)

इसलिये मेरा निवेदन है कि इसका उत्तर सदन में ही दिया जाय। लिखित में उत्तर भिजवाने से क्या फायदा। यों तो सभी प्रश्नों के उत्तर लिखित में ही भिजवा दिये जायेंगे। इसका उत्तर तो सदन में ही दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्न काल समाप्त हो गया। वह प्रश्न रह गया। आप जानते हैं कि उस वक्त ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गयी कि प्रश्न काल समाप्त करना ही था। यह तो दुर्भाग्य की बात है कि आपका प्रश्न नहीं लिया जा सका।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आप द्वारा प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर वे माननीय सदस्य प्रश्न पूछ लें, माननीय मंत्री जी उत्तर देने के लिये खड़े हो जायं तो किसी कारणवश या प्रश्न काल का समय समाप्त होने पर भी प्रश्न का उत्तर आना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर! माननीय सदस्य जानते हैं कि कई दफा माननीय सदस्य एक ही प्रश्न पांच पांच दफा करते हैं और उसके बारे में जानकारी चाहते हैं। मैं प्रश्न काल में माननीय सदस्यों को सहयोग करने के लिये कहता रहता हूँ पर परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि वह प्रश्न चलता ही रहता है। मेरे यह कहने के बावजूद कि, माननीय सदस्य, प्रश्न समाप्त हुआ दूसरा प्रश्न ले भी लिया गया तो भी माननीय सदस्य उसी प्रश्न के बारे में पूछते रहते हैं। मैं माननीय सदस्यों को स्थान ग्रहण करने के लिये कहता रहता हूं पर सदस्य स्थान ग्रहण नहीं करते। दूसरा प्रश्न लेने के बावजूद माननीय सदस्य उसी प्रश्न के बारे में सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन्स पूछते रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जो प्रश्न आ जाते हैं समय अवधि के अन्दर वह आ जाते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जब प्रश्न सदन में किसी माननीय सदस्य द्वारा कॉल कर लिया जाता है तो फिर

(श्री भंवरलाल शर्मा)
उसका उत्तर सदन में आना ही चाहिये। क्योंकि जो प्रश्न सदन में पुकार लिया जाता है तो वह प्रश्न हाउस का विषय हो जाता है। जब वह एक बार हाउस का विषय हो जाता है तो उसका उत्तर जब तक नहीं आता तब तक प्रश्न काल का समय कैसे समाप्त हो सकता है। हाउस का विषय है, प्रश्न का उत्तर हाउस में आना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

यह तो आसन का अधिकार है जब प्रश्न काल चल रहा हो। प्रश्न काल समाप्त हो गया, आसन द्वारा जब यह कहा जाता है तब वह प्रश्न जिस स्थिति में होता है उसी स्थिति में समाप्त हो जाता है। यही कायदा है। अगर उस प्रश्न का जवाब आ रहा होता है तो एक दो मिनट तक जब तक वह समाप्त नहीं हो जाता है तब तक कर्टसी के नाते उसे चलने दिया जाता है। पर आज तो ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गयी थीं कि समय समाप्त होने पर आगे प्रश्न नहीं लिया जा सका। मेरी मजबूरी है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ ऑर्डर यह है कि जिस समय यह प्रश्न पूछा जा रहा था उस समय हाउस में बहुत भारी उत्तेजना फैली हुई थी। माननीय सदस्य ने आपके पुकारने पर हाउस में प्रश्न पूछ लिया था इसलिये इस प्रश्न का उत्तर दिलवाया जाय।

श्री अध्यक्ष : जब प्रश्न काल ही समाप्त हो गया था तो इसको समाप्त किया गया।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न समाप्त किया जाय या स्थगित किया जाय। जब इस पर माननीय सदस्य बोलने खड़े हुए तो सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक महोदय उनके पास गये और उनको दबाया। उनको दबा-दबा कर बैठाने लगे।

श्री अध्यक्ष: वह माननीय सदस्य ऐसे नहीं हैं कि जो दब जायं। वह दबने वाले सदस्य नहीं हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, दबाव की बात है। यहां तक कि दबाने में उनके हाथ में जो अजेन्डा था वह फट गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बहुत लेट आये थे आपको मालूम नहीं कि उस समय क्या हुआ। उस वक्त तो आप बोले नहीं।

अब उसमें क्या हुआ क्या नहीं हम भी भूल गये!

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य !

श्री सूरजपालसिंह : हमारे मुख्य सचेतक ने क्या किया इससे आपको क्या तकलीफ हो गयी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। काफी समय हो गया है। फिर आगे डिबेट होने वाली है, कई बोलने वाले

(श्री अध्यक्ष)
सदस्य हैं उनको बोलने के लिए समय नहीं मिल पायेगा। अतः आप स्थान ग्रहण करें। समाप्त कीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक महोदय ने माननीय सदस्य को दबाया, उनके हाथ में अजेन्डा था वह फाड़ दिया गया।

(व्यवधान)

तो इस प्रश्न को रूल 295 के तहत उठाने की इजाजत दी जाय।

श्री अध्यक्ष : इसको रूल 295 के तहत उठाया जा सकता है। माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें। श्री लच्छूराम।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय कोलायत तहसील के बारे में...

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। आपका कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं।

(व्यवधान)

आप, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आर्डर आर्डर ! आर्डर प्लीज ! आर्डर ! माननीय सदस्य, कृपया नियमों का ध्यान रखें। आपका प्रश्न सदन के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : मेरा प्रश्न विचाराधीन नहीं है तो क्या हुआ।

श्री अध्यक्ष : आपको नियमों का ध्यान रखना चाहिए। माननीय सदस्य, आपका कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : मेरा स्थगन प्रस्ताव नहीं। पण ग्रामीणों री बात सदन में सुणानी पडेली। आपने सुणनो चाहिजे और व्यवस्था करनो चाहिजे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप नियमों का ध्यान रखिये। आप स्थान ग्रहण करें। श्री लच्छूराम।

श्री लच्छूराम, महाराम चौधरी, श्री फतेसिंह, श्री बहादुरसिंह–राजस्थान राज्य विद्युत मंडल द्वारा कृषकों को रबी की फसल के लिये पूरी बिजली नहीं दिये जाने के विषय में।

श्री लच्छूराम (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में एक तरफ तो अकाल की विभीषिका छायी हुई है और दूसरी तरफ...

श्री अध्यक्ष :- माननीय सदस्य, ज्यादा लम्बी भूमिका नहीं बनावें। बोलने वालों की सूची लम्बी है इसलिये आप अपनी बात संक्षेप में कहें।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर! माननीय सदस्य, लच्छूराम जी, आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री लच्छूराम : अध्यक्ष महोदय, आज किसानों को बिजली की कमी के कारण बड़ा भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने किसानों को यह वायदा किया था कि हम किसानों को उनकी फसल के लिये छः घन्टे तक बिजली देंगे। लेकिन हमें खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे झुन्झुनू, सीकर जिले में किसानों को छः घन्टे बिजली न दी जाकर सिर्फ चार

(श्री लच्छूराम)
घन्टे बिजली दी जा रही है और वह बिजली भी समय पर नहीं मिल रही है। इससे आज किसानों में भारी असन्तोष व्याप्त है। अभी सीकर में 21–22 तारीख को किसानों का सम्मेलन हुआ उसमें इस बारे में यह निर्णय लिया गया कि हम सरकार से यह मांग करते हैं कि बिजली दो और दाम लो। आज स्थिति ऐसी है कि सरकार पैसे तो 6 घन्टे के हिसाब से किसानों से बिजली के ले रही है और बिजली उन्हें सिर्फ चार घन्टे ही दी जा रही है इसलिए मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूँ और आप भी सरकार को कहें क्योंकि आज भी सीकर झुंझुनूं के किसान बहुत परेशान हो रहे हैं। आज सिर्फ चार घन्टे बिजली दी जा रही है जो कि किसानों की फसल के लिए बहुत ही कम है। बिजली नहीं मिलने से किसानों की फसल बरबाद होने का पूरा खतरा है। जब किसानों ने बुवाई की थी उस वक्त राज्य सरकार ने यह कहा था कि उसको 8 घण्टे बिजली दी जायेगी पर बाद में किसानों को यह कहा गया कि बिजली की कमी है। हम वास्तव में मानते हैं कि अभी बिजली का संकट है पर जो 6 घन्टे बिजली देने का वायदा किया वह भी अब पूरा नहीं हो रहा है सिर्फ चार घन्टे बिजली दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष : आप संक्षेप में कहें। बोलने वालों की सूची लम्बी है।

श्री लच्छूराम : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि किसानों ने अपनी बुवाई तो 8 घन्टे बिजली मिलने के हिसाब से की थी। बिजली विभाग, जो कि टैक्निकल विभाग है, जानता था कि बिजली की कमी हो सकती है तो उस समय जब किसान बुवाई कर रहा था तब ही उसे क्यों नहीं बताया। अगर उन्हें यह बता दिया जाता तो वह गेहूं की फसल नहीं बोते, चने की बोते। इसलिए राज्य सरकार से मैं यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि किसानों की फसल बरबाद नहीं हो इसके लिए किसानों को अब कम से कम एक महीने तक बड़े उद्योग बन्द करके 6 घन्टे से ज्यादा बिजली दी जाय जिससे कि किसानों की फसल खराब नहीं हो वरना किसानों के साथ अन्याय हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, झुन्झुनूं जिले में इस बार जो फसल तैयार हो रही है वह ऐसी फोप है जैसी पिछले तीस सालों में कभी नहीं हुई। इसका एक कारण यह भी है कि बीच-बीच में दो-तीन बार ईश्वर की कृपा से बरसात भी हो गई इसलिए मेरा आप से आग्रह है और राज्य सरकार से आग्रह है कि झुन्झुनूं जिले में एक महीने तक या 25 दिन तक कम से कम अधिक से अधिक बिजली दी जाय। अगर बिजली ज्यादा दे दी गई तो वहां पर पिछले तीस सालों से जो फसल हुई उसमें यह रिकार्ड फसल होगी। अब थोड़ा सा समय ही रह गया है। इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि जल्दी और ज्यादा से ज्यादा बिजली किसानों को दी जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका भाषण लम्बा हो रहा है। अभी आपको राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी बोलना है।

श्री लच्छूराम : अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छी फसल है अगर थोड़ी बिजली अधिक मिल जायेगी तो रिकार्ड फसल झुन्झुनूं जिले

(श्री लच्छूराम)
में हो जायेगी अन्यथा बिजली के अभाव में फसल बरबाद हो जायेगी और काश्तकार बरबाद हो जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर-ऑर्डर, माननीय सदस्य । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, अगर झुन्झुनूं और सीकर जिले में बिजली नहीं दी गई तो फसल बरबाद हो जायेगी और किसान बरबाद हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री महाराम चौधरी ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव दिया था....

श्री अध्यक्ष : जितने प्रस्ताव दिए हुए हैं वह सब आ जायेंगे ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य!

श्री नाथूसिंह : जब आपने सरकार को उत्तर के लिए भेजा तो आपने कहा था...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले मुझे आज का बिजनेस तो लेने दीजिए ।

श्री महाराम चौधरी ।

(अनुपस्थित)

श्री फतेसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री बहादुरसिंह ।

(अनुपस्थित)

राज्य में कानून और व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति के सम्बन्ध में ।

श्री नाथूसिंह ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे में मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था और उस समय आपने कहा था...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं प्रारंभ में ही निवेदन कर दिया कि मेरे से आशा करके नहीं चल सकते कि आपने बिजली पर कब दिया था..

श्री नाथूसिंह : साथ ही साथ दिया था ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य । पहले कानून और व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति पर बोलिये ।

श्री नाथूसिंह : पहले बिजली पर बोलना चाहूंगा । इस पर मैं पहले स्थगन प्रस्ताव दे चुका हूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने निवेदन किया कि पचासों और सैकड़ों स्थगन प्रस्ताव आते हैं उनके बारे में क्या व्यवस्था हुई, किनमें मैंने सरकार से जानकारी चाही है या प्राप्त हो गई है यह मैं याद नहीं रख सकता । इसलिए मेरा निवेदन यह है कि पहले आप इस पर बोल दीजिए फिर देख लेंगे कि उसकी क्या स्थिति है ।

श्री नाथूसिंह : आप बिजली पर अभी बुलवा रहे हैं तो मैं भी दो मिनट बोल लूंगा ।

48

(श्री नाथूसिंह)
आपने कहा था कि उत्तर के लिए भेजा है राज्य सरकार के पास....

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने दीजिए। आप इस पर भी बोल लीजिए। फिर वह समाप्त समझा जायेगा। इस पर भी बोल दीजिए और उस पर भी।

श्री नाथूसिंह : उस पर बाद में बोल दूंगा।

श्री अध्यक्ष : बोल दीजिए, समाप्त समझा जायेगा। दोनों पर बोल लीजिए।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : पाइन्ट आफ आर्डर, सर...

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर के पहले मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि किस नियम के अन्तर्गत पाइन्ट आफ आर्डर उठाया गया है वह बता दें।

श्री हरीश शर्मा : नियम 49.

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर 49 के अन्तर्गत नहीं आता है। इसमें तो आधा घंटे की चर्चा होती है। आपने प्रस्ताव दिया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ! अलग से मिल लें यदि आपका कोई प्रस्ताव है तो। आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बोलें। आपको कठिनाई हो तो मुझ से मिल लें।

श्री हरीश शर्मा : In rule 49 I want to know what is the definition of "हाल ही ?"

'हाल ही' की क्या परिभाषा है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, आधा घंटा ऐसे पर्याप्त लोक महत्व के विषय पर चर्चा उठाने के लिए नियत करेंगे जो हाल ही में किसी मौखिक या लिखित प्रश्न का विषय रह चुका हो और जिसके उत्तर का किसी उक्त विषय के संबंध में विशदीकरण आवश्यक हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मुझ से अलग से मिल लें।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कहना यह है कि अकाल पर आधा घन्टे की चर्चा की जाये और इस पर इनका प्रस्ताव है।....

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव वाला प्रश्न अभी नहीं आया है।

श्री गोपाल पचेरवाल : इनके कहने का मतलब यह है कि आधा घंटे की चर्चा रखी जाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पचासों प्रस्ताव आते हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : इसमें लिखा है 'हाल ही' में दिया उत्तर। हाल ही का मतलब गत सैशन में या इसी सैशन में ?

श्री अध्यक्ष : इसी सैशन से। यह चैम्बर में पूछ लेते तो वहीं कानून पढ़ कर मैं आपको अर्ज कर देता।

श्री नाथूसिंह।

(12.55 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभापति, पदासीन)

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदया, इस समय राजस्थान में बिजली का भारी संकट है ग्रौर उस संकट को दूर करने के लिए मुख्य मंत्री जी ने बार बार घोषणायें की हैं लेकिन फिर भी बिजली संकट दूर नहीं हुग्रा। सभापति महोदया, इस समय राजस्थान प्रदेश को 180 लाख यूनिट बिजली की कुल ग्रावश्यकता है जिसमें से लगभग 95 लाख यूनिट बिजली ही मिल पा रही है । ऐसी स्थिति में जहां एक ग्रोर उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, वहीं दूसरी ग्रोर कृषि भी चौपट हो रही है । सभापति महोदया, मुख्य मंत्री जी ने बार बार यह घोषणा की कि 16 घंटे बिजली दी जायेगी, कभी 12 घंटे बोल गए, कभी 8 घंटे बोल गए ग्रौर कभी 6 घंटे बोल गए । तो यह समय घटता ही जा रहा है । हम मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि वह ज्यादा नहीं बोलें क्योंकि जब वे एक बार बोले तो 16 घंटे की बात बोले, दूसरी बार में 12 घंटे बोले, तीसरी बार बोले तो 8 घंटे पर ग्रा गये ग्रौर चौथी बार बोले तो 6 घंटे पर ही रह गए । मेरा खयाल है कि ग्रब की बार बोले तो 2 घंटे पर ही रह जायेंगे। इसलिए जब भी सरकार बोलती है तो दो चार घंटे कम कर देती है बिजली देने में ।

सभापति महोदया, एक तरफ तो किसानों को कम बिजली दी जा रही है उससे उनकी मोटरें जल जाती हैं । 6 घंटे की घोषणा सरकार कर चुकी है लेकिन 5 घंटे ही बिजली दे पाती है ग्रौर उसमें भी बार-बार झटके मार मार कर । रात को बिजली दी जाती है उसमें भी 5 घंटे में एक घंटा देकर 4 घंटे बिजली गायब हो जाती है। किसानों के खेत में पानी पहुंचता है उससे पहले ही बिजली का करेन्ट चला जाता है । बार बार यह स्थिति होने से किसानों को ग्राधा पानी मिलने से खेत में सिंचाई होती है उससे वह खराब हो जाता है । ऐसी स्थिति में किसानों के सामने एक बड़ी विकट समस्या पैदा हो गयी है ।

सभापति महोदया, एक तरफ सरकार ने बिजली विभाग से मिनिमम चार्ज किसानों के ऊपर लगा रखा है ग्रौर वह वसूल करती है ग्रौर दूसरी तरफ मिनिमम चार्ज का मतलब होता है कि किसान को 24 घंटे बिजली देंगे ग्रौर उसके बाद मिनिमम चार्ज फिक्स करेंगे । यह शर्त तब है जब कि 24 घंटे बिजली दें लेकिन बिजली केवल 6 घंटे ही देते हैं ग्रौर उसमें भी 5 घंटे बिजली मिलती है । फिर उसके बाद मिनिमम चार्ज वसूल करना किसानों के साथ भारी ग्रन्याय है । मैं मांग करता हूं सरकार से कि मिनिमम चार्ज को तुरन्त समाप्त किया जाना चाहिए ग्रन्यथा जो मिनिमम चार्ज वसूल कर रहे हैं वह मिनिमम चार्ज किसान ग्रापको नहीं देगा । बहुत बड़ा ग्रान्दोलन खड़ा हो जायेगा ग्रौर हो सकता है किसान मिनिमम चार्ज देने से मना कर दे, बिजली का पैसा चुकाने से मना कर दे । ऐसी परिस्थिति में ग्रापका क्या होगा, ग्राप खुद जान सकते हैं । पिछले दिनों बिजली का जो संकट प्रारम्भ हुग्रा था तब से लेकर ग्राज तक कई जे.ईएन., ए.ईएन. ग्रौर एक्स-ईएन की पिटाई हो चुकी है । कई स्थानों के ऊपर राज्य सरकार पुलिस के पहरे में, मंत्री पुलिस के पहरे में रहते हैं लेकिन ग्रधिकारी वहां रहते हैं ग्रौर किसान उत्तेजित होकर ग्राता है ग्रौर पिटाई कर देता है । यह मूल समस्या राज्य सरकार की कमजोरी के कारण है । राज्य

(श्री नाथूसिंह)
सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया। जब कि बिजली की पहले ही कमी है, आपको मालूम था कि बिजली हम नहीं दे सकते तो आपको किसानों को पहले ही बताना चाहिए जिससे कि वह कोई आल्टरनेटिव व्यवस्था करता, इंजिन लगाता, बैलों से खेती करता या और कोई दूसरा तरीका निकालता सिचाई करने का. . .

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कई सदस्य बोलने वाले हैं। आप जरा शार्ट में बोलें। दूसरे विषय बहुत हैं आज इसलिए आप संक्षेप में बोलें।

श्री नाथूसिंह : बिजली का संकट कितना गम्भीर है आप जानते हैं।

श्री सभापति : आप जब बोलेंगे तो उस समय विस्तार से कहें। जरा संक्षेप में।

श्री नाथूसिंह : इस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करूंगा। सभापति महोदया, उस समय ही उनको बता दिया जाता कि आपको हम पूरी बिजली देने में असमर्थ हैं. . .

श्री चतुर्भुज : सभापति महोदया, दो मिनट का समय दिया था. . . .

श्री सभापति : पहले ही लम्बा हो रहा है। आप व्यवधान डालेंगे तो और भी लम्बा होगा। इनको समाप्त करने दें।

श्री चतुर्भुज : आप नियमों का पालन कीजिए।

श्री नाथूसिंह : माननीय सदस्य किसान हैं, किसानों से वोट ले कर आते हैं और किसानों के विपरीत बोलते हैं।

श्री चतुर्भुज : किसानों का विरोध करने वाले तो आप हैं, मैं नहीं हूं।

श्री नाथू सिंह : सभापति महोदया, आज स्थिति यह है। किसानों को बताया नहीं गया। किसान संकट में है। सरकार को चाहिये कि किसानों की फसल को कितना नुकसान हुआ है इसका सर्वेक्षण करे। मैं मांग करता हूं कि तुरन्त इस फसल के पूरा होने के बाद सरकार सर्वेक्षण कराये कि बिजली पूरी नहीं देने के कारण किसानों को कितना नुकसान हुआ। सर्वेक्षण कराकर किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिये तब तो मैं समझूं कि किसानों के हित करने वाली सरकार है। किसानों को इकट्ठा कर सकते हैं। किसानों के नाम पर भीड़ इकट्ठी की जा सकती है मगर किसानों को कुछ नहीं देने वाले। किसानों के ऊपर बिजली का संकट है। मुख्य कारण यह था हमारी कमजोरी रही। न पंजाब से बिजली ले सके, न हरियाणा से, न गुजरात से ले सके। जिन-जिन सरकारों से हमारा समझौता हुआ अधिकतर समझौतों का पालन नहीं हुआ। मीटिंग्स में राजस्थान के मुख्य मंत्री को बुलाया नहीं जाता। सरकार कोशिश नहीं करती। सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी रह जाती है। दिल्ली में जाते हैं हाथ जोड़कर जाते हैं। यहां पर किसानों पर संकट है। सरकार बोलती नहीं। इसलिये किसानों को बिजली पूरी नहीं मिल पाती। आंकड़े मेरे पास हैं। भाखड़ा नांगल से 40 लाख यूनिट बिजली मिल रही है। इसके विपरीत हरियाणा में बदरपुर से एक यूनिट भी नहीं दी जा रही है। समझौता हुआ बिजली देने का लेकिन एक यूनिट बिजली

(51)

(श्री नाथूसिंह)

भी नहीं मिल रही है। इसी तरह से अणु बिजली घर का यूनिट बन्द पड़ा रहता है। किसानों को मुआवजा देना पड़ेगा। सरकार इस बारे में फसलों का सर्वेक्षण कराये कि बिजली पूरी नहीं देने के कारण किसानों को कितना नुकसान हुआ है? मिनिमम चार्ज समाप्त करें। जो नुकसान हुआ है उनका मुआवजा दें। मैं सरकार से मांग करता हूं। इसी निवेदन के साथ आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री बालचन्द आर्य वीर।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग): माननीय सभापति महोदय, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ेगा कि आज राजस्थान में एक शिड्यूल्ड कास्ट के मुख्य मंत्री होते हुए भी शिड्यूल्ड कास्ट की महिला के साथ रक्षक भी भक्षक बन गये हैं। राजस्थान के मुख्य मंत्री जिनके नाम के आगे जगन्नाथ पहाड़िया लगा हुआ है, जग के नाथ तो क्या राजस्थान के नाथ भी नहीं हैं और सारे राजस्थान की जनता अनाथ हो रही है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि मेरे इलाके में डग कस्बे में एक थानेदार ने एक शिड्यूल्ड कास्ट की महिला के घर में घुसकर, इस बहाने कि वहां पर जांच करने जा रहे हैं उसके घर में घुसकर बलात्कार किया। आज राजस्थान की जनता, राजस्थान के हरिजन मुख्य मंत्री, शिड्यूल्ड कास्ट मुख्य मंत्री से यह आकांक्षा करती थी और अपेक्षा करती थी कि राजस्थान की जनता की सुरक्षा होगी लेकिन आज राजस्थान की जनता सुरक्षित नहीं है। जो गरीब लोग हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। आज राजस्थान में और झालावाड़ जिले में लगातार पुलिस का दमन चल रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं और मांग करता हूं झालावाड़ जिले में जो केस हुआ, डग कस्बे में शिड्यूल्ड कास्ट की औरत के साथ थानेदार ने बलात्कार किया उसकी जांच करें और उस भ्रष्ट थानेदार को सजा दी जाये।

श्री सभापति : श्री हरीश शर्मा।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : स्थगन प्रस्ताव में मेरा भी नाम है।

श्री सभापति : आपका नाम नहीं है।

श्री अनंग कुमार जैन : मेरा नाम है।

श्री सभापति : मेरे पास नहीं है।

श्री अनंग कुमार जैन : सभापति महोदय, इस सरकार के समय में लगातार जो बलात्कार किये गये पिछले सत्र में भी इस बारे में चर्चा उठाई गई थी और बार बार इस सदन में आवाज उठाई गई थी कि सरकार के संरक्षण के अन्दर महिलाओं के साथ बलात्कार किये जा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी कोई उसके अन्दर कमी नहीं आई। आज यहां तक स्थिति हो गई है कि स्वयं पुलिस के थानेदार बलात्कार करते हैं। जो पुलिस में रिपोर्ट लिखाने गये पहले बलात्कार किया जाता है। इस शर्त के साथ रिपोर्ट दर्ज की जाती है। जो घटना हुई है, मेरे पास कुछ मैटीरियल है मैं पढ़ कर सुनाना चाहूंगा। घटना का विवरण इस प्रकार बताया जाता है। ग्राम दुधालिया से नजीर नामक एक व्यक्ति एक बाईस वर्षीय लड़की के साथ थाने में रिपोर्ट लिखाने आया था।

(श्री अनंग कुमार जैन)

थानेदार ने उक्त लड़की को स्थानीय निरासीनी कमली नामक महिला के यहां रात्रि को ठहरने को कह कर भेज दिया। वहां अंधेरा होते ही थानेदार व सिपाही शराब पी कर पहुंच गये। सभापति महोदया, जब पहुंच गये, वहां पहुंचने के बाद बलात्कार करने की कोशिश की तो, सभापति महोदया, उसकी आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग वहां पर पहुंचे और बाहर से मोहल्ले के लोगों ने सांकल लगा दी। थानेदार और सिपाही मकान की दीवार फांद कर भागने लगे तो कुछ लोगों ने रोका। यदि स्वयं थानेदार जो महिला रिपोर्ट दर्ज कराने आती है बलात्कार करके रिपोर्ट दर्ज करता है तो आप जनता की क्या रक्षा कर सकते है? इससे शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है। कांग्रेस "आई" के नेता श्री अयाज मोहम्मद वहां मौजूद थे। थानेदार को लोगों ने बताया। पी. सी. सी. के मैम्बर्स को शिकायत भेजी उसके बावजूद आज तक सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी। इस प्रकार पुलिस द्वारा स्थिति हो रही है। सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला मामूली नहीं है महिलाओं की इज्जत का सवाल है। सरकार के संरक्षण में महिलाओं के साथ बलात्कार किये जा रहे हैं लेकिन आज तक सरकार ने उस थानेदार के खिलाफ कार्यवाही नहीं की है। इससे शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है। जब लोगों ने पुलिस अधीक्षक से जानकारी चाही इस घटना के बारे मे तो पुलिस अधीक्षक यह बताते हैं कि यह थानेदार का निजी लाइफ का मामला है। जिला अधीक्षक का यह जवाब है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। मंत्री महोदय सुन नहीं रहे हैं। आपस में बातें कर रहे हैं। एक ही बैठे हैं। थानेदार बलात्कार कर रहा है और वे सुन ही नहीं रहे हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह : नम्बर आपका नहीं

(व्यवधान)

नोट करने वाले नोट कर रहे हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : महिलाओं के साथ बलात्कार होने की चर्चा हो रही है, मंत्री महोदय, बातें कर रहे हैं।

श्री अनंग कुमार जैन : इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है। मंत्री महोदय जनजाति से आये हैं वे हंस गये। हमारी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते हैं। सभापति महोदया, अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है, अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता है और जब हम घटना पर प्रकाश डालते हैं तो उनकी सरकार का पुलिस अधीक्षक यह कहता है कि प्राइवेट लाइफ का मामला है। सरकार के मंत्री का भी यही जवाब रहेगा और जो बलात्कार करेंगे वे भी यही जवाब देंगे कि हमारी प्राइवेट लाइफ का मामला है। इससे ज्यादा शर्म की बात और इस सरकार के मंत्रियों के लिये और क्या हो सकती है। मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रियों को इस बारे में ताड़ना

(श्री अनंग कुमार जैन)

दी जाय और सम्बन्धित थानेदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय।

श्री सभापति : श्री हरीश शर्मा कोटा जिले की रामगंज मण्डी में खदान मालिकों द्वारा चरागाहों पर अतिक्रमण। यह स्थगन प्रस्ताव किसी घटना विशेष से सम्बन्धित नहीं है और स्थगन प्रस्ताव की परिधि में नहीं आता है।

श्री हरीश शर्मा : माननीय सभापति महोदया, हो सकता है स्थगन प्रस्ताव की परिधि में नहीं आता हो लेकिन लगातार वहां अतिक्रमण हो रहा है, चरागाह की भूमि पर खदान मालिक लगातार अतिक्रमण करते जा रहे हैं। जनता राज ने यह आश्वासन दिया था कि पूंजीपतियों को किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करने दिया जायेगा। कांग्रेस के इस राज में कुछ नहीं किया जा रहा है। अतिक्रमण करते हैं तहसीलदार उनको किसी प्रकार की सजा नहीं देते। कानून सबके लिये बराबर है। कोई उनके लिये अलग कानून नहीं है। नियम सबके लिये बराबर होते हैं . .

श्री दीपेन्द्र सिंह : सभापति महोदया, माननीय सदस्य के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें बैठे बैठे बोलने की अनुमति दी जाय।

श्री हरीश शर्मा : हो सकता है स्थगन प्रस्ताव की परिधि में नहीं आता हो लेकिन क्षेत्र रामगंज मंडी में लगातार अतिक्रमण हो रहा है। रास्तों, चरागाहों की भूमि पर खदान मालिक लगातार अतिक्रमण करते जा रहे हैं, दूसरी तरफ पशु अकाल की वजह से चारे के अभाव से पीड़ित हैं। जनता राज ने यह आश्वासन दिया था कि पूंजीपतियों को किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करने दिया जायेगा। लेकिन अभी तक भी कांग्रेस के इस राज में कुछ नहीं किया जा रहा है। जब कि गरीब किसान अपनी दो जून रोटी के लिये थोड़ी सी भूमि पर अतिक्रमण करते हैं तो तहसीलदार उन्हे तीन माह की सजा अथवा भारी जुर्माने से दण्डित करता है किन्तु पूंजीपति भारी मात्रा में भूमि पर अतिक्रमण करते है और करते आ रहे हैं, तहसीलदार या राज्य सरकार उनको किसी प्रकार की सजा नहीं देती है। कानून सब के लिये बराबर है। कोई उनके लिये अलग कानून नहीं है। नियम सबके लिये समान हैं रामगंज मंडी में पूंजीपति सरकारी भूमि, रास्तों, चरागाहों यहां तक जबरदस्ती गरीब किसानों की भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं और बराबर अत्याचार कर रहे हैं लेकिन इस राज में कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसे अतिक्रमण करने वालों को सजा दी जाय, अन्याय को रोका जाय, अन्यथा ऐसे अतिक्रमियों, अत्याचारियों को शरण देने वाले सक्षम अधिकारियों को तो मैं मारूंगा। इसका जवाब मंत्री महोदय से दिलवा दें। नहीं तो मैं तो मारूंगा जिसमें दम हो देख ले।

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें। अजमेर नगर परिषद् द्वारा नाना प्रकार की सोसायटियों के नक्शे रोकने के विषय में। यह भी स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है।

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : माननीय सभापति महोदया, यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है किन्तु बहुत महत्वपूर्ण है। अजमेर नगर परिषद् के

54

(श्री भगवान दास शास्त्री)

निर्माण कार्यों के लिये मैं निवर्तमान जिलाधीश महोदय से मिला हूं और वर्तमान जिलाधीश महोदय से भी मिला हूं। एक तो आवास की इतनी कमी है कि नगर को विस्तृत करने के लिये जो प्राइवेट सोसायटीज हैं, हाउसिंग बोर्ड, यू. आई. टी. के मकान बनते जा रहे हैं किन्तु नगर परिषद् उसमें कोई सहयोग नहीं दे रहा है। सेनीटेशन और बिजली का तो कोई प्रश्न नहीं है किन्तु जो निर्माण के लिये आवेदन किये जाते हैं, यहां की जो नगर परिषद के अधिकारी हैं वे उसको टाल देते हैं और यह कह देते हैं कि जिलाधीश महोदय का लैटर आया है, एस. डी. एम. साहब का लैटर आया है। तहसीलदार ने यह कहा है कि जो जमीन एग्रीकल्चर में आती है उसको चेन्ज करके आबादी में परिवर्तन किया जाय, उसके लिये मैं कोई अधिकारी नहीं हूं। मुझे कलेक्टर साहबान ने कह दिया है। कन्वर्शन का जो सबजेक्ट है उसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है। यदि जमीन सिंचाई की हो तो वह अलग बात है किन्तु ऐसी एग्रीकल्चर लैण्ड, जो नगर परिषद् की सीमा में आ चुकी है, को आबादी में परिवर्तन करने के लिये कलेक्टर ने मुझे मना कर दिया है। यह बड़ा अफसोस है। मैंने स्वयं ने पत्रावली में देखा, जिलाधीश महोदय का कोई लैटर नहीं था–न निवर्तमान जिलाधीश महोदय का है और न वर्तमान जिलाधीश का। मैंने उन्हें एप्लीकेशन दी थी कि आपने कोई मना कर दिया तब उन्होंने कहा मैं टेलीफोन पर बात कर लूंगा। पर जहां तक मैंने उस पत्रावली को देखा, दो, चार सोसाटियां बनी हैं, उसके पास गुरु नानक सोसायटी बन चुकी है उसमें यह लिखा है एग्रीमेंट में कि जो कन्वर्शन चार्जेज लेंगे वह गज के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी, हम बाद में लेंगे। केवल एक रुपये के स्टाम्प पर एग्रीमेंट करके सबको मकान बनाने के आदेश दिये हैं, मकान बन गये और उसी के आस पास जो रेलवे के एम्पलाइज हैं जो 300, 400, 500 रु. तनख्वाह पाने वाले हैं उनकी सोसायटीज के आवेदन-पत्रों को रोकना और नक्शों को रोकना मेरी समझ में नहीं आता है। मुझे जो सूचना मिली है वह कहां तक सत्य है यह मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन मुझे पूरा याद है सन् 1978 के बाद से लेकर क्योंकि प्रशासक महोदय पर कोई हावी होने में असमर्थ हैं, वहां के जो आयुक्त हैं क्या मालूम स्टेट गवर्नमेंट तक उनकी पहुंच है। बार-बार उनके ध्यान में लाने पर भी वे कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आयुक्त पर कुछ नहीं कर सकता। न वहां कोई कानून व्यवस्था है और न ही किसी प्रकार का कोई कन्ट्रोल कर सकता है सिर्फ यह कह देते हैं कि मैं असमर्थ हूं। इसलिये, सभापति महोदया, जितना निर्माण कार्य है उसमें एक तो मकानात की कमी, आवास की समस्या है और उस पर भी यदि किसी प्रकार मध्यम श्रेणी के लोग अपनी प्राइवेट सोसायटी बनाना चाहें तो कन्वर्शन चार्जेज लेकर उनको किसी प्रकार का प्रोत्साहन न देकर निराश करें। जिस प्रकार गुरुनानक सोसायटी को ले लिया है उसी प्रकार इन और सोसायटीज को भी लिया जाय। अब हम विधान सभा के कार्यों को संभालें या अपने क्षेत्र की समस्याओं को संभालें या नगर परिषद् की अनैतिकता को संभालें।

(श्री भगवानदास शास्त्री)

नगर परिषद् का यह कतई अनैतिक व्यवहार है। जब लोग प्राइवेट पैसा खर्च करते हैं लोन लेकर, एन. ओ. सी. लेने के बाद भी उनके केसेज नगर परिषद् में सेंक्शन के लिये तीन-तीन साल पड़े रहते हैं तो कहां तक उचित है? आपके नगर परिषद् की एजेन्सी में जो अधिकारी हैं वे कुछ पैसे लेने के बाद इशारा देते हैं आयुक्त महोदय को कि यह काम हो गया है, अच्छी तरह काम बन गया है उसके बाद ही निर्माण के आदेश दिये जाते हैं। यहां तक कि मिलिट्री के आफिसर हैं जिनकी गुलाबबाड़ी में प्राइवेट जमीन है वे बार बार नगरपरिषद् को कह रहे हैं अगर आप आबादी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो कन्वर्शन चार्जेज ले लें किन्तु उनकी कोई सुनवाई नहीं है। उनका कहना है, मैं फौज का आदमी हूं, मेरा पैसा खर्च न हो जाय। मुझे आवास के लिये लोन मिले या नहीं लेकिन आज्ञा दे दी जाय किन्तु उन्हें भी अभी तक किसी प्रकार के आदेश नहीं दिये गये हैं। सभापति महोदया, नगर परिषद् का भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, प्रशासक असमर्थ है, निवर्तमान कलेक्टर महोदय ने कह दिया मैं फोन पर बात कर लूंगा। उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं होती है।

आज एक विधायक के नाते शर्म आनी चाहिये, नियमों के अनुकूल मुझे नकली कागजात दिखाकर, तहसीलदार का लेटर दिखा कर सन्तोष दिलाना चाहता है। मैंने साफ कह दिया, आप नक्शे पास होने से रोकते हैं। हम भी नगर परिषद् के प्रशासन में 12–15 साल तक रह चुके हैं और निर्माण विभाग के चैयरमेन रह चुके हैं। साइट इन्सपैक्शन के लिए रख दिया करते थे। नक्शे पास कर दिये जाते थे या रिजेक्ट कर दिये जाते थे। लेकिन आज तीन-तीन साल तक पत्रावली रोक कर अपनी असमर्थता बता देते हैं। इसके लिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि नगर परिषद्, अजमेर के जो माननीय आयुक्त महोदय हैं उन्होंने एक हिटलरशाही प्रवृत्ति अपना रखी है उस हिटलरशाही प्रवृत्ति को सदा के लिए खतम किया जाय। उनकी इन्क्वायरी की जाय तथा नगर परिषद् जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है उसको समाप्त किया जाय। इतना ही कह कर मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री दाऊदयाल जोशी।

सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री की अव्यवस्था। इसका सम्बन्ध इस फैक्ट्री में लम्बे अर्से से चली आ रही अव्यवस्था से प्रतीत होता है। यह किसी हाल की घटना से सम्बन्धित नहीं है और स्थगन प्रस्ताव का विषय भी नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : सभापति महोदया, आज इसी प्रश्न पर प्रश्नोत्तर काल के दौरान माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि सीमेंट फैक्ट्री सवाई माधोपुर का उत्पादन घट कर तीन लाख टन आज रह गया है। गत वर्ष चार लाख टन से अधिक था। आज सारा हिन्दुस्तान सीमेंट की कमी के कारण परेशान है। राजस्थान में जहां सीमेंट की बोरी 35 रु. में मिलनी चाहिये वहां पर 65) रु. प्रति बोरी ब्लैक में मिल रही है। मेरा निवेदन करना यह है आज मंत्री महोदय ने यह जवाब दिया कि सर-

(श्री दाऊ दयाल जोशी)

कार इसका शीघ्र ही राष्ट्रीयकरण करने जा रही है लेकिन मेरी जानकारी यह है कि उसका राष्ट्रीयकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा क्योंकि आज के वर्तमान उद्योग मन्त्री श्री चरणजीत चानना, थापर बन्धुओं के यहां चण्डीगढ़ में जब एक अधिकारी के नाते कार्य करते थे, तब से आलोक जैन और अशोक जैन का आपसी तालमेल है। दिल्ली के अन्दर आम चर्चा है कि आलोक जैन और अशोक जैन, दोनों आये दिन श्रीमान् चरणजीत चानना के यहां से रात के 12-12 बजे बाद निकलते हैं, घूमते हुए। मेरा निवेदन करना है कि जनता पार्टी की सरकार ने जब यह पता लगाया कि इस उद्योग पर 14 करोड़ रुपये से अधिक का लोन हो चुका है, जो बन्द पड़ा हुआ था. मजदूर हड़ताल कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने बैठ करके निर्णय लिया कि ऐसे महत्वपूर्ण उद्योग, जिससे कि एक करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री कर की आय होती है, जिससे केन्द्र को 6 करोड़ रुपये अधिक की इनकम होती है, को फिर से राज्य सरकार भरसक प्रयास करके चालू करे। 30 करोड़ रुपये के लोन से सन् 1977 के बाद यह उद्योग कायम किया गया। 21 करोड़ रुपया आज की तारीख में स्टेट बैंक का उसमें लगा हुआ है, जैसी कि आज माननीय मन्त्री महोदय ने जानकारी दी कि साढ़े 6 करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी हमारी राज्य सरकार की आज की तारीख में इस सीमेन्ट उद्योग जयपुर के अन्दर फंसी हुई है। इसके बावजूद भी आज इस उद्योग का जो मसला पैदा हो गया है जिसको आलोक बन्धु, जैन बन्धु योजनाबद्ध तरीके से वापस हस्तान्तरित कराना चाहते हैं, अपने हाथ में लेना चाहते हैं, जिसके लिए हमारी सरकार ने, पिछली सरकार ने निर्णय ले लिया था कि इसको निश्चित रूप से हम अपने हाथ में ले लेंगे और जिसके लिए पत्र व्यवहार तक किया था, आज योजनाबद्ध तरीके से उसको वापस आलोक और अशोक बन्धुओं को समर्पित किया जा रहा है। श्री जी. आर. रामाकृष्णन जयपुर उद्योग के जो अधिकारी थे, उनको योजनाबद्ध तरीके से वहां से हटाया। आज वहां पर जो अधिकारी हैं और सीमेंट के इन्चार्ज, संयुक्त सचिव हैं, श्री मनीष बहल, आज उन्होंने भी अपने को कोप भाजन बनाया है कि इस उद्योग को सरकार निश्चित तौर से हस्तान्तरित कर ले, क्योंकि यह उद्योग नहीं चलेगा, उनको भी आज हटाने की तैयारी की जा रही है।

माननीय सभापति महोदया, मेरा निवेदन करना यह है कि यह उद्योग सन् 1949 के अन्दर आया, सन् 1959 में पब्लिक लिमिटेड बना, सन् 1963 में इसके नुकसानी का तब पता लगा, जब स्वर्गीय श्रेयांस प्रसाद जैन के बाद आलोक जैन ने यह उद्योग सम्भाला, उस समय इसकी जांच हुई, सन् 75 में, 75 में पता लगा कि यह उद्योग घाटे में चल रहा है तो इसकी जांच के लिए जांच आयोग बना कम्पनी कानून बोर्ड में उसने जांच की। जांच रिपोर्ट में लिखा था कि यह उद्योग इसलिए चल रहा है नुकसान में कि लम्बे समय तक कार्य करने की पूरी उपेक्षा की गई। एक एजेन्सी, ओवरसीज कम्पनी की जेबी कम्पनी के जरिये रकम का अन्यत्र निर्वहन किया गया। सन् 75 में 10 करोड़ 34 लाख के घाटे में आ गया और

(श्री दाऊदयाल जोशी)

उसके बाद 77 में यही उद्योग नुकसान में जाकर पहुंच गया, करीब 14 करोड़ से अधिक रुपये के लोस में। मेरा निवेदन यहां करना है कि जिस समय 77 के अन्दर यह उद्योग चलाया था तो इसके डायरेक्टर्स नियुक्त किये गये थे, उसमें राजस्थान सरकार का भी एक प्रतिनिधि था। उन्होंने बैठ करके निर्णय लिया कि इस उद्योग से इसके डायरेक्टर आलोक जैन को तुरन्त हटा दिया गया और उनको योजनाबद्ध ढंग से हटाया भी गया लेकिन उनका दबाव बराबर बना रहा, उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से 5 करोड़ रुपयों की धनराशि अपने नाम पर करवायी। आज स्थिति यह है कि दिन पर दिन घाटा देता चला जा रहा है। हमारे राजस्थान की गरीब जनता का खून पसीने का इस उद्योग में साढ़े 6 करोड रुपया उलझा हुआ है। अब केन्द्र सरकार ने षड़यन्त्र रचा हुआ है, चरणजीत चानना जब तक हिन्दुस्तान की धरती पर उद्योग मंत्री बनकर रहेंगे, तब तक निश्चित रूप से सीमेण्ट फैक्ट्री सवाई माधोपुर को राष्ट्रीयकृत किसी भी मूल्य पर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वे आलोक जैन और अशोक जैन के खरीदे हुए व्यक्ति हैं, उनके इशारों पर चलने वाले व्यक्ति हैं, उनके साथ हम प्याले होने वाले हैं। दिल्ली के अन्दर आम चर्चा का विषय है, रात को 12-12 बजे आलोक जैन और अशोक जैन उनके घर से निकलते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है सरकार से स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से, आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार में अगर कुछ दम खम है, अगर हिम्मत है, अगर कुछ करने की चिन्ता है, अगर हमारा साढ़े 6 करोड रुपया प्राप्त करने का आत्म विश्वास है तो आज की तारीख में ही यहां से एक चिट्ठी लिखें केन्द्र को कि यह जो सारी पूंजी उद्योग में लगी है और हमें डर है कि इस उद्योग को समर्पित करने की तैयारियां की जा रही हैं इसलिये इस उद्योग को तुरन्त सरकार हस्तांतरित करे। हमारा राजस्थान और हिन्दुस्तान आजकल सीमेंट के लिए तरस रहा है। अधिक प्रोडक्शन चालू हो इसका। आज राजस्थान के अन्दर सीमेंट की जो स्थिति है, गांवों में तो सीमेंट मिलता ही नहीं। सारा देश आज सीमेण्ट के लिए तरस रहा है। एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री सवाई माधोपुर की फैक्ट्री है। जब यह बन्द हो जायेगी, तो सीमेण्ट की क्या स्थिति होगी, आप स्वयं सोच सकते हैं। मेरा पुनः पुरजोर निवेदन है कि इसको आलोक जैन के हाथ में न देकर अपनी सरकार को हस्तान्तरित करें और ठीक ढंग से चलवाने की कृपा करें। यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: श्री हंस राज शर्मा।

श्री हंस राज शर्मा (सवाई माधोपुर): सभापति महोदया, सवाई माधोपुर में सीमेंट की फैक्ट्री की अव्यवस्था के सन्दर्भ में मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अच्छा होता कि एशिया का जो सबसे बड़ा प्रोडक्शन का कारखाना है, उसकी सारी तकलीफों और समस्याओं को मुख्य मंत्री जी स्वयं सुनते, लेकिन वे उदासीन क्यों हैं, इसके सन्दर्भ में कुछ कहने में असमर्थ हूं। मेरा निवेदन है कि सन् 75 में सीमेंट फैक्ट्री में 9 महीने की स्ट्राइक हुई। जब सीमेंट फैक्ट्री में 9 महीने की स्ट्राइक हुई, तब उसमें

(श्री हंसराज शर्मा)

नुकसान हुआ और नुकसान के बाद यहां पर एक बोर्ड बनाया गया सेन्ट्रल बैंक, राजस्थान सरकार और केन्द्रीय सरकार का। सामूहिक रूप से फैक्ट्री का संचालन करता रहा, संचालन चलता रहा लेकिन वहां की अव्यवस्था के कारण सन् 1977 और 78 में सीमेंट फैक्ट्री में 22 करोड़ 11 लाख 85 हजार 176 का नुकसान हो गया। उसके बाद हम सरकार से निवेदन करते रहे कि देश में सीमेण्ट की बहुत बड़ी आवश्यकता है, आज विदेशों से मंगा रहे हैं। आज गांव का काश्तकार एक एक कट्टे के लिए त्राहि-त्राहि कर रहा है। हमारी सरकार बड़े बड़े उद्योग लगाकर लोगों को रोजगार देने की बात कर रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है जो सबसे ज्यादा सीमेन्ट पैदा कर सकती है, उसकी ओर आप उदासीनता क्यों बरत रहे हैं ? माननीय सभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस सीमेण्ट फैक्ट्री का प्रोडक्शन 65 हजार टन माहवार है, प्रोडक्शन जब वह फैक्ट्री करती है तो नो प्रोफिट नो लास का धन्धा रहता है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सीमेण्ट फैक्ट्री का प्रोडक्शन घटने लगा है। सन् 76–77 में 7 लाख 40 हजार, 77–78 में 6 लाख 67 हजार, 78–79 में 6 लाख 65 हजार और यहां तक आ गया है कि जुलाई 79 से दिसम्बर तक पिछले 6 महीने में 2 लाख 60 हजार टन ही सीमेण्ट का उत्पादन हुआ। जिस फैक्ट्री में 65 हजार टन महीने का खर्चा होता है, 65 हजार टन का प्रोडक्शन करने के बाद सीमेन्ट फैक्ट्री को नो लोस नो प्रोफिट में कहा जाता है, उसके बाद 6 महीने में यहां तक स्थिति आ गयी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यहां तक ही नहीं, जनवरी 81 में सीमेण्ट फैक्ट्री का जो 66 हजार का जो प्रोडक्शन था वह 18 हजार 3 सौ पर आ गया। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है ? जहां 65 लाख का प्रोडक्शन तैयार करती थी जहां 18 हजार का प्रोडक्शन पैदा करती है तो वहां कितना बड़ा लोस होगा। सरकार कुंभकर्णी की निद्रा में आंख मींच-कर बैठी हुई है। आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दिसम्बर और जनवरी में वहां के मजदूरों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं था। इसके कारण क्या हुआ कि लोगों में त्राहि-त्राहि मच गई। जब फैक्ट्री बन्द होने की स्थिति आई तो वहां के अधिकारियों के पास जो सीमेंट थी उसके अगेंस्ट में बैंकों से एडवांस ले लिया और बैंकों से एडवांस लेकर के उनका पेमेंट किया···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जरा संक्षेप में कहिये।

श्री हंसराज शर्मा : बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, माननीय सभापति महोदया। मेरे क्षेत्र का प्रश्न है। वहां के पांच हजार मजदूर और उनके पचास हजार परिवार के लोगों के भरण पोषण का प्रश्न है, उनके भविष्य का प्रश्न है, उनका भविष्य अंधकारमय होने जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर उनके हित में यदि 28 फरवरी तक इस सीमेंट फैक्ट्री की व्यवस्था राज्य सरकार ने नहीं देखी तो आज की तारीख में वहां के लोगों को 9 लाख

(श्री हंसराज शर्मा)

रुपया, 19 लाख रुपया उनके बोनस का देना है, 24.67 लाख का 20–2–81 तक का खर्चा है, 13.53 लाख सैल्स टैक्स दिसम्बर और जनवरी का देना है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने सीमेंट फैक्ट्री के सैल्स टैक्स के लिये अटेचमेंट के आर्डर दे दिये हैं। इसी प्रकार से सीमेंट रेगुलेशन अकाउन्ट के तहत 31.47 लाख रुपया देना है और बैंक के छः लाख रुपयों के डाकूमेंट पड़े हुए हैं। इस प्रकार से सीमेंट फैक्ट्री को कुल मिलाकर 94.67 लाख का कुल पेमेंट करना है। भविष्य में मजदूरों का और उन कर्मचारियों का क्या होगा? जिनके पास काम नहीं है और जो उनका पैसा है उसके लिए इन्स्ट्रक्शन्स नहीं है, उनका पैसा कौन देगा? बैंक का पैसा कौन देगा। इसी के साथ, सभापति महोदया, सरकार का कितना पैसा बकाया है, उस सारे पैसे का नोटिस मिल चुका है। अटेचमेंट का नोटिस मिल चुका है। करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जरा संक्षेप में कहें। आपकी ही पार्टी के अन्य माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं।

श्री हंसराज शर्मा : राज्य सरकार ने भी तारीख 11–2–81 को सैल्स टैक्स के लिये अटेचमेंट आर्डर दे दिया है और अटेचमेंट आर्डर देने से फैक्ट्री बन्द हो गई है। फैक्ट्री को और लोस होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, जिस पर करोड़ों रुपया राज्य सरकार का लगा हुआ है, सरकार को बार-बार निवेदन करने के बावजूद भी, बार-बार प्रतिवेदन देने के बावजूद भी सरकार उदासीन बैठी है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, सभापति महोदया, आपके माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहूंगा कि यदि 28 फरवरी को मजदूरों के पेमेंट करने की सरकार ने कोई योजना नहीं की, 28 को फैक्ट्री का अधिग्रहण नहीं किया गया तो वहां के पांच हजार मजदूर बेकार हो जायेंगे। उनके परिवार के चालीस पचास हजार लोग बेकार हो जायेंगे। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है। गत सरकार ने भी इस कारखाने का प्रबन्ध व्यवस्था को सुधारने के लिये सहगल कमीशन की नियुक्ति की थी और उस कमीशन ने सीमेंट फैक्ट्री का प्रत्यक्ष निरीक्षण करके एक रिपोर्ट तैयार की थी। उस रिपोर्ट के आधार पर इसका अधिग्रहण कर सीमेन्ट कारपोरेशन आफ इन्डिया को सौंपने का निर्णय किया था क्योंकि यह फैक्ट्री बराबर लोस में जा रही थी। लोस में जाने के बाद भी सरकार के द्वारा इसका अधिग्रहण नहीं किया गया...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें। आप बहुत कह चुके हैं।

श्री हंसराज शर्मा : अभी दो मिनट में पूरा कर दूंगा।

इसी संदर्भ में मेरा दूसरा निवेदन है कि सन् 75 में इस फैक्ट्री ने पास इसकी भूतपूर्व सोल सैलिंग एजेन्सी से भारत ओवरसीज प्रा. लि. के माध्यम से, जिसके संचालन कर्ता भी इसी साहू जैन परिवार के लोग थे, सीमेन्ट स्टाकिस्टों से चार करोड़ रुपया सीमेंट के लिये एडवांस में लिया था और उन लोगों से फैक्ट्री के

(60)

(श्री हंसराज शर्मा)

प्रबन्धकों ने यह वायदा किया था कि हम सीमेंट देंगे। इसके सब एजेन्ट मुकुल ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, जो भी साहू जैन के ही एजेन्ट थे, ने बाद में जाकर दिवाला निकाल दिया और चार करोड़ रुपया लोगों का खा गये। आज की तारीख में सीमेंट फैक्ट्री के किसी भी खाते में इन चार करोड़ रुपयों का हिसाब नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि साहू जैन के माध्यम से जो यह सीमेंट फैक्ट्री चलती थी और आलोक जैन और अशोक जैन इसके डाइरेक्टर रहे हैं वे सब सीमेंट फेक्ट्री को हड़पना चाहते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे, उनके खिलाफ जांच की जावे। मेरे पास इस प्रकार के डाक्यूमेंट हैं, यदि आप चाहें तो दे सकता हूं। तथ्य यह है कि देश भर के एजेन्टों से इस फैक्ट्री ने चार करोड़ रुपया अपने सोल सेलिंग एजेण्ट भारत ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड और इसके सब एजेन्ट मुकुल ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लिमिटेड और राजीव ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लि. के माध्यम से लिया है, उनसे यह कहा गया कि इसकी जिम्मेदारी फैक्ट्री की होगी, सीमेंट फैक्ट्री की जिम्मेदारी होगी लेकिन उनका पैसा हड़प गए हैं। राज्य सरकार ने जिन लोगों को पैसा देना था उनको नोटिस दे दिया है वसूली के लिए, सभापति महोदया, पैमेंट पर पाबन्दी लगा रखी है। वैधानिक आपत्ति लगा रखी है। उनको कह दिया गया है कि आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। उनको कह दिया गया कि आप सीमेंट उठाइये···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बार-बार उसी बात को रिपीट नहीं करें।

(व्यवधान)

श्री हंसराज शर्मा : मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, सभापति महोदया। जिन स्टाकिस्टों से एडवांस रुपया लिया गया था उनको एडवांस रुपयों के अगेंस्ट में सीमेंट भेजी गई। इसकी वसूली के लिए लगभग 60 लाख रुपयों के लिए कम्पनी ने कोर्ट स्टाम्प ड्यूटी के बतौर और लीगल कार्यवाही के बतौर इसका छंटवा हिस्सा 10 लाख रुपया व्यय कर दिया उसके बावजूद कम्पनी पैसा वसूल नहीं कर सकी। इसी संदर्भ में मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि यह सीमेंट फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सीमेंट फैक्ट्री कही जाती है, इसको कौन बचाएगा ? इसकी क्या हालत होगी। इसको नहीं सम्भाल सकते हैं तो इसकी क्या हालत होगी ? मजदूरों की रोजी रोटी का क्या होगा ? इसलिए मैं थोड़ा सा ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा··

श्री सभापति : अब आप मुझे क्षमा करें। अब अधिक समय नहीं दूंगी। श्री चुन्नीलालजी बोल लें···

(व्यवधान)

श्री हंसराज शर्मा : दो मिनट और।

श्री सभापति : अब मुझे क्षमा करें। आपके दो मिनट तो द्रोपदी का चीर हो रहा है।

श्री हंसराज शर्मा : सभापति महोदया, राज्य कर्मचारियों ने जो वहां पर व्यवस्थापक बन कर काले कारनामे किये हैं मैं उनकी ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आए दिन वहां पर देखा गया है कि कुछ समय पहले जो वहां पर सीमेंट के लिए पत्थर आता था वह पांच हजार टन प्रतिदिन आता था लेकिन उसके

(श्री हंसराज शर्मा)

मुकाबले में प्रति मास केवल पच्चीस हजार टन ही मंगवा रहे हैं। पच्चीस हजार टन के अगेंस्ट में पांच हजार टन ही मंगवा रहे हैं और उस पांच हजार टन के लिए भी डेमरेज दे रहे हैं, और उसका किराया दे रहे हैं। इसी प्रकार से अन्य विभाग से सीमेंट के लिए, सीमेंट बनाने के लिए कोयले की आवश्यकता होती है लेकिन कोयला मंगाना तो दूर रहा, वहां के कर्मचारियों ने जान बूझ कर वहां के लिए आया हुआ कोयला दूसरी कम्पनियों को दे दिय और यह कह कर दे दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है। हम इसको सुचारु रूप से चला नहीं सकते। इसी तरह से, सभापति महोदया, 19-12-80 को गलत वेगन इण्डन्ट के कारण कम्पनी को 42,000/- रुपया डैमरेज देना पड़ा है। इसके तुरन्त बाद उन लोगों को वहां से हटाया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने सीमेंट फैक्ट्री का पतन किया है, जिन लोगों ने खून चूसा है, देश का खून चूसा है, एशिया और राष्ट्र की इतनी बड़ी फैक्ट्री का पतन किया है, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि उनके खिलाफ जांच बिठाई जावे, कमीशन बिठाया जावे और जिन लोगों ने फैक्ट्री को नुकसान पहुंचाया है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जावे। उनकी ऐसी हालत हो रही है...

(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य !

श्री हंसराज शर्मा : माननीय सभापति महोदया, बस सिर्फ एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब नहीं। श्री चुन्नीलालजी।

श्री हंसराज शर्मा : वहां पर मजदूरों की रोजी रोटी का प्रश्न है। मेरे क्षेत्र की समस्या का प्रश्न है और 25-30 हजार लोगों का प्रश्न है। यदि आपने 28 फरवरी तक इस फैक्ट्री का अधिग्रहण नहीं किया तो विवश होकर राजस्थान सरकार के दरवाजे पर तीस हजार आदमियों को अनिश्चित काल की भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। राज्य सरकार के दिल में कहीं कालापन है, मैलापन है, इन सेठों के साथ सांठ गांठ करके हमारे पैसे का और सीमेण्ट फैक्ट्री का गला घोटना चाहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार इस पर वक्तव्य दे।

श्री सभापति : श्री गुलाबचन्द कटारिया। एक से अधिक घटनाओं का उल्लेख स्थगन प्रस्ताव में किया गया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : सभापति महोदया, वैसे तो बलात्कार की तीन घटनायें हैं और विशेषकर मेरे जिले में बहुत सी हैं लेकिन मैं इन सब को छोड़ते हुए पिछले बीस दिनों में हुई घटनाओं का जिक्र ही सदन में करना चाहूंगा। इसके पीछे मेरा एक और मंतव्य है कि जिस कांस्टीट्यूएन्सी से हमारा मंत्री चुन कर आता है, जो राज्य की कुर्सी पर बैठा है, जिसके पास अधिकार है, हक है वह कुछ कर सकता है लेकिन जब वह भी कुछ करने में असमर्थ है या नहीं करना चाहता है तो उससे ऐसा लगता है कि शायद हम बलात्कार की घटनाओं से नजर को हटाने की कोशिश

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदया, पहली घटना जो हमारे मावली से चुन कर आते हैं माननीय सदस्य, उनके क्षेत्र की है। एक तरफ मासूम बालिका जो खेत में मजदूरी कर रही थी, उसके पास वह लोग यह बहाना बनाकर गये कि तुम्हारे पिताजी मावली में अचानक बीमार हो गये और तुमको बुला रहे हैं। इस बहाने से बुला कर ले गये और उसके साथ बलात्कार किया। उसके पश्चात् लगातार उसे दूसरे स्थानों पर ले जाने का भरसक प्रयत्न उन्होंने किया। उनसे कैसे भी करके उस बालिका ने मुक्ति पाई। गोरधन लाल गूजर की लड़की भग्गू है। भग्गू के साथ मावली में यह केस दर्ज कराया, लेकिन दुर्भाग्य है कि इतना छोटा सा केस होते हुए भी आज तक उन अभियुक्तों को पकड़ा नहीं जा सका। अगर पकड़ा जाता तो मैं यहां नहीं उठाता। मेरी यह मंशा नहीं है कि सरकार को दो गाली दूं। मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने इस प्रकार का कृत्य किया, छोटे से गांव में किया उनको सरकार पकड़ नहीं सकी, इससे बड़ी असफलता सरकार के लिए और क्या होगी? मैं यह मानूंगा कि वहां से चुन कर आने वाले एम. एल. ए. पर लानत है कि वह पद पर रहते हुए भी कुछ नहीं कर सके।

दुर्भाग्य से जब वह मंत्री बने यह घटना उसके दो दिन पहले की है। लेकिन इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि तुरन्त उन दोनों व्यक्तियों को पकड़वायें। यह घटना राजसमन्द की है। जालिमा खातून नामक 16 वर्षीय बालिका एक अल्प संख्यक की लड़की है उसको पिछली 18 तारीख को बड़ौदा का एक व्यक्ति नूर मोहम्मद, नाथद्वारा का व्यक्ति मांगीलाल यह दोनों व्यक्ति फुसला कर ले गये और जयपुर में आये। जयपुर में उसके साथ बलात्कार किया। दस पन्द्रह दिन अपने साथ रखा डरा धमका कर कि मार दिया जायगा। उसके जेवर ले लिये इसलिए कि कहीं भाग न जाये। जब बालिका को मौका मिला तो भाग कर आ गई। उसने अपने पिताजी को अवगत कराया। उन्होंने एफ. आई. आर. दर्ज करायी। व्यक्तियों के नाम बताये कि यह दो व्यक्ति ले गये थे। उसके पश्चात् भी आज तक अभियुक्तों को नहीं पकड़ा जा सका। इन घटनाओं के आधार पर मुझे ऐसा आभास होता है यह सरकार इन घटनाओं को लाइटली ले रही है। सोचते हैं होती रहती हैं। यह बात सही है कि घटना होती है, लेकिन पता लगने के बाद अभियुक्तों का पता लगने के बाद, मंत्री महोदय पद पर होने के बाद, सारा प्रभाव होने के बाद, अपने प्रभाव का उपयोग करके गरीब व्यक्ति की इज्जत नहीं बचा सकते हैं तो हम जैसे एम. एल. ए. और सामान्य व्यक्ति की तो बात ही क्या है? ऐसा लगता है कि सरकार नाम की चिड़िया राजस्थान में नहीं है, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं से कठोरता से निबटे जिसके कारण समाज में भय व्याप्त है। लगातार हम सदन में घटना उठाते हैं। यह बलात्कारी सरकार है। शायद यह क्रम प्रारम्भ हो रहा है, एक के बाद दूसरी घटना रामचन्द्र की बाडी में सैक्टर नं. 12 में हुई। लोगों ने अभियुक्तों को रंगे हाथों पकड़वाया। वहां के थानेदार को धन्यवाद देना चाहता हूं, जैसे ही टेलीफोन पर उसको सूचना मिली, उसने उन्हें पकड़ा। अगर सरकार इस प्रकार कार्य करेगी तो हम आपकी तारीफ करेंगे, हम आपकी बुराई के लिए नहीं है। इन दोनों मामलों में तुरन्त

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कार्यवाही की जाय और अभियुक्तों को सजा दी जाय । यही मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है ।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा ! उपस्थित नहीं है ।

श्री रामकिशोर मीणा । अविलम्ब लोक महत्व की घटना से सम्बधित नहीं है ।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : सभापति महोदया, गणतन्त्र मेला जो राजस्थान के जयपुर जिले में प्रारम्भ किया गया था, उसकी शुरुआत में जो भावना थी, वह यह थी कि जो राजस्थान का विकास हो रहा है, उसकी ज्यादा से ज्यादा सूचना मेले के मार्फत प्रदर्शनी में दी जाये । लेकिन गत विधान सभा में इसके बारे में चर्चा हुई थी और बड़े जोर शोर से इसके बारे में आपत्ति उठाई थी । वर्तमान में इस मेले के नाम पर अभद्र तरीके से भद्दे दृश्य प्रस्तुत किये जा रहे हैं । विकास नाम की चीज का प्रदर्शन वहां पर किया जाना चाहिये विभिन्न विभागों के बोर्ड तो लगे हुए हैं, लेकिन प्रदर्शनी में विकास के दृश्य अंकित होने चाहिए थे वह नहीं किये हैं । गणतन्त्र मेला प्रदर्शनी के आर्गनाइजर जो मोदी साहब हैं, उनकी साजिश से कुछ ऐसे आयोजकों को शामिल किया जा रहा है, जिनके द्वारा एक-एक दो-दो रुपये के टिकिट पर बहुत ही भद्दे केबरे डांस दिखाये जा रहे हैं । हमारे देश की महान् संस्कृति को खतम किया जा रहा है । वहां पर जो धन्धा होता है यदि इस तरह की केटेगरी में आता है तो यहां पर रामलीला मैदान में मेला आयोजकों द्वारा जो इस तरह का धंधा किया जा रहा है, उसे सट्टा और जुआ की कैटेगरी में लेना चाहिए । उसके विरुद्ध एक्शन लिया जाना चाहिये । मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि इस प्रदेश में कला के नाम पर बहुत अच्छी सांस्कृतिक परम्परा रही है । हमारे यहां जो धब्बा है, उसको मिटाया जाय, इस तरह के दृश्यों को रोका जाय । यहां पर वैश्याओं को चार-चार, दो दो रुपयों के टिकटों पर नचाया जा रहा है और ऐसे दृश्य उपस्थित किये जाते हैं जो भारतीय होने के नाते देखना पसन्द नहीं करते हैं ।

श्री अनंग कुमार जैन : मंत्री महोदय तो देखना पसन्द करते हैं ।

श्री राम किशोर मीणा : इसको प्रोत्साहन दिया जाता है । तो मेरा निवेदन है कि इसका नाम गणतन्त्र मेला प्रदर्शनी न रख कर भ्रष्ट तंत्र मेला प्रदर्शनी रख दिया जाये तो ज्यादा उचित होगा । धन्यवाद ।

श्री सभापति : संसदीय कार्य मंत्री ।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, मैंने कानून और व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव दिया था । अध्यक्ष महोदय ने इजाजत दी थी, आज आप उस पर विचार प्रकट कर सकते हैं । मैं सम्बन्धित मामलों पर विचार प्रकट कर रहा हूँ, आप इजाजत दें ।

श्री सभापति : मैं बिना अध्यक्ष महोदय के पूछे इजाजत नहीं दूंगी ।

श्री नाथूसिंह : बोल कर गये हैं ।

श्री सभापति : मै पता लगा लूंगी ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जीरो आवर में ही बोलेंगे।

श्री सभापति : अध्यक्ष महोदय आदेश दे गये थे, दोनों पर एक साथ बोलें।

श्री नार्थूसिंह : मै बोला नहीं था।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय ने यह बात जरूर कही थी कि दोनों विषयों पर एक साथ बोलें। किन्तु एक विषय चल रहा था जिस पर पांच व्यक्ति बोल रहे थे। कहीं विषयान्तर न हो जाये इसलिये एक पर बोल लिया। आप दो मिनट दे दें।

श्री सभापति : उन्होंने आज्ञा दी उसमें भी हेरफेर हो रहा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उस स्थगन प्रस्ताव पर पांच व्यक्ति बोलने वाले थे। तीन व्यक्ति बोल रहे थे उस स्थगन प्रस्ताव पर। दो मिनट दे दें।

श्री सभापति : आप दो मिनट लेंगे।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदया, आप भी समाचार-पत्रों में पढ़ती होंगी। स्थान स्थान पर रोज रोज डकैतियां, चोरियां, लूट खसोट, बलात्कार, हत्यायें, कानून की ऐसी स्थिति हो गई है, जैसे कानून रहा ही नहीं है। यह स्थिति मार्च 80 से लेकर आज तक इतनी खराब हो चुकी है कि ज्यों ज्यों दिन गुजरते गये हैं कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होती गई। हत्याओं का क्रम बढ़ रहा है। डकैतियों की गिनती बढ़ रही है। मै आकड़े देकर बताना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : 77 मार्च से।

श्री नाथूसिंह : मार्च, 80 से लेकर उसके बाद आज तक, राजस्थान में 2386 चोरियां हुई, यह शायद कम होंगी आप लोग कहेंगे। हत्याएं 1895, डकैतियां 1791, ये आंकड़े बोल रहे हैं। कहीं चोरी, डकैतियां, हत्याएं हुई जिनकी पुलिस स्टेशन पर एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई। ऐसी स्थिति है कई जगह देखा नहीं गया, रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। तो इतनी हत्याएं, इतनी चोरियां, इतनी डकैतियां आप पढ़ते रहने हैं समाचार पत्रों में, कहीं सरकारी बस को लूट ले जाते हैं, कभी शाहपुरा के पास, कभी भरतपुर के पास, कभी धौलपुर के पास, कभी आगरा रोड पर, कभी कोटा की तरफ। रोज समाचार मिलते हैं। इतना ही नहीं अब तो राजधानी में भी काम शुरू हो गया है यहां पर भी चोरी, डकैती होने लगी है। ऐसी स्थिति में सरकार के यहां भी पंचायत मंत्री के घर में चोरी हो गई। एक सरपंच का मामला था जिसकी मंत्री के घर से फाइल गायब हो गई, बाजार में चली गई, बाजार में फोटो स्टेट कापियां होती रही। तो मंत्री के घर में भी चोरी। कानून और व्यवस्था इतनी खराब हो गई है। ये चोरियां दिनों-दिन बढ़ती जा रही हैं। पर मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं डकैतियां होती हैं, चोरियां होती है और मुख्य मंत्री जी के घर में भी कानून और व्यवस्था का संकट पैदा हो जाता है। जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था तो कानून और व्यवस्था की स्थिति का संकट मुख्य मंत्री जी के घर में पैदा हो गया था। तो सरकार की यह हालत है। पुलिस की तरफ से जो घोषणाएं होती हैं वे घोषणाएं क्या होती हैं—डी.आई.जी पिलानिया साहब का मेरे पास वक्तव्य है जब से पहाड़िया जी

(श्री नाथूसिंह)

मुख्य मंत्री जी बने हैं तब से आंकड़े उठा कर देख लीजिए जितने डकैत पकड़े गये भरतपुर में पकड़े गये। तो क्या सारे ही डकैत भरतपुर जिले में पकड़े गये। इतने डकैतों को पिलानिया जी ने पकड़ लिया। अब रोज वे कह रहे हैं डकैत पकड़े गये, मारे गये। मेरी समझ में नहीं आया, वास्तविकता क्या है? सभापति महोदय, झूठी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। कई निर्दोष लोग इसके शिकार बने हैं। कई राजनैतिक दुश्मनी से चोरी के शिकार बनाये जाते हैं। कभी डकैतों के नाम प्रकाशित नहीं होते। उनकी पिछली हिस्ट्री क्या रही है? कब डकैत बने? किस किस नियम के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही की गई, यह रिपोर्ट में दर्ज नहीं होता। कोई सूचना नहीं। एक भरतपुर के पास डाकू को गोली से उड़ा दिया गया, भरतपुर के पास डाकुओं को पकड़ा गया। मेरी समझ में नहीं आता, रोज-रोज इतने डाकू मार दिए गए तो कितने डाकू पैदा हो गये। भरतपुर जिले में ही, जयपुर जिले में ही हों, डाकू ऐसी बात नहीं है। आजकल तो सरकारी खजाने पर भी डाका डाला जा रहा है। यह सरकार जब से बनी है हत्या, चोरी, बलात्कार, डाके, सरकारी खजाने पर डाका, सारे लोग मिल कर डाका डाल रहे हैं। तो मेरा निवेदन है, सभापति महोदया, कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति से आज तमाम व्यक्ति, महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान हैं। कई महिलाएं सदन की सदस्या हैं। स्थिति यह है कि शाम 6 बजे बाद महिलाएं बाहर घूमने नहीं निकलतीं। रात्रि को पति के साथ महिलाएं सिनेमा देखने नहीं जातीं, यह स्थिति है।

एक माननीय सदस्य : आजकल महिलाएं रात को नहीं निकला करतीं।

श्री सभापति : आप जल्दी समाप्त कीजिये।

एक माननीय सदस्य : यह अपने ढाई साल के राज की बहस कर रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदया, इतना आतंक फैल गया है महिलाओं में, आप स्वयं महिला हैं, आप समझ सकती हैं, इस देश की प्रधान मंत्री भी महिला है जो इनकी सर्वोत्तम नेता है, पहाड़िया जी की धर्मपत्नी महिला है इसलिये मैंने यह प्रश्न रखा है कि आप जब तक महिलाओं में आतंक नहीं निकाल सकते वे घूम नहीं सकती, बाहर नहीं जा सकतीं, बसों में सफर नहीं कर सकतीं। वे जानती हैं पता नहीं किस समय कोई डाकू आ जायेगा और मेरा सामान छीन ले जाएगा, मुझे खुद मार दिया जायेगा। इसलिये ऐसी परिस्थिति में भयंकर कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

शहर हो, गांव हो, भरतपुर हो चाहे जयपुर हो. पूरे राजस्थान में ही स्थिति बिगड़ी हुई हैं, सरकार इस पर ध्यान दे। हीरालालजी सामने बैठे हुए हैं, नये नये मंत्री बने हैं, पुराने आदमी हैं और जानते हैं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसे ठीक की जा सकती है।

एक माननीय सदस्य : आप 77–78 के सारे उदाहरण दे दें।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : आपकी समझ में नहीं आयेगी यह बात।

श्री सभापति : आप समाप्त करें।

श्री नाथूसिंह : आप इस मामले में सरकार से सख्त से सख्त कार्यवाही करावें। वास्तव में वह डाकू है भी या नहीं और कितनी चोरियां पकड़ी गईं आज तक कभी प्रकट नहीं की गई। तो मैं निवेदन करता हूं, इस विषय में सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इस मामले में पूरा ध्यान दे और कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति को सभाले। धन्यवाद!

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का पांचवां प्रतिवेदन

श्री सभापति : अब संसदीय कार्य मंत्री कार्य सलाहकार समिति के पांचवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे। श्री हीरालाल देवपुरा।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव था।

श्री सभापति : सूची में आपका नाम नहीं है।

श्री हीरालाल देवपुरा (संसदीय कार्य मंत्री) : मैं कार्य सलाहकार समिति के पांचवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। प्रतिवेदन इस प्रकार है।

व्यवस्था का प्रश्न

कार्य सलाहकार समिति के पांचवें प्रतिवेदन का परिचालन

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : सभापति महोदया, प्रतिवेदन सरकुलेट नहीं किया गया है। सरकुलेट तो पहले होगा।

श्री सभापति : आम तौर से उपस्थापन के बाद किया जाता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमें पता तो लगे, मोशन करना है या नहीं करना है हाउस में कोई मोशन मूव किया जाय तो पहले सरकुलेट किया जाना चाहिये। आप व्यवस्था करावें।

श्री हीरालाल देवपुरा : अब तक की परम्परा तो बाद की रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बहुत ही कंट्रोवर्सियल मैटर है।

श्री सभापति : आप उपस्थापित करने दें फिर…

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले सरकुलेट करा दें ताकि हमें मालूम हो जाय, है क्या।

श्री सभापति : इसमें समय लगेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई समय नहीं लगेगा, एक घण्टे में सरकुलेट हो जायेगा।

श्री सभापति : मैं अध्यक्ष महोदय से पूछ लेती हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तब तक के लिये इनको बैठा दिया जाय।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपको मंत्रिमण्डल में आने में जितना टाइम लगा उतना ही वहां लगेगा।

(2.00 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदन को सरकुलेट कर दिया जाए। 2 घण्टे बाद इस पर विचार किया जायेगा।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद। श्री लच्छूराम।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री लच्छूराम (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण सदन में दिया है उसका समर्थन करने में मैं असमर्थ हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के 28 पत्रों को पढ़ने से ऐसा विदित होता है कि...

व्यवस्था का प्रश्न

धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन का परिचालन

श्री राजबहादुर : पाइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, कल ही मैं इसकी जांच कर पाया हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था उसमें मैंने एक संशोधन प्रस्ताव रखा है। उस संशोधन प्रस्ताव का प्रसारण नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : मैं इस सम्बन्ध में स्थिति मालूम करके थोड़ी देर बाद आपको बता सकूंगा।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी संशोधन प्रस्ताव रखा है।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री लच्छूराम : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किसी प्रकार का कोई दिशा निर्देश नहीं है, न कोई प्रेरणा है, न कोई क्रमवार विकास की योजना है। इस अभिभाषण को पढ़ने से ऐसा ज्ञात होता है कि यह एक प्रकार से सैक्रेटेरियेट द्वारा लिखा हुआ दस्तावेज है।

अध्यक्ष महोदय, आज जब राजस्थान अकाल की चपेट में है। चारों तरफ बिजली का संकट है, अकाल का संकट है और राजस्थान की सरकार एक मिनी सरकार है, जिसने अधिकारियों के स्थानान्तरणों के द्वारा और दूसरे इस प्रकार के कार्यों के द्वारा प्रशासन को ठप्प कर दिया है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत राजस्थान सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जो आज हमारे अन्तर्राज्जीय विवाद हैं, जैसे थीन डेम, मुकेरिया, आनंदपुरसाहिब, जो हमारे बिजली के स्रोत हैं, जिनके साथ हमारी राजस्थान सरकार ने समझौते किए हैं और उनमें जो हमारा हिस्सा था, जो हमारा वाजिब हिस्सा था, हमारी राजस्थान की सरकार उस हिस्से को लेने में असमर्थ रही है। आज हमारे सामने बिजली का संकट है वह इतना नहीं होता अगर हम हमारे जो अन्तर्राज्यीय बिजली के स्रोत हैं, जो पंजाब, हरियाणा में थीन डेम, मुकेरिया, आनंदपुर साहिब, इसमें से पूरा हिस्सा ले लेते तो हमारे सामने इतना बिजली का संकट नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मुख्य मंत्री महोदय को यह कहना चाहता हूं कि पिछले सत्र के अन्दर उन्होंने यहां पर कहा था, अन्तर्राज्यीय विवादों के ऊपर जो एक दिन की डिबेट हुई थी, उसमें माननीय मुख्य मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया था कि मैं इस मामले में चट्टान की तरह अडिग रहूंगा···

एक माननीय सदस्य : फौलाद की तरह··

श्री लच्छूराम : ···काम करने में मैं फौलाद की तरह से काम करूंगा और जो अपना हिस्सा है राजस्थान का। उसके लिए मैं सेन्टर और दूसरे राज्यों के साथ अड़ जाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री की कथनी और करनी में बिलकुल साफ फर्क रहा है। माननीय मुख्य मंत्री ने कागज लिखने के सिवाय, बातचीत करने के सिवाय और कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है। इसलिए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस प्रकार का कोई जिक्र नहीं आया है। तीसरी बात, आज छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप मन्जूर हो चुका है। केवल औपचारिक रूप में प्रस्ताव सामने आया है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में केवल दो लाइन लिखी गई हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है। मैं यह बताना चाहता हूं कि 1952 के अन्दर पहली पंचवर्षीय योजना के अन्दर 24–25 प्रतिशत किसानों पर खर्च करने का प्रावधान किया गया था। उसके बाद ढाई साल के शासन काल के अन्दर, जो कांग्रेस के तीस साल के शासन के बाद आया था, जो जनता सरकार आई थी, उसने गांवों के लिए 40 प्रतिशत खर्च करने का प्रावधान किया था। प्रावधान ही नहीं बल्कि खर्च भी किया गया। यह सरकार अपने आपको कल्याणकारी, वीकर सैक्शन की सरकार कहने का दावा करती है। मैं इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना में केवल मात्र 25 प्रतिशत का प्रावधान ही किसानों के लिए रखा गया है जिसके लिए राजस्थान ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के कोने-कोने से किसानों को गुमराह करने के लिए लाखों की तादाद में किसानों के नाम से लोगों को इकट्ठा करके राज्य के पैसे को बर्बाद किया गया है जिसकी राशि अरब रुपयों की होती है। इस प्रकार पैसे को बर्बाद करने के बजाए राजस्थान नहर को पूरा करने में व्यय करते या दूसरे विकास के कार्यों में व्यय किया जाता तो हम मानते कि श्रीमती इन्दिरा गांधी वास्तव में किसानों की शुभ चिन्तक हैं। आज एशियाई खेलों के ऊपर 300 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं और राजस्थान नहर के बजट के अन्दर 10 करोड़ की कमी की जा रही है। क्या यह किसान पक्षीय सरकार है? क्या इन्दिरा गांधी इस प्रकार किसानों की भलाई करना चाहती है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को सूचित करना चाहता हूं कि कांग्रेस (आई) की सरकार, किसानों के नाम से किसानों को गुमराह कर रही है। आज सारे देश के किसान आन्दोलित हो चुके हैं। चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे वह उत्तर भारत हो। कन्याकुमारी से लेकर काश्मीर तक का किसान आज जाग चुका है। कोई पोलिटिकल पार्टी का इसमें हाथ नहीं है। किसान को किसी के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। किसान अपने आप में जागृत है। आन्ध्र में आन्दोलन किसानों का चल रहा है। महाराष्ट्र में आन्दोलन किसानों का रहा है। चाहे वह गन्ने की कीमत को लेकर हो रहा हो या बिजली को लेकर आन्दोलन हो रहा हो। राजस्थान में किसान जगह-जगह बिजली के लिए आन्दोलन कर रहा है। यह आन्दोलन किसी पार्टी विशेष का नहीं है। कोई राजनीतिक पार्टी का नहीं है। किसानों का भला चाहने वाली, किसानों का दंभ भरने वाली सरकार है, किसान यह इन्तजार कर रहा था कि यह सरकार कुछ उनके लिए करेगी। जब कुछ कार्यवाही नहीं हुई तो उसने आखिरकार यह

(श्री लच्छूराम)

आन्दोलन का हथियार उठाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों को यह कहना चाहता हूं कि उनके निर्वाचन क्षेत्रों में जगह-जगह पर बिजली के लिए आन्दोलन हो रहे हैं। यह कोई नहीं करा रहा है। यह हकीकत है। किसान आज इतने ज्यादा परेशान हैं बिजली के मामले में कि उनको मजबूर होकर आन्दोलन करना पड़ रहा है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि मुख्य मंत्री महोदय उत्तर देते समय किसानों के इस मसले को हल करने के लिए कोई न कोई इस प्रकार की घोषणा करेंगे जिससे अकाल की चपेट में आने वाले राजस्थान को राहत मिल सके। अध्यक्ष महोदय, अकाल की यहां पर चर्चा की जाती है। अखबारों के अन्दर राजस्थान सरकार की तरफ से, मुख्य मंत्री की तरफ से, अकाल राहत मंत्री की तरफ से लंम्बे चौड़े स्टेटमेन्ट आते हैं। लेकिन यह बिल्कुल निचले स्तर पर है इसमें जमीन आसमान का अन्तर है। राज्य सरकार ने 175 करोड़ रुपया चाहा था और कहा था कि हम 175 करोड़ रुपये से राजस्थान के 21 हजार गांवों को, जो कि अकालग्रस्त हैं, पर्याप्त राहत दे सकेंगे, समस्या से निपट सकेंगे। लेकिन 175 करोड़ के बजाय जैसा कि अखबारों में आया है लोक सभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि केवल 40 करोड़ रुपये राजस्थान के लिए मंजूर किये हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा दुःख की बात यह है कि पिछली बार नवम्बर में यह घोषणा की थी कि 16 नवम्बर से अकाल राहत कार्य शुरू किये जायेंगे लेकिन बड़े दुःख की बात है अध्यक्ष महोदय, आज तक मंजूर किये गये कार्यों में से 30 प्रतिशत कार्य ही शुरू नहीं हुआ है। मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सीकर झुन्झुनू और चूरू जिलों में 30 प्रतिशत काम भी शुरू नहीं हुए हैं। झुन्झुनू में अकाल राहत के अन्दर 10 सड़कों का प्रावधान था जिसमें 6 प्लान में थीं। इसमें यह निर्णय लिया गया था कि 9 सड़कें प्लान के अन्दर थीं उन पर अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत काम चालू करें। सात लाख की योजना थी पर वहां पर दो ही सड़कों पर काम हो रहा है और उनमें भी एक सड़क पर 127 आदमी काम कर रहे हैं और एक पर 87। यह है हालत अकाल राहत के काम की जब कि पूरा झुन्झुनू जिला अकालग्रस्त घोषित किया गया है, 795 गांवों में से केवल 5 गांवों को अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। यह हालत है वहां की और यही हालत समूचे राजस्थान की है।

इसके अलावा जो पिछले साल के अकाल राहत कार्य किये गये थे उनका जो भुगतान है वह आज तक बकाया है। पिछले बजट सत्र के अन्दर हमने कहा था और माननीय अकाल राहत मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि 2-3 जिलों को छोड़कर बाकी को पेमेंट कर दिया गया है। मैं कहता हूं यह गलत जानकारी है। चूरू जिले में और सीकर जिले में मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, मेरा निजी अनुभव है कि वहां भुगतान बकाया है। अकाल राहत मंत्री जी और राजस्थान की सरकार गांवों में सरपंचों को परेशान कर रही है उन कार्यों का मूल्यांकन नहीं करवाया गया है। मैं अकाल के साथ, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदस्यों को सूचना देना चाहूंगा कि सभी पंचायत समितियों में राजस्थान की 200 पंचायत समितियों में 236 ओवरसियर अकाल राहत के कार्यों

(श्री लच्छूराम)

में लगाये थे लेकिन आज 50 प्रतिशत को कम कर दिया गया है। अगर सरकार की अकाल से निपटने की मंशा होती तो उनको नहीं हटाते। मेरा कहना यह है कि पिछले साल के अकाल राहत के कामों का करोड़ों रुपयों का भुगतान बाकी है। झुन्झुनू जिले में मेरी जानकारी में है कि सरपंचों को निर्माण प्रमाण-पत्र नहीं दिये जा रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। वहां लाखों की बकाया है और इसी प्रकार की राजस्थान के दूसरे जिलों की हालत होगी।

मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह सदन को बताना चाहता हूं कि इस साल 10-10 हजार के पंचायतों के कार्य स्वीकृत किये गये हैं, अभी बजट सेशन की वजह से। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान के अन्दर 10 प्रतिशत कार्य भी शुरू नहीं हुए हैं। इसका एक कारण दोहरी प्रथा है। पंचायतों के मार्फत कार्य कराये जाते हैं और भुगतान तहसील के मार्फत होता है। इसके लिए जिलाधीशों ने भी राज्य सरकार को लिखा था लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने उनकी बात को कोई तवज्जोह नहीं दी। इससे होता क्या है कि कार्य पंचायतें कराती हैं और निर्माण पत्र लेती हैं और फिर भुगतान तहसील से होता है। यह कार्य प्रणाली बिल्कुल बेकार है। यह बिलकुल प्रेक्टीकल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार से अकाल के नाम से मखौल किया जा रहा है राजस्थान की जनता के साथ में।

दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रशासन को बिलकुल ठप्प कर दिया गया है। जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के जमाने में मनसबदारी प्रथा हुआ करती थी, अलग-अलग सूबे बांट दिये जाते थे, उसी तरह से राजस्थान में 200 विधान सभा क्षेत्र हैं उनमें कांग्रेस (आई) के 137 विधायक हैं। उन सबको अपने-अपने क्षेत्र बांट दिये गये हैं। इसके अलावा जो दूसरे क्षेत्र हैं उनमें जो कांग्रेस के हारे हुए विधायक हैं उनको भी विधायक पद दिये गये हैं। इस प्रकार की घोषणा गत सत्र में स्थानान्तरण के मामले में की गयी थी कि जो हारे हुए विधायक हैं वे भी आ जायें। मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कौन से विधायक हैं? प्रशासन में अधिकारियों की क्या गलती माने। अधिकारियों को तो जबर्दस्ती मजबूर किया जाता है और कांग्रेस के विधायक जैसा कहते हैं, ये मनसबदार जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। जिस प्रकार से मनसबदारी प्रथा थी उसी प्रकार की प्रथा राजस्थान में पहाड़िया सरकार ने चला रखी है।

अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा कि प्रश्नकाल में प्रश्न संख्या 59 के ऊपर विवाद हुआ वह वास्तव में सही हुआ। बजट का सन्तुलन ठीक नहीं है। खर्च किया गया है जो मनसबदार कहते थे उन पर। लेकिन दुःख की बात यह है कि इन मनसबदारों में से भी जो बहुत चाहते हैं उनके हाथ में ज्यादा काम होता है।

मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, सदन से और राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि हर विधायक की हर कान्सटीट्यूएन्सी के अन्दर जो वाजिब विकास के काम हैं उनको सामने रखकर उन पर समान रूप से विचार किया जाये।

(श्री लच्छूराम)

दूसरा प्रशासन की अक्षमता के अलावा जो कानून व्यवस्था की हालत है वह भी आपके सामने है उस पर ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की कानून और व्यवस्था है कि कांग्रेस के जो एम. एल. ए. हैं और मेम्बर हैं आज कांग्रेस के सारे एम.एल.ए. मुख्य मंत्री के माध्यम से अपने-अपने क्षेत्र में अपने-अपने ढंग के जो खूब मुंह लगे हुये अफसर हैं उनको ले जाना चाहते हैं जिससे कि वे अपनी मनमानी कर सकें। तो कैसे व्यवस्था सुधरे। कानून और व्यवस्था को ठीक करने के लिए यह आवश्यक है कि जो प्रशाशन है उसको अपनी बुद्धि से और अपने दिमाग से काम करने दिया जाय। प्रशासन को खराब करने में जितनी गलती अधिकारियों की नहीं उससे ज्यादा राजस्थान कांग्रेस (आई) की सरकार की है। वे चाहते हैं कि मनसबदारी प्रथा कायम कर सकें।

दूसरा पेय जल की समस्या के बारे में कहना चाहता हूं। पेयजल की समस्या के लिए पिछले बजट सत्र के अन्दर मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान के 25 जिलों में से 15 जिलों को वर्ल्ड बैंक से पैसा दिया गया है, उससे पेयजल उपलब्ध कराने की बात की थी पर वह नहीं किया गया है। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अब जो पेयजल की योजनायें हैं वे आज तक अधरभूल के अन्दर हैं। मैं समझता हूं पश्चिमी राजस्थान जो भयंकर पेयजल की समस्या से ग्रस्त है उस एरिया के अन्दर पश्चिमी राजस्थान में कोई भी काम नहीं, है वहां कोई ठोस कार्य नहीं किया जा रहा है, न कोई योजना चालू की गई। मैं माननीय जन स्वास्थ्य मंत्री से जो बिराजमान हैं, से निवेदन करना चाहता हूं कि यह मानवीय समस्या है। जिस प्रकार से दूसरे कामों में मनसबदारी प्रथा कायम है उसके बजाय कम से कम इस समस्या में जो इस प्रकार की प्रक्रिया है वह काम में न लें।

उधर वर्ल्ड बैंक की जो स्कीम है, उसमें पी. एच. ई डी. के इन्जीनियर दिक्कत कर रहे हैं। 100 फीट से ज्यादा जहां पानी हो वहां पर हैंड पम्प की जो स्कीम है वह कामयाब नहीं हो सकती है। उसके लिए जिला विजिलेंस कमेटी में पी.एच.ई.डी. के एक्स. ई. एन. को जब यह कहा कि यह स्कीम झुन्झुनू, सीकर और चूरू जिलों के लिए बेकार है क्योंकि वहां 100 फीट से ज्यादा पानी है, वहां पर ये हैंड पम्प्स की योजना चालू न करें तो उन्होंने कहा कि हमें तो ऊपर से यही आदेश है। तो मेरा राज्य सरकार से मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो हैंड पम्प्स की योजना है वह वहीं लागू ......

(2.18 म. प.)

(श्री लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत, सभापति पदासीन)

न की जाये जहां 100 फीट पर पानी हो। वहां लागू की जाये जहां पर 40-50 फीट पर पानी हो। वहां हैड पम्प लगाये जाने चाहिए।

सभापति महोदय, अभी राजस्थान के अन्दर एक राजस्थानी भाषा का सम्मेलन हुआ। राजस्थान को छोड़कर अन्य सभी प्रान्तों में रहने वाले अपनी-अपनी भाषा के प्रति जागरूक हैं। बड़े दुःख और खेद की बात है कि राजस्थान में रहने वाले व्यक्ति अपनी भाषा में बोलने में शर्म महसूस करते हैं।

(श्री लच्छूराम)
यहां पर ही उसे दुत्कारा जा रहा है। राजस्थानी बोलने में शर्म करते हैं। विधायक भी ·······

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) : आप खुद तो बोलें।

श्री परसराम मदेरणा : आप स्वयं तो बोलें, कौन मना कर रहा है। आप स्वयं राजस्थानी में क्यों नहीं बोल रहे।

(व्यवधान)

श्री लच्छूराम : राजस्थानी अकादमी को स्वतंत्र अकादमी बनाया जाये यह मेरा सुझाव है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न वितरण का है। जिस प्रकार से जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने वितरण प्रणाली के संबंध में जयपुर शहर की समस्या को बताया कि यहां कि वितरण प्रणाली कितनी दोष पूर्ण है, उसमें कितनी अव्यवस्था है, मैं आपको देहातों के बारे में निवेदन करूं····

एक माननीय सदस्य : मारवाड़ी में बोलो।

श्री लच्छूराम : देहातों में वितरण प्रणाली की कितनी समस्याएं हैं वह सब जानते हैं लेकिन राज्यपाल महोदय अभिभाषण में कोई इस बात की आलोचना नहीं करते हैं। देहातों में चीनी, कपड़ा, केरोसिन कोई भी चीज कन्ट्रोल से नहीं मिल रही है जब कि इनका कण्ट्रोल है। 100 में से 70 गांवों में लोगों को इसका ज्ञान ही नहीं है कि केरोसिन भी कण्ट्रोल से मिलता है, कपड़ा भी कण्ट्रोल से मिलता है। माननीय सभापति महोदया, मैं आपके मार्फत से इस सदन को पूछना चाहता हूं कि क्या केरोसिन तेल कण्ट्रोल्ड कमोडिटी है? क्या यह बिना कण्ट्रोल के एक लीटर भी उपलब्ध नहीं हो सकता? यदि नहीं, हो सकता तो ब्लेक से दुकानदार लोग कैसे बेचते हैं? इससे साफ जाहिर है कि हमारी वितरण प्रणाली दूषित हो गई है और इतनी दूषित हो गई है कि इसका कोई अन्दाज नहीं हैं। यह बात ठीक है कि किसी चीज की कमी हो सकती है, सीमेन्ट की कमी है, गेहूं की कमी है, और दूसरी आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी कमी हैं, लेकिन यहां तो दोष वितरण प्रणाली के अन्दर है। वस्तुओं की जितनी भी कमी हैं अगर उसी के हिसाब से सल्टा लिया जाय तो भी पार पड़ सकती है। उदाहरण के तौर पर मैं अर्ज करूं, झुन्झुनू जिले में रसद अधिकारीजी का स्थानान्तरण हुआ और वापस हुआ, पैसे देकर हुआ। मैं कहना नहीं चाहता, बड़े दुःख की बात है, सारे जिले के लोगों ने उस रसद अधिकारी के खिलाफ बार-बार कहा, राजस्थान सरकार को लिख कर दिया। आये दिन झुन्झुनू जिले में वितरण के मामले में चाहे चीनी के मामले में, कपड़े के मामले में, सीमेन्ट के मामले में या अन्य आवश्यक वस्तुओं के मामले में, सीमेन्ट की कीमतें बढ़ाकर पैसा लिया गया और 35 लाख का चीनी का घोटाला किया गया। माननीय सभापति महोदया, मैं यह बता देना चाहता हूं जब पिछले वर्ष चीनी के लिए आदेश दिए गए 2.85 किलो के हिसाब से, उस समय झुन्झुनू में 35 लाख की चीनी का स्टॉक किया गया लेकिन आज तक उस चीनी का कोई पता नहीं है। उसके लिए कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने भी

(श्री लच्छूराम)

और दूसरे लोगों ने भी स्थानीय अधिकारियों और राजस्थान सरकार को अपने मांगपत्र प्रस्तुत किये लेकिन इस बहरी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। अध्यक्ष महोदया, एक के बाद एक, इस प्रकार के सैंकड़ों उदाहरण हैं। इस प्रकार की दूषित वितरण की व्यवस्था है, इस प्रकार की कानून और व्यवस्था की स्थिति है। राजस्थान कैनाल की स्थिति के बारे में भी कई बार जिक्र आया है। हमको अपने हिस्से का पूरा पानी नहीं मिल सकता, भाखड़ा, गंग कैनाल के जो काश्तकार हैं वे बहुत परेशान हो रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है गंगानगर जिले के बहुत ही कम माननीय सदस्य विधान सभा में हैं, उनको वहां के किसानों की समस्याओं का पता नहीं है ...

(2.24 म. प.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

गंगानगर का काश्तकार बहुत बड़ा काश्तकार आंका जाता है राजस्थान कैनाल के किसान इतने परेशान हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है पानी देने में और हर प्रकार से उनको परेशान किया जा रहा है। इस समय राजस्थान कैनाल में 1 लाख 20 हजार क्यूसेक पानी मिलना चाहिये, लेकिन चम्बल में हम अपना हिस्सा नहीं लिवा सके। तो मेरे कहने का मतलब यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने पिछले सत्र में आश्वासन दिया था कि हमारा हिस्सा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और चट्टान की तरह से अड़े रहेंगे, यह बात बिल्कुल गलत साबित हुई है। कई जगहों पर आन्दोलन हो रहे हैं, विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। अभी 22 तारीख को झुन्झुनू के अन्दर मोतीलाल कालेज के अन्दर दुलीचन्द विद्यार्थी का गलत आपरेशन करके उसकी जान के साथ खिलवाड़ किया गया। विद्यार्थियों ने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया तो पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया। उसके बाद में 31 तारीख को झुन्झुनू जिला पूर्ण बन्द रहा। नौ विद्यार्थी सेन्ट्रल जेल में हैं। इस तरह से राजस्थान की कांग्रेस सरकार विद्यार्थियों पर अत्याचार कर रही है, उन पर लाठी चार्ज कर रही है, किसानों को परेशान किया जा रहा है। इस स्थिति पर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं आपके मार्फत इस जन कल्याणकारी सरकार को बता देना चाहता हूं कि अगर यह सरकार अपने को किसानों की हिमायती दिखाना चाहती है तो उनकी समस्याओं की तरफ तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिये। रैली में लाखों की तादाद में रूमाल खरीदकर ले गये क्योंकि किसानों की संख्या कम थी। अच्छा होता किसानों के ऊपर जो संकट पैदा हो रहा है उसके सम्बन्ध में बात करते लेकिन ऐसा नहीं करके उन्होंने उल्टा काम किया है। दूसरी बात मैं यह निवेदन कर दूं कि 21 और 22 तारीख को राजस्थान के किसानों ने नोटिस दिया है कि बिजली दो और दाम लो। अगर पूरी बिजली नहीं दी गई तो बिल अदा नहीं करेंगे। इसलिए मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से और माननीय बिजली मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि समय रहते इसका इन्तजाम कर लिया जावे। अगर किसानों को पूरी बिजली नहीं दी गई और बिल पूरा दिया गया तो ये किसान बिल की अदायगी नहीं करेंगे। बहुत बड़ा टन्टा होने वाला है। 15 दिन का नोटिस उन्होंने

(श्री लच्छूराम)

दिया है। इसलिए सिंचाई मन्त्रीजी, बिजली मन्त्रीजी और माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके ऊपर पुरजोर ध्यान दें। आज जगह-जगह बिजली की समस्या है, अकाल की समस्या है, पानी की समस्या है, फेमिन व्यवस्था की और इस प्रकार की जटिल स्थिति पैदा हो गई है कि आज का किसान, आज का विद्यार्थी, आज का मजदूर मजबूर होकर आन्दोलन के रास्ते को अपना रहा है, उसके लिए मजबूर हो रहा है। इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस सदन को यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का रवैया, जो हठधर्मी का रवैया है, जो राज्य सरकार ने अपना रखा है, उस रवैये को छोड़ने के लिए बाध्य करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान कैनाल के लिए कहा उसका माननीय रामनिवासजी मिर्धा ने भी राज्य सभा में कहा है कि हम अपने हिस्से का पूरा पानी नहीं ले सके इसलिए सारी गलती राजस्थान सरकार की है। इसलिए मैं राजस्थान सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसके ऊपर ध्यान दें।

दूसरी बात राजस्थान सरकार ने पूर्ण रूपेण वीकर सैक्शन की ओर ध्यान दिया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि समाज कल्याण का जो बजट है, जैसा कि कल एक प्रश्न के उत्तर में सरकारी आंकड़ों से ज्ञात हुआ कि अभी तक कुल 43 पर्सेन्ट तक बजट खर्च किया गया है, यह बड़े ही शर्म की बात है। अब मार्च का एक महीना ही शेष रह गया है और इतना बचा हुआ बजट खर्च करना है लेकिन बहुत ही दुःख की बात तो यह है कि अब तक जो भी होस्टल वगैरह खोले गये हैं, अब राजनैतिक आधार पर खोले गये हैं। इसलिये समाज कल्याण की जो भी दूसरी एक्टिविटीज हैं, जो दूसरे कार्यक्रम हैं और होस्टल खोलने हैं या और बातें उन पर ध्यान दिया जाता, तो यह बजट खर्च हो जाता। इसलिए मेरा सुझाव है कि एक महीने के अन्दर इस प्रकार के होस्टलस जो खोलने हैं जिनकी फ़ाइल पैंडिंग पड़ी हैं उनकी जल्दी से जल्दी व्यवस्था की जाकर बजट को पूरा करने की चेष्टा करनी चाहिये। दूसरी बात यह निवेदन करनी है कि झुन्झुनू जिले में वीकर सैक्शन के लोगों को परेशान किया जा रहा है, इस प्रकार की कई शिकायतें मिल रही हैं। सवर्ण जाति के लोग उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और उन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर एक हरिजन जेताराम की जमीन को एक सवर्ण दबाये हुये बैठा है। बेचारा जेताराम अपनी जमीन लेने के लिये 15 साल से केस लड़ रहा है पर उसकी राजस्थान सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि उस सवर्ण व्यक्ति के ऊपर राजस्थान कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का वरद हस्त है।

श्री दीपेन्द्र सिंह : वह कौन है, आप गलत आरोप मत लगाइये।

श्री लच्छूराम : आप जानते हैं वह वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कौन है ?

श्री दीपेन्द्रसिंह : अगर है तो आप उसका नाम बतावें। अगर नाम नहीं बताते हैं तो आप गलत बयानी कर रहे हैं। आपके नाम नहीं बताने से हमारी संस्था बदनाम होती है।

श्री लच्छूराम : आप जानते हैं और आपके दिमाग में जो नाम है वही नाम है।

तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज किस तरह से कांग्रेस के बड़े नेता लोग बीकर सेक्शन की जमीनों को हड़प रहे हैं और बीकर सेक्शन का मजाक उड़ा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं सुझाव रूप में वह है झुंझुनू जिले में शिक्षा के बारे में। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि झुंझुनू जिले में गवर्नमेंट का एक भी कालेज नहीं है। वहां पर विद्यार्थी लोगों में बहुत भारी आक्रोश है। स्थिति यह है कि पिछली दस फरवरी से वहां पर आन्दोलन हो रहा है। विद्यार्थियों का मुख्य मुद्दा यह है कि झुंझुनू जिले में गवर्नमेंट का कालेज होना चाहिए। इसके अलावा वहां पर प्राइवेट कालेजेज हैं जहां कि लोगों से ज्यादा फीस ली जाती है। अध्यक्ष महोदय, विद्यार्थियों के आन्दोलन का यह भी मुद्दा है कि विद्यार्थियों से जिस प्रकार दूसरी जगह गवर्नमेंट कालेजेज में फीस ली जाती है उसी तरह यहां भी 4 रुपये फीस मासिक ली जाय। अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि झुंझुनू के प्राइवेट कालेजेज में विद्यार्थियों से 10-10, 12-12; 15-15, 20-20 और 30-30 रुपये तक फीस ली जाती है। यही कारण है कि इस असमानता को मिटाने के लिए विद्यार्थियों ने वहां पर आन्दोलन कर रखा है। मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि राज्य सरकार इस ओर जल्दी से जल्दी ध्यान दे। अध्यक्ष महोदय, मैंने विद्यार्थियों के आन्दोलन के बारे में आपके समक्ष स्थगन प्रस्ताव रखा है कि राज्य सरकार विद्यार्थियों की मांगों की तरफ तुरन्त ध्यान दे। राजस्थान सरकार जब प्राइवेट कालेजेज को 75 पर्सेन्ट और 80 पर्सेन्ट तक अनुदान देती है तब क्या कारण है कि राज्य के नियम उन पर लागू नहीं होते हैं? क्या कारण है कि झुंझुनू के प्राइवेट कालेजेज में राज्य सरकार के कालेजेज की तरह फीस नहीं ली जाती है? मेरी आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह मांग है कि झुंझुनू के प्राइवेट कालेजेज में वही नियम लागू होने चाहिये जो कि राज्य सरकार के कालेजेज में लागू होते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज झुंझुनू में विद्यार्थियों पर झूठे मुकदमे चलाये जा रहे हैं और उनको बिना मतलब परेशान किया जा रहा है। उन पर लाठी चार्ज किया गया। इस बारे में राज्य सरकार की निन्दा करता हूं कि उसने विद्यार्थियों को झूंठा फंसाया है। मेरी राज्य सरकार से यह मांग है कि झुंझुनू में विद्यार्थियों पर जो लाठी चार्ज हुआ है उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, 23 फरवरी को विद्यार्थी लोग बैठे हुए डिप्टी डायरेक्टर से बात कर रहे थे उस वक्त झुंझुनू जिले के पुलिस के डीवाई.एस.पी. ने आदेश देकर विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज कराया इसका लोगों में बहुत आक्रोश है। विद्यार्थी उसके बाद में कलेक्टर साहब के पास गये पर राजस्थान सरकार का प्रशासन इतना निकम्मा है कि उसने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिये, अध्यक्ष महोदय,

(श्री लच्छूराम)

मेरी आपसे मांग है और मुख्य मन्त्रीजी से मांग है विद्यार्थियों का अन्दोलन, जो दिनांक 10 फरवरी से चल रहा है, का जल्दी से जल्दी समाधान निकाला जाय। अध्यक्ष महोदय, आज 10 फरवरी से झुन्झुनू जिले की सभी शिक्षण संस्थायें बन्द पड़ी हुई हैं उससे विद्यार्थियों को नुकसान हो रहा है। इस सम्बन्ध में शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, बोलने के लिये तो मेरे पास काफी सामग्री है पर चूंकि बोलने के लिये समय कम है और काफी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं इसलिये मैं यही कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान में न तो प्रशासन नाम की कोई चीज है, न कानून संबंधी कोई बात है, न ही वितरण व्यवस्था ही ठीक है। और, अध्यक्ष महोदय, विकास के नाम पर कोई कार्यक्रम इस सरकार के पास नहीं है। यही कारण है विकास के कार्यक्रम नहीं होने से बजट सैविंग में पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार की स्थिति में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो आया है उसका समर्थन करने में असमर्थ हूं। इस अभिभाषण में न तो नीति संबंधी कोई घोषणा है न कोई निर्देशन ही है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान में हमारे जिले के अन्दर बैंक है उस बैंक में करोड़ों रुपया जमा है। कांग्रेस सरकार के माध्यम से काफी प्रचार किया जाता है कि सरकार बैंकों से किसानों को ऋण दे रही है। उसकी स्थिति में आपको बता रहा हूं। अभी लोक सभा में इस संबंध में एक प्रश्न पूछा गया, उसके उत्तर में जो जवाब आया उसमें ऋण वितरण की देहाती क्षेत्र में इस प्रकार की स्थिति सामने आई है अध्यक्ष महोदय, आज कांग्रेस (आई) की सरकार बड़ी चतुराई से ग्रामीण किसानों को धोखा दे रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीकर, जैसलमेर, चूरू, बाड़मेर झुन्झुनू जिलों में बैंकों के स्रोतों से कितना कितना रुपया वितरित किया गया और कितना उन बैंकों में पैसा जमा था। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार किसानों की बहुत ही खैरख्वाह बनती है पर केवल भाषण देने में। अध्यक्ष महोदय, सीकर के अन्दर बैंक है उसमें जमा राशि तो है 16 करोड़ 41 लाख रुपया। उसके अगेंस्ट उन्होंने देहातों में न केवल किसानों को ही बल्कि पशुपालन, उद्योग धन्धे तथा कृषि वगैरह के लिए 8 करोड़ 69 लाख रुपये का ऋण वितरित किया है। इसी प्रकार चूरू जिले में 18 करोड़ 5 लाख रुपये बैंक में जमा थे. किसानों को उसमें से 5 करोड़ 70 लाख रुपये छोटे उद्योगों के लिए और सभी प्रकार के ऋण मिला कर वितरित किये गए। इसी प्रकार जैसलमेर राजस्थान का बहुत ही सूखाग्रस्त इलाका है इसके बारे में कई तरह की घोषणायें करते हैं कि हम जैसलमेर को पर्यटक स्थान बनाना चाहते हैं और उसका विकास कर रहे हैं, जैसलमेर को पर्यटन स्थान बना देने से लोगों को खास तौर से किसानों को तो कोई लाभ मिलने वाला नहीं। उनको कितना रुपया दिया गया वह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। वहां पर बैंक में 2 करोड़ 32 लाख रुपये की पूंजी तो जमा थी उसमें जो पूंजी जमा थी वह चाहे एफ. डी. की हो चाहे स्थानीय नागरिक के पैसे जमा हो उसमें से सिर्फ 31 लाख रुपये ही कर्ज के दिए गए हैं। मैंने जो यह आंकड़े

(श्री लच्छूराम)
दिए हैं वह आपको फरवरी, 81 तक के दिए हैं, इस वर्ष के हैं और इस वर्ष में नागौर के बैंक में 16 करोड़ 47 लाख रुपया जमा था उसमें से केवल 8 करोड़ रुपया एडवान्स किया गया है। यह है आपकी किसानों की कल्याणकारी सरकार।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री लच्छूराम : अध्यक्ष महोदय, अभी एक दो मिनट में ही मैं समाप्त करता हूँ। यह जो कांग्रेस सरकार अपने आप को किसानों का रहनुमा होने का दम भरती है उसके लिए मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह कांग्रेस सरकार किसान विरोधी है। इसका कारण यह है कि बैंकों में जो बाकी पैसा बचा हुआ है वह किसानों के काम न आकर हमारे यहां के बड़े-बड़े धन्ना सेठों के काम आता है जो कि दिल्ली और बम्बई में बड़े-बड़े फाइव स्टार होटल्स में मौज उड़ाते हैं। बेचारे किसानों को और मजदूरों को यह कांग्रेस सरकार बेवकूफ बनाती है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से, सदन से और राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम यह चाहते हैं कि गांवों का पैसा गांवों में ही लगाया जाय, गांवों के विकास के लिए लगाया जाय। हमें बाहर के विकास की आवश्यकता नहीं है। हमारा धन हमारे गांवों में ही खर्च किया जाय। जैसलमेर जिले का पैसा जैसलमेर में, सीकर जिले का पैसा सीकर जिले में, चूरू जिले का पैसा चूरू जिले में और झुंझुनू जिले का पैसा झुंझुनू जिले में ही किसानों को दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं यह कह कर ही अपना भाषण समाप्त करता हूँ कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में न तो कोई नीति है न कोई निर्देशन है, न इस भाषण में छठी पंचवर्षीय योजना में क्या होगा उसका किसी प्रकार का संकेत है। इसलिये ऐसे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव सदन में आया है उसका मैं समर्थन करने में असमर्थ हूं।

व्यवस्था

धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन का परिचालन

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि सर्व श्री राज बहादुर, नाथूसिंह व एक और माननीय सदस्य ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, जो सदन में आया, पर संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। वैसे तो नियमानुसार जब धन्यवाद प्रस्ताव सदन में आता है और उस पर जब वाद-विवाद शुरू हो जाता है उसके 24 घण्टे के भीतर ही कोई संशोधन प्रस्ताव हो तो आ जाना चाहिये, यह प्रस्ताव दिनांक 23 फरवरी को प्रस्तुत किया गया था अतः मैंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन आज पुनः माननीय सदस्यों ने मुझे यह सूचित किया कि उनको मूल प्रस्ताव की सूचना 22-2-81 की शाम को मिली। इस कारण वह 24 घण्टे के भीतर अपना संशोधन प्रस्ताव इस पर नहीं दे सके इसलिए देरी हुई। चूंकि उनके पास मूल प्रस्ताव ही देर से पहुंचा ऐसी परिस्थितियों में उनके प्रस्ताव पर विचार किया जाना चाहिये। इसलिए मैंने पहले जो उनका संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था अब वह स्वीकार करते

(श्री अध्यक्ष)

हुए तीनों ही माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब वह तीनों माननीय सदस्य वाद–विवाद में भाग लें तब अपने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए वाद-विवाद में हिस्सा ले सकते हैं। मैं उसके लिए उनको अनुमति देता हूं।

श्री राजबहादुर।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं बहुत आभारी हूं कि जो संकल्प इस सदन के समक्ष है उस पर संशोधन मैंने प्रस्तुत किया था उसको आपने अन्ततोगत्वा स्वीकार किया। मैंने किसी वाद विवाद के खातिर नहीं, केवल विरोध के खातिर नहीं बल्कि जो बातें महसूस कीं वह उस संशोधन के द्वारा रखने की,

(2.30 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत, सभापति, पदासीन),

चेष्टा की और मेरा धर्म यह है कि पहले मैं उसी को पढ़कर सुना दूं जिससे कि मैं सारी स्थिति को ठीक संदर्भ में रख सकूं। मेरा जो संशोधन है वह इस प्रकार है कि मूल प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिया जाय। कोटेशन के अन्दर है :

"किन्तु इस बात पर यह सदन अपना क्षोभ प्रकट करता है कि राज्य सरकार ने राज्य के लिए छठी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करने में किसी समय या किसी स्टेज पर अब तक इस सदन में न तो कोई चर्चा की और न उस पर कोई विवाद अथवा विचार अथवा मत प्रकट करने का कोई मौका दिया, न उसकी आवश्यकता ही समझी अतः यह सदन अनुरोध करता है कि राज्य की उक्त पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने के पूर्व इस सदन में उस पर वाद-विवाद करने का एवं अपने विचार प्रकट करने का अवसर अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाय"

यह मेरा संशोधन है और वह इसलिए है कि मैं मुक्त शब्दों में कह दूं कि आज की स्थिति है उसमें अभिभाषण का अवमूल्यन करें, उसका विश्लेषण करें तो निश्चित रूप से हम देखेंगे कि पिछला जो अभिभाषण था जो जुलाई-अगस्त, 1980 में दिया गया वह तो एक प्रारम्भिक था उसमें मोटी मोटी नीतियां नयी सरकार की सामने आती थीं, लेकिन तब से लेकर अब तक काफी समय मिल चुका है नयी सरकार को कि हमारा सन्दर्भ क्या है, आज की स्थिति क्या है। उस स्थिति का जायजा क्या है, विश्लेषण क्या है और उसके सन्दर्भ में राजस्थान के समग्र विकास के लिए एक लंबी दृष्टि से हमें क्या करना है और सिक्स्थ प्लान उसका मौका है। यह बार–बार नहीं आता, 5 साल में एक बार आता है। मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं कि आज तक कभी भी सदन में पांचवीं पंचवर्षीय योजना या छठी पंचवर्षीय योजना यहां कभी चर्चित ही नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो इसका मतलब यह नहीं कि हम यह मान लें कि राजस्थान की 2½ करोड़ जनता, उसके प्रतिनिधि बिलकुल किसी प्रकार से इस प्लान के इवेलुवेशन में, प्लान के फ्रेम के इवेलुवेशन में इनवाल्व ही नहीं हैं। फिर छठी पंचवर्षीय

(श्री राजबहादुर)

योजना होगी या कोई भी योजना होगी वह जनता की योजना नहीं होगी, जन प्रतिनिधियों की योजना नहीं होगी। गिने चुने व्यक्तियों की योजना होगी और वह पांच साल के लिए हमारे भाग्य का निर्णय कर देंगे। इसलिए निश्चित रूप से मैं यह मानता हूं कि आपके द्वारा राज्य सरकार इस बात को ठीक समझे चाहे कितना ही विलम्ब क्यों न हो गया हो लेकिन अभी तक पार्लियामेन्ट ने अपनी मुहर नहीं लगाई है, अपना अप्रूवल नहीं दिया है और कभी भी पार्लियामेन्ट टेक्निकली, कान्स्टीट्यूशनली इसको कह सकते हैं कि इसमें संशोधन किया जायगा और हो भी सकता है, विचार भी हो सकता है।

हमें देखनी है वह बात जो हमारे माननीय राज्यपाल महोदय श्री रघुकुल जी तिलक ने अपने भाषण के पृष्ठ संख्या 4 पर कही है, "राजस्थान की मूलभूत समस्या इसका विशाल रेगिस्तान और बारम्बार पड़ने वाले अकाल हैं।" इस बात को देखते हुए यही बात जो एक पेपर सर्कुलेट हुआ था, मैं बहुत थोड़ा समय लूंगा क्योंकि बहुत बातें कहनी हैं लेकिन मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उसमें क्या क्या चीजें मांगी गयी हैं। उसमें मांगी गयी थी ड्राफ्ट फ्रेम प्लान का नोट था प्लानिंग मिनिस्टर श्री एन. डी. तिवारी का उसमें राज्य सरकार से कहा गया था कि विशेष रूप से उल्लेख करो कि आपके राज्य में क्या स्थिति है और क्या क्या आपको चीजें चाहिए। उसकी चर्चा ड्राफ्ट बनाने से पहले हो गयी होती तो उस सन्दर्भ में हम कह सकते थे कि यह बारबार पड़ने वाला अकाल यह केवल हमारी ही समस्या नहीं है। यह राज्य की समस्या है। राजस्थान का रेगिस्तान और इसके डेजर्ट रिक्लेमेशन की समस्या है। यह राजस्थान की समस्या नहीं सारे राष्ट्र की समस्या है।

मैंने यह भी आपको विनती की थी जब पिछली बार चर्चा हुई थी उस अभिभाषण पर यह बात मैंने ही नहीं आपके ही एक माननीय सदस्य, जो भोपालगढ़ के हैं श्री परसराम जी मदेरणा, ने उस समय राजस्थान की लिफ्ट इरिगेशन की बात कही। उस समय मैंने कहा था कि राजस्थान के अन्दर जितना जल स्रोत है वह बहुत ही सीमित है और हमें उनको जोड़ना है। इसके लिए आपको पंजाब को देखना पड़ेगा या उत्तर प्रदेश को देखना पड़ेगा या आपको मध्य प्रदेश को देखना पड़ेगा। लेकिन खेद की बात यह है कि इस अभिभाषण में कोई संकेत नहीं है इसका। मैंने सोचा कि शायद पहली बार जब राज्यपाल महोदय इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी मुख्य समस्या और मूलभूत समस्या राजस्थान का रेगिस्तान है तो निश्चित बात है कि जब तक डेजर्ट रिक्लेमेशन नहीं होता जब तक हमें पानी कहीं से नहीं मिल सकता तब तक यह काम नहीं हो सकता। उस समय तक बारबार अकाल पड़ेंगे और सूखे का मुकाबला करना पड़ेगा। दो ही चीजें हैं जो कि इस समस्या से हमको उभार सकती हैं एक तो पानी है और दूसरी पावर है।

जहां तक पानी का सम्बन्ध है मैं बहुत थोड़े से शब्दों में कह दूं कि पानी के लिए क्या प्रयास हुआ। मैं तो सारे इस अभिभाषण को पढ़ गया उसमें राजस्थान कैनाल का जिक्र है उसके अन्दर भी जहां पक्की कैनाल बनानी थी 180 किलो मीटर की

(श्री राजबहादुर)

उसमें भी इस वर्ष 59 किलोमीटर बनेगी और अगले वर्ष बनायेंगे 50 किलोमीटर। इसके बाद में माही का उल्लेख है लेकिन उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है इसका कोई उल्लेख नहीं है। मैं तो एक यह जानना चाहता हूं कि हम लोगों को जो कडाना डेम से पानी मिलना था गुजरात से वह पानी दिया है क्या उन्होंने हमको ? उसकी कोई चर्चा है इसमें कि गुजरात पानी दे देगा कडाना डेम से हमें और श्री परसराम जी मदेरणा ने जिसका जिक्र किया था क्या लिफ्ट इरिगेशन के लिए कुछ सोचा गया है ? गंगा यमुना के लिए 1975 में 2.5 मिलियन हैक्टेअर मीटर यानी 25 लाख हैक्टेअर मीटर की मांग की गयी लेकिन आज तक उस पर कोई चर्चा हुई है ? इस बीच में क्या हो रहा है। हरियाणा, यू. पी. और पंजाब आज भी अपने यहां नहरों का जाल बिछा रहे हैं। आपके पड़ोस वाले झुंझुनू वाले जानते हैं और ललचाई आंखों से देखते हैं कि पास में ही नहर आ गयी और नहर वहां बहती है, सिंचाई होती है और हम ललचाई आंखों से देखते हैं। वह पानी को रावी और व्यास को ओखला ले जा रहे हैं और गुड़गांव ले जा रहे हैं। गंगा यमुना में हमारा कोई हिस्सा अभी तक तय नहीं हुआ है वह सारा जाल बिछाते जा रहे हैं वह रावी और व्यास के पानी पर अपना कब्जा कर रहे हैं। इसका मतलब यह होगा कि वर्तमान सरकार या आगे आने वाली सरकार, चाहे वह कोई भी हो, सोचने की कोशिश करेगी तब तक आप "टू लेट" हो गये होंगे।

You will be cheated of your rights. You will be deprived of your rights.

आपका कोई अधिकार मानेगा ही नहीं क्योंकि वह लोग कहेंगे कि हमने इतना खर्च कर दिया। इसका भी उपाय हो सकता है। एक तो यह हो सकता है कि जिस प्रकार से वह नहरों का जाल बिछा रहे हैं हम भी बिछायें। हम फिर से मांग करें–जो इन्जीनियर्स ने हमको दृष्टि दी थी मैं फिर जिक्र करना चाहता हूं कि अगर आप रेगिस्तान को जीतना चाहते हैं तो, आपका गंगा का पानी जुलाई से अगस्त तक और सितम्बर तक समुद्र में बह जाता है 178 मिलियन हैक्टेअर मीटर में से हमारा देश कुल 131 मिलियन हैक्टेअर मीटर खर्च कर पाता है और बाकी सब समुद्र में जाता है। मैं किसी राज्य का पानी नहीं मांग रहा हूं। बिहार या बंगाल का पानी नहीं मांग रहा हूं मैं तो यह कह रहा हूं कि पानी जो कि समुद्र में बह जाता है, की क्यों नहीं आपकी लूणी की नदी है उसके लिए मांग करते ? मांग आज करेंगे तो पांच सात वर्षों में जाकर योजना पूरी हो सकती है लेकिन इसके अलावा दूसरा उपाय ही नहीं है। अगर आप तमाम झुंझुनू, चूरू, नागौर, बाड़मेर और जोधपुर के इलाके को सरसब्ज करना चाहते हैं, हरा भरा करना चाहते हैं तो दूसरा उपाय नहीं है।

दूसरा उपाय बिजली का हो सकता था। उसके लिए आपने क्या किया ? बहुत आशायें थीं। अभी हमारे मित्र श्री लच्छू रामजी ने जिक्र किया कि मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था यहां कि मैं फौलाद की तरह और चट्टान की तरह खड़ा रहूंगा। वह चट्टान की तरह खड़े रहें, फौलाद की तरह

(श्री राजबहादुर)

सख्त रहें लेकिन अपने स्थान पर रहें। जिस वक्त चर्चा हो रही थी नाथपा झाखड़ी की, नेशनल हाइडल कारपोरेशन चर्चा कर रहा था, प्रेस करना चाहिये था मेरा अधिकार है। आज कोई उपाय नहीं सिवाय इसके कि प्रधान मंत्री के पास जायं और हाथ पकड़ लें . . .

एक माननीय सदस्य : वे हटा देंगी।

श्री राजबहादुर : हम अपने लिये नहीं आये। अगर हमारा दावा है कि हम जनता की सेवा के लिये हैं, हटा देंगी तो हटा देंगी। हटने वालों में हम भी थे। हमने वह रास्ता नहीं अपनाया न अपनाने की संभावना है। यह बहुत ही गम्भीरता की बात है। प्रधान मंत्री को ही मजबूर करें 1020 मेगावाट कितनी होती है? उसका 37 पर्सेंट हरियाणा को मिल रहा है। 27 पर्सेन्ट . . .

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं जब से अधिवेशन शुरू हुआ है चीफ मिनिस्टर साहब नहीं हैं। ऐसे इम्पार्टेन्ट इश्यूज हैं चीफ मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित करने के लिये माननीय सदस्य बोलते हैं। यहां पर उलटी व्यवस्था है। चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठने में अपमान समझते हैं। मैंने बरसों तक देखा है पार्टीज के लीडर्स की स्पीच होती है उस वक्त चीफ मिनिस्टर सदन में उपस्थित रहता है . . .

एक माननीय सदस्य : आपके बारे में यही कहा जाता था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो रहता था। कहीं पता लगाइये, चीफ मिनिस्टर साहब कहां हैं?

श्री अध्यक्ष : यह बात उचित है, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जब वाद-विवाद हो, अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा समय और सब के सब मंत्रियों को उपस्थित रहना चाहिये लेकिन हमारे नियमों में ऐसा प्रावधान है कि न्यूनतम एक मंत्री रहना चाहिये, न्यूनतम वाली तो पूर्ति हो जाती है। सरकारी पक्ष से मेरा अनुरोध है कि अधिक से अधिक मंत्री और मुख्य मंत्री जी भी अधिक से अधिक समय सदन में रहें।

एक माननीय सदस्य : कीनिया के राष्ट्रपति आये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वहां भी लेट पहुंचे हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह : आपको पता है कि कहां गये हैं?

श्री राजबहादुर : मैं आभारी हूं विरोधी दल के नेता का कि उन्होंने यह प्रश्न उठाया। उनकी शिकायत यह रहती है कि जब वे बोलते हैं तो हम नहीं रहते हैं। जो पाइंट्स आये हैं कम से कम उनको नोट कर लें। मैं अपने लिये नहीं बोल रहा हूं, राजस्थान की दशा सुधारनी है तो निश्चित रूप से करना पड़ेगा। मैं कह रहा था बिजली का 37 पर्सेंट हरियाणा ले रहा है, 27 प्रतिशत ले रहा है हिमाचल बाकी 36 पर्सेंट नेशनल हाइडल कारपोरेशन बेचेगा। उसमें 20 तो दे दिया यू. पी. को। 16 को खरीदना है तो दाम देकर ले लीजिये। इससे भयंकर चीज क्या है? उन नदियों पर, जिन नदियों पर हमारा हक है, जितने और हाइडल

(श्री राजबहादुर)

बनेंगे, हिमाचल की रेंज में जितने भी बन जायेंगे उनमें से भी हमारा अधिकार छीना जा रहा है Our case is foregone against us.

मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जिस वक्त कडाना डेम की बातचीत चल रही थी हमारे मुख्य मंत्रीजी गुजरात के मुख्य मंत्री से मिले वहां उनकी बात नहीं हो सकी। केवल नाथपा झाखड़ी का जिक्र किया। परिणाम क्या हुए इस बारे में नहीं बताया। निश्चित बात है, मीटिंग हुई। बावजूद राजस्थान का हिस्सा था। ऐसी बातें रेसपांस की बातें होती हैं। याद आता है ओखला के बारे में फैसला हो रहा था नवीनीकरण करना है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को बुलाया राजस्थान को नहीं बुलाया। बरकत साहब को मैंने पत्र लिखा, उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने तुरन्त ध्यान दिया। विरोधी दल के जो नेता हैं, उनके अपने काल में गंगा यमुना के लिये याद दिलायी थी। उन्होंने जवाब दिया। आप इतना तो करें। हमारे लिये नहीं। राजबहादुर ने, भैरोंसिहजी ने, जनता पार्टी ने कह दिया, इसलिये नहीं करेंगे। राजस्थान का सत्यानाश मत करो। बिजली पानी का सत्यानाश हो रहा है। मैं आप से विनती करूंगा आप इसको देख लें। इसके अलावा जहां तक बिजली की समस्या का सम्बन्ध है थोड़े से सुझाव देना चाहता हूं क्या हो सकता है? खुद गवर्नर साहब ने कहा है कि जलाशयों की कमी होने के कारण हमारा बिजली का उत्पादन बहुत कम हुआ है। लेकिन स्थिति यह है, मैंने आंकड़े इकट्ठे किये हैं। 1980–81 में टोटल जनरेशन 1158 मेगावाट अनुमानित है। हुई कितनी? पता नहीं। उसके अगेंस्ट जरूरत हमारी 1140, शायद कुछ ज्यादा है। 1981-82 में 1158 मेगावाट उत्पादन रहेगा। डिमाण्ड बढ़ जायगी 1420 मेगावाट। 1982-83 में उत्पादन होगा 1268 मेगावाट और डिमाण्ड होगी 1664 मेगावाट। घाटा कितना होगा। घाटे की कई प्रतिशत हैं। 22 प्रतिशत से 61 प्रतिशत तक घाटा होगा क्योंकि हमने योजना बना दी 16 हजार कुओं की बजाय 20 हजार कुएं एनरजाइज होंगे।

1200 की बजाय 1800 गांवों का विद्युतीकरण होगा हमने उद्योगों के लिए लाइसेंस दे दिये हैं 26 टैक्सटाइल मिलों को। हम खादी ग्रामोद्योग की बात करते हैं। उधर पूंजीपतियों को 26 टैक्सटाइल मिलों के लिये लाइसेंस देने के लिये तैयार हैं। आवश्यकता होगी जहां तक अनुमान है 700 मेगावाट अगले दो तीन वर्षों में उसके अगेंस्ट आज ही स्टेटमेंट निकला है श्री विक्रम महाजन का जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, राष्ट्रदूत में अगर ठीक है अगर उन्होंने कहा है राजस्थान में बिजली का सुधार लाने के लिये 1980 से 85 तक राज्य में 46.2 मेगावाट, मेरे खयाल से यह आंकड़े गलत हैं। यह 46.2 है कितनी सी? ऊंट के मूंह में जीरे का सवाल है। जहां लोग हजारों मेगावाट की बात करते हैं विक्रम महाजन ने कमिट किया है लो लेवल होने के कारण जलाशयों में उत्पादन गिरा है। एक बात और निवेदन करूं एक जमाने में हम आत्मनिर्भर थे कुछ सरप्लस थे आज हम डेफिसिट में हैं जितने भी उत्पादन केन्द्र हैं वे सब के सब राजस्थान से बाहर हैं एक दो को छोड़कर। जो यहां हैं, कोटा थर्मल में मशीन आ गई हैं रेलवे वैगन आ गये हैं

(श्री राजबहादुर)

फण्ड्स नहीं हैं इसलिये छुड़ाया नहीं जा रहा है। 82 मार्च में कमीशन होना चाहिये उसकी मशीनें छुड़ाई नहीं जा रही हैं। डिलेज हो रही हैं डिलीवरी लेने में। उसके अलावा पलाना में जहां तक हमारी सूचना है छठी पंचवर्षीय योजना में कोई किसी प्रकार का प्रावधान नहीं रखा गया है। जो घोषणा की 125 मेगावाट पिछले अभिभाषण में, जहां तक मुझे याद है, मुमकिन है मेरी फिगर्स गलत हों याददाश्त का सहारा ले रहा हूं। जहां तक माही का सवाल है दिसम्बर, 83 में चालू होगा। छोटी सी योजना है। 6.4 मेगावाट इस इलाके के लिये हो सकती है...

एक माननीय सदस्य : बजट में सिंचाई की योजनाओं के लिये 52 प्रतिशत का प्रावधान है।

श्री राजबहादुर : 52 पर्सेंट होता कितना है। 2025 में 5 साल में कितना हुआ 200 करोड़ पर एनम। कभी सोचा आपने। कभी सलाह मशविरा किया। कभी चर्चा की ?...

जो केबिनेट थी उसमें केवल चार केबिनेट स्तर के मंत्री थे। एक स्वयं, कमलाजी, बद्री प्रसाद गुप्ता जी और प्रभाकर जी। जब भी दूसरे मिनिस्टर आये इनसे भी नहीं पूछा गया और तो और हमारे चीफ व्हिप से भी नहीं पूछा गया कि छठी पंचवर्षीय योजना बना रहे हैं, इसमें आपको क्या कहना है। इसको मैं फाल्ट फाइन्डिंग की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि इसको मखौल मत समझिये। एक अवसर था जो हमने खो दिया। इस बात की ओर ध्यान दें कि कर्ण ने क्या कहा था कुन्ती से कि मैं सब को पहचानता हूँ लेकिन एक आदमी का मूल्यांकन नहीं कर सकता, कृष्ण के लिए कहा कि वह आदमी ऐसा है जो अतीत को ऐसे भुला देता है, जैसे देखा ही नहीं हो। वर्तमान को खिसकने नहीं देता और भविष्य पर ऐसी निगाह रखता है जैसे कि उड़ती हुई चिड़िया वायु वेग और दिशा पर निगाह रखती है, इसलिए जो अतीत गया उसको जाने दो। लेकिन वर्तमान को खिसकने मत दो आप से और भविष्य को पहचानो।

मैं थोड़े शब्दों में कहूंगा यह मानें या न मानें। मेरा फर्ज तो था इन्होंने राज्यपाल से कहलाकर कि मूलभूत समस्या विशाल रेगिस्तान में बारम्बार पड़ने वाले अकाल हैं। रेमेडी क्या दी है, रेसपोन्स क्या दिया है, आप स्वयं पढ़ लें, 5 और 6 पेज पर है। मैं सब की चर्चा नहीं करूंगा, समय बहुत जायगा। संक्षिप्त में कहूँगा।

मरु विकास कार्यक्रम को 77–78 में लागू किया गया था। उसका क्रेडिट तुम नहीं ले सकते, ये गवर्नमेन्ट नहीं ले सकती और उसके अलावा बेरोजगारी दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, वन विकास और भू-जल विकास, डेयरी विकास, पशु स्वास्थ्य और ग्रामीण विद्युतीकरण। ये अपने में ठीक हैं, उचित हैं, मैं इन्कार नहीं करता लेकिन जो मौलिक समस्या है, राजस्थान को हरा भरा बनाने की है, इससे वह पूरी होती है क्या? क्या जो मौलिक समस्या है जो बार-बार अकाल नहीं पड़े, उनसे मुक्ति मिलती है क्या? उनसे मुक्ति

(84)

(श्री राजबहादुर)

नहीं मिलती। दूसरा यह है कि मरु भूमि विकास के लिए, यह सोचने लायक है, मरु भूमि के सुधार के लिए एक विस्तृत योजना बनायी गई है, इस सरकार द्वारा, जिसके आधार पर भारत सरकार व योजना आयोग को निवेदन किया जायगा कि वह अन्तर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करें। भारत सरकार से और आयोग से निवेदन किया जायगा, किया नहीं गया है, किया जायगा और वह क्या करें कि वे अन्तर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करें, इसे राष्ट्रीय योजना के रूप में प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित करें यानी किसी का ऊंट खो गया, उसमें मैं नहीं कहता···

(व्यवधान)

उसका पता नहीं लगा तो उसने कहा कि मेंगनी मेरे पास है और न मैं आदमी का नाम ही जानता हूं उससे जाते हुए पूछ लेना, कह देना कि जिनके हम नौकर हैं वह भाग गया, जो ये करते थे, वही हाल है कि हमने योजना बनायी है, उसको राष्ट्रीय योजना का रूप देंगे और योजना के बाद अन्तर्राष्ट्रीय हो जायगी परन्तु उसको राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय रूप में क्रियान्वित करे कौन? केन्द्रीय सरकार।

तीसरा है कन्सोलिडेटिड यूनीफाइड, ग्राम विकास का है, उसमें कहा है कि 7 लाख परिवारों की गरीबी दूर हो जायगी, हमारे यहां कम से कम ·5 लाख, 60 लाख के करीब परिवार हैं, अगर 7 लाख हो भी जायं कोई कर भी दे इस पंचवर्षीय योजना में तो जाहिर है कि आपको 8 पंचवर्षीय योजना चाहिये। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप कितना ही वर्किंग करें, कितना ही आगू करें लेकिन 35–40 वर्ष आपकी गरीबी दूर करने की वेटिंग करने वाले नहीं हैं। एक बड़ा क्रान्तिकारी रिवोल्यूशन होगा। चाहे किसी भी रूप में आये, ऐसी क्रान्ति होगी कि जिसमें ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हो जायगा। क्योंकि लोग गरीबी बर्दाश्त नहीं करेंगे, लोग भुखमरी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिये यह आवश्यकता है, मैं थोड़ी-थोड़ी बातें, जैसा मैंने कहा लॉ एण्ड आर्डर के बारे में कहना चाहता हूं, मैं नहीं कहता इस बारे में लेकिन राज्यपाल जी ने कहा, कि बड़ा संतोष का लफ्ज है. बड़ा संतोष है, छोटा मोटा भी नहीं, बड़े संतोष का विषय है कि कानून और व्यवस्था में सुधार हो गया है लेकिन इस बीच में मेरे क्षेत्र में, मेरे जिले में जो वारदातें गुजरी हैं, उनका थोड़ा मैं ब्यौरा देना चाहता हूं। इनकी शिकायत है, नाथूसिंह जी की, कि जो सारे डाकू मारे जाते हैं, भरतपुर में मारे जाते हैं लेकिन मैं क्या बताऊं आपको कि मेरे यहां से जो चर्चा आयी है, उसके आधार पर कहना चाहता हूं. विक्रम में डाका पड़ा···

(व्यवधान)

देखिये खराब एरिया नहीं है, यह वह एरिया है जहां मेरा बचपन गुजरा है, मेरी जवानी गुजरी है और मेरा अधेड़पन गुजरा है और मैंने देखा है कि कभी इतनी डकैती चोरी नहीं पड़ती थी। आप विश्वास रखिये कि मैं कोई गलत बात नहीं कहूंगा लेकिन वस्तुस्थिति सुनिये विक्रम में डाका पड़ा, एक गडरिया मारा गया। उसके छर्रे लगे, 75 छर्रे आये, विक्रम के अलावा करोड़ा में डाका पड़ा 12·13 फरवरी को, एक डाका पड़ा खेकड़ा में जो खुद इनकी कान्स्टीट्यूएन्सी है, पार्लियामेंट की। इसके अतिरिक्त बेरी गांव में पड़ा। बेरी

(श्री राजबहादुर)

में दो आदमी मरे । इसके अलावा और तहसीलों की बात कर लेंगे । मैं तहसील नगर की बात बताता हूं, दो लाख रुपये का 12–13 जनवरी को गंनवात में डाका पड़ा 29 जनवरी को उसका 2 लाख का माल गया और दो आदमी जख्मी हुए। पीपलखेड़ा में पड़ा 7 फरवरी को, गुलफडे में पड़ा यह जनवरी एण्ड की बात है। इसमें भी 70 हजार का माल गया, गोपालगढ़ में 8 डाके पड़े, अब मैं इनके नाम भी बताता हूं किन-किन के यहां पड़े ? लेकिन 17 जनवरी को बालगा में डाका पड़ा और दो घण्टे तक गोलियां चलीं उसमें एक लाख रुपये का माल मारकर ले गये। सरथला में पड़ा 21 फरवरी को। किराना में इसके वाद पड़ा 19–2–81 को । इस प्रकार मैं कहना चाहता हूं और जाने दीजिये।

हमारी बस, डीलक्स बस में मैं तो जाता हूं सौभाग्य था मैं उसमें नहीं था, बहरोड़ से निकली और शाहजहांपुर से पहले उसके एक-एक कर्मचारी का एक एक यात्री का माल उतार दिया गया किसी को चोट फेट नहीं आई। यह भला हुआ कि किसी ने गोली नहीं चलायी। तो मैं कहना चाहता हूं ऐसी वात आनी चाहिये सरकार की ओर से और राज्यपाल से ऐसी बात कहलानी चाहिये, आप जो चाहें कह दें, राज्यपाल हम सबका है, मैंने पहले भी कहा था, उनसे ऐसी बात कहलायें कि जिससे हमको इतनी आलोचना न करनी पड़े। यह न कहना पड़े । हमें झूठ का शब्द इस्तेमाल न करना पड़े कि तुमने गलत कहा। आवश्यकता तो इस वात की है, आपने पेयजल के बारे में वहुत कहा कि पेयजल की समस्या, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आने वाली है बहुत बड़े शहर जोधपुर के बारे में। जोधपुर में आज जो पानी आता है वह जवाई से आता है और एक योजना बनाई गई है, जवाई हेमावास योजना, उस पर 35 करोड़ रुपये की लागत आयेगी । सुझाव यह था जन प्रतिनिधियों का कि जोधपुर को पानी देने के लिए राजस्थान कैनाल से नासा से पानी पहुंचाया जायगा। एक वर्ष में नासा कैनाल बनावें एक नहीं और कई जगह जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर तक आयेगी और 44 करोड़ रुपया खर्च होगा। आप क्या कर रहे हैं 90–91 में, अगली बार जोधपुर में खड़ा हो जाऊंगा।

(व्यवधान)

देखिये चुनाव की बात मत करिये, आज हमारी याचिका पड़ी हुई है। वर्ना मैं उसके बारे में बात करता लेकिन मैं जान बूझकर खामोश हूं, है कुछ ऐसी ही बात कि मैं चुप हूं, वर्ना क्या बात करनी नही आती ? मैं कहता उसके बारे में। आज चुनाव का मखौल था, वह एक डेमोक्रेसी की हत्या थी, मैं ज्यादा नहीं कहता । आप उसके बारे में कहिये ।

लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि 1991 में उसके बाद जवाई से भी पानी नहीं आयेगा। इसलिए कि राजस्थान कैनाल पर 87–88 में काम शुरू कर देंगे और पूरा करना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके सामने सुझाव रखना चाहता हूं। आप सुनिये ....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज ।

श्री राजबहादुर : जितनी बातें मुझे कहनी हैं वे कहूंगा।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : कम से कम, आप तो मत बोलो, राजनीति में आपको ये लाये हैं।

श्री चेतराम मीणा : अगर स्पष्टीकरण चाहें तो क्या आपत्ति है ?

श्री राजबहादुर : मैंने कौन सी झूठी बात कही है। कौनसा झूठ बोला है। अगर झूठ हो तो यहां माफी मांग लूंगा। यहीं, इसी जगह पर, इसी क्षण··

श्री चेतराम मीणा : यह नहीं कहा है।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : भरतपुर के बारे में इसलिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं, इन्तजार कर रहा हूं कि क्या हो रहा है भरतपुर में और आगे क्या होगा। भरतपुर के बारे में आज प्रश्न रखा था हरिसिंहजी ने। हरिसिंहजी ने प्रश्न रखा था····

(व्यवधान)

श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर) : अस्पताल कितने खुले हैं ?

(व्यवधान)

हम तो यह कहते हैं कि अस्पताल भरतपुर में कितने खुले हैं यह तो बता दें। डाकों की बात तो कर दी आपने लेकिन आपके क्षेत्र में सड़कें कितनी बनीं वह तो बता दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : प्रकाशजी, कोआपरेटिव के प्लाटों पर कब्जा करने वाली बात को भूल गए क्या ? माथुर साहब ने बाहर निकाल दिया था।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज !

श्री राजबहादुर : मुझे एक शेर याद आ गया, वह अर्ज कर देता हूं। अब्दुल रहमान साहब सुनिये।

"यह है शहरे हविश पहचानना मुश्किल है लोगों को,
यहां चहरे भी बिकते हैं नकाबों की दुकानों में",

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह चौधरी साहब से ही क्यों कहा आपने ?

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : दुबारा कहिये।····एक बार और कहिये।

श्री राजबहादुर : अगर आज्ञा हो तो जरूर कह दूंगा।

'यह है शहरे हविश पहचानना मुश्किल है लोगों को,
यहां चेहरे भी बिकते हैं दुकान में नकाबों के'

(व्यवधान)

श्री छोगाराम बकोलिया : विरोधी पक्ष के माननीय नेता ने जो शब्द काम में लिये हैं कि चेहरे भी बिकते हैं, इनको कार्यवाही से डिलीट किया जावे, यह शब्द उचित नहीं हैं क्योंकि यह मंत्री महोदय के लिए काम में लिया गया है। चेहरे भी बिकते हैं ये शब्द उचित नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : यह टोपी आप पर कैसे फिट हो गई। मैंने किसी का नाम नहीं लिया।

(व्यवधान)

श्री भैरूसिंह गुर्जर : यह कव्वालों की महफिल है या सदन है ? विधान सभा की कुछ मान मर्यादायें हैं। यहां पर कव्वालियां और शेरो शायरी सुना रहे हैं और once more once more के नारे लगाए जा रहे हैं।...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण कीजिए... स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री राजबहादुर: अकाल राहत की बहुत चर्चा हुई। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन दो तीन बातें और हैं जिनको मैं कहना चाहूंगा। और वह दो तीन बातें यह हैं कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसका मूल्यांकन हो जाना चाहिए। आर्थिक स्थिति के बारे में कल ही दिल्ली में इकानोमिक रिव्यू रखा गया है संसद में। उसकी मोटी-मोटी बातें सरकार ने पढ़ली होंगी या पढ़ेंगे। उनकी मोटी-मोटी बातें मैं रखना चाहूंगा जिसके संदर्भ में आपको अपने बजट को देखना है। इसी संदर्भ में देश के राहत के कामों को, अकाल के कार्यों को करना है। उसमें साफ चेतावनी दे दी गई है इकानामिक रिव्यू में :

"Current price pressures are likely to continue for the year. The rest raints on wage and income increases will not succeed"

भावों के रुकने की कोई गुंजाइश नहीं है। आने वाले समय में भी वही रहेंगे। "The survey stresses that the budgetary deficit and sheer deterioration in balance of payment position will continue"

बैलेंस आफ पेमेंट पोजिशन में चार हजार करोड़ का घाटा बताया गया है और deficit will be more than doubled and it will grow further. इसके बाद उन्होंने कहा है कि छठी पंचवर्षीय योजना में 5.2 पर्सेन्ट का टार्गेट रखा गया है वह इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने स्टेट और सैंटर के रिसोर्सेज मोबीलाइज हो सकेंगे। स्टेट रिसोर्सेज का जहां तक सवाल है, स्टेट और सैंटर को मिल कर 19 हजार करोड़ रुपये इकट्ठे करने हैं जिसमें से 13 हजार करोड़ तो सैंटर को और छः हजार करोड़ स्टेट्स को मोबीलाइज करने पड़ेंगे। इन छः हजार करोड़ रुपयों को इकट्ठा करने के हिसाब से दो सौ, ढाई सौ करोड़ राजस्थान के जिम्मे भी आते हैं। अब दो सौ, ढाई सौ, करोड़ रुपये इन पांच वर्षों में इकट्ठा कर पायेंगे और उसके अलावा टैक्सेशन में साढ़े सात हजार करोड़ का बर्डन सारे देश को बर्दाशत करना पड़ेगा? मैं कहूंगा कि यह गंभीर स्थिति इकानोमी की है। आपने डी. ए. दिए। एक वर्ष में छः डी.ए. दिये हैं ऐसा कभी नहीं हुआ एक वर्ष में छः दफा डी. ए. बढ़ाए हैं, इतने भाव बढ़े हैं। और भाव जो बढ़े हैं उनकी व्याख्या में, मैं नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। इतना ही मान लीजिये कि ओवरहाल इन्डेक्स 13 पर्सेन्ट से अधिक ऊंचा हुआ है, यह मान लीजिए। अभी हाल में पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, आयल में प्राइसेज इन्क्रीज हुई हैं बेतहाशा, उसका क्या असर पड़ेगा? स्टील और कोल में प्राइज इन्डेक्स इन्क्रीज

(श्री राजबहादुर)

हुआ है। इसके अलावा रेलवे फेयर बढ़ा है और अब डाकखाने की दरों में वृद्धि की तरह-तरह की बातें सुन रहे हैं। इस सबके बावजूद मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक तरफ आप डी. ए. देते हैं लेकिन जब डी. ए. बढ़ाते हैं तो बेचारे पेंशनर्स का भी ध्यान रखा है? जो पेंशन पाते हैं उनका डी.ए. नहीं बढ़ाते इस पोइन्ट को आप नोट कर लीजिए कि पेंशनर्स के बारे में क्या रवैया है? आपकी भी कभी पेंशन होने वाली है।

(व्यवधान)

तो मैं आपसे ज्यादा न कह कर इतना और कहूंगा कि जहां तक हमारे मिनरल्स का सवाल है, मिनरल डवलपमेंट के बारे में हमारी स्टेट रिचेस्ट है लेकिन लोग्रस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। इसका एक्सप्लायटेशन नहीं हुआ है और इसके बारे में एक मोटी चीज देता हूं। साल्ट की तो कमी नहीं है हमारे यहां सांभर से लेकर जोधपुर तक और सांभर से लेकर भरतपुर तक साल्ट ही साल्ट है। कास्टिक सोड़ा बेसिक केमिकल है। सभी केमिकल्स के काम में आता है कास्टिक सोड़ा, इसकी बढ़िया से बढ़िया फैक्ट्रियां लग सकती हैं और हजारों लाखों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन एक संकेत तक नहीं है कि मिनरल डवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? इस साल्ट का क्या करेंगे, कास्टिक सोड़ा का क्या करेंगे? सीमेंट को जाने दीजिए। सीमेंट की तो कितनी ही फैक्ट्रियां खुल सकती हैं। यहां पर बैराईटीज, बेंटोनाइट, मार्बल, रॉक फास्फेट हैं। रॉक-फास्फेट तो मजाक है। राक फास्फेट आज से नहीं बरसों से सिणधरी जा रहा है और सिणधरी में कोयला है। यहां से रॉक-फास्फेट ले जाकर वहां पर फर्टिलाइजर बनाते हैं। हम यह क्यों नहीं कर सकते कि यहां से जो वैगन जाते हैं सिणधरी तक उनमें ही कोयला भर कर भेज दें। यहां पर फर्टिलाइजर फैक्ट्री रॉक-फास्फेट के आधार पर क्यों नहीं लगा सकते?

ये मैंने आपको रचनात्मक सुझाव दिये हैं और इस भावना से दिये हैं कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण के अन्त में एक अपील करी है और वह मुझे, मेरे हृदय को भी छू गई क्योंकि राजस्थान की जनता में से मैं भी एक हूं। उन्होंने लिखा है—"वास्तव में प्रदेश के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है।" एक कण्टीन्यूअस प्रोसेस है, इसमें कोई शक नहीं हम रहेंगे या नहीं रहेंगे यह देश रहेगा। Man may come and man may go but this country will remain for ever यह कण्टीन्यूअस प्रोसेस है। यह सोचते हुए उन्होंने कहा कि यह अनवरत प्रक्रिया है लेकिन आने वाली नस्लों को, पीढ़ियों को लाद कर छोड़ेंगे, बोझिल करके छोड़ेंगे, और लादेंगे अपने गुनाहों के भार को, अपनी अकर्मण्यता को, अपनी अदूरदर्शिता को। मैंने पहले भी कहा है और आज भी कहता हूं कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए अण्डरस्टेंडिंग चाहिए। समझदारी चाहिए। एक्वीजन एक दृष्टि चाहिए। उसके बाद कंसप्शन चाहिए कंसप्शन किस तरह से इन्वाल्व्ड हो सकता है यह देखने के बाद फिर चाहिए पावर आफ इम्प्लीमेंटेशन। इन चारों में से एक भी चीज मुझे मिल जाती तो संतोष हो जाता।

(श्री राज बहादुर)

मुझे खेद है कि यह नहीं है। इसलिए जो प्रक्रिया है वह सब सीमित है, लांछित है। उन्होंने आगे कहा है--"सरकार, जनता व जन प्रतिनिधियों के मिले-जुले सहयोग से ही सम्भव है।" मिल जुल कर सहयोग का प्रमाण तो यह है कि छठी पंचवर्षीय योजना बन जाती है, इसकी चर्चा तक यहां नहीं होती। हमसे कह दिया जाता है कि अन्तिम रूप दे दिया है। हमारा इन्वाल्वमेंट क्या है उसमें, हम संलग्न कैसे हैं उसमें ? हम संलग्न नहीं हैं उसमें । हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं, जो आपने लिखा उसको स्वीकार नहीं करते। हमारा मत तो लेते, पूछते तो सही हमसे। लेकिन फिर भी हमसे कहा जाता है कि इसके अन्दर हम सहयोगी और भागीदार बनें। हम सहयोगी और भागीदार बनने को तैयार हैं बशर्ते कि आप अपना कर्त्तव्य निभायें और एक बहुत पुराना फार्मूला हैं Either govern or get out

श्री सभापति : श्री अहमद बक्श सिंधी।

माननीय सदस्य, मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करदूं....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप बोलने दीजिये इनको।

श्री सभापति : मुझे बोलने दीजिये। आज काफी कांग्रेस के सदस्य बोलने वाले हैं। मेरे पास बीस सदस्यों की सूची है। सचेतक महोदय ने आगाह किया है कि दस मिनट का समय माननीय सदस्य को दिया जाय।

श्री अहमद बक्श सिंधी : मुझे कम से कम पच्चीस मिनट चाहिये। अगर आप इजाजत दें तो बोलूं।

श्री सभापति : आप सचेतक महोदय से लिखवा दीजियेगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिंधी : मैं घड़ी-घड़ी में दरख्वास्त नहीं करना चाहता हूं कि मुझे दो मिनट और दीजिये।

एक माननीय सदस्य : खेतसिंह जी के पास अपनी डिजायर भेज दें।

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिंधी : मादाम सदरे मजलिस, गवर्नर साहब ने जो एड्रेस पेश किया है इस हाउस में, मैं उसकी ताइद करने खड़ा हुआ हूं। मगर, मगर बहुत बड़ा है। बहुत अफसोस की बात है, पानी और बिजली के सिलसिले में जो प्लानिंग किया गया है वह बहुत ही फाल्टी है। अगर सही ढंग से प्लानिंग किया जाता तो यह हालत नहीं होती जो इस वक्त है। बिजली का इसमें शक नहीं है कि तोड़ा है राजस्थान में। लेकिन उसके लिए क्या तजवीज और इन्तजाम किये गये हैं, उसका उल्लेख हमारे गवर्नर साहब के एड्रेस में नहीं है। मामूली तौर पर बिजली का जिक्र किया गया है, हालांकि यह बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ी जरूरत है। सारे राजस्थान की जरूरत है। इसके बिना न तो इण्डस्ट्री चल सकती है और न ही खेती बाड़ी का काम हो सकता है। पिछले दो साल से भारी कटौती 20

(श्री अहमद बक्श सिंधी)

पर्सेन्ट से 100 पर्सेन्ट तक की गई है उसकी वजह से इण्डस्ट्री और खेती चरमरा गई है और बहुत बड़ा असर प्रोडक्शन पर पड़ा है, लेबर पर बुरा असर पड़ा है। लोगों की जरूरत पूरी नहीं होती है, टाइम पर बिजली गुल हो जाती है। दिया जलाने, लालटेन जलाने के आदी नहीं हैं बिजली के आदी हैं इसलिए तकलीफ होती है। 65 दिनों तक इण्डस्ट्रीज को एक दिन भी बिजली नहीं दी जोधपुर में, यह मैं कह सकता हूं। बिजली की कटौती का पश्चिमी राजस्थान पर जितना असर पड़ा है उतना शायद राजस्थान के किसी हिस्से पर पड़ा हो। पश्चिमी राजस्थान में 1980–81, 81–82, और 82–83 में कुल इन्स्टाल जनरेटिंग कैपेसिटी 1150, 1180 और 1460 मेगावाट होगी। यह भी सतपुड़ा, कोटा थर्मल, चम्बल काम्पलेक्स, भाखड़ा एटामिक पावर प्लान्ट से होने की संभावना है। यह तभी मुमकिन है जबकि पानी हो और कोयले की सप्लाई बराबर चलती रहे वर्ना यह भी मुमकिन नहीं है।

एटामिक प्लान्ट ठीक तरह से चल सके वर्ना यह आंकड़े और चिन्ताजनक हो सकते हैं। जनरेशन पोजिशन को देखते हुए फरवरी, 81 में 39 पर्सेन्ट से लेकर 44 पर्सेन्ट से 54 पर्सेन्ट कटौती होगी और इसी तरह से मार्च 81 में 31.35 पर्सेन्ट से लेकर 47.8 पर्सेन्ट तक कटौती होना लाजिमी है। मगर बिजली की मांग इण्डस्ट्रीज के बढ़ने से मैकेनाइज फार्मिंग की वजह से रोज ब रोज बढ़ती जा रही है। अभी हमारे मुख्य मंत्री जी बम्बई पधारे थे इण्डस्ट्रियालिस्ट को न्यौता देकर आये हैं। जब अपनी इण्डस्ट्रीज को ही नहीं दे पा रहे हैं तो दूसरों को न्यौता देने का क्या मतलब है? मैं अदब के साथ अर्ज करता हूं कि सोच-समझकर काम करें। यह सारी गड़बड़ प्लानिंग के ठीक तरह से नहीं होने की वजह से है।

आप गौर करिये 1980 और 81 में तीस से चालीस हजार तक कनेक्शन देने का इरादा है। बिजली तो पैदा होगी 300 मेगावाट ज्यादा और कंजम्पशन है इसके अगेंस्ट 700 मेगावाट। कैसे काम चलेगा? जरा सोचने की बात है। प्लानिंग से काम करना चाहिये। दूसरे स्टेट की जनरेटिंग कैपेसिटी ज्यादा है उसके विस्तार में, मैं जाना नहीं चाहता हूं वहां तो 3500, 3400 और 3600 मेगावाट है और हमारे यहां 1100 मेगावाट है। इसलिये मेरा कहना है कि प्लानिंग ठीक ढंग से होना चाहिये। मेरा सुझाव है कि जोधपुर संभाग की इंडस्ट्री के लिये, किसानों के लिये कम से कम 220 के. वी. का डिस्ट्रिब्यूशन स्टेशन जोधपुर में जल्दी से जल्दी वार फुटिंग पर कायम किया जाय। जनरेशन को बढ़ावा दिया जाय और उसके लिए सब्सिडी दी जाय तब काम चलेगा नहीं तो मुश्किल है। इसे टाप प्रायोरिटी दी जाय और एक नये प्रोजेक्ट्स को रिकार्ड टाइम में पूरा किया जाय। प्लानिंग ऐसी करें कि जनरेशन और डिमाण्ड की खाई पाट सकें। जोधपुर में थर्मल पावर स्टेशन लगाना जरूरी है। हम कोटा वालों के ऊपर नहीं रहना चाहते हैं। कोटा वाले जब चाहे खटका दबा कर बिजली बन्द कर देते हैं हम चाहते है कि जोधपुर में थर्मल पावर स्टेशन कायम हो। इससे किसानों को बिजली मिलेगी इण्डस्ट्री को बिजली मिलेगी और प्रोडक्शन बढेगा। नतीजा यह होगा कि मजदूरों को मजदूरी मिलेगी और

(श्री अहमद बक्श सिंधी)

स्टूडेन्ट की तकलीफ नहीं बढ़ेगी, किसानों का प्रोडक्शन बढ़ेगा इससे देश की खुशहाली में एक अच्छा कदम होगा वर्ना पार्टी प्लानिंग से तो लुटिया ही डूब जाती है। आप जानते हैं।

अब मैं पीने के पानी के सिलसिले में कहूंगा। हमारे भरतपुर के नेता राजबहादुर जी ने काफी विस्तार से कहना चाहा, जोधपुर का मसला लेना चाहा लेकिन बीच में टोक दिया, अच्छी बात कह रहे थे। लेकिन मैं तवज्जोह दिलाना चाहता हूं हमारे चीफ मिनिस्टर ने पीने के पानी को टाप प्रायोरिटी दी है। सभी जगह पहुंचाया जाएगा, यह खुशी की बात है। अब भी गांवों के लोग कोसों दूर जाकर पानी ऊंटों पर लाते हैं, वहां टैंकरों के जरिये व्यवस्था की जा रही है उससे संतोष होता है। बरसात नहीं हुई है, पश्चिमी राजस्थान में अक्सर अकाल पड़ता है इस सिलसिले में मुनासिब कदम उठाने की जरूरत है। मगर जोधपुर शहर में गर्मियों के मौसम में पानी की किल्लत होने की सम्भावना है। अभी जोधपुर शहर में पानी आता है जवाई बांध से नहर के जरिये। यह कोशिश की जा रही है कि नहर के बजाय वहां पाइप लगा दिया जाय 60 करोड़ रुपये की लागत से। मैं समझता हूं कि यह प्लान, यह स्कीम जिसने बनायी है, अगर हमसे राय ली जाती तो हम इसका विरोध करते। यह 60 करोड़ रुपया बर्बाद जायगा कारण यह होगा उस पाइप को, अगर नहर को तोड़ सकते हैं तो, पाइप को तोड़ने से कौन रोक सकता है। पानी वेस्ट जायगा और पानी की कमी और हो जायगी जवाई बांध में। मेरा सुझाव था एक शार्ट टर्म का और एक लांग टर्म का। लांग टर्म का सुझाव यह रखा था, पिछली मीटिंग में भी यह कहा था कि राजस्थान नहर से जो नाचना तक पानी आ गया है, उसको बाप और फलौदी के जरिये जोधपुर में लिफ्ट सिस्टम से पहुंचायें। यह कोई प्रावधान नहीं है। आप नोट करलें मिनिस्टर महोदय कि आइन्दा नाचना के प्लान में इसका प्रावधान रखें और वार फुटिंग पर काम करें। वर्ना जोधपुर के लोग इतने पालिटिकली कान्सियश हैं कि···

एक माननीय सदस्य : एक पाइप लाइन नागौर की तरफ भी आने दीजियेगा।

श्री अहमद बक्श सिंधी : मैं जोधपुर डिविजन की बात कर रहा हूं। आप याद रखें कि जोधपुर के लोग पीछे नहीं हैं जोधपुर के लोगों की तकलीफों को नहीं देखेंगे, उनसे भेदभाव करेंगे तो वे जमीन आसमान सिर पर उठा सकते हैं इतना दम है जोधपुर वालों में। सिर्फ 10 करोड़ का फर्क है। 60 करोड़ का यह एस्टीमेट है 70 करोड़ में राजस्थान नहर ला सकते हैं। क्या फर्क है 10 करोड़ का ? आप बिजली का मामला भी हल कर सकते हैं थर्मल पावर स्टेशन बनाने से और पानी भी अधिक दे सकते हैं। शार्ट टर्म का सुझाव इसमें यह है जोधपुर पांच सौ छह सौ वर्षों से बसा हुआ है, इसमें जगह जगह कुएं बने हुए हैं कहीं मीठा पानी है और कही खारा पानी है इसलिये मेरा सुझाव है कि उन कुओं को गहरा करवा कर उनमें मशीनें और बिजली का कनेक्शन देकर पानी निकालने की व्यवस्था की जाय वर्ना गर्मियों के मौसम में बहुत किल्लत का अन्देशा है। हमारे कलेक्टर साहब ने अभाव अभियोग की मीटिंग में मुझे कहा कि मशीनें लगा दी गई हैं। इस

(श्री अहमद बक्श सिंधी)

कदर गलत बयानी की जाती है। आप कलेक्टर को कहिये कि इस प्रकार गलत बयानी न करें, एक भी मशीन नहीं लगाई है अभी तक, कहा गया कि सब जगह जोधपुर क्षेत्र में, नागौर में कुओं की सफाई करके, गहरा करके मशीनें लगा दी जायगी ताकि कपड़े धोने, मवेशियों को पिलाने और बरतनों को साफ करने में तो कम से कम खारा पानी काम आयेगा। पीने के पानी के लिये वैसा है ही। एक मसला और अहम है जिसकी बाबत आपकी तवज्जोह जरूरी है। राजस्थान में आप किसी मोहल्ले में जायं जहां गन्दगी फैली हुई हो, सड़क नहीं हो, बिजली नहीं हो तो समझ लीजिये गरीब हरिजनों का या मुसलमानों का मोहल्ला है। ये निशानियां हैं. मैं एक बात पर तवज्जोह दिलवाना चाहता हूं कि इस एड्रेस के अन्दर सभी बातें नहीं हैं बहुत अच्छी बातें कही हैं मगर कुछ नहीं कहा है तो अकलियतों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। अकलियतों को, आज ईसाई हैं, जैन भी हैं, पारसी हैं, सब माइनोरिटी में शामिल हैं। राजस्थान में अकलियत 15 प्र.श. से ज्यादा हैं कम नहीं हैं वे भी अहले-वतन के साथ कन्धे से कन्धा मिला कर रहती हैं हिंदुस्तान के आइने में अकलियतों का जिक्र है लेकिन गवर्नर साहब के एड्रेस में जिक्र नहीं है, उनके हुक्क तस्लीम किये गये हैं एजूकेशन के मामले में, मजहब के मामले में, सब तस्लीम किये गये हैं लेकिन यहां जिक्र तक नहीं किया गया है आप समझिये, असलियत यह है अकलियतों की। सेकूलेरिज्म की बात कही जाती है अकलियतें सेकूलेरिज्म की जान हैं इस बात का ध्यान रखिये और इनकी अहमियत को समझिये, अगर अकलियतें नहीं हों तो मैं समझता हूं जितने विधायक साहेबान यहां विराजमान है, कोई नहीं कह सकता कि उनकी कांस्टीट्यूएन्सी में अकलियतें नहीं हैं, वोटर नहीं हैं, यह कोई नहीं कह सकता लेकिन जब राम नहीं कहता तो रहीम को कहना पड़ता है मुसलमानों की डिफिकल्टीज, उनकी प्राब्लम्स, उनकी मसायल है उन पर आप बात नहीं करते तो हमें मजबूरन करनी पड़ती है।

मैं कुछ मामलों पर तवज्जोह दिलाना चाहता हूँ उनकी तालीमी जबान, मुलजिमानात और उनका वक्फ, जायदादें, एक मसला है उर्दू, यह कोई हमारी जबान नहीं है, हिन्दुस्तान की जबान है, उर्दू में शायर गैर मुसलमान, सिक्ख, ईसाई भी हैं। इस जबान के लिये भेदभाव क्यों रखा जाता है समझ में नहीं आता। एजूकेशन मिनिस्टर साहब नोट करें कि उन्होंने इसको रखने के लिये, इसकी तरक्की के लिये क्या इन्तजाम उठाये हैं। जब कहा जाता है कि स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में उर्दू जारी करिये और राजस्थान युनिवर्सिटी में उर्दू का दर्जा पोस्ट ग्रेजुएट तक कोर्स है तो दूसरी यूनिवर्सिटीज में क्यों नहीं है। कहा जाता है कि तादाद पूरी नहीं आती। तादाद की बंदिश लगा कर उर्दू जबान को खतम करने की कोशिश की जा रही है यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है।

एक माननीय सदस्य : यह प्रभाकर जी की साजिश है।

श्री अहमद बक्श सिंधी : आपको याद दिलाऊं, श्री हरिदेव जोशीजी की मिनिस्ट्री के समय उन्होंने ऐलान किया था कि 500 टीचर उर्दू के लिये जायेंगे। मैं पूछता हूं,

(श्री अहमद बक्श सिंधी)
कितने लिये ? मुश्किल से 150 भी नहीं लिये गये होंगे। बाकी का कोटा, मौजूदा मिनिस्टर साहब पूरा करें बहुत जल्दी करें ताकि उनका डिक्लेरेशन है उसकी तामील हो सके।

उर्दू अकेडेमी बनाई है। जनता पार्टी के टाइम में बनाई गई मगर 90 वर्ष के बूढ़े को बैठा दिया मकतब से उठा कर, वह सिर्फ शायर है जो मुशायरे दो चार करके बस कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको कहा था मगर आपने मंजूर नहीं किया।

श्री अहमद बक्श सिंधी : इसमें कुछ सिम्पाजियम होना चाहिये लेक्चर्स कराने चाहिये, उर्दू लिटरेचर की तरक्की लिये किताबें लिखी जानी चाहिये। अलग अलग मजमून है दिल्ली, पंजाब में यूनिवर्सिटीज में और देखिये उर्दू की बाकायदा शोभा है, इसके लिये अलग से कमिश्नर मुकर्रर किया गया है जो उर्दू की तरक्की का जिम्मेदार होता है। कम से कम उर्दू का यहां भी कमिश्नर मुकर्रर किया जाय और उर्दू अकेडेमी को ठीक करने की कोशिश की जाय, बड़े-बड़े लोग यों ही बैठा दिये हैं सिफारिशों की वजह से उनको बदल कर कोई ठीक ठाक आदमी बैठावें।

अब रहा मुलाजिमानों का। आबादी के लिहाज से अगर देखा जाय तो अकलियतें चाहे सिक्ख, मुसलमान, ईसाई, पारसी कोई भी हो, कोई रिफलेक्शन होना चाहिये मुलाजिमानों में। सरकारी मुलाजिमानों में रिफलेक्शन नहीं है एक प्रतिशत भी, मुसलमान अगर आबादी देखी जाय तो 15 प्रतिशत हैं तो उसके मुकाबले 1 प्रतिशत मुलाजिमान मिलेंगे, बड़े ओहदों पर तो फिक्र कोई भी नहीं है, पुलिस में कोई डी. एस. पी. दो एक होंगे। एस. पी., आई. जी., डी. आई. जी वगैरह में तो कोई है ही नहीं। एजूकेशन डिपार्टमेंट में आप देखिये कोई इंस्पेक्टर 3–4–1 होंगे, बाकी अल्ला अल्ला खैर सल्ला।

(व्यवधान)

आप जरा सुनते जाइये, मैं आंकड़े बता रहा हूं। आज कहा जाता है कि अकलियतों के लोग एग्जामिनेशन में बैठते नहीं। अरे जो बैठते हैं टूटे–फूटे दो चार उनको इंटर-व्यू में फेल कर दिया जाता है। क्या यह जनसंघ की हुकूमत है जिन्दगी में मेरा भला ना हुआ। लेकिन आज तो जहां कांग्रेस की हुकूमत है उसमें यह बात क्यों है। यह भेदभाव यहां नहीं होना चाहिये। कलेक्टर, डिप्टी सैक्रेटरी, इंजीनियर, कमिश्नर, डायरेक्टर एक भी अकलियतों का नहीं है। याद रखिये कोई आदमी इस भरोसे में न रहे कि अकलियतों के जो विधायक हैं, पीछे पीछे घूमते रहेंगे। हम लानत भेजते हैं। हम अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी के जिम्मेदार हैं। उसके सामने आन्सरेबल हैं और हम जिन लोगों के वोट से जीत कर आये हैं उनके हकूक की देखभाल हमें यहां पर करनी है।

श्री भंवरलाल शर्मा : हनुमान प्रसाद प्रभाकर के यहां किस से झगड़ा हुआ था।

श्री अहमद बक्श सिंधी : एक तरफ हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी अक-

(श्री अहमद बक्श सिंधी)

लियतों के बाबत बराबर चिट्ठियां लिखती हैं चीफ मिनिस्टरों और रियासतों को लेकिन वे परवाह ही नहीं करते हैं, उन डाइरेक्शन्स को, हिदायतों को अमल में लाने की कोशिश नहीं की जाती है। हमारे हकों पर डाका पड़ता है तो हमें हक है कहने का हमारे हकूक हमको मिलने चाहिए।

वक्फ जायदाद के जो मामले हैं उनकी ओर मैं आपकी तवज्जोह दिलाना चाहूंगा। वक्फ बोर्ड बना है। यह 1962 से चल रहा है लेकिन वक्फ बोर्ड को जो पावर्स मिलने चाहिए वह पावर्स उसके पास में नहीं हैं। इसलिए वह एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तरह से नहीं कर पा रहा है। वक्फ की जायदाद करोड़ों रुपयों की है। राजस्थान के अन्दर लाखों रुपयों की उसकी आमदनी होती है लेकिन वक्फ बोर्ड मकरूज है गवर्नमेन्ट का। दो लाख रुपयों का उसके ऊपर कर्जा है। वह कर्जा लेकर काम कब तक चलायेगा? इस सिलसिले में मुझे खुशी है और मैं मुबारकवाद देता हूं कि वक्फ जायदाद को आपने पब्लिक प्रापर्टी मान लिया है ताकि जो नाजायज कब्जे हैं उनको हटाने में बड़ी मदद मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। यह काम सही है और सही कार्य कीजियेगा लेकिन कुछ जायदादें ऐसी हैं वक्फ की जिस पर आज तक सरकारी कब्जा चला आ रहा है। अलवर में, भरतपुर में मस्जिदों में सरकारी स्कूल चल रहे हैं। मेहरबानी करके इन स्कूलों को खाली करिये और जो मस्जिद हैं, खुदा की ईदगाह हैं उनको ईदगाह ही रहने दीजिए ताकि जो पब्लिक एन्क्रोचमेन्ट हुआ है उसको हटाया जाय। इनके लिए वक्फ बोर्ड को काफी पावर्स मिल गये हैं और उम्मीद करता हूं कि उसके ऊपर मुनासिब कार्यवाही करेंगे। वक्फ की जायदाद पर जगह-जगह नाजायज कब्जे हैं। कोई सिनेमा बना रहा है। जयपुर में एक सिनेमा बन गया है। निम्बाहेड़ा में भी एक सिनेमा बनाया गया है। उसका दावा चल रहा है। स्टे आर्डर है। न मालूम किसकी शह है, पता नहीं पर्दे में कौनसी लैला काम कर रही है कि वहां बराबर कन्स्ट्रक्शन किया जा रहा है। वक्फ की जायदाद का नाजायज इस्तेमाल होकर जो कार्य किया जा रहा है वह रोका जाय। इस किस्म के नाजायज कब्जों को फौरन हटाया जाए और वक्फ की जायदाद के ऊपर जो तामीर बना ली गई है उसको तुड़वाया जाए और उसको सही हालत में रखा जाए। दूसरा, वक्फ बोर्ड का काम है कि जो जायदाद काम में नहीं आती है उसको किसी तरह से काम में लिया जाए। यह एक्ट में प्रोविजन है। सेन्ट्रल वक्फ एक्ट है। एक बहुत ही अहम् वक्फ जायदाद जोधपुर में चांदशाह का तकिया है। उस पर 16 दुकानें बनी हुई हैं। इजाजत तामीर दे दी गई है लेकिन बाद में एक यू. आई. टी. के चेयरमैन जनता पार्टी के जमाने में आये और उन्होंने उस पर धोंचा लगा कर तामीर को रुकवा दिया। राज्य सरकार को लिखा गया और कांग्रेस की सरकार के आने से पहले वह तामीर आगे रोक दी गई। इसके लिए हाउस के सामने अर्ज करना चाहता हूं कि वह जायदाद इतनी अहम् है जिसकी आमदनी से हम एक कालेज चला सकते हैं और कालेज भी तामीर हो रहा है जोधपुर में उसकी आमदनी करीब 70-80 हजारा रुपया माहवार होने की संभावना है। इसके अन्दर इजाजत देने में काफी देर की जाती है। कहा जाता है कि इसकी नेचर

(श्री अहमद बक्श सिंधी)

बदल गई है। कन्वर्शन चार्जेज लगेंगे। मैं कहता हूं कि यह वक्फ की जायदाद है। वक्फ बोर्ड उसको डवलप करके इमारत बनाता है तो उसको हक है। गवर्नमेंट को कोई हक नहीं है उसमें दखल देने का। उसका हक यू. आई. टी. का है कि वह इजाजत रूल्स के मुताबिक दे दे और उसे कोई चूं चा करने का हक नहीं है। यह कहना कि कन्वर्शन चार्जेज लगेंगे, कन्वर्शन चार्जेज जब एग्रीकल्चर लैण्ड आबादी में कन्वर्ट की जाती है तब लगता है उससे एग्रीकल्चर लैण्ड का नेचर खतम हो जाता है। वह आबादी लैण्ड बन जाती है। परन्तु यहां अगर वक्फ प्रापर्टी है और उस पर इमारत इजारत की जाती है तो उसकी नेचर नहीं बदलती है। वह बदस्तूर वक्फ की प्रापर्टी ही रहती है। वह प्रापर्टी वक्फ बोर्ड की सुपरिन्टेन्डेन्स में ही रहती है। आप इसका गौर फर्माइये। यह जम्हूरियत में पसन्द नहीं करता हूं। इसको टालने की बात की जाती है। वक्फ कौन्सिल को इस सिलसिले में पांच लाख रुपया देने का वायदा किया गया है उसमें देर हो रही है। इसकी इजाजत नहीं दी जा रही है। इसकी इजाजत नहीं दी गई। मैं वक्फ मिनिस्टर से मिला, यू. आई. टी. के चेयरमैन से मिला, चीफ मिनिस्टर से मिला हूं जोर देता हूं, याददहानी कराता हूं परन्तु इसका अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। अगर इजाजत मिल जाती तो मैं आज बोलता नहीं परन्तु मजबूर होकर के बोलना पड़ता है। इसकी या तो दस दिन के अन्दर-अन्दर इजाजत तामीर की दे दें वर्ना मैं खुद खड़ा होकर बनवा दूंगा फिर आप चाहें जो कर लेना।

एक माननीय सदस्य : ये क्रान्तिकारी नेता हैं।

श्री अहमद बक्श सिंधी : आपकी तवज्जोह दिलाना चाहूंगा। बाड़मेर जिले में गागरिया है। वहां पर एक मदरसा था। यह वहां पर कई वर्षों से चल रहा है। बच्चे रहते हैं। वहीं पर उनको खाना खिलाया जाता है। पढ़ाया जाता है, वहां पर 19-2-1981 की रात को चार बजे आग लग गई। दो तो कुरान शरीफ जल गईं। बच्चों के कपड़े जल गये, किताबें जल गईं। उनके बिस्तर जल गये। झोंपड़ी जल कर राख हो गई। मुझे खुशी है कि वहां की पुलिस ने फौरन कार्यवाही की और चंद आदमियों को पकड़ा। मगर उस पर यह ढिलाई की जा रही है और कुछ लोग जो मुल्जिमान हैं उनकी तरफदारी में खड़े हो गये हैं। मैं बाड़मेर के विधायकों से अर्ज करूंगा और चीफ मिनिस्टर साहब से भी अर्ज करूंगा कि वे फौरन मौके पर जाएं और जिन्होंने ऐसी हरकत की है उनको सख्त सजा दिलाने का इन्तजाम करें।

आखिर में एक बात और कह कर मैं स्थान ग्रहण करूंगा। पहाड़िया सरकार को एक बात पर मुबारकबाद दूंगा कि राजस्थान में अमनों-अमन रखने में सक्षम है और कोई लॉ एण्ड आर्डर का मसला यहां नहीं है। जो लोग जुर्म करते हैं उनको पकड़ा जाता है और अदालतों में हाजिर किया जाता है इसके ऊपर चर्चा करना बेइमानी है।

(श्री ग्रहमद बक्श सिंधी)

ग्रब मैं एक राजस्थानी ग्रकादमी की बात करूंगा। राजस्थानी बोली हम सब लोग घरों में बोलते हैं, मारवाड़ी कहिये या राजस्थानी कहिये वह एक ही बात है। मैं समझता हूं कि इस जबान की तरक्की के लिये जैसे जोधपुर की यूनिवर्सिटी ने एक विभाग खोला है वैसे ही राजस्थान यूनिवर्सिटी को ग्रौर उदयपुर यूनिवर्सिटी को भी राजस्थानी का एक विभाग खोलना चाहिए ग्रौर इस भाषा की तरक्की के लिए कोई ग्रकादमी या कोई बोर्ड बनाया जाना चाहिए ताकि यह जुबान भी साथ-साथ तरक्की कर सके ग्रौर प्राइमरी स्कूल में हमारे बच्चों को राजस्थानी में शिक्षा दी जाय तो बहुत ग्रच्छा होगा।

दूसरा, मैं राजस्थान का····

श्री सभापति : माननीय सदस्य ग्रापको याद दिलाना चाहूंगी कि ग्राप 30 मिनट ले चुके हैं।

श्री ग्रहमद बक्श सिंधी : इन्हीं लफ्जों के साथ मैं इस ग्रभिभाषण की तारीफ करता हूं।

श्री सभापति : क्षमा करें, ग्रापकी पार्टी वाले पहले बोल चुके हैं।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): एक ही बोले हैं।

श्री सभापति : लेकिन सी.पी.एम. वाले बोलने बाकी हैं इसलिए पहले वे।

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : यह जो भाषण है····

एक माननीय सदस्य : इनको कितना समय दिया गया है?

श्री सभापति : 15 मिनट का समय ग्रापकी पार्टी को दिया गया है।

एक माननीय सदस्य : बहुत ज्यादा दे दिया।

श्री त्रिलोकसिंह : सभापति जी, इस भाषण में राजस्थान के लोगों के लिए जो दिग्दर्शन दिया गया है, राजस्थान के लोग, राजस्थान का किसान ग्रौर राजस्थान का मजदूर ग्राज किस तरह की हालत में है ग्रौर उसकी मुसीबत के निदान के निमित्त जब हम इस भाषण को ए-टू-जैड देखते हैं तो इसमें कुछ नहीं हैं। यह फरेबी किताब है। राजस्थान के लोगों के साथ एक फरेब है। ऐसी हालत में, जब राजस्थान के लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, इस प्रस्ताव पर धन्यवाद देने का तो सवाल ही नहीं होता है।

सभापति महोदया, कांग्रेस के लोगों ने जब प्रस्ताव रखा था तब भी इसका खुलासा हो गया था। उसके बाद कांग्रेस के लोगों ग्रौर उन तमाम मैम्बरान ने जिस तरह की ग्रार्थिक स्थिति का जिक्र किया, जिस तरह की राजस्थान की तस्वीर पेश की उससे इस प्रस्ताव की हालत क्या है यह स्पष्ट हो चुका है।

साथियों, राजस्थान का हमारा वह इलाका जो पाकिस्तान से मिला हुग्रा है उससे लेकर ग्रागरे तक, पाकिस्तान की सीमा से लेकर लुहारू तक ग्रवाम की ग्राज क्या हालत है किसान की क्या हालत है? वह सब हमारी जुबान से नहीं कांग्रेसी मैम्बरान की जुबान

(श्री त्रिलोक सिंह)

से कल आपने सुना होगा राजस्थान के किसान का बेटा रोटी के लिए बिलबिला रहा है, पानी के लिये बिलबिला रहा है। राजस्थान की जिन्दगी खतम हो चुकी है। आज पशुओं के ढेर लग रहे हैं, गायें मर रही हैं, गाय भैंस खतम हो चुकी हैं, जो किसान की ही जिन्दगी का आधार नहीं है बल्कि देश की भी जिन्दगी का आधार है।

यह प्रस्ताव जिसमें सबसे बड़ी अखरने वाली बात यह है कि जो अकाल राजस्थान में आया है, अकाल ही नहीं महाअकाल आया है जो पांच सालों से आ रहा है, इसमें यह निकम्मी सरकार, यह नालायक सरकार लोगों को रोटी रोजी नहीं दे पा रही है। लोग मर रहे हैं। लोगों की हालत क्या है, यह खुद अकाल बोलता है। जब राजस्थान में दाखिल होते हैं तो आज तो पूरे राजस्थान को अकाल ने निगल लिया है लील लिया है। पहले अकाल कहता था एक जमाने में चलता था।

पग पूगल धड़ कोटड़ां बाहु बाहड़मेर !
जातां जातां बीकपुर, ठावो जैसलमेर !!

पर आज वह भरतपुर को भी लील गया है, गंगानगर को लील गया है। जो हमारे राजस्थान की अनाज की मंडी थी राजस्थान को रोटी देने वाला जिला था वह भी आज भयंकर अकाल से ग्रस्त है। ऐसी हालत में अकाल को खतम करने के लिये अकाल का मुकाबला करने के लिए यह निकम्मी सरकार क्या करती है ? यह बिलकुल निकम्मी सरकार है। लुहारू के टीबे पर पानी आ सकता है भिवानी के टीबे पर पानी आ सकता है पर राजस्थान के किसानों की दुश्मन सरकार राजस्थान के मैदानों में पानी नहीं दे सकती यह शर्म की बात है। जो राजस्थान के 90 प्रतिशत किसानों के वोट लेकर आये हैं उन सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, अपील करूंगा उन तमाम लोगों से कहूंगा कि यह किसी पार्टी का मसला नहीं है, यह किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, यह देश और प्रदेश का मसला है पर यह एक फरेबी दस्तावेज है यह किसानों की दुश्मन सरकार, यह फरेबी सरकार उनकी हिमायती बनती है पर किसान जो पैदा करता है उसके भाव के लिए इस भाषण में कुछ नहीं कहा गया है। आप गूंगे बहरे हो सकते हैं, राजस्थान की जनता गूंगी बहरी हो सकती है पर राजस्थान का मैम्बर, इस सदन का मैम्बर जागरूक है और वह इस बात को गौर से देखता है कि देश में क्या इन्कलाब आया है। बर्मा से लेकर पाकिस्तान तक और दक्षिण से लेकर कश्मीर तक का किसान आज विद्रोह कर रहा है। हमारे देश में क्या हालत है ? किसान पैदा करता है और यह आदमखोर लूट ले जाते हैं और यह निकम्मी सरकार उनकी हिमायत करती है, हिफाजत करती है उन डाकुओं की। जब हम ग्वार बेचते थे, ग्वार का अकाल था और ग्वार का भाव बाजार में 200 रुपया क्विंटल था फिर जब वह फैक्ट्री में बिका तो उसका बीज का भाव था 5000 रुपया क्विंटल। इससे बड़ी लूट और क्या हो सकती है जब किसान तिलहन बेचता है तो उसका भाव है 150 रुपये और जब बीज खरीदता है तो उसका भाव है 600 रुपया जब किसान रूई बेचता है तो कोई खरीदने वाला नहीं है पर मिल में जाकर कपड़ा महंगे भाव पर बिकता है कई हजार क्विंटल हो जाता है। इस तरह

(श्री त्रिलोक सिंह)

से ऊन को ले लें जो ऊन पैदा करता है, भेड़ के साथ तकलीफ उठाता है पर जब ऊन बेचता है तो बिकती है 10 रुपये किलो और वह मिल में जाकर हजारों रुपयों की हो जाती है। डाकेजनी का कोई जिक्र नहीं है। आश्चर्य और दुख की बात यह है कि जब इसके मुताबिक देश का किसान एक भयंकर आन्दोलन से आन्दोलित हुआ तो वह विद्रोह पर आमदा हुआ। 5000 हजार मील से पूना को घेरता है कानपुर को घेरता है और पंजाब की राजधानी चण्डीगढ़ को घेरता है तो यह पुलिस से उसको घेरते हैं। किसान जो खरीदता है, किसान जो बेचता है उसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी खतरनाक बात एक दिन राजस्थान में हुयी चीनी का भाव एक दिन तीन रुपये किलो और दूसरे दिन 16 रुपये किलो। यह सरकार निकम्मी सरकार, लुटेरी सरकार बैठी हुयी थी उन्होंने करोड़ों से हाथ धोये राजस्थान की जनता का खून पिया राजस्थान की सरकार कुछ भी नहीं कर सकी इसकी वजह यह थी कि राजस्थान की यह सरकार भी उस डाकेजनी में शामिल थी। तो इन बातों के साथ-साथ मैं अपनी तकरीर को पेश करता हूँ। कहने को इस समय बहुत सी बातें हैं। मजदूरों के बारे में और किसानों की हालत के बारे में कोई बात नहीं कही गई। मजदूरों का कोई खयाल नहीं किया गया, रोज तालेबन्दी होती है और जब मजदूर बोलता है तो उन पर लाठियां चलाई जाती हैं। इसी तरह से देश का यह मजदूर तबका, देश का यह कार्टून तबका, जिस पुलिस के भरोसे पर यह सरकार जिन्दा है, जिस लाठी और गोली के भरोसे पर यह सरकार जिन्दा है, उस सिपाही की हालत देखिये उसकी आंखों की हड्डियां धंसी हुई हैं, यह सरकार किसको लाठी का अधिकार देती है? कुछ इनके अधिकारियों को जिनके पास दस-दस लाख और बीस-बीस लाख के बंगलें हैं, क्योंकि यह सरकार लाठी पर आधारित है। यह हाल है, दोस्तों, इस सरकार का। अभी कोई मैम्बर जवानों का जिक्र कर रहे थे। यह अवामी सरकार नहीं है, यह सरकार जबर्दस्ती बैठी हुई है जो लोगों को धोखा देती है।

(व्यवधान)

सुनिये। आप सत्ता छोड़ दीजिये, हमारी सरकार अभी भी हिन्दुस्तान में तीन सूबों में है ····

(व्यवधान)

हिन्द महासागर में डुबो देंगे। आपने देखा इन्दिरा की ललक को और कांग्रेस को

(व्यवधान)

उसको छोड़ दीजिये। यहां सवाल इस बात का है कि ····

(व्यवधान)

इन्कलाब कब आ जायगा और जब भी आ जायगा उसकी फिक्र आप छोड़ दीजिये। सवाल है इस देश में गरीबी का। हरिजनों के लिये आपने क्या किया? आज राजस्थान में गरीब का लड़का ····

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : हमारे कानों के पर्दे फटने लगे हैं, इनको उधर कीजिये।

श्री त्रिलोक सिंह : मैं यह दरखवास्त करूंगा कि इस बकवास को बन्द किया

(श्री त्रिलोक सिंह)

जाय, नहीं तो हम सदन नहीं चलने देंगे। आप लोग किसी की बात सुनना नहीं चाहते। प्रान्त की असली तस्वीर नहीं देखना चाहते। हमें बड़ा ताज्जुब है देश का गरीब, देश का हरिजन, देश का अल्पसंख्यक उसके साथ क्या गुजर रही है? गांवों में अगर आप जायेंगे तो इसका पता लगेगा। गांवों में किसानों के साथ क्या गुजर रही है। यहां पर अकाल के मसले का जिक्र किया गया और अकाल में क्या है ····

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस सरकार की देन है ····

श्री त्रिलोक सिंह : यह अकाल कांग्रेस सरकार की देन है। अगर कांग्रेस सरकार की जगह मेरी पार्टी की सरकार होती···

(व्यवधान)

अगर मेरी पार्टी की सरकार होती तो····

(व्यवधान)

अरब सागर में डुबो देता। पांच साल से अकाल पड़ रहा है इसके बावजूद भी न कोई काम है, न कहीं पानी है और न कहीं पर विकास की हालत है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : फिर आप जिन्दा कैसे हैं?

श्री त्रिलोक सिंह : जिन्दा नहीं है राजस्थान। इसको जिन्दा नहीं कहते। लाखों लोग आज भूख से बिलबिला रहे हैं पानी के लिये बिलबिला रहे हैं। अभी कल ही एक कांग्रेसी मैम्बर ने कहा दस-दस मील दूर से हमारी मां-बहिनें पानी लाती हैं। यह राजस्थान की सरकार के लिये शर्म की बात है। बत्तीस साल राज करने के बाद भी लोगों को पानी नहीं दे सकते यह कौनसा काम है। सदन में इस बात का जिक्र किया गया है कि जनता सरकार ने राजा रानियों की सेवा की लेकिन उन्होंने जनता की भी सेवा की। गांवों में पंचायत भवन बनवाये, गांवों में स्कूल भवन बनवाये, गांवों में लोगों को काम दिया उनको भूखों नहीं मरने दिया लेकिन आपकी सरकार ने क्या किया, आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया।

(4.05 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : दो मिनट शेष रह गये हैं।

श्री त्रिलोक सिंह : दो मिनट नहीं; अध्यक्ष महोदय, ऐसा हुआ तो हम मानने वाले नहीं हैं; ये लोग बीच में गड़बड़ करते हैं इनको रोकिये। यह आपकी जिम्मेदारी है।

श्री चेतराम मीणा : आप सरपंच नहीं हैं क्या?

श्री त्रिलोक सिंह : मेरे सीकर जिले में जहां खारा पानी है, करीब 50 गांव ऐसे हैं, पिछले साल एक किसान 16 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठा रहा कि उसके गांव को पानी दिया जाय लेकिन उसके गांव को पानी नहीं दिया गया। वहां के लोग अब भी पानी के लिए प्यासे मरते हैं। एक ओर पहाड़ियाजी ऐलान करते हैं कि 24 हजार गांवों को

(श्री त्रिलोक सिंह)

पानी दिया जायगा, कहां पानी है, जितने भी ट्यूब वैल्स हैं सरकार के, सबके सब निकम्मे हैं, किसी एक से भी पानी नहीं मिलता। मेरे इलाके में एक ट्यूब वैल है, उससे चार पांच गांवों को पानी देने की स्कीम है लेकिन किसी भी गांव को पानी नहीं मिलता, एक दूसरा ट्यूबवैल है जिससे दस बारह गांवों को पानी देने की स्कीम है लेकिन किसी एक को भी पानी नहीं मिलता।

श्री माननीय सदस्य : सब वैर में लग गये हैण्ड पम्प।

श्री त्रिलोक सिंह : रामगढ़ का इलाका पानी के लिए बिलबिला रहा है। मैं सरकार से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं सीकर जिले की जब यह हालत है तो बाड़मेर जिले की, जैसलमेर जिले की, बीकानेर चूरू की क्या हालत होगी? दोस्तों, राजस्थान के किसानों की फसलें बिजली के अभाव में उजड़ रही हैं उसकी जिम्मेदार यह पहाड़ियाजी की सरकार है। हम लोग दो तारीख को फैसला करेंगे, या तो यह सरकार रहेगी या हम रहेंगे।

(व्यवधान)

फसल नहीं जलेगी, कानून जल जायगा, फसल नहीं जलेगी, सरकार जल जायगी, हम सरकार की कब्र खोद देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह उम्मीद करता हूं कि किसान हमारा साथ देगा, राजस्थान की जनता हमारा साथ देगी। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में राजस्थान के किसानों के भेजे हुए विधायक बैठे हैं वह बिना अपनी पार्टी के आदेश से किसानों का साथ देंगे। आज किसानों की फसल जल रही है, किसान परेशान हैं, किसानों की फसल बर्बाद होने के कारण उनकी जिन्दगी बर्बाद हो रही है। अध्यक्ष महोदय, किस तरह राजस्थान की सरकार ने किसानों से वायदा किया कि वह अपनी फसल की बुवाई कर लें, किसानों को राजस्थान सरकार 15 घण्टे बिजली देगी। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि किसानों के साथ इस सरकार ने धोखा किया है। अभी सीकर में बिजली बोर्ड के उच्च अधिकारियों की बैठक हुयी थी उस बैठक में मुझे भी बुलाया गया था। कलेक्टर साहब भी थे, अधिकारियों की मीटिंग उनके यहां हुई जिसमें बिजली बोर्ड के अधिकारियों से कहा कि बोलो दोस्तों क्या कहते हो, आपने वायदा किया था हमारे किसान भाइयों से कि हम तुम्हें 15 घण्टे बिजली देंगे। अब आप यह कह रहे हैं कि पांच घण्टे बिजली देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मैं वहां पर एक कुएं पर जाकर रात को सोया तो मैं आपसे निवेदन करूं कि पांच घण्टे तो छोड़िये पांच मिनट भी बिजली उस कुएं पर नहीं आयी।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : शायद आपको नींद आ गयी होगी।

श्री त्रिलोक सिंह : मुझे नींद नहीं आयी पर मैंने देखा कि बिजली नहीं आ रही है। आज बिजली नहीं मिलने के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। उसके कारण किसानों में भयंकर आक्रोश है किसान बेकाबू हो रहा है। आज किसान बेजार हो रहा है। इससे दुखी होकर किसान दो तारीख को जयपुर को घेरने आ रहा है। आपकी सरकार क्या कर रही है? सुखाड़िया सरकार नहीं रही पहाड़िया सरकार उसके लिये क्या कर

(श्री त्रिलोक सिंह)

रही है ? हम देख रहे हैं किसानों के आने के डर से यह पहाड़िया सरकार यहां से भागना चाहती है सरकार यहां से भाग रही है। चाहे पहाड़िया जी दिल्ली चले जायं हमें क्या है। राजस्थान उनकी जागीर नहीं है, राजस्थान किसानों का है और राजस्थान किसानों का रहेगा। आज हमारे राजस्थान की 90 प्रतिशत जनता किसान इसका फैसला करेगा। किसान गरीब है पर 90 प्रतिशत किसान ही इसका फैसला करेगा। इसलिए मैं सभी सदस्यों, जो किसानों के रहनुमा हैं, से अपील करता हूं कि वह 2 तारीख को किसानों की मदद के लिए यहां रहें, यहां किसान आकर राजस्थान सरकार के सामने जयपुर में फरियाद करेंगे, जयपुर बन्द रहेगा। राजस्थान के किसान चाहे वह जैसलमेर का किसान हो चाहे बाड़मेर का किसान हो, चाहे बीकानेर और चूरू जिले का भूखा नंगा किसान हो, चाहे सीकर का किसान हो, चाहे झुन्झुनू का किसान हो सभी लोग अपनी दुख दर्द की कहानी को लेकर यहां आयेंगे। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप उनका स्वागत करने के लिये, किसानों के हकों की हिफाजत करने के लिये यहां रहना। हम उन किसान भाइयों की यहां पर हिमायत करेंगे और किसानों को उनका हक दिला कर रहेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री त्रिलोकसिंह : अध्यक्ष महोदय इन्हीं शब्दों के साथ यहां पर गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव आया है उस अभिभाषण में न कोई नीति संबंधी बात है न किसानों के भले की है इसलिये उसका विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के लोग इस निकम्मी सरकार को हिला देंगे और राजस्थान की सरकार की नींद को हराम कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का किसान इस अकाल का मुकाबला पूरी तरह से करेगा।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का पांचवां प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। संसदीय मन्त्री कार्य सलाहकार समिति का पांचवां प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करेंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा।

श्री हीरालाल देवपुरा (मंत्री, संसदीय कार्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति का पांचवां प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि कार्य सलाहकार समिति के पांचवें प्रतिवेदन को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सलाहकार समिति के पांचवें प्रतिवेदन की धारा चार में संशोधन प्रस्तुत करता हूं, "तारीख 2 व 3 मार्च, 1981 को सदन की बैठक हो और उसमें अकाल की स्थिति पर सदन में विचार किया जाय और दिनांक 4 व 5 मार्च, 1981 को सदन की बैठक हो उसमें अन्तर्राज्यीय जल विवाद पर विचार किया जाय।"

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि राजस्थान विधान सभा के इतिहास में यह पहला दिन है कि जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पर सदन में इस प्रकार की चर्चा हुई हो। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन विधान सभा का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सत्र शुरू होने वाला था उस दिन कई माननीय सदस्यों ने अकाल के विषय में अपने एडजोर्नमेन्ट मोशन इस सदन में प्रस्तुत किये थे। उस वक्त आपकी ओर से व्यवस्था के रूप में तो नहीं लेकिन संकेत के रूप में यह बताया गया था कि जब सदन में अकाल पर चर्चा होगी उस वक्त सभी माननीय सदस्य अपने अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्तावों पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिन से इस प्रश्न को लेकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा हो रही है और यह एक विवाद का प्रश्न बना हुआ है। अध्यक्ष महोदय, विवाद का प्रश्न पैदा हुआ कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आये धन्यवाद प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री के द्वारा जवाब देने के बाद 27 तारीख को, जो एक अशासकीय दिवस होता है, अकाल पर चर्चा की जाय या नहीं। अध्यक्ष महोदय, अशासकीय दिवस विधान सभा में बहुत कम आता है। वह 15 दिन में एक दिन आता है और उसमें भी लगभग आधा दिन रह जाता है उसमें माननीय सदस्य अपना संकल्प या कोई विधेयक इस सदन में प्रस्तुत करते हैं जब सदन में एक संकल्प प्रस्तुत हो जाता है वह संकल्प या कोई विधेयक सदन में चलता रहता है। इसकी, अध्यक्ष महोदय, एक लम्बी प्रक्रिया है। गैर सरकारी संकल्प या विधेयक, जो भी हो, चलते ही रहते हैं। जब तक वह समाप्त नहीं हो जाते तब तक दूसरे कोई संकल्प या विधेयक नहीं आते हैं। इसलिये 27 तारीख अशासकीय दिवस को मुख्य मंत्री जी का जवाब आने के बाद कोई सरकारी कार्य नहीं लिया जाय। इसमें ऐसा था कि 27 तारीख को कोई सरकारी कार्य भी होगा। जो प्राइवेट मेम्बर्स डे होता है उस दिन कोई सरकारी कार्य नहीं होता है। पर इस कार्य सलाहकार समिति के पांचवें प्रतिवेदन में उस दिन सरकारी कार्य रख कर एक परम्परा तो सरकार ने यह तोड़ी। अध्यक्ष महोदय, यहां पर मैं विरोधी पक्ष के नाते या सत्ता पक्ष के नाते कोई बात नहीं कहता. अध्यक्ष महोदय, दोनों ही पक्ष के माननीय सदस्य अगर चाहें तो अपना संकल्प या विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह हमारे नियमों में व्यवस्था है और यह माननीय सदस्यों का अधिकार है। अगर उस अधिकार पर सरकार की तरफ से कोई कुठाराघात होता है तो उचित नहीं है इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं 27 तारीख के पूरे दिन, मुख्य मंत्री महोदय के जवाब के बाद, जो भी गैर सरकारी संकल्प या गैर सरकारी विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाय उस पर ही चर्चा हो।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा खेद का विषय यह है कि सरकार कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन के अनुसार मार्च 2,3,4 को विधान सभा की बैठक नहीं रख रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार 2.3.4 को बैठक क्यों नहीं रख रही है। हालांकि बैठक नहीं होने पर भी विधायकों को भत्ता तो मिलेगा पर बैठक नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे अभी तक यह समझ में नहीं आ रहा है 2, 3 और 4 मार्च को राज्य सरकार विधान सभा की बैठक क्यों नहीं करना चाहती है जबकि सरकार के पास चार या पांच विधेयक पड़े हुए हैं? उन विधेयकों का इन 4 और 5 तारीख में पास किया जा सकता है। इसके अलावा एक आर्डिनेन्स भी है जिसको कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

राज्य सरकार को 42 दिन की निश्चित अवधि में पारित करना होगा। अध्यक्ष महोदय, उसको पारित ही नहीं करना है अपितु उसको पारित करके उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति भी लेना जरूरी है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 2, 3, और 4 मार्च को इन विधेयकों को पास किया जा सकता है इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि न केवल विरोधी पक्ष के सदस्य ही बल्कि कांग्रेस पक्ष के सदस्य भी अकाल के बारे चर्चा इस सदन में करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, 2, 3 और 4 मार्च को अकाल पर चर्चा हो जाय और 4 तारीख को विधेयक पर चर्चा हो। 5 तारीख को छुट्टी है और 6 तारीख को बजट पेश कर दिया जाय। उसके बाद दुबारा जब सदन का कार्यवाही हो तब कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग बुला कर यह तय कर लिया जाय कि किन-किन मांगों की प्रायोरिटी किस तरह रखनी है तथा किस किस दिन कौन कौनसी मांगें रखनी हैं। और भी कोई बजट की प्रक्रिया हो उस पर चर्चा की जाय। पर मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इन सभी बातों पर वहां पर चर्चा हुई। इतनी चर्चा वहां पर होने के बाद भी जो बातें वहां पर नहीं की गयीं, जिनकी चर्चा नहीं की गयी, जो वहां पर तय नहीं हुआ, जिसकी चर्चा ही उसमें नहीं हुई उसको इसमें सम्मिलित किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं वहां विराज रहे थे। आपने अध्यक्षता की थी और दूसरे माननीय सदस्य, जो सामने बैठे भी थे। आप स्वयं जानते हैं कि इस पर चर्चा नहीं हुई थी। वहां पर यह चर्चा नहीं थी कि बजट पेश कब किया जायगा, उसका उत्तर कब दिया जायगा, कितने दिन बजट की डिमान्ड्स पर चर्चा होगी, कब विनियोग विधेयक पारित किया जायगा। तो अध्यक्ष महोदय, बिना चर्चा के प्रतिवेदन को सदन में रखना कहां तक उचित है? यह सब बातें करना न केवल आपका बल्कि पूरे सदन का अपमान है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपके अधिकार खण्डित होते हैं तो उसमें मैं समझता हूं कि न केवल आपकी प्रतिष्ठा ही घटेगी बल्कि इस सदन की निश्चित रूप से प्रतिष्ठा गिरेगी। अध्यक्ष महोदय, कोई भी नहीं कह सकता कि इस बारे में चर्चा भी हुई है। माननीय हीरालाल देवपुरा वहां पर मौजूद थे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं कहूंगा आपको कि वहां पर चर्चा हुई।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपकी तो××× आदत है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप माननीय सदस्यों को गुमराह करने की कोशिश क्यों करते हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खेतसिंह जी, मैं गुमराह नहीं कर रहा हूं आप कर रहे हैं। आपकी असत्य बोलने की आदत ही पड़ी हुई है। आप क्या बोलते हैं उसकी हमें चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(104)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं यह निवेदन कर रहा था कि खेत सिंह जी को शायद चिंता नहीं हो सकती। इनको तो अकाल पड़े या नहीं पड़े, अकाल से पीड़ित वाले क्षेत्र के लोग चाहे मर जाय, चारे के लिए मर जायं, पानी के लिए मर जायं लेकिन खेतसिंह जी को तो चिन्ता रहती है कि अकाल पर यहां चर्चा नहीं हो। चर्चा क्यों नहीं हो? माननीय मुख्य मंत्री जी ने अजीब दलील दी कि मैं 2, 3 और 4 तारीख को दिल्ली रहूंगा और दिल्ली रहने के कारण से चर्चा नहीं हो सकती। एक दलील यह दी कि 2,3 और 4 तारीख को मैं प्रधान मंत्री जी से मिलूंगा और उनसे अकाल के लिए ज्यादा पैसा लाऊंगा और इन्टर डिस्प्यूट के ऊपर चर्चा कर सकूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी डिटेल में तो मैं कल कहना चाहूंगा लेकिन मैं आज कहूंगा कि जो कुछ अकाल के लिए मिल गया उससे भी ज्यादा धन लाना है तो इस सदन की मोहर और छाप के साथ आप दिल्ली जाते और फिर प्रधान मंत्री जी को कहते कि राजस्थान में इस प्रकार की अकाल की स्थिति है और माननीय सदस्यों के विचार इस प्रकार के हैं तब आपको ज्यादा फण्ड्स मिल सकते थे और उस समय आपको मदद मिलती लेकिन आपको उसकी भी चिन्ता नहीं है।

इन्टर स्टेट डिस्प्यूट्स के मामलों में आपका फौलादीपन हमने देख लिया। कम से कम हमें अब इस बात का तो भरोसा नहीं रहा कि हमारे मुख्य मंत्रीजी जाकर फौलाद की तरह प्रधान मंत्री के सामने खड़े रह जायं और इन्टर डिस्प्यूट को हम हमारे पक्ष में करवा लेंगे। हमको तो कोई उम्मीद नहीं है। चर्चा जिस समय होगी उस समय पता लगेगा लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं कि आप 2 और 3 को दिल्ली रहिये, हमारे लिए तो आप आज भी दिल्ली ही थे, अभी तशरीफ लाये हैं। कहीं कल आपका, पता नहीं था, परसों भी आपका कहीं पता नहीं था। हमारे लिए तो आप दिल्ली आगरा कहीं भी हों। राजस्थान विधान सभा भवन में यदि नहीं हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि आपके दिल्ली और आगरा में रहने में क्या अन्तर होता है। ऐसी स्थिति में मुख्य मंत्री जी 2, 3 और 4 को दिल्ली रहना चाहें रहें लेकिन क्या उनको विश्वास प्रभाकर जी पर नहीं है या उनका विश्वास श्री हीरालाल जी देवपुरा पर नहीं है, क्या उनका विश्वास श्री चन्दनमलजी बैद पर नहीं है? या अभी आपने कुछ नये मंत्री बनाये हैं, श्री बद्रीप्रसाद जी पर विश्वास नहीं है? आप ऐसे लोगों को अधिकार देकर चले जाइये। क्या प्रभाकर जी अकाल राहत की जो बहस होगी उसका जवाब नहीं दे सकते? मैं समझता हूं कि आराम से दे सकते हैं। जिन मिनिस्टर्स को बिल पाइलेट करने हैं वह मिनिस्टर जो भी चर्चा होगी उसका जवाब देंगे, आपको क्या परेशानी आ गयी? मैं परेशानी का कारण देखता हूं कि श्री लच्छूराम जी ने परशानी पैदा की है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में 2, 3 और 4 की बैठक को मन्जूर कर चुके थे पर इनके मुंह से निकल गया कि 2 तारीख को जयपुर बन्द है और विधान सभा के सामने प्रदर्शन होगा। खेतसिंह जी तो बड़े चतुर हैं बस इनको दो तारीख की याद आ गयी और कानाफूसी की और कहा कि 2, 3 और 4 को बैठक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

स्थिति पैदा कर दी। मैं फिर माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि राजस्थान विधान सभा के 30 वर्षों के इतिहास में, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा होना उसमें संशोधन लाना और संशोधन पर डिविजन कराना, इस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं हुई है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप इसको पारित करवाने के अन्दर बहुमत के आधार पर सफल हो जायेंगे लेकिन मैं समझता हूँ कि 30 वर्षों की परम्परा को आप तोड़ेंगे वह परम्परा नहीं टूटे इसलिए मैंने इस प्रकार का संशोधन रखा है जो मैं आपके सामने पढ़कर सुना देता हूँ —

आइटम नम्बर 2—इसमें सरकारी विधायी कार्य को विलोपित किया जाय। उसके कारण से 27 तारीख को धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का सरकार की ओर से उत्तर और गैर सरकारी कार्य यह दो चीजें हो गयीं। 28 फरवरी से 5 मार्च तक सदन की बैठक नहीं होगी। इसमें मैंने कहा है कि इसको विलोपित किया जाय और इसके स्थान पर 2, 3 और 4 को बैठक होगी। यह शब्द रखे हैं। 6 मार्च को बजट पेश किया जाय इसमें मुझे आपत्ति नहीं है। बजट पर आम बहस 6, 7, 8 आइटम को विलोपित किया जाय। जिस समय बजट प्रस्तुत किया जाय उस समय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाकर कितने दिन डिमाण्ड्स पर चर्चा होगी और विनियोग विधेयक पर चर्चा होगी किस दिन वह प्रस्तुत किया जायगा, किस दिन सप्लीमेन्टरी डिमान्ड्स रखी जायगी–इन सब बातों पर उस समय चर्चा की जा सकती है। इस आधार पर मैं अपना संशोधन मूव करते हुए मुख्य मंत्री जी से पुनः अपील करना चाहूंगा कि संख्या के आधार पर इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइये। यह परम्परा नहीं टूटे इस आधार पर मैं संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की तीन बैठकें आपकी अध्यक्षता में आपके चेम्बर में हुई जिसके बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि विरोधी दल के माननीय नेता से कभी उम्मीद नहीं थी कि वह यहां इतनी गलत बात कहेंगे। आपके सामने सारे डिस्कशन हुए और उस समय के बजट के बारे में यह कहा गया कि 6 तारीख को बजट पेश होना चाहिये। उसके बाद में 9, 10, 11 और 12 को उस पर जनरल डिस्कशन होगा उसके बाद 13, 16, 17, 18, 19, 23 और 24, 25, 26 और 27 मार्च को अनुदानों की मांगों पर डिस्कशन होगा और बजट पारित होगा 28 तारीख को सप्लीमेन्टरी डिमाण्ड होनी चाहिये। 30 तारीख को एप्रोप्रियेशन बिल पास करना चाहिये यह सारा का सारा बिजनेस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने कलेण्डर लेकर बैठ कर तय किया गया था। उस समय आपका ध्यान कहीं और होगा मुझे मालूम नहीं। आप बोले तक नहीं और आपने इस बात को मंजूर किया कि ठीक है। यह कहने के बाद आपसे बात हुई कि तारीख 2, 3 और 4 को मीटिंग रखी जाय या नहीं। उस समय मैंने निवेदन किया था और यदि आपको याद हो तो मैंने कहा था कि 27 तारीख को चूंकि सदन के माननीय सदस्य अकाल पर बोलना चाहते हैं गैर सरकारी संकल्प को नहीं लेकर यदि उस रोज आधे दिन तक हम अकाल को डिस्कस करलें 28 को पूरे दिन

(श्री खेतसिंह राठौड़)

विचार विमर्श कर लें और उसके बाद माननीय सदस्य अपनी अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी में जाय तो ठीक रहेगा। उस पर विरोधी दल के उपनेता महोदय श्री चतुर्वेदी जी ने कहा कि हमारी पार्टी का पहले से प्रोग्राम बना हुआ है और हमें अपनी अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी में जाना है तब उस समय विरोधी दल के नेता खामोश रहे और बोले नहीं और उन्होंने मान लिया कि 27 तारीख को मत रखो। और 28 को भी चर्चा मत रखो इसके बाद में रख लेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपको याद हो तो विरोधी दल के नेता महोदय ने स्वयं ने कहा कि इसको कभी बाद में रख लेंगे।

मैंने यह भी निवेदन किया था कि अधिकांश सदस्य चाहते हैं कि अकाल पर डिस्कशन हो जाना चाहिये लेकिन विरोधी दल वालों का आग्रह था कि 27 और 28 को मत रखिये और जिस समय डिमाण्ड्स आयें उस रोज सबसे पहले डिमाण्ड अकाल पर रखी जाय इस पर डिस्कशन हो जाय। यह उनका ही सुझाव था। मेरा नहीं था। यह सारे डिस्कशन आपके सामने हुए हैं।

फिर मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अन्दर हमेशा एक राय से काम होता है। हमने इनके कहने से 4 दिन पूरे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के लिये रखे। आज तक की परम्परा में चौथे दिन हमेशा धन्यवाद के प्रस्ताव पर मुख्य मंत्री का जवाब होने के बाद में उसको पारित किया जाता रहा है। यही नहीं, जिस समय इनकी सरकार थी तो दो दिन इसमें सिर्फ राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर दिये और तीसरे रोज उसको पारित कराने की कोशिश की। यही नहीं, जिस समय इनकी सरकार थी तो कई बार इन्होंने विरोधी दल को नजर अन्दाज करते हुए सारी डिमाण्ड्स इसी तरह से पारित करवाने की कोशिश की। हम जितना ज्यादा कोआपरेशन इनसे करने की कोशिश करते हैं उतने ही ज्यादा इनकी नीयत यह रहती है कि चढ़ने की कोशिश रहती है। हमारी हमेशा यह भावना रही है कि विरोधी दल के सारे सदस्यों से पूछकर सारी कार्यवाही की जाय लेकिन इन्होंने यह तय कर रखा है कि इस मामले में आज सवेरे भी आपने देखा कि जान बूझ कर इस प्रकार की परम्परा डालने में इन्होंने विश्वास करना शुरू कर दिया है कि जो पहले की परम्परायें रही हैं, उनको छोड़ कर यह नया तरीका अपना रहे हैं। आप तो कई वर्षों तक विरोधी दल के नेता रहे हैं और आपने वही सारी बातें की हैं। तो आपने कोई एतराज नहीं किया और उस समय एतराज नहीं करने के कारण बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का यह प्रतिवेदन आपके सामने आया और यहां आपने एतराज किया, यह क्या आपके लिये शोभा की बात है? आपको सोचना चाहिये। आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं और पहले घनश्याम जी तिवाड़ी ने प्रस्ताव रख लिया और आपने भी रख दिया। आपके सामने सारे डिस्कशन हुए थे···

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : मैंने प्रस्ताव किया है वह किसी के कहने से नहीं रखा। मैं आपकी तरह से नहीं हूं कि जो मुख्य मंत्री जी के कहने से बोलता रहा हूं।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
मैं अपनी इच्छा से बोलता हूं

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपको भगवान अक्ल दे कि आप नेता का कड़ा मत बांधना। मैं तो मेरे नेता के कहने का इशारा मानता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कहना तो मानूंगा लेकिन ××× की तरह नहीं बोलूंगा।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह तो मनमानी है ××× है।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, ××× शब्द असंसदीय है और इसको हटाया जावे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जो शब्द उन्होंने कहे हैं वे जानें, उनकी पार्टी वाले जानें।

श्री अध्यक्ष : ××× का मतलब कहना ही कहना, करना कुछ नहीं। इस शब्द पर विचार करूंगा, बाद में निर्णय दूंगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपने व्याख्या कर दी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कहना ही कहना और करना कुछ नहीं, इसका मतलब...

श्री अध्यक्ष : मैं निर्णय सुरक्षित रखता हूं। कौन नहीं है इसका फैसला करना है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : विरोधी दल के नेता महोदय से निवेदन करूंगा अपने यहां जो परम्परायें रही हैं जो संशोधन प्रस्ताव रखा है, वापस लिया जाय। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप स्वयं उपस्थित थे, उप नेता उपस्थित थे उनके सामने सारी बातचीत हुई है उसके बाद सारे निर्णय लिये गये हैं। यही आग्रह करूंगा कि संशोधनों को वापस लेकर सर्वसम्मति से इसको पारित करें।

श्री त्रिलोक सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रतिवेदन पर कुछ बोलना है। कार्य सलाहकार समिति ने यह फैसला किया है कि हम दो और तीन तारीख को देश के अकाल के बारे में चर्चा करेंगे। यह तो इस सरकार को जब यह पता लगा कि दो तारीख को व्यापारियों से मुकाबला करने वाले हैं इसलिये यह प्रतिवेदन भेजा है। अब भी मैं माननीय खेतसिंह जी से और मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि देश के किसानों की हालत को देखते हुए, दो और तीन तारीख को अकाल के बारे में बहस की जाय। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि अकाल की तस्वीर सामने आयेगी इस पर जो बहस होगी हमारे मुख्य मंत्री जी दिल्ली जायेंगे दिल्ली जाकर केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालेंगे। देश के लोगों को अकाल से बचाने के लिये देश की हालत को बचाने के लिये केन्द्रीय सरकार हमारी मदद करे और अकाल पीड़ित राजस्थान को मुक्ति दे सके इसलिये मैं दुबारा श्रीमान खेतसिंह जी और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो पहले का कार्यक्रम था कि दो और तीन तारीख को प्रदेश के अकाल पर एक विस्तृत बहस होगी...

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री **अध्यक्ष** : संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री **त्रिलोक सिंह** : जैसलमेर की क्या स्थिति है, चूरू, बीकानेर, नागौर और प्रदेश के दूसरे इलाके की क्या हालत है ? जिद का सवाल नहीं होना चाहिये। पार्टी का सवाल नहीं होना चाहिये न ही पार्टी की जीत हार का सवाल होना चाहिये। देश के किसानों का सवाल है। उन करोड़ों लोगों का सवाल है जो रोटी और रोजी से दबे रोटी और पानी के लिये बिलबिला रहे हैं। यह जिद का सवाल नहीं है अगर आप तसल्ली से सोचेंगे आपको पता लगेगा यह कोई बेजा बात नहीं है विरोधी दल की मांग है। यह तो ऐसी मांग नहीं है कि आपके राज्य को गिराना चाहते हैं आपकी सरकार को गिराना चाहते हैं. यह भी मांग नहीं कि कांग्रेस पर इल्जाम लगाना चाहते हैं करोड़ों और लाखों जो अकाल से पीड़ित हैं प्रदेश में उनको ध्यान में रखकर···

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री **त्रिलोक सिंह** : इसलिये···

एक माननीय सदस्य : समय की बर्बादी का ध्यान रखें।

श्री **त्रिलोक सिंह** : इसलिये तिवाड़ी जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री **लच्छूराम** (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, बी.ए.सी. का पांचवा प्रतिवेदन जो पेश किया है इसमें संशोधन तिवाड़ी जी ने रखे हैं सरकारी विधायी कार्य के लिये 2,3,4 को कार्य रखने के लिये। यह बात खेतसिंह जी ने फर्माई कि यह सबके सामने तय हुआ मेरी समझ में बिलकुल ही ××× बोल रहे हैं····

श्री **अध्यक्ष** : ××× शब्द को कार्यवाही से निकाला जाता है।

श्री **लच्छूराम** : असत्य बोल रहे हैं···

श्री **अध्यक्ष** : असत्य भाषण कर रहे हैं।

श्री **लच्छूराम** : असत्य भाषण कर रहे हैं। यह कोई पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है जैसा कि हमेशा से परम्परा रही है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का सर्वसम्मति से निर्णय होता है उसमें किसी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं होता। इसी तरह से आज जो प्रतिवेदन पेश किया गया है, मैं समझता हूं, बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी के विरोधी पक्ष के सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्यों, माननीय मुख्य मंत्रीजी को छोड़कर, की इच्छा के खिलाफ है। पहले 23 तारीख को इस बात पर विचार हुआ था खेतसिंह जी ने खुद कहा था कि डिबेट दो और तीन तारीख को होनी चाहिये और अकाल के ऊपर डिबेट बहुत जरूरी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव इस ओर से आये थे इसी संदर्भ में रिजर्व रखे जब अकाल की डिबेट कर रहे हैं इस पर विस्तृत चर्चा हो जायगी, तो खेतसिंह जी का यह कहना कि सर्वसम्मति से सारी कमेटी ने 6 तारीख को बजट उसके बाद डिमाण्ड्स के बारे में तय किया। आज तक कोई परम्परा नहीं है, कोई चर्चा नहीं हुई है। हमेशा से यह परम्परा रही है कि बजट

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री लच्छूराम)

के पेश होने के बाद, वित्त मंत्री के भाषण के होने के बाद, किस डिमाण्ड के बारे में कितने दिन बहस होगी, सारा प्रोग्राम बाद में तय किया जाता है। बजट 6 तारीख को हो रहा है। प्रोग्राम आज ही आ रहा है यह बिलकुल न्याय संगत नहीं है। माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने जो यह कहा कि भैरोंसिंह जी ने इसका विरोध नहीं किया। यह बात सत्य नहीं है। मैं भी वहां मौजूद था। भैरोंसिंह जी स्ट्रेस करते रहे दो, तीन, चार को कार्य रखने के लिये, खेत सिंह जी ने कहा था दो तारीख को बजट होगा। हरिदेव जोशी ने कहा मुख्य मंत्री जी से पूछो। आधे घंटे में वापस आये वापस आकर उत्तर दिया, 6 तारीख को बजट होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे खेतसिंह जी के ध्यान में था बजट 2 तारीख को पेश होगा। मुख्य मंत्री जी ने कहा 6 तारीख को होगा। उन्होंने जिद की, दो तारीख को हो रहा है। मुख्य मंत्री जी ने कहा 6 तारीख को होगा। उस डिस्प्यूट में नहीं जाना चाहता लेकिन इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई। इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अकाल के बारे में दो और तीन तारीख को बहस हो जाय। हमने तो यह भी मान लिया था कि 27 और 28 को चर्चा कर लें 28 तारीख को छुट्टी मत रखो, 28 को चर्चा करो और 2–3 को कर लो, विधायी कार्य ले लो। लेकिन ये सारी बात केवल प्रदर्शन करने से राज्य सरकार को प्रदर्शन का डर हो, हम चाहते हैं कि हमारी जो परम्परायें हैं हमेशा की, कार्य सलाहकार समिति की जो परम्परा रही है उसको तोड़ना वाजिब नहीं है इसलिए मैं माननीय सदस्यों, जो इस तरफ के हैं और उस तरफ के हैं, से अनुरोध करूंगा कि माननीय घनश्याम जी ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने के लिए पास करने के लिए किसी प्रकार का विघ्न पैदा नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आपको अवसर दिया गया था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैंने प्रस्तुत कर दिया था, बोला नहीं था।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल 3 दिनों की बैठक में 2 दिन मैं उपस्थित था और चीफ व्हिप महोदय ने अपनी बातचीत में उसका भी जिक्र किया है, उन दोनों दिनों की बैठक में 6 तारीख के कार्यक्रम के बाद कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी, कौन से दिन जनरल बहस होगी, कौन से दिन डिमाण्ड्स होंगी, कौन-कौन से दिन यह होगा, इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। एक दिन मैं उपस्थित नहीं था, उसका पता नहीं, किन्तु दोनों दिन जिसको डिसीजन का दिन कहते हैं, लास्ट दिन उस दिन भी 6 तारीख के बाद किसी भी तारीख के कार्यक्रम की कोई बात नहीं हुई। इसलिए इस दृष्टि से मेरा नाम लिया गया है. मैं कहना चाहता हूं कि 6 तारीख के बाद का कार्यक्रम किसी भी दृष्टि से किसी भी स्तर पर तय नहीं हुआ। जहां तक 28 तारीख का सवाल है, 28 तारीख शनिवार है, एक तारीख रविवार है। सामान्य रूप से इसके पहले जो बैठकें हुई थीं, उसमें 26 तारीख तक के कार्यक्रम आये थे। शनिवार और रविवार को कार्यक्रम नहीं होते। इस प्रकार

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

की मन में इच्छा रखकर मैंने बैठक में जिक्र किया था कि हमने हमारे सारे एम. एल. एज. के इस अकाल के क्षेत्र को दुबारा अजेन्ट कन्डीशन देखने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम बनाये हैं. शनिवार को सामान्य रूप से बैठक नहीं होती और इसलिए 28 को कार्यक्रम मत करिये और सारी स्थिति के आंकलन की दृष्टि से 2–3 तारीख ऐसी रहेगी जब विस्तार से हम अकाल की दृष्टि से चर्चा कर सकेंगे। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, यदि इस कार्यक्रम को देखेंगे तो साढ़े नौ दिन केवल डिमाण्ड के लिए हैं, साढ़े नौ दिन। शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उसमें भी जैसा चीफ व्हिप बताते हैं कि एक दिन अकाल के लिए रखा है अकाल के क्षेत्र से बहुत से महानुभाव आये हैं, यहां एक दिन की चर्चा अकाल की दृष्टि से पूरी नहीं हो सकती। यह बड़ी विषम समस्या है। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में उसका इतना बड़ा जिक्र किया है, उसके पीछे इतने पेज रंगे हैं तो कम से कम 5 दिन इसमें चले गये तो साढ़े सात दिन डिमाण्ड के लिए रहेंगे। यह कहना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है कि माननीय मुख्य मंत्री जी बहुत आवश्यक कार्य से दिल्ली जायेंगे। वहां पधारें, वहां हमारे लिए बहुत बड़ा काम करके आयें, अकाल के लिए पैसा लेकर आयें, उनका स्वागत है इन्टर स्टेट के लिए हमारे लिए बिजली लायेंगे, हमारे लिए पानी लायेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। किन्तु अब तो मन्त्रिमण्डल बहुत बड़ा बन गया है, काम बट गया है। अकाल की चर्चा यहां 2 दिन हो जाती है और 4 तारीख को भी मिल बैठकर सारे विधेयकों पर चर्चा हो जाती है वर्ना जैसे विधेयकों का सवाल आकर खड़ा हुआ तो बाकी चर्चा का सवाल आया था कि जिस विधेयक को किसी पास करने वाले दिन बीच में लगा देंगे। इस प्रकार की मन में आशंका होने के कारण विरोधी दल के माननीय नेता ने जो संशोधन रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं और माननीय मुख्य मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि यह प्रेस्टिज इश्यू नहीं है, आप बहुमत में हैं, आपकी संख्या बहुत अधिक है, यह बात सही है किन्तु आपके प्रदेश की सारी चिन्ताओं की दृष्टि से विचार करने बैठें, पूरा समय मिले। 2-3-4 के बारे में जब जनता में यह बात जायगी कि हम इसका एलाउन्स तो ले रहे हैं और किसी अनावश्यक कार्य के कारण यह बैठक नहीं हो रही है तो हमारी छवि क्या बनेगी जनता में? इसका विचार भी करने की आवश्यकता है इसलिए जो संशोधन रखा है, 2–3–4 को कार्य हो, 2–3 तारीख को अकाल पर बहस हो, 4 को विधेयकों पर चर्चा हो और 27 तारीख को विधायी कार्य न होकर केवल मात्र प्राइवेट जो इस प्रकार के विधेयक हैं उन्हीं पर चर्चा की जाय। यह संशोधन जो रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

कार्य सलाहकार समिति की बैठक की मिनट्स का माननीय सदस्यों द्वारा अवलोकन

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पाइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में जिस प्रकार के व्यूज आये हैं विरोधी पक्ष के एक माननीय नेता ने रखा है कि कार्य सलाहकार

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

समिति की बैठक में यह बात कही, उसका दूसरा पक्ष माननीय खेतसिंह जी ने प्रस्तुत किया है। हो सकता है इसमें मतदान की स्थिति आये, तो माननीय सदस्यों के सामने जो ठीक तस्वीर है कि कार्य सलाहकार समिति की बैठक में क्या हुआ उसके जो मिनट्स हैं, उनके अवलोकन की व्यवस्था की जाये। इस पर मतदान कराने से पहले जो उस मीटिंग में हुआ था इसका स्पष्टीकरण करें कि उसमें क्या हुआ, उसके बाद में इस सदन को कार्य सलाहकार समिति की कार्यवाही का पता चल जायेगा क्योंकि दो पक्ष हैं तो इसके पहले इसको स्पष्ट किया जाय।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि अलग अलग दलों के नेताओं ने एक ही विषय पर उस बैठक में क्या हुआ या क्या गुजरा अलग-अलग तरह की बातें कही हैं इसलिए, माननीय सदस्य श्री घनश्याम जी तिवाड़ी का यह कहना है कि समिति के जो मिनट्स हैं, वह माननीय सदस्यों को दिये जायं। मिनट्स माननीय सदस्यों को आम तौर से उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। मैं स्वयं उपस्थित था सदन की तरफ से और 3 बैठकें हुई अलग अलग समय पर उनमें भी था यह नहीं है कि माननीय सदस्यों ने अलग अलग विचार व्यक्त किये और जो स्थिति सामने अभी आयी है उसी तरह के विचार थे। एक पक्ष का कहना एक था दूसरे पक्ष का कहना दूसरी बात थी। मैं, समझता हूं कि उस गहराई में, समिति में क्या हुआ, जाने की आवश्यकता नहीं है। यह दुर्भाग्य की बात है कि तीस साल की यह स्वच्छ परम्परा हमारे सदन की थी, वो टूटने जा रही है कि इस पर मतदान होगा। लेकिन यदि माननीय सदस्य या कोई अपने संशोधन को वापस नहीं लेते हैं अथवा सत्तारूढ़ दल इस संशोधन को स्वीकार नहीं करता है तो इसका निर्णय इस स्थिति में मतदान द्वारा ही हो सकता है, अन्यथा इसका कोई विकल्प नजर नहीं आता इसलिए सरकार की ओर से विधि मन्त्री या संसदीय कार्यों के मन्त्री जी कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक बात स्पष्ट कर दूं कि यह 6 तारीख के बिजनेस की चर्चा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की तरफ से···

श्री अध्यक्ष : वह मत कहलायें, वह क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मैं भी जानता हूं और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन मैं आसन की तरफ से क्योंकि यह उचित नहीं होगा···

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर सदन में प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समय सीमा

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर है। रूल नं. 215 का प्रोविजो पेज 67 पर है "Provided further that not more than half an hour shall be allotted for the discussion of the motion and no member shall speak for more than five minutes on such motion".

श्री अध्यक्ष : ये नियम हमारे ध्यान में है लेकिन आसन को अधिकार है कि वो चर्चा को थोड़ा बढ़ा भी सकता है इसलिये परिस्थितियों को देखते हुए पहला यह प्रश्न आया है तो नियमों में छूट देने की बात है·····

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी राय से सहमत हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि बार-बार परम्पराओं की बात कहकर हम किसी डिस्कशन को एक डेढ़ घण्टा लेट करना चाहते हैं इसलिये मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का पांचवां प्रतिवेदन

श्री हजारी लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, कल जो मीटिंग हुई थी, वह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग नहीं थी वस्तुत: वह एक और कमेटी की मीटिंग थी। उसके सदस्य अलग थे और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के कुछ सदस्य दोनों मीटिंग्स में कामन होने के कारण से, उपस्थित थे इसलिये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बात भी करनी पड़ी। वस्तुतः वह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई हुई नहीं थी। दूसरी बात यह है कि 24 तारीख के पहले जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई उसमें मैं मौजूद था और उसमें यह बजट और बजट के पहले की चर्चा का कहीं जिक्र नहीं था सिर्फ यह जिक्र था कि शनिवार को हमारे इधर के सदस्य चाहते थे कि छुट्टी रहे और खेतसिंह जी महाराज चाहते थे कि छुट्टी नहीं रहे। इस पर मैं और मोहन जी मोदी एग्री कर गये, सहमत हो गये कि शनिवार को भी काम किया जा सकता है इसके बाद की जो बातें हैं, वह नहीं थीं, डिस्कस नहीं हुई और कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग कतई नहीं थी, वह तो अनौपचारिक बातें थीं, इसलिये उसके आधार पर कोई निर्णय आप लेंगे तो वह ठीक नहीं होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय हजारी लाल जी शर्मा ने बताया कि 24 तारीख को मीटिंग रखी थी, वह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग नहीं थी और जो प्रतिवेदन दिया गया है ...

श्री अध्यक्ष : प्रातः 10.30 बजे हुई। वह आइडेन्टीफाई की गई है। मैं भी कह रहा हूं, मेरी बात भी सुन लें। ऐसा हो रहा है। नोटिस निकाला गया था, टेलीफोन से सूचना दी गयी थी कि साढ़े दस बजे प्रातः मीटिंग होगी और उस वक्त आपके दल के प्रतिनिधि माननीय चतुर्वेदी जी ने कहा कि 3 बजे तक इसको सर्कुलेट न किया जाय। 3 बजे तक सर्कुलेट नहीं किया गया, 3 बजे पुनः हो सकता है कि माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे वह दूसरी मीटिंग में उपस्थित नहीं थे। किसी ने भी यह एतराज भी नहीं किया और दूसरी मीटिंग हुई उसमें सिवाय एक दो सदस्यों के अलावा सभी उपस्थित थे सदस्यगण सभी दलों के ....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : Another point of order.

श्री अध्यक्ष : ... इसलिए उस पर टेक्निकल एतराज करना कि वह मीटिंग नहीं थी, मैं उसको ठीक नहीं समझता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : Another point of order, Sir.

श्री हजारीलाल शर्मा : जो आए थे वे भी चले गए इसलिए कि यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : Another point of order, sir. इस विवाद से यह स्पष्ट है कि छः तारीख के बाद के बिजनेस के बारे में बिजनेस एडवाइज़री कमेटी की

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
मीटिंग में बात आई ही नहीं। यह बात स्पष्ट हो गई है।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : कहां से स्पष्ट हो गई ?

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में मैं कोई मत व्यक्त नहीं करना चाहता लेकिन जो विवाद था वह 2, 3 और 4 तारीखों के बारे में ही था। दूसरी तारीखों के बारे में इतना विवाद भी नहीं था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जब तक सदन के सामने यह स्पष्ट नहीं हो जाय कि छः तारीख के बाद के कार्य के बारे में तय हुआ या नहीं हुआ, तब तक यह प्रतिवेदन सदन के सामने नहीं आ सकता। तब तक यहां विचार नहीं हो सकता। अतः ...

श्री प्रद्युम्नसिंह : कैसे विचार नहीं हो सकता ?

(व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा (मंत्री, संसदीय कार्य) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी मजबूरी है कि मैं विरोधी पक्ष के माननीय नेता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को और माननीय श्री चतुर्वेदी जी के प्रस्ताव को श्री तिवाड़ी जी के प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। अध्यक्ष महोदय, सरकारी पक्ष भी कभी यह नहीं चाहता कि इतने वर्षों की जो परम्परा बनी हुई है, एक अच्छी परम्परा बनी हुई है, उन परम्पराओं को छोड़ा जावे, उसको तोड़ दिया जावे और यही कारण था, अध्यक्ष महोदय, कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो पहली मीटिंग हुई, यदि सरकारी पक्ष के मन में बहुमत के आधार पर फैसला कराने की बात होती तो उसी दिन फैसला किया जा सकता था। विरोधी पक्ष के माननीय नेता के विरोध के बाद में फैसला किया जा सकता था। लेकिन केवल इसी वजह से कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हमेशा कांसस होकर आई है और सदन में यह सर्व-सम्मति से प्रस्ताव पास किया गया है। इसी वजह से दो तीन मीटिंगें करनी पड़ीं जब कि इन मीटिंगों की आवश्यकता ही नहीं थी। मैं विनम्र शब्दों में विपक्ष के माननीय नेता महोदय से कहना चाहूंगा कि वे इसको गंभीरता से लें। इसी सम्बन्ध में जब आखिर में मिले थे, जो मीटिंग हुई थी उसमें आपने स्वयं ने यह कहा था कि ठीक है चलने दीजिए। 27 और 28 की बात को स्वयं उन्होंने माना था। सिवाय चतुर्वेदी जी का कहना था कि उनके प्रोग्राम बने हुए हैं इसलिए शनिवार की मीटिंग नहीं रखी जानी चाहिए। हमने स्वीकार किया और ऐसी स्थिति में शनिवार को मीटिंग नहीं रखी गई। 2, 3 और 4 की बात पर जरूर बहस हुई थी और उस समय जरूर यह बात कही गई थी कि मीटिंग्स होनी चाहिए। मुख्य मंत्रीजी भी मौजूद थे उस वक्त यह कहा गया था कि उन्हें दिल्ली जाना है और कुछ ऐसे कारणों से जाना है जिनकी वजह से उनका जाना जरूरी है, जो बहस सदन में आप करना चाहते हैं, चाहे फेमिन रिलीफ की हो, चाहे अन्तर्राज्यीय पानी और बिजली के विवादों का सम्बन्ध हो, उस सम्बन्ध में बहस करना चाहते हैं। हमारी तरफ से यह कहा गया था कि इन बहसों में मुख्य मंत्रीजी का रहना आवश्यक है। जवाब तो सम्बन्धित

(श्री हीरालाल देवपुरा)

मंत्री भी दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं लेकिन इण्टर स्टेट का जहां मामला है और सेंटर से कुछ लेने की बात हो, उस समय अगर मुख्य मंत्रीजी यहां पर रहेंगे तो सेंटर से क्या लेना चाहते हैं और क्या आश्वासन मिले हैं, उस बारे में वे स्पष्टीकरण कर सकते हैं। यह बात 2,3 और 4 की मीटिंगों के बारे में हुई थी। इसलिए यह कहना कि कांशस नहीं हुई, मैं समझता हूं कि यह सही उत्तर नहीं होगा। कांशस हुई थी और अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में हुई थी। यह जो मुद्दा उठाया गया तो आपने अध्यक्ष महोदय, स्वयं ने स्पष्ट कर दिया है कि 24 तारीख की मोर्निंग की मीटिंग के लिए विधिवत् नोटिस निकाला गया था। सभी सदस्य मौजूद थे। यह सही है कि उसके बाद दूसरी कमेटी की मीटिंग चल रही थी उस कमेटी में बहुत से सदस्य बैठे हुए थे जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के मैम्बर भी थे और इसीलिए उस मीटिंग को कन्वर्ट कर लिया गया और उस मीटिंग में यह फैसला किया गया। जहां तक प्रश्न छः तारीख को बजट पेश करने का है, उसके बाद के दिनों का प्रश्न है, चार दिनों तक सामान्य बहस होगी और उसके बाद डिमाण्ड्स पर बहस होगी। क्योंकि यह प्रश्न विवादास्पद नहीं था। मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि उसी समय कलेण्डर वहां पर लाया गया। छः तारीख को बजट पेश करने की बात आई तो उस समय यह सवाल आया था कि मुख्य मंत्रीजी कब बजट पेश करना चाहते हैं, दुबारा पूछ कर बतायें। हमने इन्फार्मेशन कलेक्ट करके बतायी थी कि छः तारीख के आगे बजट पेश होता है तो 30 मार्च तक पास नहीं किया जा सकेगा। इसलिए छः तारीख को ही बजट पेश होगा और मैं यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि उसी वक्त पुरानी प्रोसिडिंग्स मंगा कर देखी गई थीं कि परम्परायें क्या रही हैं? चार दिन की बहस होती है, पांच दिन की बहस होती है, कितने दिनों की सामान्य बहस होती है उसमें देखा गया तब मालूम हुआ कि सन् 79 में जब यहां बहस हुई थी उस वक्त दो दिन ही सामान्य बहस हुई थी। इसके लिए चर्चा हुई थी कि दो दिन की सामान्य बहस हुई है तो हम तो चार दिन दे रहे हैं। इसलिए यह कहना कि इन बातों पर वाद-विवाद नहीं हुआ, प्रश्न नहीं उठता, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद डिमाण्ड्स के दिन गिने गए। 13 तारीख के बाद 14 तारीख की छुट्टी है। डिमाण्ड्स के दिन गिने गए कि 13 से शुरू करके दस दिन कब पूरे होते हैं। छुट्टी को निकाल कर 27 तारीख को दस दिन पूरे होते थे। डिमाण्ड्स के दिन गिन करके फिर यह कहा गया था कि एप्रोप्रियेशन बिल कब आएगा, कब पास किया जाएगा। ये सारी बातें उस दिन हुई थीं, लेकिन विवाद का विषय मुख्यतः तारीख 28 और 2,3 और 4 तारीख रहा इसलिए यह चीजें उसके अन्दर उस दृष्टि से अलग हो गई और उन्हीं पर केन्द्रीय बिन्दु रह गया कि इन दिनों में मीटिंग करनी है या नहीं। वस्तुतः छः तारीख से 30 तारीख तक यह तो स्वीकृत ही है। इसमें कोई सवाल नहीं था। अब रहा सवाल 2,3 और 4 तारीख का, उस पर खास तौर से यह कहा गया कि नहीं हो पाएगी तो विरोधी पक्ष के माननीय नेता ने यह कहा कि ठीक है ऐसा ही है तो चलने दीजिए। इसी के आधार पर हमने 27 और 28 तारीख को फेमिन पर डिस्कशन करने

(श्री हीरालाल देवपुरा)

की बात कही तो उन्होंने खुद कहा था कि अभी पोस्टपोन कर दीजिए, आगे फैमिन डिस्कस कर लिया जाएगा। यह बात उन्होंने स्वयं कही थी।

इसलिए मैंने जो कुछ भी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है वह प्रतिवेदन फैक्टस पर प्रस्तुत किया है। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अन्दर वाद-विवाद होने के बाद, कांशस के आधार पर तय किया गया था वही प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि इन दोनों प्रस्तावों को अस्वीकार किया जावे और जो प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जावे।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : पहले सदन का समय बढ़ा दें। कितने समय के लिए बढ़ायें?

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक घण्टे के लिए और बढ़ा दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घण्टे के लिए और बढ़ाया जावे?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया गया।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का पांचवां प्रतिवेदन

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ विशेष कहने की बात नहीं रही है। केवल मैं एक ही बात का उत्तर देना चाहूंगा और खास तौर से मुख्य सचेतकजी ने कहा कि मैंने इस बात को स्वीकार किया था कि 28 तारीख को बैठक नहीं होनी चाहिए और उसको माननीय विधि मंत्रीजी ने जिस रूप में कहा कि मैंने कह दिया था कि अच्छा चलने दो। यही बात है ना? वह चलने दीजिए कि बात इन-प्रोटेस्ट कही थी। हम उठ कर आए। जब आप नहीं मान रहे हैं...

श्री हीरालाल देवपुरा : यह बात आप कह रहे हैं, यह नहीं था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बात सुन लीजिए। सब बातें सामने आ जायेंगी।

श्री अध्यक्ष : एक ही बात के दो मतलब निकल सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमने प्रोटेस्ट के रूप में यह कहा था कि आप नहीं मान रहे हैं तो आपकी मर्जी आए वैसे चलेंगे, चलिये। आप इसका अर्थ मेरी स्वीकृति मान लें, ऐसी बात नहीं थी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप कहते हैं कि मान नहीं रहे हैं तो चलने दीजिए...

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो आपकी आदत है। खेतसिंहजी आप मेरे से छेड़खानी मत करिये, यह आपकी आदत है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई थी उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से तीन महानुभाव आए थे। एक खेतसिंहजी, एक देवपुराजी और एक जोशीजी। मैंने उनसे पूछा कि आपमें से अधिकृत कौन है उस

116

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

समय तीनों ही एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। तीनों ने सलाह करके खेतसिंहजी को भेजा कि तीनों में से अधिकृत कौन है यह पूछ कर आओ। आपको याद होगा कि खेत सिंहजी ने वापस आकर कहा था कि मैं पूरे अधिकार लेकर आया हूं। उस समय, मैं समझता हूं, मैंने कहा था कि मुख्य मंत्री जी अधिकार इस तरह से देने वाले नहीं हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वहां पर हर एक बात हुई हो वह डिस्कशन में कभी नहीं आई। आप क्यों इस तरह की बात कहते हो। फिर मैं यह कहूंगा कि चतुर्वेदीजी ने यह कहा था कि मैं भी सारी शक्ति लेकर आया हूं। कोई इससे मतलब नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह बात नहीं कहता, अध्यक्ष महोदय, जो पहाड़ियाजी ने कही थी।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपके बारे में कही थी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहाड़ियाजी ने जो बात कही वह नहीं कहता। मेरी बात की उन्होंने भी ताईद की थी। जब राजा महेन्द्र प्रतापसिंह का किस्सा आया पहाड़िया जी ने सदन में एक बात कही थी। कौन से राजा, बादशाह आये उनको महेन्द्र प्रतापसिंह जी ने अपने आत्मपरिचय कराया कि "I am Raja Mahender Singh, Chairman of the Princes, Federation." पहाड़िया जी ने कहा पीछे नेहरू जी खड़े हैं। उन्होंने उसमें एड कर दिया "of which he is the only member". यह इस संदर्भ में कहा था। मैंने पहाड़िया जी से कहा कि आपने मंत्री मण्डल ऐसा बना रखा है, सिवाय आप के बाकी कुछ नहीं है। उस समय यह बात आई थी। इस प्रसंग में बात चली थी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, जैसे आपने कहा, देवपुरा जी ने कहा, खेतसिंह जी ने कहा, इसमें कोई जिद का सवाल नहीं है, प्रश्न है परम्परा का। आपके लिये दो दिन महत्वपूर्ण नहीं हैं। दो दिन के अन्दर पहाड़िया जी चले जायेंगे, बाकी लोग जवाब नहीं दे सकेंगे या सदन के सदस्य बोल नहीं सकेंगे ? प्रश्न है दो, तीन, चार का। दो, तीन, चार रो अकाल पर बहस हो जाय फिर एक दिन में विधेयक पेश हो जाय। वह बाद में कराना पड़ेगा वह पहले हो जाय इसमें कोई आपत्ति नही है। इस आधार पर एक बार मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि परम्पराओं का ध्यान रखते हुए कम से कम आज अपने हाथ से पहली बार परम्परा नही तोड़े। वर्ना बी. ए. सी. के निर्णय को आज तक एक मिनट में सदन स्वीकार करता था वह इस आधार पर करता था कि वहां जो कुछ तय हो जाता था यहां रख दिया जाता था। मैं समझता हूं कि वह इस प्रकार जिद नहीं करेंगे यह उनसे फिर अपील करना चाहता हूं।

श्री मेरूलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि विरोधी दल के नेता केवल यही चाहते हैं कि अकाल पर बहस हो। और हमारे बहुत से मित्र भी चाहते हैं कि अकाल पर बहस हो। फर्क यह है कि आप दो, तीन, चार को करवाना चाहते हैं और हमारे सचेतक महोदय जैसा आप लोगों में विचार-विमर्श हुआ है उसके हिसाब से

(श्री भैंरूलाल भारद्वाज)

ठीक नहीं मानतें हैं। मैं यह कहना चाहता हूं बीच में कोई और दिन शनिवार, इतवार रख लें। अकाल पर खुल कर बहस करने के लिए तैयार हैं।' आप इन्हीं तारीखों में क्यों करना चाहते हो ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सुझाव बताओ तो सही।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन रो टाइम क्यों खराब करयो जाए। मैं तो आ कहूं जद आ कार्य सलाहकार समिति निर्णय कोनी कर सकी है, एकमत कोनी हो सक्या है तो अठे आर क्यों बगैरपच्छो बहस कर रिया हो इते पाछे भेजो प्रस्ताव ने और बठे एकमत होकर आवो, बेकार अठे टाइम खराब कर रिया हो।

श्री अध्यक्ष : श्री. घनश्याम तिवाड़ी। आप संशोधन प्रस्ताव वापस लेना चाहेंगे ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो राज्य में अकाल से विषम स्थिति उत्पन्न हुई हैं। लोग अकाल की विभीषिका से किस प्रकार जूझें, इस प्रकार के इन्ट्रेस्टेड इश्यू पर, सारे राज्य का नागरिक बर्बाद हो गया, सरकार का रवैया देखते हुए इस प्रकार के प्रश्न पर चर्चा न करना और गला घोटना हमारी आवाज का, जो हम विधान सभा में उठा सकते हैं, एक तरह से लोकतन्त्र की हत्या है। अध्यक्ष महोदय, आज सरकार इस पर अड़ी हुई है सरकार लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, लेकिन आज तक की परम्पराओं को देखते हुए, मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूं और सरकार की जिद के खिलाफ, सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटा है, अकाल के इन्ट्रेस्टेड मैटर पर चर्चा नहीं करना चाहती है, एक प्रकार से हमारी आवाज को, जनता की आवाज को दबाना चाहती है। मैं इस लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ सदन से वाक आउट करता हूं। यह सरकार निकम्मी है, सरकार जनता की आवाज को दबाना चाहती है।

(बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : एक संशोधन प्रस्ताव कल है उसके बारे में क्या होगा ? प्रश्न यह है कि घनश्याम तिवाड़ी ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, हम भी इसके पक्ष में वाक आउट करते हैं जनता पार्टी के साथ।

(बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री भैरोंसिंह ने कार्य सलाहकार समिति के पांचवें प्रतिवेदन में जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

श्री खेतसिंह राठौड़ : संशोधन गिरा।

श्री अध्यक्ष : संशोधन गिर गया।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति के पांचवें प्रतिवेदन पर यह सदन अपनी सहमति व्यक्त करता है ?

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन पर सदन ने अपनी सहमति व्यक्त की।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री मोहनलाल मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): अध्यक्ष महोदय, देवगढ़ से आने वाली माननीय सदस्या ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर...

श्री अध्यक्ष : 25 मिनट का समय है माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल मोदी : जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि कोई नीति संबंधी इस अभिभाषण में चर्चा नहीं है, जिससे हम देख सकें कि हमारे राजस्थान के भविष्य का क्या होगा ? राजस्थान की आगे क्या तस्वीर होगी ? राजस्थान का क्या नक्शा होगा ? यह इस अभिभाषण में सिर्फ आंकड़े देकर प्रस्तुत किया गया है। जिन आंकड़ों के बारे में हम डिमाण्ड के ऊपर बहस करेंगे उस समय देखेंगे कि इन आंकड़ों में कितनी सच्चाई है या क्या है ?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में इस समय भीषण अकाल पड़ा हुआ है। अकाल की ऐसी स्थिति है कि जगह-जगह पर लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। अनाज की स्थिति बहुत भयंकर है। लोग भूख से व्याकुल हैं। रोजगार लोगों को मिल नहीं पा रहा है। आज जो सरकार अकाल में काफी काम करने की बात कह रही है, रोजगार चालू करने के लिए इन्होंने अकाल में जो टेस्ट वर्क चालू किये हैं वह नाममात्र के हैं। उनमें बहुत थोड़े से लोग काम पर लगे हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में नीम का थाना विधान सभा क्षेत्र के अन्दर सिर्फ 70 आदमी अकाल में टेस्ट वर्क पर काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि सारे प्रदेश की तहसीलों का हिसाब लगाया जाय तो यह आंकड़े जो दिये गये हैं कि दो लाख आदमी काम पर लगा रखे हैं, वह असत्य मालूम होते हैं। फिर इस भयंकर अकाल के अन्दर कितने लोगों को काम मिलना चाहिए जिससे आम आदमी अपना गुजारा कर सके और भूखा नहीं रहे। राजस्थान सरकार को अकाल की स्थिति का मुकाबला करने के लिए बहुत बड़े प्रयत्नों की जरूरत है। पहाड़ियाजी ने यह कहा था कि मैं राजस्थान का विकास करने के लिए आया हूं। राजस्थान की जो छठी पंचवर्षीय योजना 330 करोड़ की थी उसमें से 300 करोड़ रुपये मंजूर हुए। और उसके अन्दर भी आज तक 31 जनवरी तक सिर्फ 90 करोड़ रुपया खर्च हुआ। मैं समझता हूं, किस तरह से राज्य का विकास कर पायेंगे इसकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। गांवों में पढ़े लिखे लोग इतने बेरोजगार हैं। मजदूरी वह कर नहीं सकते हैं उनको और दूसरी नौकरी मिलती नहीं है इसलिए उनकी बड़ी दयनीय स्थिति है। किसान के बेटे जो पढ़ गये हैं वह खेत में जाकर खेती का

(श्री मोहनलाल मोदी)

काम नहीं कर सकता है। वह बेकार है। इतनी हालत खराब है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के नक्शे की तस्वीर अच्छी बने उसके लिए आप कुछ थोड़ा अच्छी तरह से सफलतापूर्वक सेन्ट्रल से अधिक से अधिक पैसा लाकर ज्यादा से ज्यादा अकाल में सही ढंग से काम करें।

आज बारिश नहीं होने से पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया। मैं मेरे क्षेत्र का जिक्र कर रहा हूं। मेरे क्षेत्र में अधिकतर क्षेत्र पहाड़ी है और आगे यह स्थिति आने वाली है कि सिंचाई तो अलग पीने का पानी नहीं मिलेगा। आज रेगिस्तानी इलाके में टैंकों से पानी की सप्लाई करते हैं। यह समस्या कम से कम राजस्थान में तीन साल में एक दफा, दो दफा आती है जब अकाल पड़ता है और पानी की सप्लाई टंकी से होती है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं इसका स्थाई हल निकालिए हमेशा के लिए राजस्थान में आपके सामने अकाल की स्थिति आती है, अकाल पर बहस होती है, करोड़ों रुपया व्यय होता है लेकिन कोई स्थाई हल नहीं निकलता। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे क्षेत्र में आप रिग्स मशीनें देकर कुओं को गहरा करवाने की व्यवस्था करावें नहीं तो जैसे बाड़मेर, जैसलमेर के इलाके में पीने का पानी टैंकरों से भेजने की व्यवस्था करनी पड़ रही है वही समस्या इन इलाकों में आयेगी, इसलिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इससे पहले रिग्स मशीनों को भेज कर कुओं को गहरा करवावें इसके लिये सरकार से पैसा दिया जाय ताकि इन कुओं को गहरा करवाया जा सके और पीने के पानी की समस्या हल हो सके।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में प्रत्येक पंचायत समिति के छः छः परिवारों के लिये उन्होंने लिखा है कि इनको गरीबी से ऊंचा उठाया जायगा। यह गरीबी से ऊंचा उठाने का क्या पैमाना है कहीं कोई जिक्र नहीं। किस प्रकार से गरीबी मिटाना चाहते हैं किस तरह गरीब को उठाना चाहते हैं? आप 7 लाख लोगों को पांच वर्ष में गरीबी से ऊंचा उठायेंगे। इतने बड़े राजस्थान की करोड़ों की जनता है उसके लिये क्या सोच रहे हैं, क्या 7 लाख लोगों की गरीबी दूर करने से राजस्थान की गरीबी दूर हो जायेगी? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस ओर पूरा ध्यान देना चाहिये ताकि राजस्थान का भला हो सके।

राज्यपाल महोदय ने यह भी अपने अभिभाषण में कहा है कि हमने गांवों में राजस्व के मामलों को सुलझाने के लिये मौके पर मामलों का निपटारा किया है जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी कृषकों को इतनी बड़ी दिक्कत है जो शायद राजस्व मंत्री जी के ध्यान में ही नहीं है। वे मौके पर किस तरह से फैसला करेंगे? आज एक किसान 20 वर्ष से जो जमीन काश्त कर रहा है वह जमीन गलती से चरागाह में दर्ज हो गई अब मौके पर तहसीलदार या एस. डी. ओ. जमीन की किस्म परिवर्तित नहीं कर सकता। राजस्थान के हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि किस्म जमीन परिवर्तन करने का अधिकार राज्य सरकार को है। आज किसान को इतनी बड़ी तकलीफ है, जो लोग गोचर, गैर मुमकिन जमीन काश्त करते हैं, उनको इतनी बड़ी तकलीफ है हर साल पेनल्टी देते हैं लेकिन उनकी जमीन को

(श्री मोहनलाल मोदी)

रेगूलेराइज नहीं किया जाता। तो क्या इसी तरह से राजस्व के मामले निपटा रहे हैं या केवल राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आंकड़े देकर वाह-वाही लूटना चाह रहे हैं कि हमने मौके पर राजस्व के केसेज का निपटारा किया ? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं पहाड़िया जी, आप इस मामले में एस.डी.ओ. या तहसीलदार को अथोराइज करिये, आदेश जारी करिए कि गोचर जमीनों के कन्वर्शन के अधिकार एस. डी.ओ. को होंगे।

पेयजल के बारे में चार हजार हैण्ड पम्पों का हवाला दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, इन हैण्ड पंपों से एक महीने ही पानी नहीं मिल पायेगा। ये हैण्ड पंप दिखावे के लिये हैं। आप इस योजना का पैसा हैण्ड पंपों पर खर्च न करें कम से कम चार हजार की जगह 100 गांवों में, 20 गांवों में या 30 गांवों में ही पेयजल की योजना बनायें लेकिन हैण्ड पंप किसी तरह से काम में आने वाले नहीं हैं। खराब हो जायेंगे तो कौन दुरुस्त करेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की स्थिति में हैण्ड पंप कामयाब नहीं होंगे। आप गांवों में पानी देने के लिए दूसरी योजना में पीने के पानी के लिये अधिक धन खर्च करें। आज यह स्थिति है कि जहां वाटर वर्क्स बने हुए हैं वहां लोगों को एक घंटे भी पानी नहीं मिल रहा है। बिजली की स्थिति आपकी ऐसी है मेरे नीम का थाना क्षेत्र में 30 मिनट पानी मिलता है एक टाइम। लोगों की कुएं से पानी खींचने की आदत समाप्त हो गई है आप उनको सिर्फ 30 मिनट तक पानी दें यह कहां तक मुमकिन है. जहां बिजली नहीं मिलती है वहां आप जनरेटर सेट भिजवावें। तो कम से कम पीने का पानी तो दीजिये यह सरकार का काम है रहने के लिये मकान, पीने के लिये पानी, यह सरकार की जिम्मेदारी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं इन बातों की तरफ पूरा ध्यान दिया जाय और पूरा ध्यान देकर राजस्थान के हर नागरिक को इसका लाभ मिले ऐसे उपाय किये जायं।

सिंचाई के संबंध में 20 हजार कुओं का टार्गेट है उनको बिजली का कनेक्शन मिलेगा। टार्गेट सुन्दर है लेकिन बिजली के कनेक्शन में कितनी बड़ी दिक्कत होती है, बहुत बड़ी दिक्कत है उसमें थोड़ा सुधार कीजिए ताकि किसानों को परेशान नहीं होना पड़े। आज बिजली के आप कनेक्शन दे रहे हैं लेकिन आलरेडी कनेक्शन मिले हुए हैं वहां क्या हालत है ? किसान रात भर जागता है, दस मिनट बिजली आती है फिर चली जाती है। उसकी क्यारियों में पानी नहीं जा पाता इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि किसानों को बिजली देने की व्यवस्था पूरी हो सके ऐसा आप करिये।

(5.16 म.प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत, सभापति, पदासीन)

उनको अगर बिजली नहीं मिली तो आज जो भाव बढ़ रहे हैं वे बहुत ज्यादा जाकर बढ़ेंगे और किसान खुशहाल नहीं होगा। तो राजस्थान में 80 प्रतिशत किसान रहते हैं उनका हाल आप देख लीजिये, क्या हालत होने वाली है राजस्थान की। मेरा निवेदन यह है कि आप छोटे-छोटे नालों को रोककर बांध के रूप में बनावें चाहे उनमें

(श्री मोहन लाल मोदी)

सिंचाई न हों कुओं में जल स्तर बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा पानी आने से कुओं का जल स्तर नहीं घटेगा। इसलिये इस पर ध्यान देना चाहिये।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि राजस्थान में अतुल खनिज सम्पदा है, यह सही बात है सभापति महोदया, लेकिन कहीं जिक्र नहीं किया है राज्यपाल महोदय ने कि किस तरह से इसको बढ़ाया जाय। इस पर क्या खर्चा करेंगे, क्या प्लानिंग है। इस पर कहीं कोई जिक्र नहीं है। राजस्थान में बहुत बड़े खनिज भण्डार हैं लेकिन कहीं रोड नहीं है छोटे-छोटे माइन्स ओनर हैं न उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खनिज उद्योग को बढ़ाने के लिये आप रोड्स, माइन्स की मशीनरी उन छोटे-छोटे माइन ओनर्स को प्रोवाइड करावें और माइन्स तक सड़कों का जाल बिछावें तब जाकर राजस्थान की खनिज संपदा बढ़ेगी।

दूसरे, मैं निवेदन करना चाहता हूं, खण्डेला में, सीकर जिले में पाइराइट के अतुल भण्डार हैं उनको निकलवाइये, यहां कारखाना लगाएं ताकि लोगों को रोजगार मिले, गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र की उन्नति होगी।

शिक्षा के सम्बन्ध में 800 नये प्राथमिक विद्यालय खोले गये। 250 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एवं 252 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि छोटी-छोटी जगहों में, ढाणियों में प्राइमरी स्कूल देने चाहिये ताकि आज जो शिक्षा का अभाव है वह दूर हो सके। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें अधिक से अधिक धनराशि देकर ऐसा कर दीजिये कि राजस्थान में कोई भी जगह ऐसी न हो जहां प्राइमरी शिक्षा न हो। प्राइमरी शिक्षा के लिये आपको पूर्ण जागरूक रहना चाहिये।

चिकित्सा के सम्बन्ध में अभी आपके सामने हाउस के अन्दर एक प्रश्न आया था जिसमें काफी सारे सदस्य उत्तेजित हो गये थे प्रश्न को स्थगित करवाना पड़ा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि चिकित्सा के मामले में जितना आपने इस समय दिया है, 130 नवीन आयुर्वेदिक औषधालय और 86 दूसरे के खोलने का आपने निर्णय लिया। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जितनी आपकी आर्थिक स्थिति है उसके हिसाब से कार्य करें। उसको क्रियान्वित होने में सही ढंग होना चाहिये। सही ढंग न होने से मैं समझता हूं कि एक घण्टे का समय गया उत्तेजना हो गई। राज्य सरकार से जवाब आएगा तब आएगा लेकिन जो अनियमितता हुई है वह नहीं होनी चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि ऐसी जगह पर अस्पताल खोले जाएं। ऐसी जगह पर अस्पताल खोले जाते हैं जहां कि जरूरत नहीं है। मेरे यहां भी इसी प्रकार से एक अस्पताल दोकन में खोला गया जहां उस अस्पताल की कोई उपयोगिता नहीं है। क्योंकि चार मील पर नीम का थाना में अस्पताल है, चार मील पर पाटन में अस्पताल है, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो राज्य का पैसा खर्च करें तो आवश्यकता को देखा जाय और ऐसी जगह पर

(श्री मोहनलाल मोदी)

अस्पताल खोला जाए जिससे कि आम जनता को लाभ मिले। किसी को राजी करने के लिए ही अस्पताल नहीं खोला जाना चाहिए। यह जनता का पैसा है और दूसरी तरफ राज्य की आर्थिक स्थिति खराब है। मेरा निवेदन है कि सही जगह पर जहां अधिक से अधिक जरूरत हो वहां पर ही आप अस्पताल खोलें और बिना जरूरत के न खोलें।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में जो स्थिति है सभापति महोदया, वह आप देख रही हैं। सीमेंट नहीं मिल रही है डीजल नहीं मिलता है, केरोसिन नहीं मिलता है, चीनी नहीं मिलती है, जितनी आती है वह ब्लैक में चली जाती है। लोगों को सही ढंग से नहीं मिल रही है। गांव में चीनी जाती है, 71 की जनसंख्या के आधार पर देते हैं, वहां पर भी सही ढंग से चीनी का वितरण नहीं होता है। इस वितरण प्रणाली में थोड़ा सुधार करें, मात्रा बढ़ायें और कन्ट्रोल करिये ताकि वितरण सही हो। चीजें जितनी हैं उतनी ही मिलेंगी परन्तु वितरण सही हो तो लोगों की कठिनाई दूर होगी और उनको भी आसानी महसूस होगी।

विधवाओं की पेन्शन के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। बाल विधवाओं के बारे में, इस मद में थोड़ा पैसा और बढ़ाइये। जो बाल विधवाएं हैं उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए।

कानून और व्यवस्था के बारे में निवेदन करना चाहता हूं . . .

श्री सभापति : मैं आपसे निवेदन करूं माननीय सदस्य कि आप शीघ्र ही समाप्त करें . . .

श्री मोहन लाल मोदी : समय से अधिक नहीं बोलूंगा।

श्री सभापति : कल 25 मिनट आपके दल के सदस्य बोल चुके हैं।

एक माननीय सदस्य : गरीबों की क्या समस्या है–सारा दिन खराब कर देते हैं छोटे-छोटे पाइन्ट पर। हम 25 आदिवासी सदस्य हैं। हम बोल नहीं पाते हैं। जो आदिवासी सदस्य हैं उनको कोई बोलने का अवसर नहीं देता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सदस्यों को धक्का देकर बिठा दिया जाता है।

एक माननीय सदस्य : जो आदिवासी सदस्य हैं उनको मौका नहीं मिल रहा है अपने क्षेत्र की बात कहने का। सारा दिन पूरा कर देते हैं और हम रह जाते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सुबह भी माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने ऐसा ही किया था . .

श्री भैरूसिंह गुर्जर : यह हमारे घर की बात है।

श्री सभापति : जिसको धक्का दिया गया है, वे शिकायत कर देंगे। आप विराजिये।

एक माननीय सदस्य : आप अपने घर में ही मुख्य मंत्री महोदय से, मुख्य सचेतक महोदय से कहिए वे आपको टाइम देंगे।

श्री मोहनलाल मोदी : राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कानून की स्थिति को सन्तोषजनक बताया है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कानून की स्थिति बहुत ही बिगड़ी हुई है। आज दिन दहाड़े डाका पड़ता है, चोरियां होती हैं। मेरे क्षेत्र में 15 दिन पहले एक दुकानदार से जबर्दस्ती पांच हजार रुपये छीन लिये गये। कानून की स्थिति के बारे में राज्यपाल महोदय ने जो कुछ कहा है वह सही नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति को सुधारा जाए और आम आदमी की सुरक्षा की जाए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य बीस मिनट हो गये हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : 5 मिनट और बाकी हैं।

श्री सभापति : दूसरे सदस्यों को भी बोलने का अधिकार है।

श्री मोहनलाल मोदी : मुझे 25 मिनट के लिए कहा गया है। यह कैसे होगा कि 25 मिनट के बजाय 20 मिनट बोलूं और दूसरे माननीय सदस्य बीस मिनट के बजाय चालीस मिनिट बोलें। यह कहां का न्याय है।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि लॉ एण्ड आर्डर को मेन्टेन करने के लिए क्या किया गया है ? यह बताया गया है कि अधीनस्थ कर्मचारियों हेतु 49 क्वार्टर और 200 कर्मचारियों के लिए बैरक्स सुविधायें दी जा रही हैं। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि लॉ एण्ड आर्डर के लिए और क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं ? कहां-कहां पर अलग से एस. एच. ओ. आफिस और एस. पी. के दफ्तर बनाये जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप व्यवधान न डालें इससे टाइम का नुकसान हो रहा है।

श्री मोहनलाल मोदी : पुलिस की कठोर व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लॉ एण्ड आर्डर मेन्टेन हो। मैं कई दफा विजिलेन्स के एडीशनल आई. जी. के पास गया हूं। दरख्वास्तें दी हैं। पुलिस थानों की स्थिति बहुत खराब है। कोई रिपोर्ट करने जाए तो उसकी रिपोर्ट नहीं ली जाती है। वहां पर किसी तरह की सुनवाई नहीं है। विजिलेन्स में गया वहां जाने पर मालूम हुआ कि उनके पास एक डीवाई. एस. पी. और एक थानेदार हैं इसलिए जानकारी के लिए किस को भेजें। आप इन लोगों की शक्ति को बढ़ायें ताकि राजस्थान में लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति सुदृढ़ हो।

ग्रामदानी गांवों के बारे में, मैं मुख्य मंत्री पहाड़िया जी को निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी ओर थोड़ा ध्यान दें। ग्राम दान की मेरे यहां एक बड़ी बीमारी है। 46 ग्रामदान हैं। इन ग्रामदानी गांवों के अन्दर गांव वालों की ऐसी स्थिति है कि वे मरे भी नहीं हैं और जिन्दा भी नहीं हैं। इन ग्रामदानी गांवों को पंचायत से बाहर कर दिया गया है। उनके यहां पर अध्यक्ष का चुनाव 90 पर्सेन्ट पर होता है। एक दफा जो हो गया वह हो गया। इसलिए मैं आपसे विशेष तौर से यह निवेदन करूंगा कि आप इस ग्रामदान एक्ट के अन्दर थोड़ा कानून में

(श्री मोहनलाल मोदी)

सुधार करिये । 60 पर्सेन्ट आदमी, वहां के वासिन्दे जब चाहें तो वह ग्रामदान में शामिल रहें वर्ना उनको ग्रामदान से अलग होने का अधिकार हो। यह ग्रामदान फर्जी दस्तखतों से बनाये गये हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि विशेष तौर से आप ध्यान देंगे और इस क्षेत्र की जनता को राहत पहुंचाने की कोशिश करेंगे।

कहने को तो अभी बहुत है लेकिन सभापति महोदया के आदेश पर मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री थानसिंह।

श्री थानसिंह (सलूम्बर) : सभापति महोदया, इस सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस चल रही है । मैं भी उस बहस में भाग लेता हुआ अपने निर्वाचन क्षेत्र को अकाल ग्रस्त घोषित कराने के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदया, वैसे अकाल के बारे में कुछ बातें कहीं गई हैं। हमारे इलाके में अकाल है। राजस्थान के जो 26 जिले हैं उनमें अधिकतर अकाल घोषित कर दिया गया है परन्तु उदयपुर की जो 16 तहसीलें हैं उसमें सलूम्बर तहसील को, सलूम्बर इलाके को अकाल ग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। हमारे इलाके के अन्दर 50 प्रतिशत आदिवासी लोग रहते हैं । वहां पर पूरी अकाल की स्थिति है। इसलिए मैं अकाल राहत मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा अकाल राहत काम शुरू किये जायें लेकिन अकाल में न होने के कारण हमारी तहसील के अन्दर कोई काम नहीं हो रहा है । आज तक एक भी मजदूर लगा हुआ नहीं है। वहां के आदिवासियों की स्थिति बहुत खराब है ऐसी परिस्थितियों के अन्दर वहां के लोगों की आज घास खाने की स्थिति हो गयी है, आज वहां आदिवासी भूखों मरने की स्थिति में हो गये हैं, ऐसी परिस्थितियों के अन्दर माननीय मंत्री महोदय ने भी हमारी बात को नहीं सुना जब वे वहां आये थे और जब हमने मीटिंग में बातचीत की उस वक्त भी अकाल के बारे में बात कही लेकिन हमारी बात को किसी भी प्रकार माना नहीं गया और आज भी हमारे इलाके के अन्दर बाहर के लोग काम कर रहे हैं हमारे सलूम्बर के लोग, सलूम्बर के मजदूर काम पर नहीं लगे हुये हैं वहां पर जहां पर भयंकर अकाल हमारे इलाके में पड़ा हुआ है । पेयजल की समस्या के बारे में निवेदन करूं । हमारे इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कम से कम चार हजार हैण्ड पम्प की व्यवस्था की गयी है लेकिन सलूम्बर क्षेत्र के अन्दर ज्यादा से ज्यादा चार हैण्ड पम्प लगे हैं, मुझे कहने में शर्म आती है कि राजस्थान की इतनी बड़ी योजना के अन्तर्गत काफी पैसा इसमें रखा होने के बावजूद भी 4 हैण्ड पम्प ही हमारे यहां पर लगाये गये हैं। हमारा क्षेत्र जनजाति क्षेत्र में भी आता है ऐसी परिस्थितियों के अन्दर वह चार हैण्ड पम्प भी इस प्रकार अधिकारियों ने लगाये हैं कि चारों सलूम्बर प्रापर में लगाये गये हैं जबकि सलूम्बर प्रापर में पीने के पानी के और भी बहुत साधन हैं वहां पर पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था है, वहां पर कुएं हैं और वहां पर सब प्रकार के साधन हैं फिर भी वहां हैण्ड पम्प लगाये गये हैं। यह हैण्ड पम्प गांवों में लगाये जायें ताकि वहां के आदि-

(श्री थानसिंह)

वासियों को फायदा मिल सके वहां के ग्रामीणों को फायदा मिल सके लेकिन वहां पर सलूम्बर में ही हैण्ड पम्प लगाये गये हैं। ऐसी परिस्थितियों के अन्दर मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे जोशी जी जिस वक्त सरकार में थे उस वक्त बांसवाड़ा, डूंगरपुर के अन्दर ही वहां पर ही अच्छे हैण्ड पम्प लगाये थे। ऐसी परिस्थितियों के अन्दर सलूम्बर क्षेत्र, जो कि एक आदिवासी इलाका है, के लोगों की भी दिक्कतें हैं और जब मंत्री महोदय वहां पधारे थे हमारे यहां पर फेमिन रिलीफ के कामों का जायजा लेने के लिये पधारे थे उस वक्त वहां की जनता ने जो सबसे बड़ी समस्या बतायी थी वह यह थी कि हमारे यहां पर हैण्ड पम्प लगाये जायं क्योंकि जब पास के क्षेत्रों में हैण्ड पम्प लगते हैं तो वहां के रहने वाले लोगों को दिल में दर्द तो होता है, दिल में दुख होता है। ऐसी परिस्थितियों के अन्दर वहां पर सबसे ज्यादा आवश्यकता हैंड पम्पस की है जिले के इलाके के अन्दर गोगुन्दा में मशीन लगाई है, सराड़ा और केलवाड़ा गोगुन्दा में मशीनें लग रही हैं परन्तु सलूम्बर में तीस मार्च के अन्त तक निवेदन करना चाहता हूं कि इस इलाके के अन्दर एक भी हैण्ड पम्प मिलने वाला नहीं है और शायद आयन्दा भी मिलने वाला नहीं है क्योंकि इस गति से जो हैण्ड पम्प दिये जा रहे हैं उससे तो मिलने वाला नहीं है। कम से कम आपने जो पिछले बजट के अन्दर योजनाओं के अन्दर पिछले राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर इस बात की घोषणा की थी कि पेयजल योजना के अन्तर्गत पीने के पानी की व्यवस्था कर दी जायगी, श्रीमान, मैं आपसे निवेदन करूं वह तो पूरी करें इन घोषणाओं के बावजूद भी पेयजल की उन सारी मरुस्थल जलप्रदाय योजना के अन्तर्गत हमारे यहां पर जल के लिये एक सर्वे किया गया था डगार में और डाल गांव में लेकिन आज तक वह भी अधर में लटकी हुई है। कम से कम 10–15 गांवों में लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था तो दूर रही परन्तु एक भी गांव में व्यवस्था आज तक नहीं हो सकी है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूं कि इस वर्ष कम से कम 7–8 गांवों के अन्दर पेयजल की योजनायें थीं किन्तु सलूम्बर क्षेत्र में एक भी गांव में व्यवस्था नहीं की गई क्योंकि हमारे ऊपर सबसे बड़ा चार्ज लगा रहता है कि जयसमन्द नहर पानी का क्षेत्र है और कहते हैं कि आपके यहां तो पीने के पानी की व्यवस्था है लेकिन वहां पर नारू ज्यादा होता है। ऐसी परिस्थितियों के अन्दर वहां हम लोग पीने के पानी से वंचित हो जाते हैं। मेरा निवेदन है कि पेयजल की योजना के अन्तर्गत हमारे उस इलाके में अधिक से अधिक पेयजल की व्यवस्था हो।

जहां तक शिक्षा का मामला है, मेरा निवेदन यह है, सभापति महोदया, मैं निवेदन करूं कि अधिक से अधिक 46 करोड़ रुपया हमारा इस जनजाति के क्षेत्र में आया है। आपसे निवेदन करूं कि एक साल खतम होने को आ गया लेकिन इसके बावजूद भी हमारे इस जनजाति के क्षेत्र में, आदिवासियों के क्षेत्र में एक भी जगह रेफरल अस्पताल नहीं हुआ, एक भी जगह डिस्पेंसरी नहीं हुई और पशु चिकित्सालय एक भी नहीं खुले। मैं आपसे निवेदन करूं

(श्री थानसिंह)

कि जिस समय हमारे यहां पर सुखाड़ियाजी मुख्य मंत्री थे उन्होंने इलाके के आसपास में खोल दिये थे। श्रीमान भैरोंसिंह जी ने एक बात कही थी वह दिमाग में आयी है, उन्होंने एक बार कहा था कि सुखाड़िया जी ने राजस्थान को अजमेर से आगे नहीं समझा वैसे श्रीमती कमला ने अजमेर के आगे हमें एक भी अस्पताल नहीं दिया। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि कम से कम जिस इलाके में जहां आदिवासी ज्यादा रहते हैं जहां 50 से 65 प्रतिशत तक आदिवासी रहते हैं उनको प्राथमिकता दी जाय। मेरा निवेदन यह है कि उस इलाके पर विशेष ध्यान रखा जाय। आदिवासियों के लिये इस अभिभाषण के अन्तर्गत, राज्यपाल महोदय के भाषण के अन्तर्गत, कहीं भी उच्च शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है आज आदिवासियों में हमारा एक सलूम्बर क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र है जो कि एक एम.पी. कान्स्टीटूएन्सी है, एम.पी. का और जो जन जाति क्षेत्र है। हमारे सुखाड़िया जी ने कम से कम उदयपुर में ही सही यूनिवर्सिटी तो दे दी उदयपुर से सलूम्बर 50-60 मील की दूरी पर पड़ता है और बांसवाड़ा इलाका वहां से काफी 10 मील की दूरी पर पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों के अन्दर सलूम्बर में कालेज की व्यवस्था नहीं है आदिवासी वहां पर ज्यादा पढ़ते हैं वहां पर एक हायर सैकण्डरी स्कूल भी है इसके बावजूद भी वहां पर धरियावद का इलाका है, सराड़ा का इलाका है वहां से यह खेरवाड़ा का इलाका भी पास पड़ता है ऐसी परिस्थितियों के अन्दर वहां पर 200 लड़के आसानी से आदिवासियों के पढ़ सकते हैं। ऐसी हालत में कम से कम कोटड़ा में और सलूम्बर के अन्तर्गत एक महाविद्यालय खोलने का प्रावधान इसी योजना के अन्तर्गत होना चाहिए। यह मेरा सरकार को सुझाव है।

दूसरी बात यह है कि अकाल की समस्या की बात है, चिकित्सा की बात है जितने भी चिकित्सालय खोले वह सब दूसरे जिलों में चले गये जहां पर पहले ही बड़े-बड़े साधन हैं जहां पर किसी प्रकार की सुविधा नहीं है वहां पर खोले जायं। हमें इस बात की शर्म आती है कि हम आदिवासी हैं पर फिर भी हम चाहते हैं कि हम डाक्टर से इलाज करायें लेकिन आदिवासी लोग 100-100 मील दूर इलाज के लिए नहीं जा सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों के अन्दर वहां जाने में उनको कैसी शर्म आती होगी यह आप खुद मंत्री महोदय विचार कर सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि हमारे यहां पर सलूम्बर के अन्दर कम से कम सिंचाई के आधुनिकीकरण के लिए विश्व बैंक से कुछ धन का प्रावधान किया गया है करीब साढ़े पांच करोड़ रुपये का, तो कृपा करके हमको इससे वंचित न करके जल्दी से जल्दी पैसा दिया जाय और ऐसी योजना बनायी जाय ताकि नहरें पक्की की जा सकें।

इसके अलावा जयसमन्द के अन्तर्गत बांगल नदी की योजना कांग्रेस के राज में बनी थी, पास हुई थी जब जनता पार्टी का राज आया उन्होंने उस योजना को बंद कर दिया। मेरा निवेदन यह है कि इसी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस बांगल नदी की योजना को लें जिससे कि उस सारे इलाके को लाभ हो। जयसमन्द में पानी डाला जा सकता है जिससे दो तहसीलों को लाभ होगा। ऐसी परिस्थितियों के अन्दर कम से

(श्री थानसिंह)

कम वह योजना पुन: शुरू की जावे, वहां काश्तकारों को पानी मिलता है एक पिलाई पिला दी तो दूसरी पिलाई के लिए पानी नहीं मिलता है आज उनकी फसलें सूख रही हैं। कारण यह है कि जयसमन्द में पानी नहीं है इसलिए कम से कम इस योजना को शुरू कर दिया जाय जिससे कि सारी तहसील सलूम्बर, सराड़ा को लाभ हो सकता है। मैं तो पहाड़िया जी से यही निवेदन करूंगा कि हमारे इलाके में जैसे सुखाड़िया जी ने उदयपुर के लिए किया उनको उदयपुर याद करता है, जोशी जी ने बांसवाड़ा के लिए किया उनको बांसवाडा याद करता है तो आप इस योजना को ले लें तो समूचा इलाका आपका हो जायगा, आपको याद करेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री चन्द्रवीर सिंह।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदया, मेरा निवेदन है कि हमारी पार्टी की ओर से दो व्यक्ति ही बोले हैं दिन भर में जबकि 137 सदस्य हैं और उनके तो जरा से हैं हमको ज्यादा मौका मिलना चाहिए।

श्री सभापति : क्षमा करें, मैं खुद देख रही हूं। मैं एक-एक करके बराबर बोल रही हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप आल्टरनेट दे रही हैं आल्टरनेट का सवाल नहीं है पर इधर तो 137 हैं और वे थोड़े से हैं वह तो सारे के सारे बोल जायेंगे और इधर के···

श्री सभापति : चार बोल गये हैं···

श्री खेतसिंह राठौड : चार नहीं दो ही बोले हैं एक तो अहमद बक्श सिंधी और एक थानसिंह जी बोले हैं।

श्री चन्द्रवीर सिंह : माननीय सभापति महोदया, राज्यपाल जी के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में, मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। इस सारे भाषण में ऐसा तो कुछ भी नहीं है जिसके कारण राज्यपाल महोदय को धन्यवाद भिजवाया जाय। कल गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य ने बाड़मेर के बारे में जो समस्या बतलाई थी, माननीय शिव से आने वाले सदस्य ने····

एक माननीय सदस्य : आप जैसलमेर की बात करें।

श्री चन्द्रवीर सिंह : बोल रहा हूं, श्रीमान धैर्य, रखिये। बाड़मेर, जैसलमेर को हम एक मानते हैं हम इसमें डिफरेंसिट नहीं करते। जो बात उन्होंने कही थी कि 1968-69 में बाड़मेर, जैसलमेर में भीषण अकाल पड़ा था और उस समय के राज ने जो फैसला किया था वह यह फैसला किया था कि यहां पर कोई भी राहत कार्य नहीं खोला जायगा और बाड़मेर, जैसलमेर की जनता को राजस्थान नहर पर जबरन भेजा जायगा। हमने ढाई महीने तक उस तत्कालीन सरकार से लोहा लिया और अन्त में हमने सरकार को यह मनवा दिया कि इस क्षेत्र के लोग इसी क्षेत्र में ही काम करेंगे और जबर्दस्ती राजस्थान नहर नहीं जायेंगे। उस समय जो स्थिति उत्पन्न हुई थी वह यह थी कि बाड़मेर और जैसलमेर की जनता ने केर की

(श्री चन्द्रवीर सिंह)

छाल, तुस की रोटी खाकर पेट भरा था और आज फिर वहीं समस्या उत्पन्न हो गई है।

एक माननीय सदस्य : जनता शासन में खाई होगी।

श्री चन्द्रवीर सिंह : जनता शासन नहीं था, श्रीमान्, मैं 1969 की बात कर रहा हूं, जरा कान खोलकर सुनिये। आज फिर वही समस्या उत्पन्न हो गई है। आज इस संभाग में इसी तरह का अकाल पड़ गया। माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर अभी भी वह नहीं जागी, अभी भी अगर उस क्षेत्र के लिए अकाल राहत के कार्य ज्यादा नहीं खोले गये तो उसी भीषण समस्या में फंस जायगा, उलझ जायगा यह संभाग जिसमें 1967–68 में फंसा था। आज आप अकाल राहत कार्यों की बात करते हैं यह आंकडे देते हैं कि हमने इतने मजदूर राजस्थान में लगा दिये लेकिन मेरा यह मानना है कि जितना भीषण अकाल बाड़मेर और जैसलमेर में है उतना और किसी डिस्ट्रिक्ट में शायद ही हो। जैसलमेर में आज के दिन केवल चार हजार मजदूर अकाल राहत कार्यों में कार्यरत हैं और ढाई लाख से ज्यादा की पापूलेशन है। चार हजार मजदूर क्या अपने परिवारों के लोगों का पेट भर खिला सकते हैं क्या यह चार हजार मजदूर जैसलमेर जैसे बड़े भारी लम्बे चौड़े संभाग के लिए पर्याप्त हैं? मेरे ख्याल से यह बिलकुल अपर्याप्त संख्या है। फतेहगढ़ तहसील· · ·

एक माननीय सदस्य : क्या वहां सभी मजदूर हैं· ·

एक माननीय सदस्य : नहीं आपके जैसे जागीरदार हैं।

श्री चन्द्रवीर सिंह : आप, श्रीमान, मुझे बोलने देंगे या नहीं बोलने देंगे? आपका समय आवे जब आप बोल लीजिएगा।

साथ ही साथ आपके माध्यम से मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि फतेहगढ़ तहसील सर्किल, जो जैसलमेर का एक सबसे बड़ा हलका है, एक भी राहत कार्य नहीं खोला गया। कल शिव से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बारे में अपने विचार प्रकट किये थे क्योंकि वोटर्स तो उनके हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर में लगता है। वे अपनी शैली में जैसा बता सके, समझा सके उन्होंने कोशिश की और जो कुछ भी उन्होने कहा मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। मजदूरों को मजदूरी पर लगाने का जो आपने नियम बनाया है उस नियम के अन्तर्गत आप पांच व्यक्तियों के एक परिवार पर एक व्यक्ति को लगाते हैं। इसी तरह से 6 से 10 व्यक्तियों के परिवार पर दो व्यक्तियों को आप लगाते हैं और इसी तरह से 10 और अधिक परिवार पर 3 व्यक्तियों को अकाल राहत कार्यों में लगाया जाता है। पश्चिमी संभाग के लिए यह नियम बड़ा घातक सिद्ध हो रहा है। हमको रोटी चाहिए, हमको रोजी चाहिए, हमारे यहां पानी नहीं है, घास नहीं है। मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं कि 1968–69 में भी इस संभाग में अकाल के कारण मौतें हुई थीं अगर आज आप जागरूक नहीं हुए, आज अगर आप नहीं चेते इस संभाग में फिर अकाल के कारण मौतें होंगी और इसकी जिम्मेदार यह सरकार होगी। परन्तु, माननीय सभापति महोदया, 4-1-81 से 10-1-81 तक इस नियम को

(श्री चन्द्रवीर सिंह)

ताक में रख दिया गया, 5 व्यक्तियों के परिवार में एक, 6 से 10 में से 2, 10 से अधिक में से तीन, उसका कारण था प्रधान मन्त्री जी का इस संभाग का दौरा।

माननीय सभापति महोदया, देश की प्रधान मंत्री जी समय निकाल कर बाड़मेर, जैसलमेर में आई, हम उनके बहुत आभारी हैं लेकिन इस सरकार ने और वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो उनकी आंख में धूल झोंकी, प्रदेश की आंख में धूल झोंकी, और झूंठे राहत कार्य दिखा कर, झूंठे मजदूर लगा कर उनको यह दिखाया गया कि राजस्थान में सब अकाल राहत कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं यहां पर कोई गड़बड़ नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस है, कि 8–1–81 को जिला बाड़मेर में कलावडा गुढ़ा रोड और गुरजा खेड़ी का प्रधान मंत्री जी ने अकाल राहत कार्य का जायजा लिया। कलावडा गुढ़ा रोड और गुरजा खेड़ी में अकाल राहत कार्य 4–1–81 से शुरू किये गये और 8–1–81 को वहां पर चार हजार और 1 हजार मजदूर कार्यरत थे। लेकिन अब वह काम बन्द कर दिये गये। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि उस संभाग का अकाल मिट गया? क्या वहां पर वापस फसलें हो गईं, घास हो गई? वह अकाल राहत कार्य क्यों बन्द किये गये? क्या केवल प्रधान मंत्री जी को दिखावा करना था और इस प्रदेश की जनता और इस विधान सभा के साथ खिलवाड़ करना था? इसका तो सीधा मतलब यही निकलता है। उनका पेमेन्ट कितना हुआ? 8–1–81 को 5 हजार मजदूरों को 60 पैसा प्रति हैंड के हिसाब से पेमेन्ट किया गया। जिला जैसलमेर में माननीय प्रधान मंत्री जी पधारीं 8–1–81 को...

एक माननीय सदस्य : यह गलत है।

श्री चन्द्रवीर सिंह : यह गलत है तो आप इसको ठीक कर लेना।

8–1–81 को प्रधान मंत्री जी कन्नोई कुचड़ी सड़क और खडीन कूचा पर राहत कार्यों को देखने गईं। यह राहत कार्य भी 4–1–81 से शुरू किये गये और उनमें जो डिप्लायमेन्ट आफ लेबर था, उनके मैं आंकड़े आपको पढ़कर सुनाता हूं। 4–1–81 को राहत कार्य कन्नोई, कुचड़ी सड़क पर शुरू हुआ उस दिन 159 लोग उस राहत कार्य पर कार्यरत थे। 8–1–81 को प्रधान मंत्री जी वहां पधारीं उस दिन 347 मजदूर कार्यरत वहां पर थे लेकिन 1–2–81 को केवल 72 लोग वहां पर कार्यरत थे। इसी तरह से प्रधान मंत्री जी खड़ीन कूचा का भी अवलोकन करने गईं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सही स्थिति तो हमको मालूम नहीं है अगर 70 पैसे का पेमेन्ट हुआ है तो यह शोभनीय बात नहीं है।

श्री चन्द्रवीर सिंह : मैं आपको बताता हूं कितने पेमेन्ट हुए हैं?

(व्यवधान)

बालोतरा से आने वाले सदस्य जो फर्माते हैं वह मैं मानने को तैयार हूं।

माननीय सभापति महोदया, इसी तरह से 8-1-81 को माननीय प्रधान मंत्रीजी खड़ीन कूचा के फेमिन वर्क्स देखने पधारीं। खड़ीन कूचा के फेमिन वर्क्स भी 4-1-81

(श्री चन्द्रवीर सिंह)

से शुरू किये गये। 4-1-81 को 80 मजदूर थे, 8-1-81, जिस दिन प्रधान मंत्री जी पधारीं उस दिन 740 मजदूर वहां पर कार्यरत थे और 14-2-81 को वहां पर केवल 38 मजदूर कार्यरत रह गये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : काम छोड़ गये होंगे। यदि काम नहीं करेंगे, मजदूर नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, इसमें शेम शेम की क्या बात है।

श्री चन्द्रवीर सिंह : माननीय सभापति महोदया, और यही प्रक्रिया फलसूंड में अपनाई गई जिससे कि माननीय मुख्य सचेतक अच्छी तरह परिचित हैं। फलसूड में माननीय मुख्य सचेतक स्वयं पधारे थे और किस तरह से मजदूर लाये थे और किस तरह से लोगों को ट्रक और टैक्टरों में ढोया था, इससे वे स्वयं परिचित हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कतई नहीं, सब अपनी मर्जी से आये थे।

श्री चन्द्रवीर सिंह : यह तो हम बतायेंगे कि ढोये गये या नहीं ढोये गये।

(5.46 म. प.)

(श्री पूनमचंद विश्नोई, अध्यक्ष, पीठासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मजदूरों के भुगतान के बारे में भी कुछ बातें अर्ज करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : कृपया संक्षेप में कहें। आपकी पार्टी का समय बहुत कम है और बोलने वाले बहुत हैं।

श्री चन्द्रवीर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूं। मजदूरी के भुगतान का जो आपने नियम बनाया है उस नियम के अन्तर्गत 70 सी. एफ. टी. हार्ड सोइल खोदने पर 5 रु. प्रति व्यक्ति मिलते हैं, 100 सी. एफ. टी. सोफ्ट सोइल खोदने पर 5 रु. प्रति व्यक्ति मिलते है। 35 सी. एफ. टी ग्रेवल फोड़ने पर 5 रु. प्रति व्यक्ति मिलते हैं और इसी तरह से 37 सी. एफ. टी. मेटल ब्रेकिंग के भी 5/- प्रति व्यक्ति मिलते हैं। आपने बीस-बीस लेबरर्स की एक गेंग बनाई और उसको एक यूनिट माना, सारा यूनिट मिलकर 15 दिन तक मजदूरी करता है जब आप उनको पेमेन्ट करते हैं। नतीजा यह है कि इस 15 की यूनिट 20 की यूनिट में औरतें भी शामिल हैं। औरतें आदमी जितना काम नहीं कर सकतीं। यह एक प्रूव्ड फैक्ट है जहां तक फिजिकल लेबर का प्रश्न है औरतें आदमी जितना काम नहीं कर सकतीं। इस मजदूरी के भुगतान की नीति के फलस्वरूप जैसलमेर में आज जो हो रहा है वह यह है कि, श्रीमान्, औसतन पेमेन्ट एक रुपये, डेढ़ से लेकर दो रुपये और ढाई रुपये तक हो रहा है। प्रति व्यक्ति को एक डेढ़ रुपया और ढाई रुपया पेमेन्ट मिल रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि यह पेमेन्ट भी उनको समय पर नहीं मिलता। जैसलमेर में एक महीने से पेमेन्ट नहीं हुए हैं। माननीय मुख्य सचेतक महोदय, सुनिये, जैसलमेर में एक महीने से पेमेन्ट नहीं किये गये हैं कार्यरत मजदूरों के। इसका क्या कारण है? आप स्वयं बतलाइये। यह वहां की जनता और अकाल से त्रस्त पीड़ित जनता का मखौल है। अब समस्या आपने इतने लम्बे चौड़े अक्षरों में लिखी है कि हम पानी के टैंकरों द्वारा जल उपलब्ध करवा

(श्री चन्द्रवीर सिंह)

रहे है, बड़ी अच्छी योजना है आप जितना करवा रहे हैं, उसके लिए तो हम बहुत आभारी हैं, लेकिन 16 हजार वर्ग मील के लिए आपने 54 टैंकर आवण्टित किये हैं जैसलमेर में। जिसमें से भी 54 पहुंचे नहीं है, 44 ही कार्यरत हैं। 44 टैंकर 271 गांवों में पानी पहुंचाते हैं। अगर आप इसका डिविजन करें, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक गांव में 4 और 5 दिन के बाद एक एक टैंकर पानी का जाता है। यह कौनसी योजना है? क्या आप गांव वालों को वहां बिठाकर रखते हैं जो 4-4, 5-5 दिन तक सड़क के ऊपर मुंह ताकते हैं कि कब टैंकर आयेगा और कब एक घड़ा पानी उनको नसीब होगा। इसका कारण, श्रीमान्, डीजल की शार्टेज है। डीजल की शार्टेज के कारण ये टैंकर सुचारू रूप से नहीं चलते और इनमें से आधे से ज्यादा टैंकर बन्द पड़े रहते हैं क्योंकि इनके सुधारने की आपने वहां पर कोई व्यवस्था नहीं की।

अब, प्रश्न आता है ट्यूब वैल्स का। जैसलमेर में काफी ट्यूबवैल खुदे हुए हैं। लेकिन कोई भी ट्यूबवैल सुचारू रूप से काम नहीं करता, कोई भी वाटर सप्लाई रेगूलर नहीं है। इसका क्या कारण है? यह तो स्वयं पी. एच. ई. मंत्री महोदय जवाब दें या हो सकेगा देंगे। लेकिन जैसलमेर टेल एण्ड पर होने की वजह से हमारे यहां हरदम बिजली की सप्लाई बन्द रहती है। अक्सर करके बिजली की सप्लाई बन्द हो जाती है। विद्युतीकृत ट्यूबवैल जैसलमेर में हैं, उन पर बिजली की सप्लाई कम होने से वहां पानी का निकलना बन्द हो जाता है। 60-60 किलोमीटर लम्बी पाइप लाइन बिछी हुई है। एक जगह पाइप लाइन खाली हो जाती है तो उसको भरने में तीन-तीन दिन लगते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पर विद्युतीकरण हुआ है ट्यूबवैल्स का वहां पर कोई भी प्रबन्ध नहीं है, दूसरे, जो जनरेटर सैट थे वह भी हटा लिये गये वहां पर उनका साइड ब साइड प्रबन्ध कुछ भी नहीं है। लोग पानी के लिए तरसते हैं और यहां से बिजली आपकी बन्द होने से पशु मरेंगे, लोग मरेंगे और आप इसके जिम्मेदार होंगे। डीजल जनरेटिंग सैट का आपने वहां पर प्रबन्ध किया है, एक मोटर जल जाती है वह जोधपुर जाती है रिपेयर होने ट्यूब वैल से खुलकर जोधपुर जाती है, जोधपुर से वापस आती है फिर लगती है, इसका मतलब 7-8 दिन के लिए एक ट्यूबवैल बन्द। एक ट्यूबवैल बन्द होने का मतलब, श्रीमान्, आज की तारीख में हजारों मवेशी एक-एक ट्यूब पर पड़ी हैं अगर 8 दिन के लिए एक ट्यूब वैल बन्द हो जाए तो आप अन्दाज लगाइये कि वहां पर जो मवेशी हैं, जो पशुधन है उसका क्या हश्र होता होगा?

अब आपने इसमें बात कही है कि हम टूरिज्म को बढ़ावा देंगे और जैसलमेर टूरिज्म के मैप पर आ गया है। इसके अन्तर्गत हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 16 से लेकर 18 तक, 16 से 18 फरवरी तक जैसलमेर में एक मरु मेले का प्रोग्राम बनाया गया और प्रोग्राम चलाया गया उसके एडवर्टाइजमेंट पर, इस मेले को चलाने के ऊपर हजारों लाखों रुपयों का व्यय हुआ। विदेशी नागरिक दूर-

(श्री चन्द्रवीर सिंह)

दूर देशों से आये और जोधपुर आकर उतरे तो मालूम हुआ कि बसें नहीं हैं। बसें कहां गई ? बसें रैली वाले ले गये। एक तरफ तो आप टूरिज्म की बात करते हैं विदेशी नागरिकों को न्यौता देते हैं और फिर एक तरफ यह आपकी सभ्यता है। अपनी सभ्यता तो यह है कि मेहमान जो हमारा होता है वह जान से प्यारा होता है। लेकिन आपकी सभ्यता यह है कि मेहमानों को निमन्त्रण देकर बुलाया लेकिन जोधपुर से जैसलमेर पहुंचने का कोई साधन नहीं। अध्यक्ष महोदय, जोधपुर में एक अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेवल एजेन्सी का ग्रुप आया, वह हवाई अड्डे पर उतरा उसने अपना सामान एक बस में चढ़ाया लेकिन जब सामान रख कर वे चढ़ने को थे तो एक आर. टी. ओ. डिपार्टमेंट के या मैं नहीं जानता किस डिपार्टमेन्ट के श्रीमान् पधारे और उनको कहा कि यह बस हमको रैली, किसान रैली के लिए चाहिए आप उतरिये इसमें से। उनका सामान उतार दिया गया। वे उस मेले में दो दिन के बाद पहुंच सके। यह आप इस तरह का टूरिज्म डवलपमेन्ट करते हैं। मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है रैली आप जरूर करिये, किसान रैली करिये, मजदूर रैली करिये आपका मन आये जितनी रैलियां करिये लेकिन इस तरह का जो आपने इस मेले में किया है विदेशी नागरिकों के साथ इसका अन्तर्राष्ट्रीय दबाव आपके ऊपर पड़ेगा, आपकी इमेज, इन्टरनेशनल इमेज खराब हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा के नाम पर जैसलमेर में एक बड़ा भारी मखौल है। माननीय चिकित्सा मंत्री तो हैं नहीं··

श्री अध्यक्ष : अब, माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री चन्द्रवीर सिंह : सिर्फ टू मिनट।

जैसलमेर में 31 सब सेन्टर्स हैं, 31 के 31 सब सेन्टर्स बन्द हैं। मैं डिमाण्ड पर तो आपको आंकड़े पेश करूंगा ही कि वहां पर कितने लोग कार्यरत नहीं हैं, कितने डाक्टर्स और नर्सेज की कमी है लेकिन मैं तत्कालीन मंत्री से बार-बार कह-कह कर लिख-लिख कर परेशान हो गया लेकिन फिर भी जैसलमेर का असर यह है कि वहां की चिकित्सा सेवा प्रेक्टिकली आज ठप्प पड़ी है। दूसरा सवाल आता है वहां पर शिक्षा का, शिक्षा के बारे में तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी ने मुझको बड़े आश्वासन दिये थे, लेकिन जैसलमेर में कोई स्कूल नहीं। वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में हमने जब तार दिये, वहां से वायरलैस आये तो दो प्राइमरी स्कूल खोले गये और एक सैकण्डरी स्कूल को डिग्रेड कर दिया, यह आपने शिक्षा में प्रगति की। दूसरा, यह आपका ही आंकड़ा है, श्रीमान्, पंचायत समिति के विद्यालयों का विवरण, स्वीकृत विद्यालय 278, अध्यापकों के स्वीकृत पद 257 तो ये 21 विद्यालय बिना मास्टर के कैसे चलेंगे ? आपने स्वीकृति दी है इन स्कूलों को, और मास्टरों की स्वीकृति नहीं है तो वहां पर कौन जाकर पढ़ायेगा ?

एक माननीय सदस्य : खेतसिंह जी शेरगढ़ से थोड़ी दूर रहते हैं वह जाकर पढ़ायेंगे।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री चन्द्रवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं एक जरूरी अर्ज करना चाहता था।

राजस्थान नहर परियोजना के अन्तर्गत जैसलमेर में 18 इन्च की पाइप लाइन अब काफी आगे तक आ चुकी है। मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है सरकार को कि इस पाइप लाइन के द्वारा जैसलमेर के नाचना और मोहनगढ़ गांवों को जोड़ दिया जाय। अगर जोड़ दिया जाएगा तो इससे आपको जल समस्या का काफी हल हो जाएगा। इसके अलावा भी वाटर सप्लाई चैनल आर. डी. 1200 टिल टेल एण्ड डिस्चार्ज 1200 प्रपोज्ड क्यूसेक है, जब कि अपना हिस्सा 1500 क्यूसेक बनता है, तो यह 300 क्यूसेक क्यों छोड़ा जाय क्यों नहीं राजस्थान में 300 क्यूसेक को उपलब्ध कराया जाय? माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर यह पाइप लाइन या यह वाटर सप्लाई चैनल वहां तक पहुंचा देगी, सरकार तो वहां का जो त्रस्त नागरिक है जो त्रस्त गांव हैं त्रस्त ढाणी हैं वह एटलिस्ट पानी पी सकेगी, मवेशी को पिला सकेगी।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय, राजस्थानी भाषा के सम्बन्ध में···

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घण्टे के लिए बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय दो घण्टे के लिए बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री चन्द्रवीर सिंह : अन्त में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थानी भाषा की अपने यहां कोई अकादमी नहीं है और फर्माओ तो राजस्थानी में बोल सकूं हूं। तो मैं आपने अरज कर रियो हूं अध्यक्ष महोदय कि राजस्थानी भाषा रो आपारें कोई भी अकेडमी कोनी। ईं वास्ते मुं आपरे माध्यम से ईं सरकार से आ निवेदन करनो चाहूं कि इ अकादमी री जल्दी से जल्दी स्थापना करायी जावे और ईं भाषा ने आंपारी भाषा ने राष्ट्र भाषा रे रूप में मान्यता दिलाई जावे। अन्त में धन्यवाद आपने देतो हुयो म्हारो स्थान ग्रहण करूं हूं, गर्वनर साहब ने नहीं।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन जब यह यहां पर प्रस्तुत हो रहा था तो उस समय मुख्य सचेतक महोदय के लिए विपक्ष की ओर से एक शब्द का प्रयोग किया गया××× इस पर व्यवस्था चाही गयी थी मैंने उस वक्त अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। मैंने इस प्रश्न पर गहराई से विचार किया और

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(१३५)

(श्री अध्यक्ष)

बाद में इस नतीजे पर पहुंचा कि यह शब्द बहुत ही उत्तेजक है और इसके साथ ही साथ कई बार यह अपमान जनक भी होता है। यह शब्द जिस सन्दर्भ में कहा गया था उसको असंसदीय मानते हुए इसे सदन की कार्यवाही से निकालने की आज्ञा देता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फैक्ट क्या है यह तो बता दीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : फैक्ट्स तो वह हैं वह ठीक हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसकी व्याख्या संस्कृत में इस प्रकार की गयी है। वदामि, वदामि नदामि ढपोलशंखे वोहम्रक ढांपौल शंख वदामि वदामि। इसलिये निकाला गया है।

श्री अध्यक्ष : जिस सन्दर्भ में यह कहा गया है उस सन्दर्भ में किया गया है। आप जो फर्मा रही हैं वह तो मैंने पहले ही कह दिया था।

श्री चन्द्रवीर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं। एक जरूरी मसला रह गया। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जैसलमेर, बाड़मेर में नेशनल डेजर्ट पार्क की जो स्थापना की जा रही है वह एक बहुत अच्छी योजना है और उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस नेशनल डेजर्ट पार्क के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना में 13 हजार 200 हैक्टेअर्स में तारबन्दी की जायगी। इतना बड़ा सम्भाग जिसको कि घेरा जा रहा है, 3 हजार वर्गमील जिसमें 13 हजार 900 खेत हैं, उनका क्या होगा? और वह लोग जो यहां से ईंधन लेते हैं, जिससे वह अपना खाना बनाते हैं उनका क्या होगा? मैं सरकार से इतनी ही इल्तजा करना चाहता हूं कि यह नेशनल डेजर्ट पार्क जो बन रहा है उसका स्वागत है, लेकिन इन सब को मद्देनजर रखते हुए इस पर स्पष्टीकरण दें ताकि जनता को हम वहां जाके संतुष्ट करा सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तारबन्दी जब होगी तो जैसलमेर एक पशुपालकों का देश है और पशुपालन की विकट समस्या उत्पन्न होने वाली है, राजस्थान कैनाल भी आ रही है, वहां का पशु भी इस इलाके में आयेगा और यहां के पशुओं के लिए भी तारबन्दी की जाएगी तो मेरी यह समझ में नहीं आता कि जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट का, जैसलमेर शहर का पशु कहां चरने जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं इस पार्क को फाइनेलाइज करने से पहले यह सब बातें ध्यान में रख कर करें तो अति उचित होगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : अब कांग्रेस की ओर से बोलेंगे माननीय सदस्य, श्री सी. एल. कंवरिया।

(अनुपस्थित)

श्री जगनसिंह!

श्री जगनसिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल जी ने जो अपना अभिभाषण यहां पढ़ा है और उस पर माननीया चूण्डावत जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है मैं उसका तहेदिल से समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण में

(135)

(श्री जगनसिंह)

राजस्थान की पूर्व विकास की ओर राजस्थान सरकार भविष्य में जो विकास करेगी उसकी विस्तृत रूप से चर्चा की गयी है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में एक अशोक लीलैण्ड का कारखाना स्थापित करना और भारत सरकार द्वारा 43 आशय पत्र, 10 औद्योगिक अनुज्ञप्ति व 26 टैक्सटाइल मिल लगाने के परमिट स्वीकृत किये गये हैं। यह अपने आप में एक उपलब्धि है।

अध्यक्ष महोदय, 1981 अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष मनाया जा रहा है और जगह जगह विकलांगों को पेन्शन दी जा रही है और अन्य सुविधायें दी जा रही हैं। यह भी एक उपलब्धि है। जो विरोधी दल के लोग लॉ एण्ड आर्डर की समस्या को लेकर पुकारते हैं। यह समस्या इससे पहले इन्होंने ही ज्यादा पैदा की थी। इस समस्या को काबू में लाने के लिए हमारी सरकार ने पुलिस की दो रेंज अजमेर और भरतपुर नयी खोली हैं जो कि लॉ एण्ड आर्डर को काबू में लाने के लिए एक और उपलब्धि है।

अब, इसके अलावा किसानों के लिए जो इसमें बातें कही गयी हैं पानी की समस्या भी काफी विस्तृत है लेकिन इसके साथ ही मैं कुछ और अपने सुझाव रखना चाहूंगा। किसानों ने, अध्यक्ष महोदय, 16 फरवरी को दिल्ली में जो कांग्रेस (आई) की पार्टी ने रैली निकाली उसमें सम्मिलित होकर सरकार में आस्था व्यक्त की है। यह अद्वितीय है लेकिन उन किसानों को जो अभी सुविधायें दी जा रही हैं उनसे भी आगे बढ़कर देना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इससे पहले भी भूमिहीनों को भूमि का अलाटमेंट किया। अलाटमेन्ट होने के बाद में गैर खातेदारी पावर्स दी जाती हैं और उसके भी दस साल के बाद में खातेदारी में कन्वर्ट होते हैं इसमें हमें यह अमेन्डमेन्ट लाना पड़ेगा कि जब अलाटमेन्ट होता है उसी समय गैर खातेदारी पावर्स नहीं देकर खातेदारी पावर्स दिये जावें जिससे कि वह अपनी भूमि को अपने अन्य कामों में ला सकें।

अध्यक्ष महोदय, बिजली की जो समस्या है वह पानी की कमी से है और दूसरे कारणों से भी कमी है लेकिन फिर भी सन्तोषप्रद कार्य सरकार ने किये हैं। डीजल की समस्या, आज से 2 साल पहले जो इधर की लाबी में बैठे हुए हैं उनके समय में जो क्यू लगी रहती थी, लाइन लगी रहती थी और चार पांच दिन में 15 लीटर डीजल भी नहीं मिलता था, वह आज समस्या नहीं है लेकिन फिर भी इससे ज्यादा हमें किसानों को देना पड़ेगा। इसके अलावा मैं कुछ भरतपुर जिले की जो समस्यायें हैं उनके निराकरण करने के लिए सुझाव रखूंगा। रूपवास तहसील में बासीपाड़ में लाल पत्थर की खनिज खानें हैं और लाल पत्थर निकलता है। जिस लाल पत्थर से आगरे का लाल किला बनाया गया है। आज हम उसको संरक्षण दें आज, अगर सरकार उसके ऊपर कुछ अपना और काम करे तो वह पत्थर अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का पत्थर बन सकता है और हमें उससे रेवेन्यू काफी मात्रा में मिल सकती है। जो पहाड़ी इलाका है उसमें खनिज निकलता है। उसके जो खानों के पट्टे दिये जाते हैं वह शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के नाम पर दिये जाते हैं और कमजोर वर्ग को दिये जाते हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि

136

(श्री जगनसिंह)

नाम उनका होता है और काम पूंजीपति और बड़े लोग करते हैं। इसकी शीघ्र जांच करवाकर उन खानों पर जिनके नाम पट्टे दिये गये हैं उनको ही उन पर काम करने दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, बयाना में एक मीराना है जिसे वहां की मुस्लिम जनता अपने मुर्दों को दफनाने के काम में लेती थी लेकिन जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने सन् 78 में उसके ऊपर कब्जा कर लिया और वह कब्जा आज तक बदस्तूर बना हुआ है। वह करोड़ों की जमीन है और करोड़पति ने उस पर कब्जा किया हुआ है। हम कब्जे से उस जमीन को निकालने के लिए बराबर चिल्लाते रहे हैं लेकिन आज तक भी ध्यान नहीं दिया गया है वीरान जगह है लाखों की जगह है। बाबर का युद्ध हुआ था, कब्रें बनी हैं, जो ऐतिहासिक जगह है। वहां का एक पदाधिकारी था, आपकी सरकार से मिला, उस पार्टी का पदाधिकारी था वहां की बात वहीं रखी। वह कब्जा आज भी चला आ रहा है अगर उस पर तुरन्त कार्यवाही नहीं की गई तो यह स्थिति भी आ जायगी कि जो मुस्लिम जनता है...

एक माननीय सदस्य : आन्दोलन करो।

श्री जगनसिंह : आन्दोलन नहीं होगा। बड़ा शान्त इलाका है। आन्दोलन नहीं होगा। आप चिन्ता न कीजिये। मुस्लिम जनता को मुर्दे दफनाने के लिये मोहताज होना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, जिन परिस्थितियों में भारत की जनता ने हममें विश्वास किया था और हमको चुनकर भेजा था उन परिस्थितियों पर काबू पाने के लिये हमारी सरकार ने पूरी कोशिश की है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है उसका मैं पुनः समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री नारायण सिंह।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो इस सदन में कृपापूर्वक अभिभाषण दिया है और माननीय सदस्या, श्रीमती चूण्डावत जी ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका तहेदिल से समर्थन करता हूं।

आज सारे प्रदेश के अन्दर पिछले साल भी अकाल रहा और इस साल भी करीब करीब सारे राजस्थान के अन्दर भयंकर अकाल की स्थिति है। इस अकाल की स्थिति के अन्दर हमारी सरकार जो कुछ करने जा रही है और जो कुछ किया है मैं सोचता हूँ कि चाहे अकाल राहत कार्यों के चाहे जो भी काम हुए हों, निश्चित रूप से शुरू किये गये हैं। आज इस भयंकर अकाल की जो स्थिति पैदा हुई वह, अध्यक्ष महोदय, समय पर वर्षा नहीं होने के कारण अनुपात के हिसाब से करीब करीब सारे प्रदेश में वर्षा कम होना। जो आज स्थिति पैदा हुई है चाहे बन्धों में पानी कम आने के कारण, सिंचाई के बांधों में पानी कम आने के कारण, सारे हालात के अन्दर जो बिजली बनती थी, जो बिजली तैयार होती थी उसकी कमी के होने से निश्चित रूप से इस राजस्थान जैसे प्रदेश पर उसका असर हुआ है। आज सारे प्रदेश के अन्दर काश्तकार बिजली के लिये मांग कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि बिजली की उनकी मांग निश्चित रूप से सही है। जो दूसरे अपोजिशन के माननीय सदस्य हैं, विरोधी पार्टी के सदस्य हैं वे इस बात को राजनैतिक आधार

(श्री नारायण सिंह)

पर लेते हैं। आज राजस्थान प्रदेश का किसान अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। वे राजनैतिक आधार पर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि कतई उचित नहीं है। बिजली की समस्या को मानकर चलना चाहिये। यदि किसान को आने वाले एक महीने या 20 दिन के अन्दर यही 6 घण्टे बिजली देते रहे तो मैं आपको सही निवेदन करना चाहता हूं और आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर शब्दों से निवेदन करना चाहता हूं कि किसान की हालत, पिछले अकाल के कारण से और इस अकाल के कारण और यदि बिजली नहीं पहुंचेगी तो और भी स्थिति बिगड़ जायगी। आज इस मौसम में परिवर्तन होने के कारण, सर्दी से गर्मी बढ़ जाने के कारण सारी जो स्थिति बदली उस कारण से 6 घंटे के अन्दर, जो खेतों को पानी दिया जाता है। एक बीघा जमीन से अधिक जमीन में पिलाई नहीं होती। हमारे राजस्थान का किसान, मैं उसकी तारीफ किये बिना नहीं रह सकता, कड़कडाती सर्दी के अन्दर रात में उसको बिजली दी गई तो आदमी रात को बिस्तरों के अन्दर नहीं रह सकता वह अपने खेतों के अन्दर रहे, अंधेरे के अन्दर में, अपनी फसल को बचाने के लिये पानी देता रहा लेकिन आज स्थिति यह है कि उसको इन 15–20 दिनों में, एक महीने में यदि हमारी सरकार द्वारा दूसरे उद्योग धन्धों को बिजली दी जा रही है उनको 20 दिन बन्द करके भी इन किसानों के खेतों को बचाया जा सके तो निश्चित रूप से बचाया जाना चाहिये। यह एक अहम मसला है इसके कारण किसान की दशा तो बिगड़ गई बल्कि राजस्थान के दूसरे लोग जो किसान पर आधारित हैं, जो किसानों का पैदा किया हुआ खाते हैं, वे भी मुसीबत के अन्दर फंस जायेंगे। मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार से, मुख्य मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी तरह से इस स्थिति को और ठीक करें लोगों की फसलें नहीं जले इसलिये और बिजली बढ़ाई जानी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, यह पंचायती राज संस्थायें जिस हालत में थीं। पंचायती राज संस्थायें ही नहीं बल्कि सारी संस्थायें जो भी हों चाहे लोकल नगरपालिकायें हों, चाहे म्यूनिसिपल कौंसिल हों इनके अन्दर जो प्रशासक रहते हैं, जो सरकारी तंत्र काम कर रहा है वह, मैं सोचता हूं, कतई उचित नहीं है। जनता पार्टी की सरकार ने जब जनता पार्टी की सरकार बनी जब इस तरह का प्रचार किया कि कांग्रेस शासन में 13 साल से पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं कराये। उसके अन्दर उस समय चुनाव कराये या नहीं कराये, उस समय जो जन प्रतिनिधि थे उनका सहयोग मिलता था। ऐसी हालत के अन्दर जब अकाल हुआ, दूसरे विकास के काम हुए, उनकी सलाह ली जाती थी, उनसे सहयोग लिया जाता था लेकिन दुर्भाग्य है पंचायती राज संस्थाओं के पंचायतों के चुनाव कराये लेकिन पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव आज तक नहीं हुए। वह सारी एक जो कड़ी है पंचायत से लेकर जिला परिषद तक उस संस्था के भी पंचायतों के चुनाव हुए, पंचायत समिति और जिला परिषदों के चुनाव नहीं हुए। मैं राज्य सरकार से, हमारे मुख्य मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जनगणना के बाद इन संस्थाओं के चुनाव पूरे कराये जायं और दूसरी संस्थाएं चाहे मण्डी कमेटी हो चाहे म्यूनिसीपलिटी हो, उनके चुनाव भी

(श्री नारायण सिंह)

कराये जायं ताकि जो प्रतिनिधि चुनकर आयें, हमारे विकास के कार्यों में सहयोग दे सकें।

अध्यक्ष महोदय, मैं कल जब सुन रहा था कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात का जिक्र किया था कि कोटा के अन्दर तहसील का नाम याद नहीं, उन्होंने कहा था कि हरिजनों को जमीन दी जानी चाहिये थी लेकिन पटेल को दे दी। काश्तकार को दे दी। मैं आपको बताना चाहता हू कि जनता पार्टी के राज के अन्दर, उन्होंने तो कहा कि पटेल को जमीन दे दी, जिन हरिजनों की जमीन दी हुई थी उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। ऐसी जमीन जो हरिजन काश्तकार की जमीन थी उस पर लोगों ने काश्त किया। इस तरह के हालात, किसी हरिजन को न देकर दूसरी जाति वाले को देते जिनके पास जमीन नहीं है लेकिन जिनको जमीन दी हुई है उनको जमीन दी गई···

मैं आपको, अध्यक्ष महोदय, मेरी कान्सटीट्यूएन्सी के अन्दर एक भूतपूर्व जागीरदार, जिसकी पांच सौ बीघा जमीन आबादी की जमीन है, उसने जबरदस्ती आबादी की भूमि पर नाजायज कब्जा किया, उस पर काश्त करना शुरू कर दिया। चूंकि उसके पास जमीन बहुत अधिक पहले से थी तो उसके नाम में वह जमीन रेगूलेराइज नहीं हो सकती थी इसलिए, अपनी मां के नाम से यह दरखास्त दे करके और राजस्थान की जनता पार्टी की सरकार ने उस आबादी की जमीन को, उन भूतपूर्व जागीरदार के नाम से आबादी की जमीन को गोचर की भूमि में वापस कन्वर्ट करा दिया तो इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिये। उस आबादी की, जिनकी कि जमीन थी उसको मिलाकर, उस जमीन को बेच रहा है तो इस तरह की बात उस समय ज्यादा हुई जब जनता पार्टी का राज था। मैं आपसे आपकी, मार्फत राजस्थान सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे केसों में, जो इस तरह की हरिजनों की जमीन हड़पी हैं, इस तरह के नाजायज कब्जा करके जनता पार्टी के शासन के अन्दर बड़े-बड़े भू-पतियों ने जिन जमीनों पर कब्जा किया है, जो आदेश दिये हैं, वह आदेश वापस लिये जाने चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की ही नहीं बल्कि मैं सोचता हूं कि राजस्थान की यह समस्या है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्दर एक ऐसी धारा है कि मन्दिरों की जो जमीन है, उसका पुजारी उस जमीन को नहीं बेच सकता लेकिन हमारे यहां सीकर के अन्दर और मेरे क्षेत्र के अन्दर खास तौर से 20 केस ऐसे हैं, जिनमें मन्दिरों के पुजारियों ने जमीन को 20-20 साल तक की बेच दी और उसके बाद उनके खिलाफ केस चल रहे हैं, वे रिट्रेंच हुए, रेवेन्यू बोर्ड द्वारा धीरे धीरे आज उन काश्तकारों को जमीन जो खातेदारी की है, रद्द की जा रही है और वापस किया जा रहा है और जो जमीन के अन्दर लाखों रुपये खर्च करके उसको ठीक किया उसके अन्दर वह फंस गये, उसके अन्दर मकान बना लिये और उस जमीन को ठीक तरह से करके आज उसका उपयोग कर रहा है लेकिन मैं सोचता हूं कि कानूनन वह उससे बेदखल होगा, हटाया जायगा,

(श्री नारायण सिंह)

उसकी क्या स्थिति होगी ? इस तरह के जो हालात हैं, इस तरह की जो स्थिति है, उसमें सोचता हूं कि राजस्थान सरकार द्वारा इस तरह के मामले लिये जाने चाहिए । इसी तरह से, दूसरा, कुछ समय पहले राजस्थान सरकार ने यह आदेश निकाला था टिनेन्सी एक्ट के अन्दर, 1959 के अन्दर जिन कृषकों के कृषि जमीन पर चाहे सरकारी जमीन हो, चाहे गोचर हो जो कब्जे थे उनका रेगूलेराइज करने को एक साल का समय दिया जायगा किसानों को इसका पता नहीं लगा और लोग उसका लाभ नहीं उठा सके इसलिए इस मामले के अन्दर भी टाइम बढ़ाया जाना चाहिए और ऐसे लोगों को, जो कृषक हैं, उसका लाभ मिलना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में हमारी सरकार यह बात मानकर चलती है कि पिछले बजट के अन्दर काफी स्कूलों को सैकेण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत किया, काफी प्राथमिक शालाएँ बनायीं और काफी संख्या में प्राइवेट स्कूल खोले । लेकिन जिस आधार पर जितने स्कूल खुलें उनमें अध्यापकों की संख्या कम रहने के कारण पंचायत समिति के अन्दर एक पंचायत समिति प्राइमरी स्कूलों में लो । एजुकेशन के लिए स्कूल में जो अध्यापकों की कमी है आपकी पंचायत समिति के अन्दर उसके अन्दर मैंने देखा है, अध्यक्ष महोदय, जहां दो सौ लड़के हैं, वहां केवल एक अध्यापक है । एक अध्यापक हम यह नहीं मान सकते कि दो सौ लड़कों को व्यवस्थित ढंग से बैठा भी सकता है या नहीं । पढ़ाना तो दूर रहा । पंचायतों में आपको अध्यापकों की संख्या बढ़ानी चाहिए । शिक्षा विभाग के स्कूलों में संख्या बढ़ानी चाहिए और प्राइमरी स्कूलों का जो स्तर है वह गिरता जा रहा है, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, जो पढ़ने चाहिए, उनकी व्यवस्थित ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही है उसके कारण शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है उसको ठीक किया जाना चाहिए ।

(6.25 सायं)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदया, हमारे

मुख्य मंत्री जी ने चाहे कोआपरेटिव की वसूलियां हों, चाहे रेवेन्यू क्षेत्र की हों, जो अकाल में हैं, उनमें वसूलियां रोकने की घोषणा की है । मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार ने उसके आदेश भी कर दिये हैं लेकिन हमारे जिले के अन्दर आज भी लगान की वसूली तो करीब-करीब हो रही है । लगान की वसूली नहीं करने से तो किसान बदुन्ड होते हैं क्योंकि उसके बजाय दूसरे साल उनको दुगुना देना पड़ेगा। इसलिए काश्तकार यही सोचता है कि जैसे तैसे इसको चुकाया जाना चाहिए लेकिन जो किसान का एक ऋण है, वह आज भी उसी तरह से वसूल हो रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है । लोगों की क्रय शक्ति, लोगों की आज हालत नहीं है कि वे उसका निपटारा कर सकें इसलिए मैं आपसे सही निवेदन करता हूं कि ऐसी वसूलियां जो कि आमदनी की हों, चाहे दूसरी वसूलियां हों, उनको रुकवाया जाना चाहिए ।

सभापति महोदया, अकाल के अन्दर जो काम लिये जा रहे हैं, उसमें प्लानों

(श्री नारायण सिंह)

बांधों, फारेस्ट के काम लिये जा रहे हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले अकाल के अन्दर जिन सड़कों को लिया गया उन सड़कों पर लाखों रुपया खर्च हुआ खर्च होकर वे अन्त में जाकर अधूरी रह गयीं। ऐसी सडकों का, जो प्लान के अन्दर लें, थोड़ा पैसा रहने के कारण से ही निर्माण हो सकता है, वह पूर्ण हो सकती है और वह काम में आने जैसी हो सकती हैं। इसलिए इसके साथ साथ ऐसी सड़कें जो अकाल के अन्दर बनें और बनकर आयें उनको भी लिया जाना चाहिए, यदि नहीं ली जाती तो जो पैसा खर्च हुआ है वह तो बर्बाद हो जायगा, बल्कि आपको फिर से पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसलिए उनको प्लान में लेकर या पी. डब्ल्यू. डी. को दी जाकर, पूरा करायें। जो भी प्लान की सड़कें हैं, निश्चित रूप से ऐसी सड़कें होनी चाहिए, ऐसी सड़कें दी जानी चाहिये जो साल के अन्दर, चाहे दो साल के अन्दर वह प्लान के अन्दर डाल दी जायं और उसके अन्दर वह पूरी होंगी ताकि उनका उपयोग हो सके और खाली मिट्टी डालकर पैसा बर्बाद न हो, ऐसे काम निश्चित रूप से लिये जाने चाहिए। मैं कुछ मेरे क्षेत्र की खास दिक्कतों के सम्बन्ध में आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जनता पार्टी की सरकार के टाइम सस्ता न्याय दिलाने के लिए, मेरे क्षेत्र के दांतारामगढ़ में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट थी। दांता-रामगढ़ का क्षेत्र कहां है, कहां बसा हुआ है उसका क्षेत्र कितना फैला हुआ है, इस बात का ध्यान नहीं रखा गया। आज सीकर से जो चार माइल की दूरी पर गांव हैं वह सीकर से चालीस माइल की दूरी पर जाते हैं। उनको सीकर होकर सस्ता न्याय दिलाने के लिए दांता रामगढ़ जाना पड़ता है। तो ऐसे गांव और ऐसे थाने जो सीकर से बराबर जुड़े हुए हैं या झुन्झुनूं जिले से जुड़े हुए हैं वहां उसी आधार पर मुंसिफ कोर्ट और इन कोर्टों को लगाया जाना चाहिए जिससे कि उन जगहों पर जाने में कोई असुविधा नहीं हो।

हमारे यहां दांतारामगढ़ के अन्दर खास तौर से सड़कों की कमी है। आवागमन की सुविधा कम है और इन सुविधाओं के अलावा पिछले सत्र के अन्दर बजट की डिमाण्ड के समय मैंने इस बात को उठाया था कि हमारे यहां पर सीकर से दांतारामगढ़ जाने के लिए एक रूट है उस रूट पर 27 गाड़ियों के परमिट दिए हुए हैं लेकिन चार साल से वहां गाड़ियां नहीं चल रही हैं। आज भी उनके पास परमिट हैं और उन परमिटों का दुरुपयोग कर रहे हैं। उस रूट पर गाड़ियां नहीं चला कर दूसरे रूट्स पर गाड़ियां चला रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जब सस्ते न्याय की बात करते हैं, आराम के साथ आने जाने की बात करते हैं तो ये लोग उन रूट्स पर गाड़ियां नहीं चला रहे हैं। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि इनके परमिट आप कैंसिल करके दूसरे लोगों को दें तो वे उन पर बसें चलाने के लिए तैयार हैं। लोगों के सुविधा की बात है लोगों के यातायात की बात है, उनको यातायात के साधन मिलें, लोग आराम से आ जा सकें, ऐसी

(श्री नारायण सिंह)

बात को निश्चित रूप से लिया जाना चाहिए।

तो मैं जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश हुआ है उसका तहे दिल से समर्थन करता हूं।

जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री छोगाराम।

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर) : माननीय सभापति महोदया, माननीय गवर्नर साहब के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसकी मैं अपने हृदय से सहमति प्रकट करते हुए उसके बारे में कुछ विचार रखना चाहता हूं।

वैसे पिछली सरकार अर्थ व्यवस्था को होच पोच करके गयी हैं, उसके कारण से उत्पन्न स्थिति को काबू करने में काफी समय तो लगता ही। इसके साथ-साथ प्राकृतिक, प्रकृति ने भी कुछ प्रकोप करके यहां बारिश राजस्थान में नहीं होने के कारण से अकाल के साथ में राजस्थान को जूझना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में किसी सरकार को दोष देना वाजिब नहीं है। यह प्राकृतिक प्रकोप है। लेकिन इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार कितनी जागरूक है, इसके लिए अपने को देखने की बात है। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदया, कि यह सरकार पूर्णतया जागरूक है। इस अकाल की स्थिति में क्या-क्या रेमेडियल मेजर काम में लिए जा सकते हैं। जो विरोधी पार्टी ने या सत्ता पार्टी ने काफी कुछ रोष प्रकट किया है कि सरकार की कुछ कमियां हैं, लेकिन हमें यह सोचना है कि इसका हल कैसे निकाला जाय। जो प्राकृतिक प्रकोप है उसके लिए अपने को देखना है। इस सरकार द्वारा ज्यादा से ज्यादा एम्प्लायमेंट, जैसा कि आपको पता है, लोगों को दिया गया है। यह सरकार की जागरूकता की मिसाल है इस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री को राजस्थान में बुलाया गया और उनका भी ध्यान इस ओर गया। उन्होंने अपने कमेंट्स दिये हैं कि यह बहुत बड़ी प्राब्लम है जिसके लिए सारे राष्ट्र की नजर जानी चाहिए और इसका सोल्यूशन, अपनी तरफ से अग्रसर हो करके इसका हल ढूंढना चाहिए और सहयोग प्रदान करना चाहिए। ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार ने कई जगहों पर अच्छे अच्छे कार्य खोले और कई राहत कार्य, टैस्ट वर्क शुरू किये हैं। अभी तक किसी सरकार ने, पिछली सरकार के टाइम में भी अकाल पड़ा था उन्होंने इतने जल्दी शीघ्र ही टैस्ट वर्क शुरू नहीं किए। लेकिन यही सरकार है जिसने तुरन्त सेंटर की सहमति प्रदान करने से पहले ही, सैंक्शन प्रदान करने से पहले ही अकाल राहत कार्य शुरू किये जो अपने आप में मिसाल हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ऐसे एक्शन के लिए उन्हें बधाई देता हूं और भविष्य में अगर इस तरह की विभीषिका, इस प्रकार का दुष्काल पड़े तो उसके लिए सरकार हमेशा जागरूक रहे। यही मेरा निवेदन है।

इसके साथ-साथ यह सरकार गरीबी मिटाने के लिए, गरीबों का गरीबोत्थान करने के लिए और दरिद्रनारायण को नष्ट करने के लिए जागरूक है फलतः

(श्री छोगाराम बकोलिया)

आज दिन तक गरीबों के उत्थान के लिए हमेशा स्कीमें बनाई गई हैं और उसका परिणाम है कि आज गरीब रा त की सांस लेने लग गए हैं। अभी तक भी गरीबों के प्रति पिछली जनता सरकार ने कभी कुछ नहीं सोचा। यहां तक कि जो प्रिविलेज दे दिये गये थे, गरीबों के अलावा यहां तक मैं कह सकता हूं कि अनुसूचित जाति के लोगों को दिए जा रहे थे, उनको आरक्षण दिया जा रहा था, उसके आरक्षण को खतम करने की साजिश पिछली सरकार ने की थी लेकिन जिस तरह से गरीबों को कुचलने के लिए पिछली जनता सरकार ने मन में सोची उसी समय गरीबों ने ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया और उसी के कारण आज बिलकुल इने गिने आदमी अपने को नजर आते हैं। लेकिन इस सरकार ने अभी आते ही जो थ्री टाइम्स जोन आफ कन्सीडरेशन प्रमोशन में था, उसे फाइव टाइम्स कर दिया है, आप सुनिये श्रीमान्। जब जोन आफ कन्सीडरेशन प्रमोशन में घटाकर फाइव टाइम से थ्री टाइम जनता सरकार ने किया था इसे इस सरकार ने पुनः विचार करके फाइव टाइम्स किया और अलग से सीनियोरिटी लिस्ट मेंटेन करके शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स को प्रमोशन देने का विचार करके इसको कार्यान्वित कराया है। लेकिन जनता सरकार ने तो ऐसे ऐसे कार्य किये कि फाइव टाइम से थ्री टाइम किया उसके बीच में जितने प्रमोशन दिए गए थे उनको भी डिमोट करके वापस धकेल लिया। उदाहरण यह स्टेट बीमा विभाग के अन्दर दो आदमियों को इस तरह से निकाला गया था। फाइव टाइम से थ्री टाइम करके आपने दो आदमियों को रेंज से बाहर कर दिया था। इस तरीके से आपने कार्यवाहियां की हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा गंभीरता का प्रश्न है। लेकिन सरकार इसी कारण से चली गई और हमारी सरकार ने आते ही इस प्राब्लम को फेस किया है।

आज हमारे पहाड़िया साहब जो कि गरीबों के लिए हमेशा आगे रहते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं। यह हर आदमी और हर नागरिक जानते हैं। आज किसानों को गुमराह करने के लिए विरोधी पार्टी वाले कहते हैं कि किसान सरकार के साथ में नहीं हैं। अगर सरकार के साथ में नहीं हैं तो रैली के अन्दर किसान कैसे जाते? क्या आपके कहने से आए हैं? सरकार की जो पालिसीज हैं, सरकार उनके साथ है और किसान सरकार के साथ है। यह अलग बात है कि विरोधी पार्टी के सदस्यगण पानी कम बरसने के कारण से आज की तारीख में बिजली का उत्पादन कम होने के कारण से किसानों को गुमराह करने लग गए हैं कि आप किसानों को बिजली नहीं देते। यह तो एक समस्या है और इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार जागरूक है और सरकार पूर्ण प्रयत्न कर रही है। इसी का परिणाम है कि आज की तारीख के अन्दर जो जनरेशन कैपेसिटी बढ़ाने की सोच रहे हैं हमारे पंचवर्षीय योजना के अन्त में आज की डिमाण्ड के अनुसार मांग को फुलफिल कर देंगे। लेकिन पिछली जनता सरकार ने तो कई कनेक्शन दिए, आपने कनेक्शन दिए और इलेक्ट्रिफिकेशन किया तब आपने यह नहीं सोचा कि

(श्री छोगाराम बकोलिया)

डिमाण्ड कितनी हो जाएगी और उस डिमाण्ड के अनुसार जनरेशन का कुछ प्रावधान कराया जावे। लेकिन पीछे के कार्य जो आपने गड़बड़ करके छोड़ गए यह सरकार उसे धीरे-धीरे सम्भाल रही है। और जनरेशन के लिए आज एक दो दिन में तो जनरेशन सैट नहीं लग सकते हैं। उसके लिए सोचना वाजिब है। जनरेशन सैट के लिए प्लानिंग तीन साल ही की जा रही है, उसके लिए सरकार बड़ी जागरूक है। लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि कुछ प्रिवेंटिव मेजर हों। जब तक तीन साल के अन्दर, दो साल में योजनाबद्ध जनरेटिंग सैट नहीं लग जावें, प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर कुछ डीजल सैट अपनी तरफ से इन्स्टाल्ड करवाये जावें। अभी सौ मेगावाट के डीजल सैट आपने लगाने की अनुमति दी है जो बहुत कम रहेगी। एक हजार मेगावाट की कैपेसिटी की आवश्यकता है। इसलिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर सरकार को अपने खर्च से कुछ डीजल सैट लगाने चाहिए। ज्योंही हाइडल पावर, थर्मल पावर अवेलेबल होने लग जावें इन डीजल सैट्स को और किसी काम में लिया जा सकता है, यह मेरा अनुरोध है।

इसके साथ-साथ किसानों की कुछ समस्यायें हैं। बिजली के बारे में कनेक्शन देने में अनियमितता तथा घोटाले एवं विद्युत् बंटवारे में शिकायतें रहती हैं ऐसी सूरत में मैं यह चाहता हूं कि ऊपर की तरफ से नहीं होकर छोटे-छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जहां कि समस्या इस तरीके से पेश करते हैं, उस जगह पर ऐसा होना चाहिए कि पालिटिशियन या जन नेता, जहां पर कि डिविजनल लेवल की समस्याओं का समाधान करना हो, कनेक्शन देना हो, बिजली के उत्पादन का सवाल हो, उस जगह पर उनका शेयर होना चाहिए और जन नेता उसमें राय प्रकट करके उसको फाइनेलाइज करें, जन नेता से परामर्श होना चाहिए। चाहे कनेक्शन हों, एग्रीकल्चर का सवाल हो ताकि आने वाले एग्रीकल्चरिस्ट्स को किसी तरीके से यह महसूस नहीं होने लगे कि बोर्ड में उनको सताया जाता है या उनसे पैसा लिया जाता है। किसी तरीके से यह किया जावे, हाल ही में जिस तरह से अपने हर डिस्ट्रिक्ट में जेल कमेटी का बन्दियों की जेल रिलेक्सेशन हेतु गठन किया है, जिसमें एक अथवा दो जन नेता को रखा है, इसी तरह से दो जन नेताओं पर से डिविजनल लेवल पर विद्युत् विभाग में किसानों के कार्यों को निपटाने हेतु परामर्श लिया जावे जब जहां पर कनेक्शन देने हों, सुविधानुसार एक दिन के अन्दर कमेटी की मीटिंग बुलाकर ऐसे केसेज को फाइनल कर दें। इसके लिए सारा कुछ करने के लिए मैं अपनी राय देता हूं, सरकार उचित समझे तो उसके लिए नजर दे।

श्री सभापति : श्री हजारीलाल।

एक माननीय सदस्य : परफार्मेंस और बताना है।

श्री छोगाराम बकोलिया : आप परफार्मेंस दिखाना चाहें तो आप दिखा देना आपकी वैसे कोई बात नहीं है। धीरे-धीरे थोड़ा बताने जा रहे हैं।

सभापति महोदया, अब तक गरीबों के उत्थान के लिये जो स्कीम वित्तीय ऋण के बारे में दी है, इण्डस्ट्री लगाने के लिये पहले इतना प्रावधान नहीं दिया जाता था। गरीब,

(श्री छोगाराम बकोलिया)
छोटे वर्गों के लिए लेकिन इस समय 90 प्रतिशत, 95 प्रतिशत जो आर. एफ. सी. से लोन देने का प्रावधान रखा है, जिसमें ब्याज की दर 2 प्रतिशत कम करके अनुसूचित जाति की इण्डस्ट्री एक लाख तक की लगाने हेतु प्रावधान सरकार ने किया है। वह अपने आप में अनूठा उदाहरण है।

इसके साथ-साथ डेजर्ट डवलपमेंट के लिहाज से काफी कुछ राष्ट्रीय स्कीम लाई गई है मैं इसके बारे में कहूंगा। डेजर्ट डवलपमेंट के हिसाब से राष्ट्रीय स्कीम हाथ में ली है। किन्तु उसमें बाड़मेर और जैसलमेर के डेजर्ट के उत्थान के लिये काम हुआ है। इसके साथ-साथ वृक्ष लगाने का प्रावधान रखा है। वहां बहुत ज्यादा वृक्ष हैं और हरियाली करने के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

इसके साथ साथ मैं सिरोही के डेजर्ट के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। कुछ पोर्शन ऐसा है रायपुर से लेकर मंडार तक डेजर्ट है। वह न जालौर डेजर्ट डवलपमेंट स्कीम से कनेक्टेड हैं न बाड़मेर से कनेक्टेड हैं। इसको इसके साथ इनवाल्व कर दें, चाहे जालौर के साथ चाहे बाड़मेर के साथ तो बहुत अच्छा होगा।

श्री अमीन खां : सिरोही में डेजर्ट कहां है? धोरे तो नहीं हैं?

श्री बुलाकीदास कल्ला : डिवोर्ट के अनुसार सिरोही डेजर्ट में आता है। 59 में यूनेस्को की एक स्कीम आई थी उसमें यह डिसाइड किया था कि 12 जिले जो हैं वह ऐसी जोन की परिभाषा में आते हैं।

श्री छोगाराम बकोलिया : इसके अलावा सिंचाई के कार्य में इस सरकार ने बहुत कुछ अपना ध्यान देकर मैक्जिमम कार्य कराने के लिये फण्ड्स अलाट किये हैं। यही कारण है कि 15 मीडियम सिंचाई की स्कीम इस वर्ष सैंक्शन होने जा रही हैं। उनमें से कई तो अनुमोदित हो चुकी हैं जिसका पैसा यू.एस.आई.डी. से अगले साल 81-82 में मिलने लग जायगा। यह अपने आप में मिसाल है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो मीडियम प्रोजेक्ट हैं, जहां ऐसी योजना के लिये इन्टर स्टेट् में डिस्प्यूट नहीं हैं, ऐसे मीडियम प्रोजेक्ट के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी अपने स्तर पर वित्तीय स्वीकृति दे दें तो कार्य प्रारम्भ हो जायेंगे। जिससे जो सिंचाई के साधन उपलब्ध हो जायेंगे, उनसे किसान की खेती को लाभ मिल सकता है। इसके साथ-साथ कुछ प्रावधान अपनी तरफ से कुछ स्कीम्स के लिये किये जायं। कुछ स्कीम मेरे क्षेत्र की हैं जैसे सुकली योजना उसको प्रायोरिटी देकर सैंक्शन दी जाय तो उससे 10 हजार हैक्टेअर भूमि सिंचित होगी और किसानों को लाभ मिलेगा। अभी तक पानी कुओं में नीचे जा रहा है, उसका स्तर नहीं गिरेगा। इतना ही मेरा सिंचाई के बारे में निवेदन है।

इसके अलाव औद्योगिक कार्य क्षेत्र में काफी कुछ सरकार ने ध्यान दिया है। मैं चाहता हूं कि हमारे यहां पर मार्बल की कुछ खानें सेलवाड़ा के अन्दर हैं। यहां पर बहुत अच्छा मार्बल उपलब्ध होने लगा है। वहां ए.सी.सी. सीमेंट फैक्ट्री लगाने की एप्लीकेशन आई है, कुछ मार्बल की खानों के लिये एप्लीकेशन हैं। ऐसी स्थिति में कुछ इण्डस्ट्री लग सकें इस हेतु रेवदर,

(6.45 सायं)
(श्री तकीउद्दीन, सभापति, पदासीन)

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

क्षेत्र को रीको के माध्यम से इण्डस्ट्रियल एरिया घोषित कर दिया जाय तो एरिया में 40 प्रतिशत जनजाति के लोग हैं उनको राहत मिलेगी। लोगों को रोजगार मिलने की काफी संभावना हो जायगी। मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देकर रीको के माध्यम से इण्डस्ट्रियल एरिया घोषित करने की कृपा करे।

इसके साथ-साथ सरकार ने काफी कुछ नेक कार्य किये हैं। फिर भी अपोजिशन और कुछ आदमियों को पसन्द नहीं हैं। पता नहीं क्या कारण है कि उनको अपोजिशन करने की आदत पड़ गई है या गलत भाषण करने की आदत है। वह हमेशा नुक्ताचीनी निकालते रहते हैं। लेकिन यह राजस्थान के उत्थान के लिये शोभायमान नहीं है कि अच्छे कार्यों के लिये नेगेटिव अप्रोच लेकर चलें। अच्छा यह होगा कि हर समस्या के बारे में मिल-जुल कर चाहे विरोधी पार्टी हो, सत्ता पार्टी हो एकमत होकर समस्या का समाधान करने के लिये सहयोग प्रदान करें। जो माननीय राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण पर कई पाइन्ट्स के बारे में दिया है, पहाड़िया जी ने प्रकाश डाला है, उसका सर्वसम्मति से आदर करें। मैं इतना कहकर ही अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्री थानसिंह।

एक माननीय सदस्य : बोल गये।

श्री सभापति : श्री जयदेव प्रसाद।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़) : माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने सप्तम् राजस्थान विधान सभा के द्वितीय सत्र में दिनांक 20 फरवरी, 1981 को जो अभिभाषण दिया, जिस पर माननीया श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसके संदर्भ में मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं।

अभिभाषण में कुछ बातें ऐसी हैं जो धन्यवाद की पात्र हैं। कुछ ऐसी हैं जिनके बारे में हमें विशेष रूप से चिन्ता है। इस अभिभाषण में कई योजनाएं जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग लोगों के लिये, शोषित,पीड़ित जनता के कल्याण के लिये हैं और राजस्व के जो अभियोग हैं उनको निपटाने के लिये एक मई से राजस्व अभियान चलाने का संकेत दिया है, यह सब बातें ऐसी हैं जो लोगों के कल्याण के लिये परमावश्यक थीं। लेकिन कुछ घोषणाएं जो पिछले सत्र में की गई थीं, उनमें सरकार द्वारा जो कार्य किये गये उसमें मेरे क्षेत्र में काफी विकृतियां हुई हैं। चाहे वह जान में हुई हैं, चाहे अनजान में हुई हैं। पिछले सत्र में लगभग 200 औषधालय खोलने की घोषणा की गई थी। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के गांव सीतसर में एक लाख रुपये से निर्मित भवन को औषधालय को देने के लिये सरपंच महोदय को रजामंद किया था। आशा थी कि सीतसर में औषधालय खोला जायगा। लेकिन सीतसर में औषधालय नहीं खुला और न ही मेरे किसी क्षेत्र के अन्दर औषधालय खुला। उसके बदले में मुझे पारितोषिक के रूप में यह मिला कि 8-10 वर्ष से भानूदा ग्राम में जो औषधालय था जनता के सहयोग से निर्माण किया गया भवन, उस औषधालय को सेहला में स्थानान्तरित कर दिया गया। जब कि सेहले में पहले से ही औषधालय

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया)

चालू है वहां के ग्रायुर्वेद विभाग के इन्स्पेक्टर ने जब यह सूचना दी कि सेहले में पहले से ही औषधालय चालू है तो इस भाजुदे के औषधालय का क्या किया जाय ? आज तक मुझे पता नहीं कि वे आदेश यथावत् हैं या उस बारे में कुछ संशोधन किया गया । रतनगढ़ के अन्दर मुख्य चिकित्सालय है और पिछले सत्र में भी मैंने निवेदन किया था कि वहां सी. एम. एच. ओ. एक वर्ष से नहीं है, लेडी डॉक्टर का अभाव है। लेकिन कोई भी व्यवस्था नहीं की गई और तो क्या मैं माननीय कृषि मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि रतनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र को कृषि उपज मण्डी के विषय में सुजानगढ़ के अन्तर्गत रखा है कई वर्ष से रतनगढ़ के लोगों से लाखों रुपये वसूल कर रहे हैं और आज तक रतनगढ़ के किसानों के हित के लिये एक भी पैसा वहां खर्च नहीं किया गया। पिछले सत्र और उसके बाद भी मैंने निवेदन किया था कि रतनगढ़ के अन्दर अलग से कृषि उपज मण्डी कायम की जावे लेकिन आज तक तो हुई नहीं। अब मैं पुनः कृषि मन्त्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि उनकी मन्शा रतनगढ़ में कृषि उपज मण्डी करने की नहीं है तो वहां के लोगों से कर वसूल न किया जावे और यदि कर वसूल किया जाता है तो उनका नैतिक दायित्व है कि उनका कुछ अंश उस क्षेत्र के किसानों के हित में, लाभ में लगाना चाहिये।

पशु चिकित्सालय के सम्बन्ध में भी मैंने कृषि मंत्री महोदय से निवेदन किया था लिखित में भी पशु चिकित्सालय खोले जाने वाली जो सूची थी उसमें रतनगढ़ का भी नाम आ गया लेकिन उनकी रतनगढ़ पर कृपा नहीं हो सकी दूसरी जगह खोल दिया गया। मुझे आपत्ति नहीं जहां कहीं भी खोलें लेकिन खोले जाने का कोई मापदण्ड अवश्य होना चाहिये। समय आयेगा, शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार मैंने आपसे पड़िहारे में पशु चिकित्सालय खोलने का निवेदन किया था वह अवश्य पूरा होगा ऐसी मुझे उम्मीद है।

मेरा जो मुख्य विषय था रतनगढ़ में कॉलेज खोलने के बारे में, उसके विषय में निवेदन नहीं करूंगा। वह मांग पूरी नहीं हुई जब कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कृपा करके पिछले सत्र में मधुर शब्दों में आश्वासन दिया था, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं और बजट का इन्तजार करूंगा। मुझे आशा और विश्वास है कि वह अपने वचन को निभाने का हर संभव प्रयास करेंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : प्राण जाय पर वचन न जाई, प्रयास नहीं वह तो पूर्ण होगा।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : जो कोई उस काम को करेगा वह पुण्य का भागी होगा, आप यदि कर देते तो रतनगढ़ में आपका नाम हमेशा के लिये अमर रहता।

एक माननीय सदस्य : डूब गया नाम।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : लेकिन दुर्भाग्य से यह श्रेय पहाड़िया जी को मिलने जा रहा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हम तो एन्टीसिपेशन में अभी से धन्यवाद दे देते हैं।

एक माननीय सदस्य : आपके दुर्भाग्य से।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कोई बात नहीं, सौभाग्य के लिये धन्यवाद।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को निवेदन करना चाहूंगा, हम और यह सरकार सब चाहते हैं, राजस्थान में जो पेयजल की गंभीर समस्या है उसको सब मिल करके हम सुलझावें राजस्थान में अकाल का पड़ना कोई नई बात नहीं है और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां अकाल हो या न हो पेयजल की समस्या रहती है। मेरे क्षेत्र में ऐसे गांव हैं जहां मनुष्य तो क्या यदि पशु गर्मियों में दिन में आकर भरपेट पानी पी लें तो जान से मर जाय। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था हो और जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि वह अपने कार्यकाल में राजस्थान के हर गांव को पानी देंगे तो हमें उम्मीद करके चलना चाहिये।

शिक्षा मंत्री जी से मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे राजस्थान में जितने भी स्कूल हैं चाहे वे शहरों में हों या गांवों में, उन स्कूलों में बच्चों को पीने के लिये पानी के वास्ते कुछ न कुछ रकम उनको निर्धारित करनी चाहिये। क्योंकि स्कूलों के अन्दर हर वर्ग और हर समाज का बच्चा अध्ययन करने आता है और जब स्कूल के मास्टरों से सुनते हैं कि पीने के पानी की व्यवस्था क्यों नहीं है तो वे कहते हैं कि कोई प्रावधान है नहीं। इतने बड़े काम को सरकार तो करेगी ही लेकिन माननीय सदस्यों को भी जन सहयोग द्वारा इस काम में सहयोग करना चाहिये। मैं समझता हूं कि राजस्थान में जहां इतनी बड़ी पीने के पानी की समस्या है तो इसको हल करने में जो कोई भी योगदान देंगे, वह पुनीत कार्य होगा।

मैं अकाल के बारे में थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं जनता पार्टी की सरकार के समय पिछले वर्ष अकाल पड़ा था और अकाल राहत कार्य शुरू करने के लिये एक प्रदर्शन किया गया। उस प्रदर्शन में उस वक्त की सरकार ने लाठी चार्ज किया और उसके विरोध में चार किसानों ने अनशन किया। उनको गिरफ्तार किया गया और बीकानेर भेज दिया गया। 23 दिन के बाद···

एक माननीय सदस्य : अकाल राहत यहां खोला गया।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : 23 दिन के बाद जब हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बीकानेर पधारीं उस वक्त उन्होंने अस्पताल में जाकर उन लोगों को अनशन तोड़ने के लिये कहा। उनकी आज्ञा के अनुसार उन्होंने अनशन तोड़ा। उस वक्त उन पर मुकदमें चलाये गये और आज तक वे मुकदमें चल रहे हैं। मैं पहाड़िया जी से निवेदन करूंगा कि उन्होंने जो हड़ताल की वह जनहित के कार्य के लिये थी उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये प्रदर्शन किया। जनहित में वे मुकदमें उनके विदड्रा करने चाहिये। ऐसी मैं उनसे अपील करता हूं और आशा करता हूं कि इसमें वह अब और ज्यादा विलंब नहीं करेंगे।

शिक्षा के सम्बन्ध में इस अभिभाषण के अन्दर भारतीय संस्कृति की भाषा संस्कृत और संस्कृत के अध्ययन, पठन और पाठन

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया)

करने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति एक लाख रुपये की निर्धारित की गई है। इसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है लेकिन यह राशि बहुत ही अल्प है। मेरा निवेदन है कि इस राशि को बढ़ाया जाए। कम से कम बीस लाख रुपया किया जाए, यदि आप यह चाहते हो कि संस्कृति का उत्थान हो, भाषा पनपे तो उसके लिए यह बहुत ही जरूरी है।

सभापति महोदया, अब मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा। राजस्थान का जीका आपां प्रतिनिधि लोग बैठया हां बाकी भाषा राजस्थानी है। ई सदन की मार्फत एक प्रस्ताव ई ढंग को केन्द्र ने जाणों चहिजे कि अन्य भाषाओं रे साथां साथां राजस्थानी ने वे मान्यता देवे और साथां साथां आ भी मैं मांग करूंगा कि जयां उर्दू, संस्कृत, सिन्धी आदि जो अकेडेमी बनाई गई है वयां ही राजस्थानी भाषा री एक अकेडमी बनानी चहिजे मैं विश्वास करूं हूं कि म्हारी बांता पर ध्यान दियो जासी और विचार कियो जासी।

जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री महावीर प्रसाद।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के भाषण पर धन्यवाद जैसी कोई बात नहीं है। यह भाषण दिशाहीन है और जिस प्रकार राज्यपाल महोदय ने स्वीकार किया है कि राजस्थान संकट की स्थिति से गुजर रहा है संकट काल से गुजर रहा है। ऐसे अवसर पर किसी प्रकार की कोई दिशा नहीं दी गई है, मैं याद दिलाना चाहूंगा, लोग पूछ रहे हैं कि यह अकाल क्यों पड़ा? पिछली बार 14-7-80 को मुख्य मंत्री महोदय भाषण दे रहे थे उस समय उन्होंने कहा था, वर्षा हो रही थी, तो उन्होंने यह घोषणा की कि राजस्थान में यह वर्षा इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस के तपे-तपाये लोग जिन्होंने देश सेवा की है, ऐसे लोग चुनकर आये हैं, इस प्रकार की गर्व पूर्ण और घमण्ड से बात कही थी उसी दिन से बारिश बन्द हो गई और इसीलिए आज सूखे का सामना करना पड़ रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में कहावत है : "एक पापी बैठ जावे तो डूबे सारी नाव" इसी प्रकार एक के बाद एक काण्ड राजस्थान में हुए। चना काण्ड चीनी काण्ड और फिर ट्रांसफर काण्ड और तो और मैं यह निवेदन करूंगा कि स्कूलों को जो क्रमोन्नत किया गया उसमें खुली बोलियां लगाई गईं गांवों में पैसा उगाया गया। स्कूलों को क्रमोन्नत करने के लिए इस सरकार ने पैसा खाया है। इसीलिए यहां पर बारिश नहीं हुई है। मैं यह निवेदन करूंगा कि देश सेवा की इस प्रकार की जो बात कही गई हैं, कोई देश सेवा नहीं की गई है। राजस्थान में खुली लूट का वातावरण बनाया गया। इसीलिए आज हमको अकाल का सामना करना पड़ रहा है।

राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में यह बात स्वीकार की है कि उत्पादन बढ़ा है। तिलहन का उत्पादन 45.11 प्रतिशत बढ़ा है। कपास का उत्पादन 10.65 प्रतिशत और गन्ने के उत्पादन में 18.21 प्रतिशत की वृद्धि होगी। जब उत्पादन बढ़ा है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि आखिर यह महंगाई क्यों है? उत्पादन बढ़ा है तिलहन का तो जो भाव पहले 8/- रुपये प्रति किलो

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

का था आज वही, खाद्य तेल का भाव 14/- रुपये प्रति किलो का है। जो गुड़ पहले एक-दो रुपये प्रति किलो बिकता था आज वह साढ़े तीन रुपये प्रति किलो बिक रहा है। चीनी जहां दो, सवा दो रुपये बिकती थी वह आज साढ़े सात रुपये किलो बिक रही है जबकि गन्ने का उत्पादन बढ़ा है, तिलहन का उत्पादन बढ़ा है तो यह महंगाई क्यों है? मुझे इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। कहीं न कहीं गड़बड़ है वर्ना इस प्रकार से भयंकर महंगाई नहीं बढ़ सकती, मेरा तो यह मानना है।

श्री बुलाकी दास कल्ला : हमने गन्ने की कीमत बढ़ाई है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : वह ऐसे ही नहीं दी है।×××दी है। वह राजी खुशी नहीं दी है।

श्री छोगाराम बकोलिया : ××× तो आपने खाये हैं इसीलिए इधर से उधर गये हैं।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : पाइंट आफ आॅर्डर, सर। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी माननीय सदस्य अपना भाषण कर रहे थे तो उन्होंने××× दिये हैं इन शब्दों का प्रयोग किया है। यह असंसदीय शब्द हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि इनको कार्यवाही से निकालने की व्यवस्था दें।

श्री सभापति : यह शब्द निकाल दिए जाएं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभि-भाषण में यह कहा है कि इस वर्ष अकाल से राजस्थान में 167.71 लाख लोग प्रभावित हैं और उनमें से 3 लाख 41 हजार 155 लोगों को रोजगार उपलब्ध करा दिया गया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि बाकी 164.30 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए, उनको रोटी देने के लिए, पेट भरने के लिए क्या सोचा गया है? इसके लिए इस अभिभाषण में कोई बात नहीं है। अकाल राहत कार्यों को शुरू करने के लिए कोई निर्देश नहीं हैं। यह कहा गया है कि दस किलोमीटर जहां काम चल रहा है उसके आस पास कोई काम नहीं शुरू किये जायेंगे। यह क्या क्राइटेरिया है? राहत कार्य दस किलोमीटर दूर जाकर करेगा और 5 रुपये लेकर आयेगा। मैं समझता हूं कि दस किलोमीटर जाने आने में ही पांच रुपया खर्च हो जायगा।

पेयजल की दृष्टि से इस प्रकार के निर्देश दिये गये हैं कि जहां पांच किलोमीटर की परिधि में पेयजल उपलब्ध नहीं है, ऐसी जगहों पर टैंकरों से पानी की व्यवस्था की जाएगी। पांच किलोमीटर पर पानी की व्यवस्था करेंगे। पीने का पानी लाने के लिए इतनी दूर जाना पड़ेगा। यह जो विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाना चाहिए।

सिंचाई और पेयजल के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है और विद्युत के बारे में तीन नोटिफिकेशन अभी सरकार ने निकाले हैं राज्यपाल महोदय के आदेश से स्पेशल सैक्रेटरी टू गवर्नमेन्ट ने, तीन फरवरी, 16 जनवरी को जिसमें यह कहा गया है कि हम किसानों को 6 घंटे बिजली देंगे। इसके अलावा कुछ इण्डस्ट्रीज हैं, वाटर वर्क्स है, रेलवे वर्कशाप है, कोल्ड स्टोरेज, एडीबल आयल इण्डस्ट्रीज और जीनिंग एण्ड काटन

××× अभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किए गये।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

प्रेसिंग इण्डस्ट्रीज, स्टेट टेनेराज टौंक और 25 हार्स पावर की जो इण्डस्ट्रीज हैं, इस प्रकार इनको दिया गया है। इसके बाद मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में कहीं भी बिजली ठीक प्रकार से नहीं मिल रही है यह जो ट्रबींग से बिजली आती है इसमें प्रदेश में किसानों की मोटरें जल रही हैं हमारे क्षेत्र में सैंकड़ों किसानों की मोटरें जल गयीं एक दिन में 50-50 बार ट्रबींग आता है जिसके कारण मोटरें जल जाती हैं इससे किसान परेशान हैं और बिजली विभाग में इस कदर भ्रष्टाचार है, फिर क्यों न हो जब हमारे मंत्री मण्डल में ही इस तरह का भ्रष्टाचार हो। जहां कहीं नया कनेक्शन देने की बात आती है तो उसमें भारी भ्रष्टाचार है, प्रापरली कोई नहीं चलता है. किसी को तो तीन दिन में ही कनेक्शन मिल जाता है और जिसने तीन साल पहले एल फार्म भर कर दिया है, पैसे जमा करा दिये हैं उनको कनेक्शन नहीं मिलता इस प्रकार का भ्रष्टाचार है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान देकर इस भ्रष्टाचार को समाप्त करेगी।

बिजली का कन्जम्पशन तो बढ़ रहा है और उत्पादन में कमी हो रही है इसके लिए मैं आपके सामने सुझाव रखना चाहता हूं कि बिजली के निर्माण के लिये छोटे छोटे थर्मल पावर लगाये जाने चाहिए। बनास नदी टौंक से होकर निकलती है और सवाई माधोपुर में पास ही रेलवे लाइन भी है इसलिये वहां होकर कोयला भी आ सकता है यह मेरा सुझाव है कि वहां पर थर्मल पावर बनाया जाना चाहिए। दूसरी एक बात और है, मैं टौंक जिले की बताऊं कि बिसलपुर बांध के लिये मैंने पिछले सत्र में भी कहा था, यहां पर बहुत चर्चा हुयी थी, पेयजल के लिये और सिंचाई के लिये यह बहुत उपयोगी हो सकता है उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था कि बांध बनाया जायगा और किसानों के लाभ के लिये छोटे छोटे बांधों के निर्माण के लिये सर्वे हुआ है यह सब बनाने की बात कही थी लेकिन आज तक एक भी योजना स्वीकृत नहीं की गयी है। इस बिसलपुर बांध का राजस्थान के लिये पेयजल की दृष्टि से, सिंचाई की दृष्टि से बहुत अहम महत्व है इसकी राजस्थान को बहुत बड़ी आवश्यकता है। टौंक एक पिछड़ा हुआ जिला है और जिले में अल्पसंख्यक लोग ज्यादा रहते हैं एस.टी. के लोग ज्यादा रहते हैं और मुसलमान समाज भी बड़ी तादाद में रहता है, जिसे कि आप माइनोरिटी कहते हैं जिसके लिये सरकार सबसे ज्यादा चिन्तित रहती है लेकिन केवल नाम मात्र के लिये आंकड़ों में ही रहती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनको राहत पहुंचाने के लिये यह बांध बनाया जाय अगर यह नहीं बनाया गया तो मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं कि वहां की जनता, वहां के किसान अब चुप नहीं रहेंगे। वहां के किसान इन अव्यवस्थाओं के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ वहां के विकास के बारे में सड़कों पर आने वाले हैं और यदि निकट भविष्य में ही इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गयी तो इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं।

टौंक को सन् 1972–73 में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया था लेकिन आज 9 साल के बाद भी वह औद्योगिक दृष्टि से डवलप नहीं हुआ है वहां 2

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

लाख रुपये लगाये जबकि 8 लाख खर्च करने का प्रावधान था वह सारा पैसा लैप्स हो गया होगा लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर यह सब वहां हो जाता तो वहां का पिछड़ापन दूर होता। वहां पर पानी की कमी नहीं है वहां पर बजरी की कमी नहीं है, वहां से होकर सीमेंट आती है और सबसे बड़ी बात वहां पर बेरोजगारी है। अगर वहां उद्योग लगते तो वहा की बेरोजगारी दूर होती लोगों की कुछ गरीबी मिटती। यह सरकार गरीबी हटाने की बात करती है लेकिन यह जो सरकारी आंकड़े हैं, जो लोक सभा में बतायें हैं श्री वी. शंकर ने इसमें बताया है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग और बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। बिड़ला की सम्पत्ति जो 72 में 579.42 करोड़ की थी वह 1171.15 करोड़ हो गयी सन् 78 में, टाटा की जो 641.97 थी वह 1102.11 करोड़ हो गयी, जे. के. सिंहानिया की 121.45 करोड़ थी वह 299.57 करोड़ हो गयी और साहू की जो 132.16 करोड़ थी वह 249.06 करोड़ रु. हो गयी।

इस प्रकार जो अमीर था वह और अमीर होता चला गया और जो गरीब था वह और गरीब होता चला गया। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या जो कि सन् 47 में केवल 22 प्रतिशत थी सन् 77 में बढ़ कर 45 प्रतिशत हो गयी राजस्थान में यह संख्या बढ़कर 54 प्रतिशत हो गयी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केवल चुनाव के फण्ड के नाम पर, रैली के फण्ड के नाम पर कालेधन को उपयोग में लेने वाले ये लोग जो हैं इनके बारे में मेरी मान्यता है कि वे कभी गरीबी को दूर नही कर सकते हैं, गरीबों को तो केवल धोखा दिया जा रहा है यह देश की जनता काफी समय तक बर्दाश्त नही करेगी।

जो स्कूलों को क्रमोन्नत करने का मामला पिछली बार आया जैसा मैंने निवेदन किया कि टौंक के लोगों के पास पैसा नहीं था इसलिये उनका कोई स्कूल क्रमोन्नत नहीं हो सका। कोई प्राथमिक शाला नहीं खोली गयी।

श्री सभापति : बीस मिनट हो गये हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बीस मिनट तो नहीं हुये हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टौंक से मालपुरा टूडी टीबरी जाने के लिये सायला होकर जाने से 25–30 किलोमीटर का फर्क पड़ता है एक नदी के बीच में होकर के एक पुलिया बना दी जाय तो टौंक से यह 30 किलोमीटर का चक्कर कम हो सकता है। हमारे फूड कारपोरेशन को भी इससे आमदनी होगी और लोगों की परेशानी दूर होगी। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस पुलिया का शीघ्र निर्माण करवाया जाय।

टौंक कालेज के लिए पिछले साल भी निवेदन किया था कि वहां पर एलएल.बी. की कक्षायें खोली जाय, राजनीति शास्त्र और हिन्दी की कक्षायें खोली जायें। समाज कल्याण मंत्री जी ने अभी तीन दिन पहले बताया कि बजट का 43 प्रतिशत हिस्सा ही खर्च हुआ है और 57 प्रतिशत हिस्सा खर्च नहीं हुआ है। एक तरफ तो एस. टी. एस.सी. के लोगों की लाइनें लगी पड़ी हैं उनके लिए छात्रावास नहीं हैं, सरकार

(श्री महावीर प्रसाद जैन)
उनके लिए छात्रावास नहीं खोलती है और न नये छात्रावास खोलने के लिए सरकार कोई सहायता देती है, न स्वीकृति देती है। यह कैसी विडम्बना का विषय है कि एक तरफ पिछड़ी जातियों के लिए पैसा चाहिए और दूसरी तरफ पैसा लैप्स हो रहा है। एक तरफ तो आप वोट लेने के लिए बड़े वायदे करते हैं और दूसरी तरफ बजट लैप्स हो रहा है इसको दूर किया जाना चाहिए और छात्रावास खोले जाने चाहिए।

रोडवेज के तो हाल ही बेहाल हैं। टौंक डिपो में पहले तो बसें ही नहीं हैं और किसी तरह जो बसें हैं वे भी टूटी फूटी हैं जो गन्तव्य स्थान पर पहुंचा देंगी इसकी कोई गारन्टी नहीं है। आये दिन दो-चार रास्ते में पड़ी हुई रहती हैं। यात्री सुबह से शाम तक खड़े परेशान होते रहते हैं लेकिन बस नहीं आती है। वहां की वर्कशाप में किसी प्रकार का काम नहीं होता है उसकी हालत इतनी खराब है कि उसका बखान नहीं किया जा सकता है।

राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है उसमें मैं यह निवेदन करूंगा कि जो इस प्रकार की विसंगतियां हैं उनको जल्दी दूर किया जाना चाहिए और ठोस कार्यक्रम हाथ में लेकर आगे आना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद नहीं देना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री चेतराम।

श्री चेतराम मीणा (टोडाभीम) : सभापति महोदय, आपने जो बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आभारी हूं...

श्री भंवरलाल शर्मा : ऐसे मौके पर दिया है जबकि कोई भी नहीं है।

श्री चेतराम मीणा : अब तो है। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है उस पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करने के के लिए खड़ा हुआ हूं।

इस समय प्रान्त में चारों तरफ अकाल से स्थिति बड़ी विषम हो रही है। इस सदन के माननीय सदस्यों ने, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, इस संकट की घड़ी की सभी ने चर्चा की है। सत्ता पक्ष की तरफ से जहां इस बात की चिन्ता व्यक्त की गई है वहीं दूसरी ओर राहत कार्यों के लिए सुझाव भी दिये गये। लेकिन विपक्ष की तरफ से आरोप लगाये गये और सरकार को कोसा गया कि सरकार ने कुछ नहीं किया। सभापति महोदय, मैं इस बारे में यह निवेदन करूंगा कि चालू वर्ष जब आरम्भ हुआ उस समय जो आज विपक्ष में बैठे हैं वे सत्ता पक्ष में बैठे हुए थे, उस समय आर्थिक स्थिति क्या थी उस पर भी हमको विचार करना चाहिए। जिस समय चालू वर्ष शुरू हुआ उस समय प्रान्त पर 1285 करोड़ का कर्जा था और अब 31 मार्च तक इसके ऊपर 66.70 करोड़ ब्याज के हो गये इस तरह से 1351.70 करोड़ के हम आर्थिक संकट से दबे हुए थे यह जनता पार्टी की देन है।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह अकाल भी हमारी देन है क्या ?

श्री चेतराम मीणा : आप सुनिये, धैर्य रखिए। एक तरफ कहते हैं सत्ता पक्ष ने कुछ नहीं किया। मैं पूछता हूं आपने इस सरकार को क्या धरोहर के रूप में दिया है ? कितनी

(श्री चेतराम मीणा)

विषम स्थिति दी कि 1351.70 करोड़ का हम पर कर्जा छोड़कर गये। एक तरफ हमारे पर आपने वित्तीय संकट छोड़ा और दूसरी तरफ अन्न की कमी, चारे की कमी। जो पूर्व में भण्डार हमने दिया था उसको तो आपने खाली कर दिया और उसको पूरा करने की कोई कोशिश नहीं की। और अब आप यह कहते हैं कि सत्ता पक्ष ने, कांग्रेस (आई) की सरकार ने कुछ नहीं किया। आपने ऐसी विषम परिस्थितियों में प्रान्त को छोड़ा, आर्थिक संकट में छोड़ा, अन्न की विषम स्थिति में छोड़ा। लेकिन आपको खुशी होनी चाहिए कि जैसे ही···

श्री भंवरलाल शर्मा : कोरम नहीं है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय सभापति महोदय, ये कह रहे हैं कि आपने यह नहीं किया, तो क्या माननीय सभापति महोदय ने ऐसा नहीं किया।

श्री चेतराम मीणा : माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि ऐसी परिस्थिति में एक तरफ अकाल की विभीषिका सिर पर है और दूसरी तरफ अन्न की समस्या ने हमको जकड़ रखा है। ऐसी स्थिति में हमारी गवर्नमेन्ट ने क्या किया, यह मालूम होना चाहिये। जैसे ही वर्षा फेल हुई और अकाल पड़ना निश्चित सा प्रतीत हो गया तो नवम्बर, 1980 में यह देखकर कि अकाल की विभीषिका आ गई है, पौने चार करोड़ रुपया अकाल के लिए स्वीकार किया गया और अकाल राहत कार्य शुरू किये गये।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपका भाषण बिना कोरम के हो रहा है।

श्री सभापति : आप जारी रखिये।

श्री चेतराम मीणा : यह काम आसन का है कि कोरम है या नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा : आसन को ही कह रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदय, बिना कोरम के बैठक नहीं हो सकती।

श्री सभापति : अभी मैम्बर साहबान बैठे हुए थे···

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप घण्टी बजवाइये कोरम की, बिना कोरम के मीटिंग चलेगी क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं इसलिए कह रहा था कि आपने ऐसा टाइम लिया है जब कोई सुनने वाला नहीं है, करोम की जिम्मेदारी आपकी है।

(7.25 रात्रि)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पीठासीन)

श्री खेतसिंह राठौड़ : बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करली आपने।

(गण पूरक घण्टी)

(गणपूर्ति पश्चात्)

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जिस समय कांग्रेस आई की सरकार ने शासन संभाला उस समय जहां एक तरफ हमारे पर आर्थिक संकट और दूसरी तरफ अकाल का संकट था, जैसे ही यह प्रतीत हुआ कि अकाल की

(श्री चेतराम मीणा)

स्थिति बन गई है उसी समय हमारी सरकार ने पौने चार करोड़ का प्रावधान किया और अकाल राहत कार्य शुरू किये गये । यह कार्य उस समय शुरू किये गये जब कि केन्द्र सरकार ने कोई एश्योरेन्स या आर्थिक सहायता नहीं दी । उसके बाद में 18 करोड़ 7 लाख रुपया केन्द्रीय सरकार से मिला तो उससे जहां पर आवश्यकता थी वहां पर राहत कार्य खोले गये । अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में आप देखिये कि, जो यह विपक्ष की तरफ से आरोप लगाये जा रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है उसके बारे में निवेदन करूंगा कि यह जो आरोप लगाया ठीक हो सकता है कि अकाल राहत कार्य पूरे नहीं हुए या कम हो रहे हैं लेकिन किसी भी माननीय सदस्य ने यह आरोप नहीं लगाया कि अन्न के अभाव में कोई भूख से मरा हो। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सरकार पूर्णरूप से जागरूक है और ऐसी स्थिति में कोई विषम स्थिति नहीं आने दी जायगी ।

अध्यक्ष महोदय, अभी कांग्रेस अर्स के माननीय नेता महोदय बोल रहे थे और आरोप लगा रहे थे कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है और न ही कुछ किया गया है । मैं यह बात निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय नेता ने जो इस बारे में निवेदन किया कि छठी पंचवर्षीय योजना में भी किसानों के लिए कुछ स्वीकार नहीं किया गया, माननीय नेता चले गये, मैं उनका ध्यान दिलाता कि माननीय राज्यपाल महोदय ने जो भाषण दिया है जो सही है या आपका भाषण सही है ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : सही तो यही हो सकता है, वह कैसे होगा ?

श्री चेतराम मीणा : मैं निवेदन करूंगा कि जब यह आरोप लगाये जाते हैं सरकार पर कि सरकार कुछ नहीं कर रही है और सरकार ने पंचवर्षीय योजना में कुछ नहीं किया। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि छठी पंचवर्षीय योजना में 2025 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हम यह देखेंगे कि मुख्य रूप से किसानों के हित की बात उसमें की गई है । आज हम देखते हैं, सिंचाई और विद्युत् किसानों के काम आती है, विद्युत् उद्योग धन्धों में भी काम आती है, उसके लिए 52 पर्सेन्ट का प्रावधान किया है जो कि सिंचाई और विद्युत् पर खर्च किया जायगा। इसी तरह से 19 प्रतिशत सामुदायिक सेवाओं पर और अन्य ग्रामीण सेवाओं पर, 110 करोड़ सहकारिता पर। इस प्रकार से 80 प्रतिशत का प्रावधान ग्रामीणों और किसानों के हित में और ग्रामीण जनता के लिए रखा गया है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि जो यह आरोप लगाया जाता है कि सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है, यह आरोप निराधार है और बिना किसी आधार के यह आरोप लगाया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने राज्य में पशुधन के बारे में अपने भाषण में वर्णन किया है । इसमें उन्होंने राजस्थान में 4.14 करोड़ पशुधन तथा 15.94 लाख कुक्कट हैं, उन्हें लाभ पहुंचाने का जो उल्लेख किया है उसके अनुसार राज्य सरकार ने पशु चिकित्सालय खोलने की व्यवस्था की है । इस साल राज्य सरकार द्वारा 74 पशु चिकित्सालय राज्य में खोले जायेंगे। अगले साल तीस और पशु चिकित्सालय खोलने की

(श्री चेतराम मीणा)

राज्य सरकार की नीति है। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में किसानों के लिये पशुधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है। उनकी रक्षा के लिये पशु चिकित्सालय खोले जा रहे हैं जिससे हमारे किसानों की इकानामी को बहुत मदद मिलेगी। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि 74 पशु चिकित्सालयों के साथ-साथ 18 स्वास्थ्य केन्द्र खोलने में थोड़ी विषमता हुई है। कहीं पर तो पशु चिकित्सालय थे फिर भी खोल दिये गये और जहां पशु चिकित्सालय नहीं थे वहां खुल नहीं सके। अध्यक्ष महोदय, आज भी कई पंचायत समितियां ऐसी हैं जहां पर एक भी पशु चिकित्सालय नहीं है। जैसा कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है, तीस पशु चिकित्सालय अगले साल और खोले जायेंगे, इसलिये राज्य सरकार को सुझाव के रूप में निवेदन करना चाहूंगा कि यह पशु चिकित्सालय उन्हीं पंचायत समितियों में खोले जायं जिन पंचायत समितियों में एक भी पशु चिकित्सालय नहीं हो।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में डेयरी और सन्तुलित आहार का भी वर्णन किया गया है। यह बहुत ही अच्छी योजना है पशुओं को सन्तुलित आहार की जिससे किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। इससे हमें पता चलता है कि हमारी सरकार किसानों और पशुओं के प्रति कितनी जागरूक है।

अध्यक्ष महोदय, अब थोड़ा मैं खनिज के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में खनिज का विशाल एवं विपुल भण्डार भरा पड़ा है। हमारे राजस्थान में लिग्नाइट की खानें हैं जो कि ऊर्जा का स्रोत है। राजस्थान में लाइम पत्थर की बहुतायत में खानें हैं। सीमेन्ट पत्थर की भी कमी नहीं है उसकी खानें भी हैं। पर, अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इन सभी खनिजों को काम में लेने के लिये हमारे यहां पर उद्योग नहीं हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर एक तरफ तो विपक्ष की तरफ से यह आवाज उठाई जा रही है कि राजस्थान में औद्योगीकरण की कमी है राजस्थान में औद्योगीकरण नहीं हो रहा है दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि राजस्थान में बड़े-बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और छोटे-छोटे उद्योगों, खादी ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है उनकी उपेक्षा की जा रही है। मेरी समझ में नहीं आता है कि एक ही सज्जन अपने भाषण में दो तरह की बात कैसे कहते हैं। एक तरफ तो यहां पर यह कहा जाता है कि राजस्थान में औद्योगीकरण नहीं हो रहा है, कोई सुविधा नहीं दी जाती है दूसरी तरफ कहा जाता है कि कुटीर उद्योगों को ही सहायता दी जाय। यह कैसे हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है। वैसे तो हमारा देश ही कृषि प्रधान है पर राजस्थान तो पूरा ही कृषि पर आधारित है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमारे प्रान्त में औद्योगीकरण नहीं किया जाय। हमारे प्रदेश के अन्दर बहुत सारा कच्चा माल है और श्रम की भी कमी नहीं है। हमारे यहां पर पूंजीपतियों की भी

(15.6)

(श्री चेतराम मीणा)

कमी नहीं है। इसलिये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अगर उनका सहयोग लिया जाय तो राजस्थान में काफी औद्योगीकरण हो सकता है। इसके लिये हमें उद्योगपतियों को, उद्यमियों को फेसिलिटीज देने की आवश्यकता है। अगर उनकी तरफ राज्य सरकार हाथ बढ़ाये तो हमारे यहां पर कई बड़े बड़े उद्योग खुल सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यहां पर यह भी निवेदन करना उचित समझता हूं कि जब हमारे देश के कई प्रान्तों में यह नारा लगाया जाता है कि Assam for Assamies. Bangal for Bangalies. तो यह मौका है कि उसी प्रकार हम भी हमारे राजस्थानी प्रवासी भाई को Rajasthan for Rajasthanies का नारा देकर, फेसिलिटीज देकर, उन्हें यहां बुला कर उद्योग लगवाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमें इस मौके का फायदा उठा कर उनकी ओर हाथ बढ़ा कर औद्योगीकरण करवाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, अब, थोड़ा मैं शिक्षा के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में यह भी वर्णन किया है कि इस चालू वर्ष में राज्य सरकार ने शिक्षा में बहुत प्रगति की है। उन्होंने कहा कि राज्य में 800 प्राथमिक विद्यालय खोले गये, 250 मिडिल स्कूल खोले गये हैं और 252 सैकण्डरी स्कूल खोले गये हैं। यह एक बहुत अच्छा काम हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में। एक बहुत ही बड़ा अचीवमेन्ट है। लेकिन मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने 800 प्राइमरी स्कूल तो खोल दिये लेकिन 400 स्कूलों में आज अध्यापक नहीं हैं। उनकी नियुक्ति ही उन स्कूलों में नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया समाप्त करें। आपके दल के और भी सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, अभी दो मिनट में ही समाप्त कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, स्कूलों के खोलने में राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ा अचीवमेन्ट हासिल किया है पर इसमें मेरा निवेदन है कि एक अध्यापक की नियुक्ति का जो फार्मूला है, 1:40 का जो रेशो है उसका आप जरूर ध्यान रखें। नहीं तो ऐसा हो रहा है कि एक क्लास में 100 लड़के हैं लेकिन टीचर एक ही है। एक टीचर तो सौ लड़कों की लड़ाई शान्त करने में और उन लड़कों को पानी पेशाब की छुट्टी देने में ही अपनी एनर्जी का ह्रास कर देगा। इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि स्कूलों में पूरे अध्यापक लगाये जायं।

इसके साथ ही, अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में शिक्षा के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के बारे में भी वर्णन किया है। हमारे यहां पर प्रौढ़ शिक्षा के केन्द्र 5810 हैं। वैसे तो यह बहुत ही अच्छी स्कीम राज्य सरकार की है पर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्या वास्तव में यह प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चल रहे हैं या नहीं, इसकी आप जांच तो करवायें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह सारे केन्द्र कागजों पर ही चलते हों। मैं सवाई माधोपुर जिले के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर 210

(श्री चेतराम मीणा)

या 208 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र जिले में चल रहे हैं एक दो प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों पर भले ही पढ़ते हो वर्ना कोई प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में पढ़ता नहीं दिखायी दिया। कम से कम प्रौढ़ शिक्षा का सवाल है सवाई माधोपुर में तो प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कागजों पर ही चल रहे हैं और दूसरी जगह भी प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चल रहे हैं लेकिन वहां पर पढ़ाई नहीं हो रही है बल्कि पढ़ाई के नाम पर विघटनकारी प्रवृत्ति का जहर घोला जा रहा है और ऐसी पढ़ाई चल रही है जो देश को दूसरी तरफ ले जा रही है, इसलिये मेरा निवेदन है कि इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय। मैं इसके साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाना ही चाहते हैं तो आपको उनके एडमिनिस्ट्रेशन को चेन्ज करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने जो बीस सूत्री कार्यक्रम चलाया था उसके आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमिहीन किसानों को चाहे वे अनुसूचित जाति के हों चाहे अनुसूचित जन जाति के, चाहे कोई गरीब हों उनको आवासीय भू-खण्ड वितरण करने की व्यवस्था की है। अध्यक्ष महोदय, आवासीय भू-खण्ड जो थे वह कृषि एवं सिवाय चक भू-खण्डों में से ही आवन्टित किये गये थे। अध्यक्ष महोदय, यह मैं आपको और भी निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें ज्यादातर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग ही थे जिन्हें सिवाय चक जमीन में से भू-खण्ड आवन्टित किये गये थे। अब, अध्यक्ष महोदय, ऐसा हुआ है कि वह जमीन राज्य सरकार ने फारेस्ट विभाग को दे दी है। अब वन विभाग ने उन लोगों को नोटिसेज देने शुरू कर दिये हैं और उन लोगों पर पेनल्टीज भी कर दी है। कई लोगों पर कोर्ट केसेज भी चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, उन लोगों के पास उन जमीनों के पट्टे और कब्जा है उनके पास खातेदारी राइट है, उनका रेवेन्यू रिकार्ड में नाम दर्ज है पर कोई नहीं सुन रहा है, उन पर केसेज चल रहे हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति एवं अन्य गरीब लोगों को बचाया जाय। उसकी जांच करा कर उन लोगों को उनकी जमीन, जो राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवन्टित की गयी थी, उन्हें जल्दी दिलायी जाय और उनके खिलाफ की जा रही कार्यवाही को रोका जाय क्योंकि इसमें अधिकतर वही लोग हैं जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बहुत समय ले चुके हैं। अब कृपया स्थान ग्रहण करें। आपके दल के और भी सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव सदन में आया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कौन कौन बोलने वाले हैं। बोलने वाले खड़े हों तो मुझे पता चले कि कौन बोलने वाले हैं और कौन नहीं बोलने वाले हैं।

श्री अमराराम।

(158)

श्री ग्रमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव आया है उसका समर्थन करता हूँ। अभिभाषण के ग्रन्दर वैसे मोटे तौर से काफी बातें हैं हमारे राजस्थान की कई ऐसी मूलभूत समस्यायें थीं जिनका हल इसमें बता दिया गया है और इस बात से, कोई इन्कार नहीं कर सकता। मैं दो दिन से तीन दिन से देख रहा हूं कि अकाल के बारे में लोग बातें कर रहे हैं लेकिन इस ग्रभिभाषण के ग्रन्दर लिखा हुआ है और स्वयं सरकार इस बात के लिए चिन्तित है कि राजस्थान में ग्रकाल है ग्रौर इस बात से कोई इन्कार नहीं किया जा सकता। यह बात लिखी हुई है। ग्रकाल किसी व्यक्ति की देन नहीं है, यह तो कुदरत की एक देन है लेकिन इसके बारे में कोई ठोस सुझाव जो देने चाहिऐ थे वह नहीं दिये। ग्रकाल की यह ग्रालोचना ही करते रहे कि ग्रकाल के बारे में यह नहीं हुग्रा, वह नहीं हुग्रा। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि ग्रकाल के लोगों को भूख से नहीं मरने दिया जाय ग्रौर ग्राज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो ग्रकाल के कारण भूख से मरा हो। मैं जिस क्षेत्र से ग्राया हूं उस क्षेत्र के ग्रन्दर ग्रभी ग्रकाल के कार्य खुले हैं ग्रौर भी खोले जा रहे हैं लेकिन ग्राखिर हम कितने वर्षों से ग्रकाल के बारे में बातें करते जा रहे हैं। कभी रचनात्मक ऐसे कार्य नहीं किये जिससे इस ग्रकाल का हल हो सके ग्रौर भविष्य में ग्रकाल नहीं पड़े इसके लिए मेरा यह सुझाव है कि राजस्थान नहर हमारे यहां पहुंचाई जाय। ग्रापकी जैसलमेर ग्रौर बाड़मेर के प्रति ही सहानुभूति है। बहुत से लोग विपक्ष के वहां ग्राते हैं ग्रौर भाषण देते हैं यह क्रोकोडाइल टीयर्स बहाते हैं लेकिन कभी उन्होंने यह ग्रपने राज में निर्णय नहीं लिया कि बाड़मेर ग्रौर जैसलमेर के ग्रन्दर तुरन्त राजस्थान नहर पहुंचाई जाय। तो मैं इस सदन के ग्रन्दर पुरजोर शब्दों में यही कह रहा हूँ कि यदि हमें रचनात्मक कार्य करना है ग्रौर पीने के पानी की समस्या को दूर करना है तो उसके लिए यही रचनात्मक कार्य है कि हम राजस्थान नहर को जोधपुर तक पहुंचायें, शिव तक पहुंचायें, बाड़मेर तक पहुंचाये, बालोतरा तक पहुंचायें ताकि हमारे जो पीने के पानी की समस्या है वह दूर हो सके। वैसे इसके लिए बहुत से इन्जीनियर्स ने सर्वे भी किया है। ग्राज दिनोंदिन भाव बढ़ रहे हैं, मैटीरियल की कीमतें बढ़ रही हैं लेकिन ग्राज से दो साल पहले जो सर्वे किया गया था जिसमें लिफ्ट कैनाल जोधपुर, बाड़मेर ग्रौर शिव तक नाचना से लाने के लिए ग्रौर लूनकरणसर से नागौर तक लाने के लिए करीब 120 करोड़ रुपये की लागत का एस्टीमेट लगाया था। इसका सर्वे हो चुका है ग्रौर यदि जल्दी ही राजस्थान नहर को बाड़मेर जैसलमेर तक लाया जाय तो पीने के पानी की समस्या का हल तो होगा ही लेकिन इसके साथ ही हम फीडर पशुग्रों के लिए तैयार कर सकते हैं। ग्राज भेड़ों के निष्क्रमण का प्रश्न हमारे सामने है। हमारी भेड़ें मध्य प्रदेश जाती हैं गुजरात जाती हैं ग्रौर हमारे ग्वालों को यातनायें सहनी पड़ती हैं ग्रौर जब वह वापस ग्राते हैं तो 100 भेड़ें ले जाते हैं तो उसमें से 25 भेड़ें लेकर ग्राते हैं। मैंने स्वयं ने संवत् 2026 के ग्रन्दर ग्रकाल पड़ा था तो ग्रपनी गायें भेजी थीं। उसमें से एक गाय वापस ग्राई थी ग्रौर 15 गायें वापस नहीं ग्राई। तो यही हाल है कि बार-बार ग्रकाल पड़ते जा रहे हैं। इसके लिए यदि राजस्थान नहर ग्रा जाय तो वहां पर फीडर

(श्री अमराराम चौधरी)

हो जायगी हमारी भेड़ों को भी पीने का पानी मिल जायगा और हम मवेशी बचा सकेंगे। इसके साथ ही हमारा जीवन स्तर जो आज इतना नीचे गिरा हुआ है हम कांटों की झाड़ियों में रहते हैं, जो महलों में रहने वाले हैं और एयर कन्डीशन्ड में बैठते हैं लेकिन वहां जो झोंपड़ियां हैं उनको यदि आपने जाकर देखा है तो हमारा जीवन स्तर बहुत ही गिरा हुआ है और इसको आप देख रहे हैं। खाली आप सहानुभूति जरूर रखते हैं लेकिन हमारे लिये कन्स्ट्रक्टिव वर्क नहीं कर रहे हैं। हम तीस सालों से यही बातें कहते आ रहे हैं।

दूसरी बात, मैं आपको यह कहूंगा कि मेरे क्षेत्र में वैसे पूरे क्षेत्र में तो नहीं है लेकिन मेरे और सिवाणा क्षेत्र में काफी गांव विद्युतीकृत हैं। वहां 1979-80 के अन्दर भयंकर बाढ़ आई तो जो जमीन की उर्वरा शक्ति थी वह नष्ट हो गयी। अध्यक्ष महोदय, आप खुद लूणी के किनारे के रहने वाले हैं और आप अच्छी तरह से परिचित हैं हमारे क्षेत्र से कि वहां बाढ़ आने से उर्वरा शक्ति नष्ट हो गई, अब उन खेतों के अन्दर नहीं के बराबर अनाज पैदा हुआ है। कहीं कहीं तो सौ बीघा जमीन है तो वहां दो मन गेहूँ पैदा हुआ है। लेकिन अब किसान क्या करें? अपने मन को रखने के लिए वह वहां बैठे हुए हैं तो इस अभिभाषण में सीमान्त काश्तकारों के लिए काफी फायदे की बात कही है और 4 फरवरी के अखबार में आपने पढ़ा ही होगा, यह पहाड़िया जी की सरकार है जिसने ट्राली टैक्स माफ किया है और जनता सरकार ने तो किसानों को पीटा है और ट्राली टैक्स माफ नहीं हुआ। यह इसी सरकार में हुआ है काश्तकारों को फायदा मिला है उनको दवाइयों के अन्दर भी सब्सिडी मिली है। यह हुआ है। लेकिन मैं अर्ज करूंगा, मैं पूरे राजस्थान के लिए अर्ज कर रहा हूं कि जितनी बिजली हमें मिली है और जितना उपयोग करते हैं उतना ही पैसा बनना चाहिए। मैंने पिछली बार भी यही कहा था, अध्यक्ष महोदय को लिखकर भी दिया था कि मिनिमम चार्ज बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के अन्दर नहीं लेना चाहिए उसके बाद भी वसूली हो रही है इसको अविलम्ब रोका जाय और इस साल जितनी बिजली दी है, 6 घटे आ रही है, पहले 24 घंटे देते थे, पैदावार हमारी 2-3 मन होगी। ऐसी भी जमीन है बजरी आ गयी है तो वह सीमान्त काश्तकार की डेफिनेशन में नहीं लें। मान लें कि 24 बीघा जमीन है या एक हैक्टेअर जमीन है सवा छह बीघा जमीन है तो वहां क्या है कि दूसरी जगह जमीन की उर्वरा शक्ति ज्यादा है वहां 50 मन अनाज पैदा हो सकता है मगर हमारे यहां ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए पूरे राजस्थान में करें तब तो बहुत अच्छा है बालोतरा सब डिवीजन के लिए अर्ज करता हूं कि वहां पर मिनिमम चार्ज माफ कीजिये। अब अकाल आ गया और अब बिजली का अकाल है। ऐसी कन्डीशन में हमारे तो घरबार और मकान बनाना मुश्किल हो गया है। तो मैं यही अर्ज करूंगा कि मिनिमम चार्ज आप माफ करें।

बहुत से माननीय सदस्यों ने यह विचार प्रकट किये हैं कि हमारे यहां पानी की स्कीमें नहीं हुईं। और कहीं हैंड पम्प लगा रहे हैं।

(श्री अमराराम चौधरी)

हैण्ड पम्प वहीं लगेंगे जहां पानी के स्रोत होंगे। मेरे क्षेत्र के अन्दर भी दो तीन जगह ऐसी हैं जहां हैंड पम्प सक्सेसफुल हुए हैं लेकिन जहां पानी नहीं मिला है वहां कैसे होगा और स्कीम भी वहीं बनती है जहां पानी का स्रोत है। मैंने पहले भी अर्ज किया है कि राजस्थान नहर ही ऐसा स्रोत है जिससे स्थाई हल हो सकता है।

अब न्याय व्यवस्था के बारे में तो पिछली बार विपक्षी बन्धु, अध्यक्ष महोदय, जोर जोर से यह आवाजें लगा रहे थे कि बलात्कार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं लेकिन इस बार तो एक भी ऐसी घटना नहीं घटी। यह आपके समय की बात है। मुकदमें आपके समय में दर्ज हुए थे और उनको आपने बढ़ाया है। आप ही कह रहे हैं कि बलात्कार बढ़ रहे हैं। हमारे समय में अभी एक भी केस नहीं हुआ है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे बालोतरा सब डिवीजन के अन्दर एक भी केस सैशन्स कोर्ट में बलात्कार का पैण्डिग नहीं है। 356 का नहीं है। यह है शांति और व्यवस्था। आपके समय में हमको मालूम है कि हमारे यहां दस, दस और पन्द्रह पन्द्रह केसेज सैशन्स कोर्ट में बलात्कार के आते थे।

सस्ते न्याय के बारे में जो बात कही, सी.आर.पी.सी. को पढ़ना चाहिए और उसका फायदा भी लेना चाहिए। यह क्लीयर कट दिया हुआ है कि नान-काग्नीजेबल केसेज हैं उनके अन्दर भी पुलिस के अन्दर अगर रपट लिखाई जाती है तो पुलिस एज ए कम्पलेनेन्ट बनती है और कम्पलेनेन्ट बनकर ही अदालत में कम्पलेन्ट पेश कर सकती है लेकिन सरकार के अन्दर क्या है पुलिस की कमी है। वहां इन्वेस्टीगेटिंग एजेन्सी अलग नहीं है और लॉ एण्ड आर्डर मेन्टेन करने की एजेन्सी अलग हो जाय तो यह सम्भव हो सकता है। यह क्लीयर कट है जिसमें 323 के मुकदमें की कम्पलेन्ट लेकर अगर पुलिस रपट लगी हुई है रोजनामचे में तो वह दर्ज करवा सकती है लेकिन मैंने प्रश्न भी पूछा है इस बारे में। शायद राजस्थान के अन्दर ऐसे मामले बहुत ही कम हैं जिसमें पुलिस ने ऐसे नान-काग्नीजेबल केसेज के अन्दर अदालत में जाकर कम्पलेन्ट पेश की हो मुस्तगीस होकर।

मैं एक निवेदन और कर देना चाहता हूँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, मरु विकास में बाड़मेर और जैसलमेर जिला और इसके अन्दर जो जिले आते हैं उनके बारे में कुछ कार्य किये जा रहे हैं लेकिन एक कहावत यह है-मणिया पर घणिया नहीं। अधिकारियों को अनुभव नहीं है। कुछ हमारे बुजुर्ग ऐसे हैं उनसे हमें कुछ अनुभव लेने चाहिये। वे बैठे बैठे दफ्तरों के अन्दर जैसे भी प्लान बन जाते है यह नही सोचते इसका विकास कैसे हो सकता है। मेरे क्षत्र को आप लीजिये लूणी नदी सिणधरी और खोखा के पास सकड़ी होती है वहां पर जो चौड़ाई है करीब 100 फुट और 200 फुट रह जाती है। वहां सिणधरी के पास गोहाना पहाड़ है। लूणी नदी में हमेशा अधिक पानी आता है। उस पानी को यदि वहां से बांध बनाकर गोहाना पहाड़ के पास रोका जाय उससे वहां बिजली पैदा हो सकती है, तो बिजली पैदा की जाय। आसपास के गांवों में पीने के पानी की समस्या भी दूर हो सकती है। यह मेरा एक सुझाव है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक जो अपने सामने बहुत ही जल्दी समस्या

(श्री अमरराम चौधरी)

आने वाली है वर्षा होने पर, वह है लूणी नदी की। लूणी नदी बाढ़ आने से जगह जगह से टूट गई है। मैंने अकाल राहत मंत्री जी को एक पत्र लिखा था उसमें निवेदन किया था कि लूणी नदी के तट बन्धन को शुरू कराया जाय वर्ना बालोतरा शहर को, औद्योगिक नगर को और आस पास के जो शहर एरिया है उनको भारी नुकसान हो सकता है यदि पांच फीट पानी भी आ गया तो। सरकार ने सर्वे कराया है। भारत सरकार ने 5 करोड़ रुपये उस पर लागत लगाने के लिये तय किया है लेकिन अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि यदि 5 फीट पानी आ गया तो बालोतरा और बालोतरा के आस पास के गांवों को खतरा पैदा हो जायेगा। एक कहावत है मारवाड़ी के अन्दर कि पानी रा पहला बांध बांधनी चाहिये। उस समय जनता सरकार ने पहले ही इस पर विचार किया होता तो जो सैकड़ों लोग बाढ़ के काल में वह गये वह दृश्य हमें देखना नहीं पड़ता। तो मैं माननीय मंत्री जी को यही निवेदन कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी इस अकाल राहत कार्य के अन्दर ऐसे ठोस कार्य कराये जायं ताकि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो। एक निवेदन और करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर एक स्कीम फार अन्डरग्राउण्ड पाइप लाइन फार कैरियिंग इरिगेशन वाटर। यह जो स्कीम बनाई गई है, यह स्कीम कागजों के अन्दर है और इन्होंने बालोतरा और सिवाना पंचायत समितियों को लिया है भूमि विकास निगम ने लेकिन भूमि विकास निगम की तरफ से वहां आफिस खोल दिया गया है। 50 रुपये पर बीघा और अगर पाइप लगता है तो पैसा अलग लगता है। 500 रुपये सिक्योरिटी के जमा करते हैं। अगर मुझे 5 बीघा के अन्दर पाइप लगाना है तो कम से कम 2000 रुपये देने पड़ेंगे। जो सीमेंट लेता है उसकी कीमत 50 रुपये, 60 रुपये कट्टा पड़ती है। जो गरीब काश्तकार है वह उसको वहन नहीं कर सकता मैं यही निवेदन कर रहा हूं। दूसरा, यह जो 50 रुपया लेते हैं उन्होंने अपनी मर्जी से बनाया है किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है। ऐसे अधिकारियों को यह कहें 50 रुपये न लिये जायं। आज इसी कारण से साल भर से आफिस खुला हुआ है। हजारों रुपये सरकार के बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन वह स्कीम सफल नहीं हुई है। न सीमेंट दिया गया है। सीमेंट आता है वहीं रखा रहता है। कई प्रकार की फार्मेलिटीज बताते हैं। काश्तकार सीमेंट लेने से वंचित रहता है। मैं अन्त में यही निवेदन करता हूं कि जो जो समस्यायें मैंने बताई, अकाल की समस्या आज भयंकर है वह तो इन्कार कर नहीं सकते और मेरे क्षेत्र में तीन अकाल पड़ गये हैं। कोई यहां एक पड़ा होगा पिछले साल भी पड़ गया लेकिन जो जल का था वह भयंकर था उसमें मकान भी बह गये वहां अधिक से अधिक मदद करनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय; यही निवेदन करता हूं और मैं पुर जोर शब्दों में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री पृथ्वी सिंह।

श्री पृथ्वीसिंह (खानपुर) : अब केवल 5 मिनट रह गये हैं।

सदन को कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : आपके भाषण की समाप्ति तक समय बढ़ाया जाता है।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री पृथ्वी सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में मैं कुछ निवेदन करना चाह रहा हूं। राजस्थान जो आज अकाल की परिस्थितियों से गुजर रहा है। न केवल राजस्थान बल्कि सारा देश इस अकाल के संकट से ग्रस्त है और इस अकाल की घड़ियों में सारे प्रदेशवासियों का यह दायित्व हो जाता है कि हम इसका मुकाबला दृढ़ता के साथ, अनुशासन के साथ और दृढ़ संकल्प के साथ करें। अकाल राजस्थान के लिये कोई नई चीज नहीं है कभी कोई सा हिस्सा, कभी कोई सा हिस्सा इस तरह ग्रसित होता ही रहता है और हमें हर साल काफी बजट का हिस्सा इसके लिये खर्च करना पड़ता है इसके लिये हमें स्थाई ढंग से विचार करने के लिये विचार करना पड़ेगा और इसके साथ ही हमें इसके लिये कुछ ज्यादा खर्च करने के लिए भी ज्यादा बजट का प्रावधान रखना पड़ेगा। वैसे राज्यपाल महोदय ने काफी जो राजस्थान की जरूरतें थीं उनकी पूर्ति करने के लिए सारा बजट बनाया है। सब पहलुओं पर बहुत ही अच्छा बजट है। विभिन्न पहलुओं पर, अनुसूचित जन जाति के लिये और शिड्यूल्ड कास्ट के लिए जितना बजट में प्रावधान रखा गया है वह भी इस देश के संकट को निवारण करने में पूर्ण बजट है . .

एक माननीय सदस्य : बजट नहीं, अभिभाषण है।

श्री पृथ्वीसिंह : अभिभाषण है। इसके साथ ही मैं अर्ज करना चाहूंगा कि आज देश की आर्थिक स्थिति इस तरह से है उसी के आधार पर समस्त प्रदेश में उसी प्रकार से पैसा खर्च किया जा सकता है। आज कोई भी सरकार हो हर व्यवस्था के हिसाब से ही देश के विकास के लिए पैसा खर्च कर सकती है यह तो नहीं हो सकता कि राजस्थान में सारे हिन्दुस्तान के पैसे को लाकर खर्च कर दें। जैसा हमारे विरोधी भाई चाहते हैं, एकदम विकास चाहते हैं, एकदम कार्य करना चाहते है, हमें बिजली भी मिल जानी चाहिये, हमारे रहट भी चल जाने चाहिये, गांव-गांव में पानी भी हो जाना चाहिये। एक दिन का काम नहीं है सारे गांवों को आज जादू के द्वारा या कहीं से एकदम पानी लाकर दे दिया जाय। योजनायें चल रही हैं बिजली योजना के अनुसार पहुंच भी गई है। जिस प्रकार से सरकार नियंत्रण कर रही है आपके यहां भी बिजली जल्दी पहुंच जायगी। कुदरत का जब प्रकोप है उसके लिये यह जरूरी नहीं है कि सरकार के पास विद्युत् पूरी हो। पावर स्टेशन और हाइडल पावर स्टेशन में पानी नहीं है। यह पासिबल नहीं हो सकता कि काश्तकार को जितनी बिजली देना चाह रहे थे उसमें कटौती करनी पड़ी उद्योगों के अन्दर कटौती करनी पड़ी। तो यह जान बूझकर नहीं किया जा रहा है। इसके लिए यह जो प्राकृतिक प्रकोप है उसके लिए सुचारू रूप से व्यवस्था की जा रही है। किसी भी देश की सुचारू रूप से व्यवस्था के लिए यह जरूरी हो जाता है। आज जगह-जगह पर विरोधियों द्वारा लोगों से हड़तालें करवाई जा रही हैं। उद्योगों को

(श्री पृथ्वीसिंह)

बन्द करवाया जा रहा है। प्रोडक्शन को कम करवाया जा रहा है फिर अपेक्षा की जाती है कि काश्तकार को सुविधा मिले। खाद के कारखाने में हड़ताल हो जाती है सारे प्रोड्क्शन ठप्प हो जाते हैं और प्रोडक्शन नहीं होने की वजह से खाद की कमी हो जाती है। काश्तकारों को सुविधा देने की बात करते हैं दूसरी ओर कहते हैं काश्तकारों को सुविधा मिले, खाद मिले, टाइम पर पानी मिले। अब जब हड़तालों का यह क्रम चलता है तो देश को नुकसान होता है और उसको इसके द्वारा किया जा रहा है। देश के, राष्ट्र के हित में अगर हो जाय तो आप लोग बैठकर इस देश के लिए कुछ ऐसे उपाय निकालें जिससे आप देश को सुदृढ़ बना सकें लेकिन दुर्भाग्य से, कृषि जो है, कृषि के ऊपर भी प्राकृतिक प्रकोप होते हैं तो उनको आप और हम भाषण से और बातों से मिटा दें, यह सम्भव नहीं है। उसके लिए हमें तथ्यों को ढूंढकर जानकारी मालूम करनी पड़ेगी। आज फसल पर किसी कीड़े की बीमारी का रोग लगे तो हमें देखना होगा कि हमारे पास समुचित व्यवस्था है या नहीं है। उसके लिए समुचित यूनिट्स हैं या नहीं हैं, जिसके द्वारा हम फसलों की बीमारियों की रोकथाम कर सकें। एक ओर आप जानते हैं कि जब फसल मर जाती है तो उसकी भयंकरता से, उसके मर जाने से, अकाल में एक एडीशन और लग जाता है, पूरा प्रोडक्शन नहीं हो पाता और उसका सारे देशवासियों पर प्रभाव पड़ता है। अगर आप उसके लिए हमारे बजट के अन्दर प्रावधान करके कितने उपकरण हैं, आज हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हैं; काफी अफसर गाड़ियां लेकर दौड़ते हैं और उन गाड़ियों के अलावा हमारी दवाई के छिड़काव के लिए कोई उपकरण नहीं हैं जिनमें सामूहिक यूनिट चले एक एक जिले में एक एक दो दो हों और कहीं अगर प्रकोप नहीं है तो दूसरे जिलों के एरिये में जायं और इस कृषि के नुकसान को बचा सकें तो कृषि सारी चीजों से सम्बन्धित होते हुए भी उसमें कई डिफिकल्टी होती है। सारी सुविधायें होते हुए भी समय पर देखभाल नहीं होने से क्या होता है कि काश्तकार जब रिपोर्ट करते हैं कि फसल को कीड़े खाते हैं तो कागजों की लिखा पढ़ी में 15–20 दिन निकल जाते हैं और जितनी फसल का नुकसान होना होता है, वह तो हो जाता है और बाद में सरकार की व्यवस्था होकर वहां पहुंच भी जाती है पर उनको लाभ नहीं मिल पाता। सरकार ने राजस्थान के अन्दर जंगलों के विकास के लिए भी काफी प्रावधान रखा और सोचा है कि राजस्थान के मरु प्रदेश को हरा भरा करें, उसके लिए आप सबका दृढ़ संकल्प है। काफी पैसा देश के लिए खर्च कर रही है और चाहती है कि हमारे उजड़े हुए वन, राजस्थान में इस वर्ष वर्षा कम हुई है, पूर्ण रूप से हरे भरे हो जायं और इसके लिए हमें यह देखना होगा कि जंगल जो लगाये जा रहे हैं, वह हमारे सुरक्षित रहें। इसके लिए आवश्यकता है कि हम हमारे नियमों को थोड़ा कड़ा करें और जो प्लान्टेशन किये जाते हैं, वे उजड़ न जायें। इसके लिए हमें सजगता की आवश्यकता है। भू-जल विकास के लिए अकाल से निपटने के लिए, जहां पर अन्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा सर्वे किया जा चुका है उसके अनुसार जिस क्षेत्र में पर्याप्त जल है, उसके लिए हमें ट्यूबवैल स्कीम को लागू

164

(श्री पृथ्वीसिंह)

कर देना चाहिए और उसके लिए जितने भी उपकरण हमें चाहिए सरकार को अलग से प्रावधान करके हर जिले में कम से कम एक एक दो दो यूनिट्स दे देने चाहिए।

डेयरी विकास का मेरा मकसद है, आज राजस्थान के कुछ जिले ऐसे हैं जो डेयरी विकास योजना से वंचित हैं। तो मेरा अर्ज करने का मतलब है, खास तौर से झालावाड़ के विषय में अर्ज कर रहा हूं कि डेयरी स्कीम से यह झालावाड़ जिला छूटा हुआ है, उसमें 6 लाख मवेशी हैं और 6 लाख मवेशी के पालकों को उसी के साथ साथ डेयरी स्कीम में ले लिया जाता है तो उस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और उसके सुधरने से हमारा जिला कुछ विकास कर सकता है, चूंकि आज यह जिला वहां हर तरीके से पिछड़ा हुआ है। आर. ई. सी. की स्कीम से पूरा जिला कवर नहीं हो पाया है और कई तहसीलें 3-4 तहसीलें छूटी हुई हैं, जहां के लोग बिजली के लिए लालायित हैं, उधर एम.पी. का बार्डर मिला हुआ है एम.पी. में पूरी तरह से बिजली लगी हुई है तो बार बार वे उसके लिए इतने लालायित हैं कि इधर से बिजली आ गयी। उधर झालावाड़ में बिजली आ गयी पाटन में आ गयी, बदायूं में आ गयी और हमारा एरिया छूट रहा है तो जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो लोग शिकायत करते हैं, तो हमें बिजली से क्यों वंचित रखा जाय? आज सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार जो पिछड़े हुए जिले हैं, जो निरन्तर पिछड़े हुए चले जा रहे हैं, उनके लिए पूर्ण रूप से ध्यान देकर, उनके जिलों के विकास के लिए पूर्ण ध्यान दिया जाय।

ग्रामीण विद्युतीकरण का जहां तक सवाल है, ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीम जहां पर चालू हो गयी है, मेरे क्षेत्र में, खानपुर में, यह स्कीम 3 साल से कार्यरत है लेकिन 3 साल में सामानों के अभाव की वजह से खम्भे, तार केबल्स की वजह से यह समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं और 3 साल की उसकी प्रगति कोई खास ज्यादा नहीं हुई है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली के लिए जितने सामान हैं सरकार उन्हें भिजवाने के लिए योगदान करें। ग्रामीण पेयजल योजना का जहां तक सवाल है यह समस्या हमारे क्षेत्र में पूर्व में नहीं थी लेकिन इन दो सालों में यह निरन्तर अकाल की वजह से हमारे सामने आयी है, न केवल पीने की हालत में आयी है बल्कि सिंचाई के पानी की भी कमी हुई है, जब पानी की कमी हो गयी है तो कम से कम हमारे पास विभाग में जो बोरिंग यूनिट पहुंचने चाहिये और अभी जो कुएं हैं, सिंचाई के उनको भी गहरे बोरिंग द्वारा किया जाय क्योंकि वहां बहुत सी जगह ब्लास्टिंग पासिबल नहीं है मिट्टी है और ब्लास्टिंग उसमें नहीं हो पाता। इसलिए बोरिंग स्कीम के द्वारा क्योंकि अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के सर्वे के अनुसार उस क्षेत्र में पानी प्रचुर मात्रा में मौजूद है, हम जानते हैं कि अगर इसी स्थिति में इस अकाल के समय में कुएं गहरे हो जाते हैं तो कृषकों के लिए अकाल से निपटना सम्भव हो सकेगा। तो इसके बढ़ाने के लिए भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ब्लास्टिंग मशीनों का भी हाल तो एरिया में कम है लेकिन इसके लिए भी कोई प्राइवेट ब्लास्टिंग मशीनें काम

(श्री पृथ्वी सिंह)

कर रही हैं लोगों का पैसा जमा भी है और काफी पैसा जमा होने के वाद व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही है। इसके लिए अगर हमें अकाल से स्थायी रूप से निपटना है अगर राजस्थान को और प्रदेश के मुकाबले में पंक्ति में खड़ा करना है तो राजस्थान के लिए बोरिंग और ब्लास्टिंग यूनिट के उपकरणों की प्रचुर मात्रा में खरीद करके राजस्थान की अकाल से निपटने की स्थिति को सुदृढ़ करना होगा।

इसके अलावा मैं बिजली के बारे में यह अर्ज करना चाहूंगा कि स्पेशल तौर से बिजली के जो उपकरण बनते हैं, उनके लिए स्पेशली ज्यादा पावर दिया जाकर तार और जितना मैटेरियल है, उनको कटौती न करके ग्रामीणों के लिए दें, 80 प्रतिशत कृषक हैं, गांवों में हैं, गरीबी में हैं और सब बातों में हैं और जब तक काश्तकार और गांव का तबका विकसित नहीं होगा, गरीबी से हम निपट नहीं सकते। गांवों के काश्तकारों की, गरीबों के साथ वहां के मजदूरों की गरीबी जुड़ी हुई है, वह काश्तकार सम्पन्न होगा, मजदूरी ज्यादा दे सकेगा उसकी हर जमीन सिंचित करने का पूरा प्रयास करेंगे तो जो ग्रामीण लोगों की और मजदूरों की समस्या है, वह स्वतः ही हल हो जायगी। मान्यवर, मेरे क्षेत्र खानपुर में 114 गांव ऐसे हैं जिनमें न आज इरिगेशन होगा और न आज से 50 साल बाद होगा, वहां नाम मात्र के हल हैं तो वह ट्यूबवैल स्कीम लागू करने से ही होगा। मेरे क्षेत्र में काफी मात्रा में थिकली पापूलेटेड हैं और पर किलोमीटर में एरिया में जो पोपूलेशन का प्रेशर है वह काफी है। अब उस प्रेशर को आने वाली पीढ़ियों के लिए हम अगर ट्यूबवैल स्कीम चालू कर देते हैं तो पूरे एरिया को सिंचित कर देते हैं। चूंकि वहां पर प्राकृतिक स्रोत मौजूद हैं तो हम आगे पचास साल तक जितनी भी क्षेत्र की समस्या है उसका निपटारा कर सकते हैं और पचास साल तक जो भावी पीढ़ी है वह उसमें एडजस्ट हो सकती है।

इसके साथ ही साथ हमें यह देखना है कि राज्य पथ परिवहन निगम की बसेज जो हैं, उनसे काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। सरकार बसें खरीदती है। सरकार काफी मात्रा में उनको सुविधायें देती है लेकिन वहां पर कहीं हड़तालें कहीं तोड़ फोड़ और अनुशासनहीनता का एक ऐसा वातावरण बना हुआ है जिसको कि हमें पूर्ण रूप से सजग होकर कण्ट्रोल करना होगा। अन्यथा जितनी भी जगह मैं जाता हूं मेरे क्षेत्र के लोग जब टाइम पर बसें नहीं पहुंचती हैं तो बातें करते हैं कि हम पैसा देते हैं, सारी बातें करते हैं तो भी हम यातायात के साधन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर राज्य पथ परिवहन निगम अपनी बसेज नहीं चला सकता उस जगह पर प्राइवेट बसेज को अलाउ किया जावे ताकि लोग उससे सफर करके कुछ आराम प्राप्त कर सकें। आज हालत यह हो रही है . . .

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सदस्य अगर रात को 12 बजे तक बोलते रहेंगे तो 12 बजे तक कार्यवाही चलेगी ?

श्री अध्यक्ष : अभी 12 बजने में बहुत टाइम है।

श्री पृथ्वीसिंह : हमारे क्षेत्र में बसें नीचे और ऊपर तक सवारियां भरती चलती हैं उसके बाद भी उसका पूरा नहीं पड़ता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम कम से कम जब राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित करते हैं और हमारी क्षमता पूरी नहीं है तो उन लोगों को राहत देने के लिए मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ रूट्स को वहां के जन प्रतिनिधियों से राय ली जाकर राष्ट्रीयकृत राजमार्गों से अलग निकाल देना चाहिए ताकि उससे लोगों को काफी राहत मिल सकेगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक वार घण्टी तो आप बजा दें।

श्री पृथ्वीसिंह : इसके साथ ही मैं जो राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया है उसका पूर्णतया समर्थन करते हुए अपनी जगह पर बैठता हूं।

जय हिन्द।

सूचना

राष्ट्र मण्डल संसदीय संघ (राजस्थान शाखा) की साधारण सभा की बैठक

श्री अध्यक्ष : जैसा कि माननीय सदस्यों को पूर्व में सूचित किया गया था कि आज की सदन की कार्यवाही स्थगित किये जाने के तुरन्त पश्चात् राष्ट्र मण्डल संसदीय संघ राजस्थान शाखा की साधारण सभा की बैठक होगी, जिसके सभी माननीय सदस्य, सदस्य हैं। उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि आपकी कार्यकारिणी जिसमें सदन के सभी पक्षों के नेता हैं, उन्होंने बैठ कर कार्यकारिणी की सूची बनाई है।

अब, मैं सदन की कार्यवाही कल दिनांक, 26 फरवरी को प्रातः 11-00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8.12 बजे बृहस्पतिवार, दिनांक 26 फरवरी, 1981 के म.पू. 11-00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 49 की सूची

छठी पंचवर्षीय योजना 1980–85

सूची–1

(करोड़ रुपये)

मद	योजना प्रारूप रु. 3167.87 करोड़ में प्रस्तावित राशि	स्वीकृत योजना आकार रु. 2025 करोड़ में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित राशि
1. कृषि एवं सम्बद्ध कार्यक्रम	404.72	323.96
2. सहकारिता	28.00	24.38
3. सिंचाई एवं विद्युत्	1592.75	1061.22
4. उद्योग एवं खनव	119.87	83.59
5. यातायात एवं संचार	294.00	136.50
6. सामाजिक सेवाएं	715.22	386.13
7. आर्थिक एवं सामान्य सेवाएं	13.31	9.22
योग:—	3167.87	2025.00

सूची–2

(करोड़ रुपये)

मद	वार्षिक योजना 1978–79		वार्षिक योजना 1981–82	
	प्रस्तावित राशि	अनुमानित राशि	प्रस्तावित राशि	अनुमानित राशि
1	2	3	4	5
1. कृषि एवं सम्बद्ध सेवाए	28	27	69	55
2. सहकारिता	3	2	5	4
3. सिंचाई एवं विद्युत्	130	139	293	188
4. उद्योग एवं खनिज	9	8	18	13
5. यातायात एवं संचार	21	18	43	24
6. सामाजिक सेवाए	43	40	100	55
7. अन्य	1	1	3	1
योग—	235	235	531	340

परिशिष्ट 2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

श्रम संघों को मान्यता

54. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) श्रम संघों को मान्यता देने की क्या प्रक्रिया है ?

(2) श्रम संघों को पिछले एक वर्ष में कितनी संख्या में इस प्रक्रिया से मान्यता प्रदान की गई ?

(3) क्या त्रिपक्षीय समझौते के आधार पर हुए मान्यता के चुनाव में अवधि समाप्त होने पर दुबारा चुनाव कराये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) हां की स्थिति में अन्तरिम अवधि तिथि समाप्त होने से नये चुनाव होने तक किसे मान्यता रहेगी ?

उत्तर

(1) श्रम संघों को मान्यता देने की कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं है। मान्यता नियोजकों द्वारा ही दी जाती है।

(2) चूंकि मान्यता नियोजक द्वारा दी जाती है अतः इसके आंकड़े विभाग में उपलब्ध नहीं हैं।

(3) इस सम्बन्ध में ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिक्री कर से प्रभावित हस्तकला उद्योग

55. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि हस्त कला उद्योग पर गत कुछ वर्षों में सैल्स टैक्स निरन्तर बढ़ता बढ़ता तीन प्रतिशत से आठ प्रतिशत हो गया है ?

(2) क्या सरकार को विदित है कि आधारभूत सामग्री की कीमतें बहुत बढ़ जाने से ग्राहक खरीदने में कतराता है जिससे लाखों कारीगर मजदूरों की रोजी पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उद्योग की सामग्री महंगी होने के कारण कला के स्तर में भी निरन्तर ह्रास होता है ?

(4) क्या यह सही है कि ये कलाकार गरीब तबके के लोग हैं और सरकार की

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत) नीति वेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की रही है ?

(5) यदि हां, तो ऐसी स्थिति में क्या सरकार हस्त उद्योग पर बिक्री कर माफ कर कला को प्रोत्साहन व गरीब लोगों को रोजगार तथा निर्यात के द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जन हेतु कदम उठायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां।

(5) राज्य सरकार ने समस्त उद्योगों के कच्चे माल पर बिक्री कर से छूट दी हुई है जो मार्च, 1984 तक प्रभावशील है। हस्तकला की कुछ वस्तुओं के लिए विक्रय को पहले ही सशर्त मुक्त कर रखा है। निर्यात की जाने वाली वस्तुएं भी सशर्त कर मुक्त हैं।

भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई सिटी हॉस्पिटल जयपुर के वाहन

56. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई, सिटी हॉस्पिटल, मोती डूंगरी रोड, जयपुर में कुल कितनी बेकार गाड़ियां खड़ी हुई हैं ? कृपया नाकारा की गई गाड़ियों के अलग अलग प्रकार (मेक) व कब से खड़ी हैं, इसकी वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गाड़ियों को नीलाम नहीं करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) 104 वाहन भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई, सिटी अस्पताल, मोती डूंगरी रोड, जयपुर के अहाते में 1976 से खड़ी हैं। मेक वाइज सूची संलग्न है।

(2) उक्त गाड़ियां भारत सरकार व यूनिसेफ की सम्पत्ति हैं, बिना भारत सरकार एवं यूनिसेफ की स्वीकृति के इन्हें नीलाम नहीं किया जा सकता है। भारत सरकार से बार बार आग्रह किया गया है किन्तु अभी तक उनसे इन गाड़ियों को नीलाम करने की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई हैं।

LIST OF UNSERVICEABLE VEHICLES

MAC-FC 150

1. RHQ8607
2. RJO 858
3. RJU 879
4. RJD 3069
5. RJP 1473
6. RJC 642
7. RJI 1092
8. RJX 705
9. RJI 880
10. RRL 1526
11. RJQ 561
12. RJV 1194
13. RJO 602
14. RJK 8572
15. RRL 1582
16. RJD 3008

DODGE FARGO

1. RJQ 4559
2. RJE 647
3. RJK 5031
4. RJY 2208

170

5. RJR 2854
6. RJG 782
7. RJY 5390
8. RJY 5524

AUTO TEMPO

(Not Registered)

1. -do-
2. -do-
3. -do-
4. -do-
5. -do-

BEDFORD

1. RJK 6606
2. RJR 4293
3. RJY 926
4. RJT 1283
5. RJV 738
6. RJN 411
7. RJR 8693
8. RJI 736
9. RJY 3187
10. RSL 6748
11. RJJ 250
12. WITHOUT REGISTRATION NUMBER
13. -do-
14. RJB 422
15. RJO 124
16. WITHOUT REGISTRATION NUMBER

WIVING TEMPO

1. RRL 5924

JEEP

1. RJY 634
2. RSL UNICEF Stst. Wagon.
3. RJK 753
4. RJQ 7188
5. RJE 1516
6. RSL 2209
7. RRL 4388
8. RSL 8683
9. RJF 1960
10. DJT 1296
11. RJZ 905
12. RSL 3266
13. RSL 8625
14. RSL 2123
15. RSL 7387
16. RRL 4859
17. RJE 926
18. RRL 4858
19. RSL 9650
20. RJQ 9176
21. RJV 753
22. RJX 840
23. RJY 103
24. RJQ 3326 UNICEF
25. RJL 9798
26. RRL 1744
27. RSL 6732
28. RSL 8994
29. RJI 762
30. RJO 554
31. RJU 880
32. RJZ 605
33. RSL 669
34. RJE 964
35. RJY 3007
36. RSL 2185
37. RSL 8634
38. RSL 5942
39. RSL 363
40. RSL 1371
41. RJL 7159
42. RJL 6954
43. RJU UNICEF
44. RJI 889 UNICEF
45. RSL 2702 FW
46. RJD 1821 UNICEF
47. RJD 2491 FW
48. RJM 191 AMBULANCE
49. RJS 777 UNICEF JEEP
50. RJX 425 Stst. Wagon.
51. RJZ 434 -do-
52. DLI 920 -do- FW
53. RJL 2962 -do- FW
54. RRM 163 TYOETA JEEP
55. RSL 298 Renalt Car
56. RSM 4317 Std. 20
57. RSM 4318 Std. 20
58. RSM 3443 HAUNDA MOTORCYCLE

सागड़ी उन्मूलन हेतु सर्वेक्षण

57. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सागड़ी उन्मूलन अधिनियम, 1961 के तहत जनजाति उपयोजना क्षेत्र में सागड़ी उन्मूलन के लिए कोई सर्वेक्षण करवाया गया है? यदि हां, तो कब? क्या सर्वेक्षण प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है? यदि हां, तो कब? इस पर सरकार ने कब से कार्यवाही आरम्भ की है?

(2) क्या राज्य सरकार सागड़ी प्रथा को प्रभावी ढंग से समाप्त करना चाहती है? यदि हां, तो सर्वेक्षण में पाये गये सागड़ियों के पुनर्वास के लिए क्या योजना है? कृपया योजना का मसौदा सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रथम 1966 में, तथा दूसरा 1975 में। केन्द्रीय अधिनियम के तहत 1976 में राज्य का एक और सर्वेक्षण किया गया तथा राज्य भर में 6000 बन्धकों को मुक्त करवाया गया।

(2) जी, हां। केन्द्रीय अधिनियम बन्धक श्रम (व्यवस्था) उन्मूलन अधिनियम 1976 के अधीन जिन बन्धक श्रमिकों को छुड़ाया गया, उनमें से 5656 का किसी न किसी रूप में पुनर्वास किया जा चुका है।

जयपुर में अमानीशाह नाला से विश्वकर्मा तक सड़क का निर्माण

58. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या शैतानसिंह कॉलोनी सर्किल होकर अमानीशाह का नाला, जयपुर से विश्वकर्मा तक सड़क बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से?

(2) सरकार इस सड़क को कब तक बनाने का विचार रखती है?

उत्तर

1. जी नहीं।

2. प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान नहर के निर्माण कार्य में शिथिलता

60. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोयले की कमी के कारण राजस्थान नहर का निर्माण कार्य ठप्प पड़ा हुआ है?

(2) यदि हां, तो इसके लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है?

(3) राजस्थान नहर का निर्माण कार्य पूरा करने हेतु राज्य सरकार ने कहां कहां से कितनी-कितनी मदद मांगी है एवं कितनी सहायता अब तक मिल चुकी है? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) केवल राजस्थान नहर परियोजना की लाइनिंग का कार्य कोयले की कमी के कारण ठप्प पड़ा हुआ है। लेकिन मिट्टी की खुदाई का कार्य एवं भवन एवं सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(राजस्थान नहर मंत्री)

(2) राज्य सरकार भारत सरकार के सिचाई मंत्रालय और रेल मंत्रालय से राजस्थान नहर परियोजना को उच्च प्राथमिकता के आधार पर कोयला खानों से परियोजना क्षेत्र तक कोयला पहुंचाने के लिए वांछित आठ रेल गाड़ियां प्रतिमाह के हिसाब से उपलब्ध करवाये जाने के लिये लगातार निवेदन करने के बाद भारत सरकार की इन्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर मंत्री मण्डल समिति ने 12 फरवरी, 1981 की बैठक में तय किया है कि कोयले की ढुलाई के लिये राजस्थान नहर परियोजना व सिंचित क्षेत्र विकास कार्यों पर प्रत्येक को 3 रेल गाड़ियां हर महीने आगामी जून, 81 तक उपलब्ध करवाये जायं।

(3) जी नहीं। इस योजना को बाहरी स्रोतों से कोई मदद नहीं मिली है।

पी. सी. सी. पोल्स का निर्माण

61. श्री **रामकिशोर मीणा** (सिकराय): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में इस समय पी. सी. सी. पोल बनाने की कितनी फैक्ट्रीज हैं तथा उनकी कुल उत्पादन क्षमता क्या है?

(2) क्या यह सही है कि भारत सरकार ने भविष्य में पी.सी.सी. पोल्स केवल एस. एस. आई. यूनिट से ही विद्युत मण्डलों को क्रय करने के निर्देश दिए हैं? यदि हां, तो राज्य विद्युत मण्डल ने इस दिशा में क्या निर्णय लिया है?

उत्तर

(1) राजस्थान में इस समय लगभग 48 इकाइयां पी. सी. सी. पोल्स बना रही हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता 60 हजार मै. टन है।

(2) भारत सरकार द्वारा विद्युत मण्डल को पी.सी.सी. पोल्स केवल एस.एस. आई. यूनिट्स से ही क्रय करने के सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं दिए हैं।

कृषि उपज मण्डियों का क्रमोन्नति सम्बन्धी प्रकरण

62. श्री **भंवरलाल** (सुजानगढ़): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 1980–81 में कितनी कृषि मण्डियां 'बी' श्रेणी से 'ए' श्रेणी में श्रेणीबद्ध की गयीं? ऐसी मण्डियों की गत तीन वर्ष की औसतन आय कितनी थी?

(2) क्या यह सही है कि औसतन 5 लाख आय वाली कृषि मण्डियों को 'बी' श्रेणी से 'ए' श्रेणी में श्रेणीबद्ध किया गया है? क्या कृषि मण्डी सुजानगढ़ की वार्षिक आय 5 लाख से भी ऊपर है? यदि हां, तो उसे 'ए' श्रेणी में क्रमोन्नत नहीं करने के क्या कारण हैं? अब कब तक ऐसी कार्यवाही की जावेगी?

उत्तर

(1) वर्ष 1980–81 में 'बी' श्रेणी से 'ए' श्रेणी में किसी भी मण्डी समिति को परिवर्तित नहीं किया है।

(2) जी नहीं।

(कृषि मंत्री)

मण्डी समितियों के श्रेणीकरण का आधार निम्न है:--

'अ' श्रेणी 10 लाख रुपये वार्षिक आय से ऊपर।

'ब' श्रेणी 5 लाख रुपये वार्षिक आय से ऊपर तथा 10 लाख रुपये तक।

'स' श्रेणी 5 लाख रुपये वार्षिक आय तक।

वृद्धावस्था पेन्शन नियम

63. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) राज्य में वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति के क्या नियम हैं? कृपया प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा 20 फरवरी, 1980 को 8 मुस्लिम वृद्धा महिलाओं के पेंशन आवेदन पत्र उपखण्ड अधिकारी, जयपुर को भेजे गये?

(3) क्या वे वृद्धाएं अभी पेन्शन प्राप्त कर रही हैं?

उत्तर

(1) नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। सात मुस्लिम तथा एक हिन्दू महिला के आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु दिनांक 21-2-80 को उप खण्ड अधिकारी, जयपुर को भेजे गये थे।

(3) जी नहीं।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

FINANCE (Rules) DEPARTMENT

*No.F.*1(22)/*FD*/(*Rules*)/73. *Jaipur, dated the* 15*th May*, 1974.

ORDER

Sub:—*Rules governing grant and payment of Old Age Pension to destitutes.*

The Governor has been pleased to make the following rules governing grant and payment of Old Age Pension to destitutes, namely:—

1. (*i*) These rules may be called the Rajasthan Old Age Pension Rules, 1974.

(*ii*) They shall come into force with effect from 1-6-1974.

2. *Definition.*—(*i*) "Destitute" means a person whether a male of 58 years of age or a female of 55 years of age who;

(*a*) is a bonafide resident of Rajasthan and has been living in Rajasthan for at least more than three years on the date of his application; and

(*b*) has no income or any income for his sustenance; and

(*c*) has no member of family of 20 years of age or over; or

(*d*) the members of family are themselves of age of 58 years in case of male or 55 years in case of female and are without any income or are unable to earn on account of total or partial physical or and mental incapacitation due to blindness, insanity, leprosy or loss of both limbs, but does not include professional beggers or medicants or the members of family are continuously unheard of for 7 years or more and the sanctioning authority has after due enquiry, personally satisfied himself that they are missing.

(*ii*) "Bonafide resident" means a resident of Rajasthan since birth or has been living in Rajasthan for at least 7 years or repatirates of Burma settled permanently in Rajasthan.

(*iii*) "Family" means husband/wife; son including adopted son or son's son and but does not include step son.

(*iv*) "Income" means regular income from an ostensible source like rent, interest, dividend, profits, service, grant or profession or vocation, business, trade or industry but does not include casual income or occasional financial assistance from a person or persons or pension/maintenance allowance from a person or allowance by whatever name called below Rs. 30/- p.m. from a Government source or any other source or private body or institution.

(*v*) "Enquiry Officer" means a Tehsildar or Naib-Tehsildar of the Tehsil in which the applicant actually resides.

(*vi*) "Sanctioning authority" means Sub-Divisional Officer of the area in which the applicant is residing.

(*vii*) "Pension" means Old Age Pension granted to a destitute person under these rules.

3. *Grant of Pension.*—The grant of pension under these rules to a destitute is a matter of absolute discretion and may be refused or stopped with or without giving any reasons by the sanctioning authority.

The decision of the sanctioning authority shall not be liable to be questioned in any court of Law at suit or proceedings shall lie in any Court of Law.

4. *Amount of Pension.*—(*i*) The amount of pension payable to each destitute shall be Rs. 30/-p.m. where husband and wife both are destitute, the amount of pension payable to them jointly shall be Rs. 40/- p.m.

(कृषि मंत्री)

(*ii*) In case of destitute in receipt of the pension, maintenance allowance or an allowance by whatever name it is called below Rs. 30/- from the Govt. of Rajasthan/Central Govt./Other State Government, Local Fund or from a statutory body, Corporation, private bodies/institution or any other source the amount of pension shall be equal to the difference between Rs. 30/-p.m. and the amount of pension, maintenance allowance he or she is already in receipt of. Similarly, if more than one destitute in a family is in receipt of pension/ maintenance allowance jointly below Rs. 40/- p.m. from any of the sources referred to above, the amount of pension payable under these rules shall be equal to the difference between Rs. 40/- p.m. and the amount of pension, maintenace allowance he or she is already in receipt of jointly.

5. *Kinds of Pensions.*—There will be two kinds of pension viz. (*i*) 'Life Pension' and (*ii*) 'Limited Pension'. Life Pension shall be for life time while Limited Pension shall be for a specified period which shall terminate on attainment of age of 20 years by a member of family or destitute or when he starts earning whichever is earlier.

6. *Commencement of Pension.*—The pension shall become payable with effect from the date of sanction issued by the competent authority.

7. *Cessation of Pension.*—(*i*) The pension shall cease on the date of death of pensioner. The amount of pension due upto the date of death shall lapse.

(*ii*) In case of temporary or permanent migration of the destitute outside Rajasthan, the Pension shall ordinarily cease to be payable. The payment of pension may, however, be resumed by the Treasury Officer or Sub-Treasury Officer, as the case may be, from a date he appears in person before him on his return to Rajasthan, but the arrears of pension accrued for the period he remained outside Rajasthan shall not be payable.

8. *Authority competent to sanction pension.*—The authority competent to sanction the pension under these Rules shall be the Sub-Divisional Officer concerned. Sanction shall be issued in OAP III, a copy of which will be endorsed to the Treasury and the Collector of the District.

9. *Procedure for application and grant of pension.*—(*i*) Application for pension shall be made in Form OAP I to the Tehsildar of the tehsil in which the applicant is residing. The Form of application will be available, free of charge from Tehsil, Gram Panchayat, Municipality or Municipal Board and District Treasury Officer. In case printed application forms are not available, the application may be submitted on plain paper.

(*ii*) On receipt of an application in the prescribed from the Enquiry Officer shall arrange to get it entered in the Register OAP-II. Before enlisting new application it may also be ensured that he had not applied for pension in the past and the application rejected. A separate subsidiary register of rejected application may also be maintained.

(*iii*) Thereupon the enquiry officer shall proceed to scrutinise the application and verify the age, domicile, residence and income or sources

(कृषि मंत्री)

of livelihood. The details of members of his family as defined in Rule 2(*i*) and (*iii*) of these rules will be verified. He shall verify the age from the following documents in the order of preference given below:—

(*a*) Schools Certificate.
(*b*) Register of births maintained by Municipal Board/Council, Panchayats.
(*c*) The latest Assembly Electoral Rolls in which applicant's name appears; or.

a certificate of age granted by the Sub-Divisional Officer or Tehsildar on receipt of a written statement supported by two witnesses, to be filled before him by the destitute and after such enquiry, as He may deem fit.

(*iv*) The result of verification shall be recorded by the Enquiry Officer in Part II of the Application Form OAP-I alongwith any other particular information necessary for considering his case.

(*v*) The verification shall be as far as possible be completed within a period of one month from the date of receipt of application.

(*vi*) The Enquiry Officer shall after enquiry and verification send the Form OAP-I in original to the sanctioning authority with his recommendation for orders in each case. The sanctioning auhority shall after consedring each case carefully pass orders with respect to either grant of pension in Form OAP-III or reject the claim under intimation to the destitute.

(*vii*) When it is decided to sanction pension to a destitute; the sanctioning authority shall ask the applicant to submit two copies of passport size of photographs duly attested by a Member of Parliament/Member of Legislative Assembly/ Sarpanch of Panchayat Samiti/Pradhan, Panchayat Samiti/Zila Pramukh or a Gazetted Officer of State Government. The cost of the photo to the extent of Re. 1/- per head shall be re-imbursed by the Government. Such charges shall be met out of the "contingencies" budget of Sub-Divisional Officers' Office.

(*viii*) The sanctioning authority shall maintain two registers namely, (1) Register of Old Age Pensions sanctioned (2) Register of Old Age Pension Applications rejected. The entries in the register shall be attested by the sanctioning Authority. A copy of the order sanctioning grant of pension shall be endorsed to the Collector, Sub-Treasury Officer/Treasury Officer.

10. *Payment of Pension.*—(*i*) The Treasury Officer and Sub-Treasury Officer shall be the authority to make payment of pension.

(*ii*) The pension shall become due for payment on the expiry of the month to which it relates. No payment shall be made for next month unless money order acknowledgement have been received in respect of previous month's pension payment.

(कृषि मंत्री)

(*iii*) The pension shall be remitted to the destitute by the Treasury Officer or Sub-Treasury Officer, as the case may be, by means of money order unless he desires to receive pension in person. Money order commission shall not be deducted from the amount on the pension. In the case of payment of pension jointly, the amount shall be sent by money order to the address of the husband.

(*iv*) In case a destitute is insane or of unsound mind, the pension shall be paid to the guardian appointed by the Court by the sanctioning authority. Where a sanctioning authority appoints a guardian for this purpose on receipt of an application on plain paper received through the Tehsildar, a bond in the prescribed Form OAP-IX shall be executed by the guardian undertaking to support the insane applicant before the pension is sanctioned.

(*v*) Where the amount of pension is remitted by money order, the postman (under agreement with the postal authority) shall disburse the amount to the destitute only and to no one else, in the presence of a literate person who shall record a certificate of identification.

(*vi*) In case he is illiterate the thumb impression of the destitute shall be obtained on money order receipt in the presence of a literate witness who shall attest the signature on the receipt itself.

(*vii*) The Treasury Officer and Sub-Treasury Officer shall make payment of pension where payable by means of a money order not later than 1st Week of every month.

(*viii*) The detailed instruction relating to payment of pension, maintenance of account etc., are contained in the Appendix appended to these rules.

11. *Right of Appeal.*—An appeal against the order of the sanctioning authority rejecting a claim for pension shall lie to the Collector. The appeal should be made within two months from the date of communication of the order by the sanctioning authority. The Govt. in Social Welfare Department may, however, in its discretion review the order passed by the Collector.

12. *Annual Verification.*—(*i*) A destitute in receipt of pension who is residing at tehsil headquarters or district headquarters shall appear in person in the month of April every year before the Treasury Officer or Sub-Treasury Officer, as the case may be. The verifying officer will personally see the destitute, compare with his/her photograph and satisfy himself with reference to identification marks noted in the pension payment order.

(*ii*) The Sub-Divisional Officer/Tehsildar shall during his tour to Villages, verify the continued existence of destitutes and other facts relevant to the continuance of pension to a destitute who is receiving pension by money order.

(*iii*) The fact of physical verification shall be noted in the register OAP-II maintained by the Sub-Treasury Officer or Treasury Officer.

178

(कृषि मंत्री)

13. *Intimation of Death of Destitute.*—In the event of death of a destitute, Patwari/Gram Panchayat/Municipal authorities, as the case may be, shall make a report to the Treasury Officer/Sub-Treasury Officer concerned by means of printed post-card in OAP-Form No.VII. On receipt of intimation of death the Sub-Treasury Officer/Treasury Officer shall make an entry in red ink viz. "Died on..........payment stopped" in the Register OAP-VI. The Sub-Treasury Officer shall also communicate the date of death of each case to the Treasury Officer, the sanctioning authority and the Collector.

14. *Inspection by Collector & Treasury Officer.*— (*i*) The Collector shall make annual inspection of the Old Age Pension Registers during the inspection of District Treasury.

(*ii*) The Treasury Officer shall make annual inspection of the Old Age Pension Registers during the inspection of Sub-Treasury and satisfy himself that all cases sanctioned by him have been duly brought on the registers in the Sub-Treasury and that payments are made regularly and without delay. He shall also satisfy himself that intimations necessitating the correction of the registers like the death of a pensioner or a change of address are promptly carried out in the Sub-Treasury.

15. *Communication of sanction to Accountant General and Social Welfare Department.*—The concerned District Treasury Officer shall forward monthly consolidated statements of sanction of Old Age Pension to the Collector, Accountant General, Rajasthan and to the Social Welfare Department. The Social Welfare Department shall send the list of Old Age Pension cases to the concerned District Social Welfare Officer who shall while conducting survey of the working of the scheme in his district shall also make test check of atleast 20% of cases every year. The result of survey shall be conveyed to the Director, Social Welfare Department. Collector of the Distt. and the Sub-Divisional Officer concerned. These statements shall show the name and number of the pensions and the period for which each pension is payable and further as to whether the pensioner is already in receipt of pension/maintenance allowance from any other source (e.g. Department/Private Body/Institutions).

16. *Bar to Grant of Pension to Destitutes.*—No pension or maintenance allowance or any other kind of financial assistance shall be further granted out of Consolidated Fund of State like Devasthan Fund, out of discretion grants placed at the disposal of Ministers etc. to persons who are granted Old Age Pension under these Rules. However, persons covered by these rules who are already in receipt of pension from Devasthan Fund or any other source shall continue to receive such payment.

17. These rules supereced the Rajasthan Old Age Pension Rules, 1964 and the pending applications for grants of pension shall be dealt within accordance with provisions of these rules.

By Order of the Governor,
M. S. SADASIVAN,
Financial Commissioner &
Secretary to Government.

Copy of Government of Rajasthan in Finance Department (Rules) Notification No. F.1(10)FD (Rules)/70, dated 18th April, 1970.

Sub:—Rajasthan Old Age Pension Rules, 1964.

The Governor has been pleased to direct that the following amendments shall be made in the Rajasthan Old Age Pension Rules, 1964.

They shall be deemed to have come into force with effect from 1-3-1970.

I. In Rule 3

(*i*) The word "Male" be inserted between "destitute" and "Person" in the first line of the rule.

(*ii*) The words "and female persons of 60 years of age" be inserted after the words "65 years of age" and before the words "or over" appearing in the first line of the rule.

II. Rule 5

The existing rule be substituted as following:—

"The amount of pension payable to each destitute person shall be Rs. 30/- per month but where there are more than one destitute persons in a family, the amount of pension payable to them jointly shall be limited to Rs. 40/- per month."

III. The existing "Note below Rule 5" shall be deleted and the following new notes shall be substituted:—

Note (*i*) Family for the purpose of this rule, means a destitute and wife or husband as the case may be and son and son's son living together, at the time of sanction of the pension.

Note (*ii*) If the destitute is in receipt of the pension/maintenance allowance (or an allowance of the nature of pension/maintenance allowance by whatever name called) below Rs. 30/- p.mfrom the consolidated fund of the State of Rajasthan/Central Government/other State Government/Local fund or from funds of statutory bodies/Institutions or any other source, the amount of pension payable under these rules, shall be equal to the difference between Rs. 30/- and the amount of pension/maintenance allowance he/she is already in receipt of.

Note (*iii*) If there are more than one destitute persons in a family in receipt of pension/maintenance allowance etc. jointly below Rs. 40/- from the consolidated fund of the State of Rajasthan/ Central Government/other State Government/ Local Fund/Private Body/Institution or any other source, the amount of pension payable to them under these rules, shall be equal to the difference between Rs. 40/- and the amount of pension/maintenance allowance they are already in receipt of jointly.

(180)

(कृषि मंत्री)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

FINANCE (Gr. 2) DEPARTMENT

ORDER

*No.F.*1 (22)*FD* (*Rules*)/73. *Dated : Jaipur, September* 6, 1980

Sub :—Rules governing grant and payment of old age pension to destitutes.

The Governor has been pleased to order that the following amendment may be made in the rules governing grant and payment of old age pension to destitutes, namely:—

1. for the existing clause (*i*) & (*ii*) of Rule 2 the following shall be substituted, namely:—

"2(*i*) "Destitute" means a person whether a male of 58 years of age or a female of 55 years of age or a *widow of* 45 *years of age* and who:

(*a*) is a bonafide resident of Rajasthan and has been living in Rajasthan for at least more than three years on the date of his application; and

(*b*) has no income or any income for his sustenance; and

(*c*) has no member of family of 20 years of age or over; or

the members of family are themselves of age of 58 years in case of male or 55 years in case of female or 45 years in case of widow and are without any income or are unable to earn on account of total or partial Physical or/and mental incapacitation due to blindness, insanity, leprosy, or loss of both limbs, but does not include professional beggers or mandicants or the members of family are continuously unheard of for 7 years or more and the sanctioning authority has after due enquiry, personally satisfied himself that they are missing.

(*ii*) "Bonafide resident" means a resident of Rajasthan since birth or has been living in Rajasthan for at least 7 years; or repatriates of Burma settled permanently in Rajasthan *Or displaced persons from Pakistan who migrated to India during or in the wake of* 1971 *Indo-Pak war and have settled permanently in Rajasthan after grant of Indian citizenship.*

2. for the existing rule 3 the following shall be substituted, namely:—

"3. *Grant of Pension.* —(*i*) The grant of pension under these rules to a destitute is a matter of absolute discretion and may be refused or stopped with or without giving any reasons by the sanctioning authority. The decision of the sanctioning authority shall not be liable to be questioned in any Court of Law, and no suit or proceedings shall lie in any Court of Law.

(*ii*) Government may, in exceptional circumstances, grant old age pension under these rules to a destitute by relaxing the condition of age limit prescribed in rules 2 (*i*) of these Rules".

By Order of the Governor,
Sd/- (S. C. Johri)
Deputy Secretary to Government.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE (Gr.2) DEPARTMENT
NOTIFICATION

*F.*1 (22) *FD* (*Rules*)/73. *Jaipur, February* 23, 1979.

Sub :—Amendment in the Rajasthan Old Age Pension Rules, 1974.

The Governor has been pleased to order that the following amendment shall be made in the Rajasthan Old Age Pension Rules, 1974, issued under Finance Department Order of even number dated 15-5-1974 with immediate effect namely :—

In the said rules-in existing Clause (*vii*) of Rule 9 the words and figure Re. 1/- shall be substituted by the words and figure "Rs. 2/-".

By Order of the Governor,
Sd/- (M.L. GAUR)
Deputy Secretary to Government.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE (Gr. 2) DEPARTMENT

ORDER

*No.F.*1 (22) *FD/9/Rules/*73. *Jaipur, dated the*

Sub:—Rules governing grant and payment of Old Age Pension to destitutes.

The Governor has been pleased to order that the following amendment may be made in the Rajasthan Old Age Pension Rules, governing grant and payment of old age pension to destitutes namely :—

for the existing clause (*i*) of Rules 4 the following shall be substituted, namely:—

"4. Amount of Pension "(*i*) The amount of pension payable to each destitute shall be Rs. 40/- p.m. where husband and wife both are destitute, the amount of pension payable to them jointly shall be Rs. 60/- p.m. *provided that in case of death of either husband or wife, as the case may, the amount of* pension payable to other spouse shall be Rs. 40/-p.m. only."

By Order of the Governor,
Sd/-(M.L. GAUR)
Deputy Secretary to Government.

जिला सवाई माधोपुर में उन्नत बीज बोने का लक्ष्य

64. श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला सवाई माधोपुर में इस वर्ष कितने नये उन्नत बीज बोने का लक्ष्य तय किया गया था ?

(2) जिले की प्रत्येक तहसील से किस-किस किस्म का कितना-कितना बीज मांगा गया था ? तहसीलवार कितना-कितना दिया गया है तथा किस संस्था द्वारा उन्नत बीज की खरीद की गई है ?

(3) क्या यह सही है कि उन्नत बीज केवल सहकारी संस्थाओं द्वारा या लाइसेन्स-धारी दुकानदार ही बेच सकता है ? यदि हां, तो क्या इसका पालन किया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम कुण्डेरा, तहसील सवाईमाधोपुर में फर्जी बीज बेचने वालों के विरुद्ध कोई शिकायत आई है ? यदि हां, तो अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर में इस वर्ष (1980–81) में फसलवार बीज बोने के निम्नलिखित लक्ष्य तय किये गये:–

खरीफ

शंकर बाजरा–बीज–104	700 क्वि.
,, ज्वार–सी. एच. एस. 5	25 ,,
शंकर मक्का–गंगा–	7.5 क्वि.
धान–रतना	30 ,,
मूंगफली–एम–13	150 ,,

रबी

गेहूं कल्याण सोना	2500 क्वि.
गेहूं सोनालिका	400 ,,
गेहूं राज–821	750 ,,
गेहूं डब्लू.एल.–711	400 ,,
गेहूं आई.डब्लू.सी–72	200 ,,
योग :–	4500 ,,
जौ-आर डी. बी-1	50 क्वि
चना-सी-235	250 ,,
चना बी–130	50 ,,
योग :–	300 ,,
सरसों-डी-६ ७	40 ,,

(2) तहसीलवार बीज की मांग व तदनुसार वितरण की तालिका सदन की मेज पर परिशिष्ट "अ" एवं "ब" में रख दी गई है। वितरित बीज राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा क्रय किया गया।

(3) राजस्थान राज्य बीज निगम सहकारी संस्थाओं व अपने पंजीकृत विक्रेताओं के माध्यम से ही बीज देता है। बीज एक्ट में लाइसेन्स लेने का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) कृषि विभाग को इस संबंध में कोई शिकायत सीधी नहीं की गई। किन्तु श्री बजरंग लाल निवासी ग्राम कुण्डेरा ने दिनांक 30-6-80 को सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, सवाई माधोपुर को एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर बाजरे का खराब बीज दिये जाने की सूचना दी गई जिसकी सूचना जिला कृषि अधिकारी, सवाई माधोपुर के माध्यम से विभाग को प्राप्त होने पर विभाग ने दिनांक 1-7-80 को उक्त शिकायत की जांच कराई। जांच करने पर यह तथ्य सामने आया कि शिकायतकर्ता श्री बजरंग लाल को राजस्थान राज्य बीज निगम अथवा उसके अधिकृत व्यापारी सवाई माधोपर द्वारा कोई बाजरे का बीज नहीं दिया गया था वरन् उसे लगभग 1½ किलो बाजरा बीज उक्त समिति के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री रामफल जाट द्वारा अन्य स्रोत से प्राप्त कर दिया गया। जिसका समिति के अभिलेख में कोई इन्द्राज नहीं है। यह तथ्य सामने आने पर उक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा श्री बजरंग लाल को उनके द्वारा दी गई राशि लौटा दी तथा विभाग के कर्मचारी द्वारा उक्त बीज नष्ट कर दिया गया। श्री रामफल जाट, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का अधिकार सहकारी समिति, कुण्डेरा में ही निहित है।

(कृषि मंत्री)

वर्ष 1980-81 में उन्नत बीजों को मांग व वितरण जिला सवाई माधोपुर (राज.) खरीफ 1980

नाम पं. सं.	बीज बाजरा बी जे-104				ज्वार सी एच एस-5			
	लक्ष्य	प्राप्ति			लक्ष्य	प्राप्ति		
		रा.रा.बी.	अन्य	योग		रा.रा.बी.	अन्य	योग
स. माधोपुर	60	40	15.27	55.27	5	3.60	–	3.60
खण्डार	30	20	5	25	15	4	–	4
बौंली	45	30	10	40	5	–	–	–
बामनवास	20	3	15	18	–	.32	.50	.82
नादौती	20	7.50	19.50	27	–	–	–	–
सपोटरा	35	5	27	32	–	–	–	–
गंगापुर	65	15.20	38	53.20	–	.68	–	.68
करौली	50	–	45	45	–	–	–	–
हिण्डौन	150	5.70	174.80	180.50	–	–	–	–
महुवा	125	–	160	160	–	–	–	–
टोडाभीम	100	–	140	140	–	–	–	–
योग जिला	700	125.70	650.27	775.97	25	8.60	.50	9.10

मक्का गंगा-5				धनरतना				मूंगफली एम–13			
लक्ष्य	प्राप्ति			लक्ष्य	प्राप्ति			लक्ष्य	प्राप्ति		
	रा.रा.बी	अन्य	योग		रा.रा.बी.	अन्य	योग		रा.रा.बी.	अन्य	योग
–	–	2	2	–	–	–	–	10	8	–	8
–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	–	–
–	–	–	–	3	–	–	–	15	12	–	12
–	–	–	–	15	5.20	8	13.20	15	–	–	–
–	–	–	–	10	3	6	9	–	–	–	–
2.5	–	3	3	–	–	–	–	10	23.90	–	23.90
5	–	4	4	–	–	–	–	50	45	–	45
–	–	2	2	–	–	–	–	10	–	–	–
–	–	2	2	–	–	–	–	25	20	–	20
–	–	2	2	–	–	–	–	15	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.5	–	15	15	30	8.20	15	23.20	150	108.900	–	108.900

उपनिदेशक कृषि (विस्तार)
सवाईमाधोपुर (राज.)

(कृषि मंत्री)

वर्ष 1980-81 में उन्नत बीजों की मांग व वितरण जिला सवाई माधोपुर (राज.) रबी 1980–81
(मात्रा क्वि.)

नाम पं. सं.	गेहूं				जौ				चना				सरसों			
	लक्ष्य	प्राप्ति			लक्ष्य	प्राप्ति			लक्ष्य	प्राप्ति			लक्ष्य	प्राप्ति		
		रा. रा. बी.	अन्य	योग		रा.रा.बी.	अन्य	योग		रा.रा.बी.	अन्य	योग		रा. रा. बी.	अन्य	योग
स. माधोपुर	300	160	68	228	5	–	8	8	20	50	–	50	–	–	3	3
खण्डार	100	95	8	103	5	–	–	–	20	20	–	20	–	–	–	–
बौंली	200	147	40	187	5	–	7	7	60	60	–	60	–	–	1	1
बामनवास	125	48.20	30	78.20	5	–	6	6	15	10	–	10	–	–	4	4
नादौती	125	37	20	57	5	–	8	8	15	20	–	20	–	–	2	2.40
सपोटरा	150	85	60	145	–	–	–	–	30	10	10	20	2	2.60	5	7.24
गंगापुर	350	180	102	282	–	–	6	6	40	30	25	55	8	6	25	31
करौली	350	200	107	307	10	–	–	–	20	50	–	50	–	–	15	15
हिण्डौन	1200	750	850	1600	15	–	2	2	30	150	–	150	15	12.39	55	67.39
महुवा	800	440	575	1015	–	–	–	–	25	50	–	50	10	–	35	35
टोडाभीम	800	360	475	835	–	–	–	–	25	50	–	50	5	–	25	25
योग जिला	4500	2502.20	2335	4837.20	50	–	37	37	300	500	35	535	40	20.99	170	190.99

उपनिदेशक कृषि (विस्तार)
सवाई माधोपुर (राज.)

टौंक औद्योगिक क्षेत्र

65. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि टौंक में औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा वर्ष 1972-73 में कर दी गई थी एवं उसमें कुछ धनराशि भी व्यय की गई है ?

(2) यदि हां, तो बीच में ही कार्य बन्द करने के क्या कारण हैं ?

(3) इस औद्योगिक क्षेत्र का विकास कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस क्षेत्र में 13 भू-खण्ड आवंटित किये गये थे, लेकिन इन आवंटित भू-खण्डों में केवल एक ही उद्यमी द्वारा लीज-डीड निष्पादन करवाई गई। अतः उद्यमियों द्वारा उत्साह नहीं दिखाये जाने के कारण विकास कार्य रोकना पड़ा।

(3) अब यह निर्णय लिया गया है कि 25 उद्यमियों द्वारा विकास शुल्क की 25 प्रतिशत राशि जमा कराने एवं लीज डीड निष्पादित करवाने के पश्चात् इस क्षेत्र का विकास कार्य प्रारम्भ किया जावे। इस क्षेत्र के विकास के लिए रु 11,81,500.00 की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है। साथ ही जिला उद्योग अधिकारियों द्वारा विकास शुल्क की 25 प्रतिशत राशि प्राप्त करने व लीज डीड का निष्पादन करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। उपर्युक्त कार्यवाही सम्पन्न होने के पश्चात् टौंक औद्योगिक क्षेत्र में विकास कार्य प्रारम्भ कर दिये जावेंगे।

गम्भीर नदी बयाना (भरतपुर) का बाढ़ नियन्त्रण हेतु सर्वेक्षण

66. श्री जगन सिंह (बयाना) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या गम्भीर नदी बयाना का बाढ़ नियंत्रण के संदर्भ में सर्वेक्षण किया गया है ? यदि हां, तो इस संबंध में अग्रेत्तर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार कब तक कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

गंभीर नदी पर बयाना के पास बाढ़ नियंत्रण के सन्दर्भ में बांध बनाने हेतु सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।

(186)

परिशिष्ट-3

अतारांकित प्रश्न संख्या 50 की सूची

चोरी के कुल मुकदमात 1 अप्रेल, 1979 से 31 मार्च, 80 तक का निस्तारण

क्र. सं.	नाम थाना	अवधि में दायर	अदम वकुआ	अदम सबूत	अदम पता बरामद	जेर तफ. नहीं हुए	चालान बरामद संख्या
1.	भीलवाड़ा	190	19	–	127	–	44
2.	सदर	42	5	–	22	–	15
3.	बमेड़ा	43	6	–	19	–	18
4.	माण्डल	50	18	–	17	–	15
5.	अमीरगढ़	29	4	–	13	–	12
6.	शाहपुरा	43	7	1	16	–	19
7.	जहाजपुर	62	14	2	35	–	11
8.	पण्डेर	19	4	1	8	–	6
9	शंकरगढ़	24	7	–	11	–	6
10.	फुलिया	29	6	–	9	–	14
11.	माण्डलगढ़	40	17	–	12	–	11
12.	बिगोद	40	23	–	7	–	10
13.	बिजोलिया	24	5	–	15	–	4
14.	काछोला	14	1	–	8	–	5
15.	कोटड़ी	46	11	–	25	–	10
16.	गंगापुर	41	7	1	18	–	15
17.	रायपुर	23	5	–	4	–	14
18.	करेड़ा	32	7	–	14	–	11
19.	बागोर	23	9	–	3	–	11
20.	गुलाबपुरा	38	6	–	20	1	11
21.	आसिन्द	35	8	–	9	–	18
22.	बदनौर	29	3	–	12	–	14
23.	शम्भूगढ़	14	5	–	3	–	6
	योग	930	197	5	427	1	300

चोरी के कुल मुकदमात 1 अप्रेल, 1980 से 31 जनवरी, 1981 तक का निस्तारण

क्र. सं.	नाम थाना	अवधि में दायर	अदम वकुआ	अदम सबूत	अदम पता जैर बरामद	तफ. नहीं हुए	चालान
1.	भीलवाड़ा	132	16	—	59	8	49
2.	सदर	26	8	—	12	3	3
3.	बनेड़ा	35	4	—	15	2	14
4.	माण्डल	52	13	—	18	2	19
5.	अमीरगढ़	32	7	—	13	1	11
6.	शाहपुरा	28	2	—	16	2	8
7.	जहाजपुर	32	3	1	9	5	14
8.	पण्डेर	23	9	—	7	—	7
9.	शंकरगढ़	16	2	—	6	1	7
10.	फुलिया	16	2	—	7	—	7
11.	माण्डलगढ़	35	9	—	3	8	15
12.	बिगोद	31	—	—	17	6	8
13.	बिजोलिया	27	2	—	13	1	11
14.	काछोला	12	2	—	5	1	4
15.	कोटड़ी	32	5	—	9	3	15
16.	गंगापुर	49	10	1	15	1	22
17.	रायपुर	18	5	—	3	3	7
18.	करेड़ा	15	3	—	6	2	4
19.	बागौर	17	4	—	4	3	6
20.	गुलाबपुरा	34	11	—	8	1	14
21.	आसिन्द	28	7	—	9	1	11
22.	बदनौर	13	4	—	5	1	3
23.	शम्भूगढ़	15	3	—	5	1	6
	योग	718	131	2	264	56	265

परिशिष्ट–4

अतारांकित प्रश्न संख्या 51 की सूचना

सूची चोरी एवं नकबज़नी के अभियोग जिनमें वर्ष 1980 एवं जनवरी, 1981 में बरामदगी नहीं हुई। थानेवार जिला–बीकानेर

क्र. सं.	मुकदमा नं. तारीख जुर्म	रिपोर्टकर्ता का नाम	चोरी गई सम्पत्ति की कीमत
1	2	3	4
1.	एफ. आई. आर. नं. 24, दिनांक 24-4-80, धारा 379 आई. पी. सी.	श्री बाबूराम पुरोहित, निवासी थावनी	4000/– अदम पतामाल मुलजिम।
2.	एफ.आई.आर. नं. 29 दिनांक 3-5-80, धारा 381 आई.पी.सी.	श्री सोहनलाल तंवर, नया कुआ, बीकानेर	4800/– अदम सबूत
3.	एफ.आई.आर. नं. 44, दिनांक 22-5-80, धारा 457, 380 आई.पी.सी.	श्री मोहम्मद इस्माइल मास्टर, सादूल, स्कूल, बीकानेर	1155/– अदम पता माल मुलजिम
4.	एफ.आई.आर. नं. 66 दिनांक 4-9-80 धारा 380 आई.पी.सी.	श्री भंवरलाल सेवग, मोहल्ला नाहरान, बीकानेर	450/– "
5.	एफ.आई.आर. नं. 74, दिनांक 12-9-80, धारा 380 आई.पी.सी.	श्री गोपालदास सेवग, मोहल्ला रागड़ी चौक, बीकानेर	400/– "
6.	एफ.आई.आर. नं. 84 दिनांक 27-10-80, धारा 454, 380 आई.पी.सी.	श्री शोकत अली तेली, मो. कोतवाली के पीछे बीकानेर	1200/– "
7.	एफ.आई.आर. नं. 80, दिनांक 5-11-80, धारा 379 आई.पी.सी.	श्री रघुनाथसिंह चौहान, एक्स.ईएन, आर.सी.पी, बीकानेर	20,000/– "
8.	एफ.आई.आर. नं. 94, दिनांक 14-11-80, धारा 379 आई.पी.सी.	श्री शंकरलाल सोनी, पो. सुनारान, बीकानेर	20,000/–माल बरामद हुआ अदम पता मुलजिम

1	2	3	4	
		पी एस कोट गेट		
9.	एफ.आई.आर. नं. 8 दिनांक 20-1-80, धारा 380 आई.पी.सी.	श्री बाबूलाल	1500/–	अदम पता मुलजिम
10.	एफ.आई.आर. नं. 11, दिनांक 25-1-80, धारा 457, 380 आई.पी.सी.	श्री चन्द्रप्रकाश	429/–	,,
11.	एफ.आई.आर. नं. 18, दिनांक 10-2-80, धारा 379 आई.पी.सी.	श्री विजय मूली	250/–	,,
12.	एफ.आई.आर. नं. 21 दिनांक 13-2-80, धारा 457, 380 आई.पी.सी.	श्री मुरलीधर	1500/–	,,
13.	एफ.आई.आर. नं. 22, दिनांक 14-2-80, धारा 379 आई.पी.सी.	श्री सुन्दर लाल	400/–	,,
14.	एफ.आई.आर. नं. 58, दिनांक 11-3-80, धारा 457, 380 आई.पी.सी.	श्री अब्दुल शकूर	1826/–	,,
15.	एफ.आई.आर. नं. 67, दिनांक 16-3-80, धारा 457, 380 आई.पी.सी.	श्री अश्विनी कुमार	75/–	,,
16.	एफ.आई.आर. नं. 84, दिनांक 28-3-80, धारा 379 आई.पी.सी.	सहायक बैंक मैनेजर, ओरियंटल फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेन्स कं. लि., बीकानेर	150/–	,,
17.	एफ.आई.आर. नं. 85, दिनांक 28-3-80, धारा 379 आई.पी.सी.	श्री जयपाल सिंह	850/–	,,

1	2	3		4
18.	एफ.आई.आर. नं 94, दिनांक 6-4-80, धारा 379 आईपी.सी.	श्री ज्योति प्रकाश	10,000/-	अदम पता मुलजिम
19.	एफ.आई.आर. नं. 95, दिनांक 8-4-80, धारा 457, 380 आई.पी.सी.	श्री सूरजमल	500/-	,,
20.	एफ.आई.आर. नं. 101, दिनांक 14-4-80, धारा 380 आई.पी.सी.	मुख्य डाकपाल, बीकानेर	200/-	,,
21.	एफ.आई.आर. नं. 104, दिनांक 17-4-80, धारा धारा 457 आई.पी.सी.	प्रधानाध्यापिका, राज. उच्च मा. बालिका वि., राजी बाजार, बीकानेर	—	,,
22.	एफ.आई.आर. नं. 114, दिनांक 1-5-80, धारा 379 आई.पी.सी.	श्री किशन कुमार	5000/-	अदम पता माल, मुलजिमान
23.	एफ.आई.आर. नं. 129, दिनांक 15-5-80, धारा 457, 380 आई.पी.सी.	श्री राधेश्याम	1237.90	,,
24.	एफ.आई.आर. नं. 139, दिनांक 23-5-80, धारा 379 आई.पी.सी.	श्री मनोहरलाल	40/-	,,
25.	एफ.आई.आर. नं. 140, दिनांक 23-5-80, धारा 457, 380 आई.पी.सी.	श्री राजेश कुमार	800/-	,,
26.	एफ.आई.आर. नं. 146, दिनांक 8-6-80, धारा 454 आई.पी.सी.	श्री भानूसिंह	—	,,
27.	एफ.आई.आर. नं. 155, दिनांक 19-6-80, धारा 379 आई.पी.सी.	श्री जितेन्द्रपालसिंह	200/-	,,

1	2	3	4	
28.	एफ.ग्राई.ग्रार. नं. 157, दिनांक 22-6-80, धारा 454 ग्राई.पी.सी.	श्री शकूराम	—	अदम पता मुलजिम
29.	एफ.ग्राई.ग्रार. नं. 172, दिनांक 1-7-80, धारा 457, 380, ग्राई.पी.सी.	निरीक्षक देवस्थान विभाग, बीकानेर	25/-	"
30.	एफ.ग्राई.ग्रार. नं. 176, दिनांक 2-7-80, धारा 380, ग्राई.पी.सी.	श्री सईद खां	10,020/-	"
31.	एफ.ग्राई.ग्रार. नं. 188, दिनांक 14-7-80, धारा 454, 380, ग्राई.पी.सी.	श्री करतारसिंह	पारचात	"
32.	एफ.ग्राई.ग्रार. नं. 197, दिनांक 25-7-80, धारा 454, 380, ग्राई.पी.सी.	मु. खातून	पारचात व जेवरात	"
33.	एफ.ग्राई.ग्रार. नं. 204, दिनांक 1-8-80, धारा 457, 380, ग्राई.पी.सी.	श्री सीताराम	1500/-	"
34.	एफ.ग्राई.ग्रार. नं. 209, दिनांक 5-8-80, धारा 454, 380, ग्राई.पी.सी.	श्री किशनाराम	1300/-	"
35.	एफ.ग्राई.ग्रार. नं. 213, दिनांक 9-8-80, धारा 379, ग्राई.पी.सी.	श्री मानदान	150/-	"
36.	एफ.ग्राई.ग्रार. नं. 219, दिनांक 11-8-80, धारा 457, 380, ग्राई.पी.सी.	श्री जहूरदीन	150/-	"
37.	एफ.ग्राई.ग्रार. नं. 243, दिनांक 9-9-80, धारा 454, 380, ग्राई.पी.सी.	श्री मूलसिंह	780/-	"

1	2	3		4
38.	एफ.आई.आर. नं. 244, दिनांक 9-9-80, धारा 454, 380, आई.पी.सी.	श्रीमती विमला	390/–	पारचाट व जेवरात
39.	एफ.आई.आर. नं. 255, दिनांक 28-9-80, धारा 454, 380, आई.पी.सी.	मु. चन्द्रा	700/-	"
40.	एफ.आई.आर. नं. 259, दिनांक 2-10-80, धारा 454, 457, 380, आई.पी.सी.	श्री राजाराम	50/-	"
41.	एफ.आई.आर. नं. 267, दिनांक 15-10-80, धारा 454, 457, 380 आई.पी.सी.	श्री साधूसरण	--	"
42.	एफ.आई.आर. नं. 271, दिनांक 16-10-80, धारा 457 आई.पी.सी.	श्री बनवारीलाल	--	"
43.	एफ.आई.आर. नं. 278, दिनांक 28-10-80, धारा 379 आई.पी.सी.	श्री जयनारायण	200/–	अदम पता माल मुलजिम
44.	एफ.आई.आर.नं. 287, दिनांक 5-11-80 धारा 379 आई.पी.सी.	प्रिन्सीपल, रामपुरिया कालेज, बीकानेर।	3200/–	" "
45.	एफ.आई.आर. नं. 293, दिनांक 13-11-80, धारा 379 आई.पी.सी.	श्री गोपालसिंह	386.16/–	"
46.	एफ.आई.आर. नं. 298, दिनांक 16-11-80, धारा 379 आई.पी.सी.	श्री राजकुमार	4000/–	"
47.	एफ.आई.आर. नं. 302 दिनांक 21-11-80, धारा 457, 380, आई.पी.सी.।	श्री अल्ताब अहमद	400/–	"

1	2	3	4
48.	एफ. आई. आर. नं. 314, दिनांक 4-12-80, धारा 454, 380 आई. पी. सी.	श्री दयालचन्द पारचात वगैरह	अदमपता माल मुलजिम
49.	एफ. आई. आर. नं. 315, दिनांक 4-12-80 धारा 379 आई. पी. सी.	श्री महेशचन्द्र 150/-	,,
50.	एफ. आई. आर. नं. 322, दिनांक 12-12-80, धारा 457, 380 आई. पी. सी.	श्री श्यामसुन्दर 400/-	,,
51.	एफ. आई. आर. नं. 324, दिनांक 13-12-80, धारा 457, 380 आई. पी. सी.	श्री रघुनाथ सिंह 300/-	,,
52.	एफ. आई. आर. नं. 335, दिनांक 23-12-80, धारा 379 आई. पी. सी.	श्री योगेश्वर प्रसाद 200/-	,,
53.	एफ. आई. आर. नं. 1, दिनांक 1-1-81, धारा 379, 457 आई. पी. सी.	श्री प्रेमदत्त —	अदम पता मुलजिम
54.	एफ. आई. आर. नं. 13, दिनांक 17-1-81, धारा 457, 380 आई. पी. सी.	श्री फूसाराम ,,	,,
55.	एफ. आई. आर. नं. 14, दिनांक 18-1-81, धारा 454, 380 आई. पी. सी.	श्री हेतराम 30857.33/-	,,

1	2	3	4	
56.	एफ. आई. आर. नं. 22, दिनांक 27-1-81, धारा 457, 380 आई. पी. सी.	श्री अल्ताफ अहमद	350/-	अदम पता मुलजिम
57.	एफ. आई. आर. नं. 28, दिनांक 2-2-81, धारा 457, 380 आई. पी. सी.	श्री प्रेमरतन	पारचात	,,

<u>पी एस सदर</u>

1	2	3	4	
58.	एफ. आई. आर. नं. 8, दिनांक 12-1-80, धारा 379 आई. पी. सी.	श्री हरीकृष्ण, व. लि. एस. पी. आफिस, बीकानेर	388/-	,,
59.	एफ. आई. आर. नं. 9, दिनांक 13-1-80, धारा 379 आई. पी. सी.	श्री कमलनारायण पंजाबी, धोबी तलाई, बीकानेर	5000/–माल बरामद अदम पता मुलजिम	
60.	एफ. आई. आर. नं. 10, दिनांक 17-1-80, धारा 457, 380 आई. पी. सी.	श्री मानाराम, धोबी तलाई, बीकानेर	250/–अदम पता माल मुलजिम	
61.	एफ. आई. आर. नं. 12, दिनांक 24-1-80, धारा 457, 380 आई. पी. सी.	श्री जमालुददीन, अमरसर कुवा, बीकानेर	2000/-	,,
62.	एफ. आई. आर. नं. 15, दिनांक 30-1-80, धारा 380 आई. पी. सी.	श्री एस. के. खत्री, ए.ई.एन., यान्त्रिक, बीकानेर	5000/-	,,
63.	एफ. आई. आर. नं. 16, दिनांक 30-1-80, धारा 454, 380 आई. पी. सी.	श्री सुरेन्द्र कुमार मिश्रा नि. लक्ष्मणगढ़	2370/	,,

1	2	3	4
64.	एफ. आई. आर. नं. 19, दिनांक 7-2-80, धारा 379 आई. पी. सी.	श्री मुरारीलाल ओडिट स. स. समितियां, बीकानेर	500/- अदम पता मुलजिम
65.	एफ.आई.आर. नं. 17, दिनांक 1-2-80, धारा 379 आई. पी. सी.	श्री रमेशसिंह, जे.ई.एन., यूटीटी, बीकानेर	400/- बरामद 200/- अदम पता माल मुलजिम
66.	एफ. आई. आर. नं. 20, दिनांक 11-2-80, धारा 354 आई. पी. सी.	श्री नथमल, व.लि.,रा. उद्यान, बीकानेर	— ,,
67.	एफ. आई. आर. नं. 37, दिनांक 13-3-80, धारा 380 आई. पी. सी.	आगार प्रबन्धक, बीकानेर	5000/- ,,
68.	एफ. आई. आर. नं. 40, दिनांक 20-3-80, धारा 380 आई. पी. सी.	श्री नेमीचन्द बलाई छात्र वेटेनरी कालेज, बीकानेर	275/ बरामद 275/- अदम पता मुलजिमान
69.	एफ. आई. आर. नं. 42, दिनांक 21-3-80, धारा 454, 457, 380 आई. पी. सी.	श्री एस. चटर्जी, डेयरी फेडरेशन, बीकानेर	1000/- अदम पता मुलजिम
70.	एफ. आई. आर. नं. 43, दिनांक 21-3-80, धारा 380 आई. पी. सी.	श्री रामदयाल माली, नथूसरवास, बीकानेर	135/- ,,
71.	एफ. आई. आर. नं. 46, दिनांक 23-3-80, धारा 380 आई. पी. सी.	श्री मेघराज, जे.ई.एन. हाऊसिंग बोर्ड, बीकानेर	100/- ,,
72.	एफ. आई. आर. नं. 53, दिनांक 27-3-80, धारा 379 आई. पी. सी.	श्री तेजकरण, पेशकार जिलाधीश, बीकानेर	3800/- बरामद 3800/- अदम पता मुलजिम
73.	एफ आई आर नं. 54, दिनांक 5-4-80, धारा 379 आई. पी. सी.	श्री गुमानमल, नागणेजी कालोनी	500/- ,,

196

1	2	3	4
74.	एफ. आई. आर. नं. 55, दिनांक 7-4-80 धारा 380 आई. पी. सी.	श्री मतराम, आर.सी.पी., बीकानेर	218/– अदम पता मुलजिम
75.	एफ. आई. आर. नं. 57, दिनांक 8-4-80, धारा 380 आई. पी. सी.	श्री सुरेन्द्रनारायण, इन्स-पेक्टर वायरलेस आर.सी.पी., बीकानेर	200/– बरामद 60/– अदम-पता मुलजिम
76.	एफ. आई. आर. नं. 69, दिनांक 27-4-80 धारा 457, 380 आई. पी. सी.	श्री रघुनाथसिंह, पुरानी गिनाणी, बीकानेर	250/–अदम पता माल मुलजिम
77.	एफ. आई. आर. नं. 70, दिनांक 29-4-80 धारा 457, 380 आई. पी. सी.	श्री गिरधारीलाल, इन्द्रा कालोनी, बीकानेर	450/ बरामद 450/– अदम पता मुलजिम
78.	एफ. आई. आर. नं. 73, दिनांक 9-5-80 धारा 457, 380 आई. पी. सी.	श्री केसूराम, सुभाषपुरा, बीकानेर	पारचात वगैराह ,,
79.	एफ. आई. आर. नं. 74, दिनांक 11-5-80, धारा 379 आई. पी. सी., 25 टी एक्ट	जे.ई. एन. साउथ, बीकानेर	230/– ,,
80.	एफ. आई. आर. नं. 78 दिनांक 29-5-80 धारा 380 आई. पी. सी.	श्री आनंद कुमार, चौतीना कुवा, बीकानेर	551– ,,
81.	एफ. आई. आर. नं. 80, दिनांक 29-5-80 धारा 454, 380 आई. पी. सी.	श्री जगमालसिंह, भुट्टों के कुए के पास, बीकानेर	2000/5 ,,
82.	एफ. आई. आर. नं. 85, दिनांक 2-6-80, धारा 380 आई. पी. सी.	श्री रामसिंह, चौकीदार, वेटेनरी कालेज, बीकानेर	350/– बरामद 350/– अदम पता मुलजिम
83.	एफ. आई. आर. नं 86, दिनांक 4-6-80, धारा 380 आई. पी. सी.	श्री जयसिंह, एक्स. इ. एन., आर सी. पी., बीकानेर	4000/–बरामद 4,000/– अदम पता मुलजिम

1	2	3	4
84.	एफ. आई. आर. नं. 88, दिनांक 6-6-80, धारा 379, 380 आई. पी. सी.	श्री योगेन्द्रपाल पुरानी गिनाणी, बीकानेर	200/–अदम पता माल मुलजिम
85.	एफ. आई. आर. नं. 89 दिनांक 6-6-80, धारा 457, 380 आई. पी. सी.	श्री प्यारासिंह मैकेनिक आर. सी. पी. वर्कशाप, बीकानेर	225/– ,,
86.	एफ. आई. आर. नं. 94, दिनांक 20-6-80, धारा 379 आई. पी. सी.	श्रीमती नीता मेहता, सादुलगंज, बीकानेर	पारचात ,,
87.	एफ. आई. आर. नं. 106 दिनांक 24-7-80, धारा 379 आई. पी. सी.	श्री जयशंकर सिंह, लाइनमैन, बीकानेर	500/– ,,
88.	एफ. आई. आर. नं. 91, दिनांक 17-6-80, धारा 379 आई. पी. सी.	श्री चौथमल अग्रवाल, पुलिस लाइन के सामने	2000/–बरामद 2000/ अदम पता मुलजिम
89.	एफ. आई. आर. नं. 108, दिनांक 27-7-80, धारा 379 आई. पी. सी.	श्री बसीर अहमद रानी बाजार, बीकानेर	500/– ,,
90.	एफ. आई. आर. नं 113, दिनांक 3-8-80, धारा 454, 380 आई. पी. सी.	श्री मनोहरसिंह चूड़ीजी धर्मशाला के पीछे, बीकानेर	800/– ,,
91.	एफ. आई. आर. नं 118, दिनांक 17-8-80	श्री फूसाराम चोधरी, बीकानेर	240/- ,,
92.	एफ. आई. आर. नं. 121, दिनांक 20-8-80, धारा 379 आई. पी. सी.	श्री भूपेन्द्रसिंह, रेल्वे फाटक के पास, बीकानेर	1500/– ,,
93.	एफ. आई. आर. नं. 125, दिनांक 28-8-80, धारा 379 आई. पी. सी.	श्री रमेशकुमार, आचार्यों का चौक, बीकानेर	2600/– ,,

1	2	3	4
94.	एफ. आई. आर. नं. 128, दिनांक 30-8-80, धारा 379 आई. पी. सी.	श्री सतीशचन्द्र, रेडियोलाजिस्ट पी.बी.एम. अस्पताल, बीकानेर	7000/– अदमपता माल मुलजिम
95.	एफ. आई. आर. नं. 129, दिनांक 3-9-80, धारा 457 आई. पी. सी.	श्री मोहनसिंह, डीन, वेटेनरी कालेज, बीकानेर	,, ,,
96.	एफ. आई. आर. नं 131, दिनांक 6-9-80, धारा 453,380 आई. पी. सी.	श्री आलूसिंह, साइल कालोनी, बीकानेर	5000/ ,,
97.	एफ आई आर नं. 132, दिनांक 8-9-80, धारा 379 आई. पी. सी.	श्री विजयसिंह, जेइटी साउथ, बीकानेर	250/– ,,
98.	एफ. आई. आर. नं. 135, दिनांक 12-9-80, धारा 379 आई. पी. सी.	श्री ओमप्रकाश जाट, नि. गणेशगढ़	54,000/- बरामद 54,000/– ,,
99.	एफ. आई. आर. नं. 137, दिनांक 21-9-80, धारा 457, 380 आई. पी. सी.	श्री अमर सिंह	650/– अदम पता माल मुलजिम
100.	एफ. आई. आर. नं. 147, दिनांक 13-10-80, धारा 379 आई. पी. सी.	श्री मथार सोहन काठी, बीकानेर	7000/– ,,
101.	एफ. आई. आर. नं 146, दिनांक 16-10-80, धारा 457, 380 आई.पी.सी.	श्री रामप्रकाश सी.ए.डी., आर.सी.पी., बीकानेर	680/– ,,
102.	एफ. आई. आर. नं. 149, दिनांक 16-10-80, धारा 379 आई. पी. सी.	श्री वशीर अहमद, रानी बाजार, बीकानेर	1500/– ,,
103.	एफ. आई. आर. नं. 150, दिनांक 15-10-80, अ. धारा 457, 380, आई. पी. सी.	श्री अनुमानदास, सुभाषपुरा, बीकानेर	425/– ,,

1	2	3	4
104.	एफ. आई. आर. नं 152, दिनांक 18-10-80, अ. धारा 457, 380 आई. पी. सी.	श्री मोती खां, मो. भुट्टान, बीकानेर	517/–अदम पता-मुलजिम
105.	एफ. आई. आर. नं. 156, दिनांक 22-10-80, धारा 379 आई. पी. सी.	श्री देवीसिंह जमादार, लालगढ़ पैलेस, बीकानेर	75/– ,,
106.	एफ. आई. आर. नं. 157, दिनांक 24-10-80, धारा 379 आई. पी. सी.	श्री राजेन्द्र मित्तल, रानी बाजार, बीकानेर	7000/– बरामद 6500/–
107.	एफ. आई. आर. नं. 166, दिनांक 10-11-80, अ. धारा 457, 380 आई. पी. सी.	श्री छतूलाल, रानीबाजार, बीकानेर	1000/– ,,
108.	एफ. आई. आर. नं. 168, दिनांक 12-11-80, धारा 379 आई. पी. सी.	श्री शिव शंकर, गंगाशहर	1800/-अदम पता माल मुलजिम
109.	एफ. आई. आर. नं. 169, दिनांक 14-11-80, धारा 379 आई. पी. सी.	श्री नरसिंह, बारह गवाड, बीकानेर	3000/- ,,
110.	एफ. आई. आर. नं. 180, दिनांक 19-12-80, धारा 379 आई. पी. सी.	श्री सुभाष राज, विजय कॉलोनी, बीकानेर	4000/- बरामद 4000/- अदम पता मुलजिम
111.	एफ. आई. आर. नं. 181, दिनांक 29-12-80, धारा 457, 380 आई. पी. सी.	श्री नित्यानंद, चपरासी, लेबर, कोर्ट, बीकानेर	250/-अदम पता माल मुलजिम
112.	एफ. आई. आर. नं. 2, दिनांक 1-1-81, धारा 457, 380 आई. पी. सी.	श्री प्यारेलाल, व्यास कॉलोनी, बीकानेर	1800/- ,,

1	2	3	4
113.	एफ. आई. आर. नं. 3, दिनांक 2-1-81, धारा 379 आई. पी. सी.	अधीक्षक, आई. टी. आई., बीकानेर	2500/-बरामद 2500/- अदम पता मुलजिम
114.	एफ. आई. आर. नं. 7, दिनांक 5-1-81, धारा 379 आई. पी. सी. टी. एक्ट	श्री यशवंत सिंह, लाइन मैन पी. एण्ड टी., बीकानेर	200/- ,,
		पी. एस. नया शहर	
115.	एफ. आई. आर. नं. 11, दिनांक 25-1-80, धारा 457, 380 आई. पी. सी.	श्री देवीसिंह जवाहर, बीकानेर	250/- ,,
116.	एफ. आई. आर. नं. 35, दिनांक 13-4-80, धारा 457, 380 आई. पी. सी.	श्री डी. एन. सिंह प्रबन्धक, कमेटी कार्य, बीकानेर	500/- ,,
117.	एफ. आई. आर. नं 38, दिनांक 27-4-80, धारा 379 आई. पी. सी.	श्री हरीराम, माणेका गांव	200/- ,,
118	एफ. आई. आर. नं. 43, दिनांक 9-5-80, धारा 457, 380 आई. पी. सी.	श्री गोरखनाथ नथू सरबाज, बीकानेर	200/- ,,
119.	एफ. आई. आर. नं. 45, दिनांक 13-5-80, धारा 457, 380 आई. पी. सी.	श्री रामकुमार, रटानी वालों का चौक, बीकानेर	200/- ,,
120.	एफ. आई. आर. नं. 48, दिनांक 20-5-80, धारा 457, 380 आई. पी. सी.	श्री फूलसिंह, निवासी बीजसठी	150/- ,,
121.	एफ. आई. आर. नं. 52, दिनांक 25-5-80, धारा 457 आई. पी. सी.	श्री आर. के. गोयल, अजमेर	- अदम पता मुलजिम

1	2	3		4
122	एफ.आई.आर. नं. 55, दिनांक 1-6-80, धारा 457, आई.पी.सी.	श्री लूणाराम रेल्वे कॉलोनी, बीकानेर	—	अदम पता मुलजिम
123.	एफ.आई.आर. नं. 58, दिनांक 10-6-80 अन्तर्गत धारा 457, 380, आई.पी.सी.	श्री यासीन रामपुरा, बीकानेर	500/-	अदम पता माल मुलजिम
124.	एफ.आई.आर. नं. 59, दिनांक 10-6-80, धारा 380, आई.पी.सी.	प्रबंधक, विपणन इकाई केन्द्र, बीकानेर	1200/-	अदम पता माल मुल.
125.	एफ.आई.आर. नं. 64, दिनांक 24-6-80, धारा 457, 380, आई.पी.सी.	श्री दामोदरलाल, मसनामक चौक, बीकानेर	100/-	"
126.	एफ.आई.आर. नं. 66, दिनांक 3-7-80, अ. धारा 380, 457, आई.पी.सी.	श्री हुकमाराम पूगल	20,000/-	"
127.	एफ.आई.आर. नं. 85, दिनांक 19-8-80, धारा 379, आई.पी.सी.	श्री विद्याधर पाण्डे ए.ह.एन. बीकानेर	100/-	"
128.	एफ.आई.आर. नं. 88, दिनांक 25-8-80, धारा 454, आई.पी.सी.	श्रीमती चुन्नी मो. जालूसरगेट के बाहर बीकानेर	—	"
129.	एफ.आई.आर. नं. 93, दिनांक 16-9-80, धारा 379, आई.पी.सी.	श्री सिरीशचन्द्र नि. सलीमपुर	300/-	"
130.	एफ.आई.आर. नं. 98, दि. 22-9-80, धारा 457, 380, आई.पी.सी.	श्रीमती लक्ष्मी मो. जालूसरगेट, बीकानेर	175/-	"
131.	एफ.आई.आर. नं. 99, दि. 10-10-80, धारा 457, 380, आई.पी.सी.	श्री रतनलाल, नथूसर वास, बीकानेर	2,000	"

1	2	3	4	
132.	एफ. आई. आर. नं. 102, दि. 17-10-80, धारा 457, 380, आई.पी.सी.	श्री तेजराम, रामपुरावास, बीकानेर	100/-	अदम पता माल मुल.
133.	एफ.आई.आर.नं. 107, दि. 13-11-80, धारा 454, 380, आई.पी.सी.	श्री ठाकुरदास, रेल्वे कालोनी, बीकानेर	6,000/-	,,
134.	एफ.आई.आर.नं. 108, दि. 28-11-80, धारा 454, आई.पी.सी.	श्री नानूराम, नथूसरवास, बीकानेर	–	,,
135.	एफ.आई.आर.नं. 110, दि. 29-11-80, धारा 379, आई.पी.सी.	मु. पार्वती चौसूटी, बीकानेर	1,500/-	,,
136.	एफ.आई.आर.नं. 112, दि. 3-12-80, धारा 457, 380, आई.पी.सी.	श्री आसूराम, जसूसरगेट बाहर, बीकानेर	300/-	,,
137.	एफ.आई.आर. नं. 116, दि. 12-12-80, धारा 457, 380 आई.पी.सी.	श्री कैलाशचन्द, जसूसरगेट, बीकानेर	250/-	,,
138.	एफ.आई.आर.नं. 118, दि. 23-12-80, धारा 454, 380, आई. पी. सी.	श्री रामशरण, जसूसरगेट के बाहर, बीकानेर	500/-	,,
139.	एफ.आई.आर.नं. 119, दि. 29-12-80, धारा 379, आई.पी.सी.	श्री अब्दुल मो. लुहारान, बीकानेर	5,000/-	
140.	एफ. आई. आर. नं. 4, दि. 25-1-81, अन्तर्गत धारा 379, आई.पी.सी.	श्री पूराराम नि. रत्नूदीपा	500/-	,,

1	2	3	4
141.	एफ.ग्राई.ग्रार. नं. 5, दि. 26-1-81, धारा 457, 380, ग्राई.पी.सी.	श्री मूलचंद सोनगिरी कुवा, बीकानेर	400/- अदम पता माल मुल.
142.	एफ.ग्राई.ग्रार. नं. 7, दि. 31-1-81, धारा 379, ग्राई.पी.सी.	एस.ग्राई.ग्रार.पी. एफ., बीकानेर	50/- ,,
143.	एफ.ग्राई.ग्रार. नं. 9, दिनांक 4-2-81, धारा 379, ग्राई.पी.सी.	मेजर जसमेर सिंह रेज.	,,
		पी. एस. देशनोक	
144.	एफ.ग्राई.ग्रार. नं. 29, दि. 25-8-80 धारा, 457, 380, ग्राई.पी.सी.	श्री घेवरचन्द नि. देशनोक	9,000/- ,,
145.	एफ.ग्राई.ग्रार. नं. 30, दि. 2-9-80, धारा 379, ग्राई.पी.सी.	श्री हरिप्रकाश नि. देशनोक	800/- ,,
146.	एफ.ग्राई.ग्रार. नं 32, दि. 23-9-80, धारा 379, ग्राई.पी.सी.	श्री ग्रादाराम नि. पलाना	200/- ,,
		पी. एस. नापासर	
147.	एफ.ग्राई.ग्रार. नं. 62, दि. 27-12-80, धारा 457, 380, ग्राई.पी.सी.	श्री रामनाथ सुनार नापासर	400/- ,,
		पी. एस. जामसर	
148.	एफ.ग्राई.ग्रार. नं. 4, दि. 16-1-80, धारा 457, 380, ग्राई.पी.सी.	श्री बालूराम ब्राह्मण	2,604.25 ,,
149.	एफ.ग्राई.ग्रार. नं. 5, दि. 27-1-80, धारा 457, 380, ग्राई.पी.सी.	श्री सांवतसिंह राजपूत बम्बलू	2,442/- ,,

1	2	3	4	
150.	एफ.ग्राई.ग्रार. नं. 6, दि. 30-1-80, धारा 379, ग्राई.पी.सी.	श्री देवीसिंह चौकीदार, वन विभाग, खारा	65/–	ग्रदम पता माल मुल.
151	एफ.ग्राई.ग्रार. नं. 33, दि. 31-8-80, धारा 454, 380, ग्राई.पी.सी.	श्री शंकरलाल सुथार, खारा	2,000/–	,,
152.	एफ.ग्राई.ग्रार. नं. 37, दि. 14-9-80, धारा 457, 380, ग्राई.पी.सी.	श्री किशनाराम जाट नि. शोलासर	9,000/–	,,
153.	एफ.ग्राई.ग्रार. नं. 51, दि. 6-11-80, धारा 457, 380, ग्राई.पी.सी.	श्री फूलखां मुसलमान नि. नगासर	4,000/–	,,
154.	एफ.ग्राई.ग्रार. नं. 52, दि. 14-11-80, धारा 457, 380, ग्राई.पी.सी.	श्री भजनदास साध नि. जैसलसर	2,500/–	,,
155.	एफ.ग्राई.ग्रार. नं. 53, दि. 19-11-80 धारा 457, 380, ग्राई.पी.सी.	श्री पन्नाराम मेघवाल नि. खींचीया	8,000/–	,,
		पी. एस. लूणकरणसर		
156.	एफ.ग्राई.ग्रार. नं. 42, दि. 13-6-80, धारा 454, 380, ग्राई.पी.सी.	श्री किशोरसिंह राजपूत ग्रारसीपी लूणकरणसर	1,000/–	,,
157.	एफ.ग्राई.ग्रार. नं. 44, दि. 22-6-80, धारा 379, ग्राई.पी.सी.	श्री किशनलाल जेईएन सीपीएएफ, हंसरा	तीन पाइप लोहा	,,
158.	एफ.ग्राई.ग्रार. नं. 51, दिनांक 13-2-80, धारा 454, 380, ग्राई.पी.सी.	श्री खोतराम ब्राह्मण निवासी मकडासस	5,450/–	ग्रदम पता माल मुलजिम

(205)

1	2	3	4
159.	एफ. आई. आर. नं. 77, दिनांक 14-10-80, धारा 379, आई. पी. सी.	श्री कुम्भाराम जाट नि. बंधा	रेडियो व ऊनी कम्बल
		पी. एस. महाजन	
160.	एफ. आई. आर. नं. 2, दिनांक 21-1-80, धारा 457, 380, आई. पी. सी.	श्री गोविन्दराम स्वामी नि. अर्जुनसर	1200/- ,,
161.	एफ. आई. आर. नं. 4, दिनांक 8-2-80, धारा 379, आई. पी. सी.	श्री आतिक खां मुसलमान नि. महाजन	4000/- ,,
162.	एफ. आई. आर. नं. 14, दिनांक 14-6-80, धारा 379, आई. पी. सी.	श्री लाधूसिंह राजपूत गुडा	1500/- बरामद 900/-
163.	एफ. आई. आर. नं. 17, दिनांक 16-7-80,	श्री रामलाल जाट नि. महाजन	100/- ,,
		पी. एस. छतरगढ़	
164.	एफ.आई.आर.नं. 17, दिनांक 20-4-80, धारा 379, आई. पी. सी.	श्री अमराराम मेट सीएडी तबला	125/- ,,
165.	एफ.आई.आर नं. 19, दिनांक 10-5-80, धारा 457,380, आई. पी. सी.	श्री भालेखां मुसलमान निवासी खारकाली	300/- ,,
166.	एफ.आई.आर. नं. 21, दिनांक 30-5-80, धारा 457, 380, आई. पी. सी.	श्री महेन्द्रप्रकाश लाल आर. सी. पी. छतरगढ़	3000/- ,,
167.	एफ. आई. आर. नं. 28, दिनांक 22-6-80, धारा 379, आई. पी. सी.	श्री रामेश्वरदयाल फोरेस्ट गार्ड छतरगढ	600/- ,,

1	2	3	4	
168.	एफ.ग्राई.ग्रार. नं. 33, दिनांक 26-7-80, धारा 379, ग्राई.पी.सी.	श्री मेजरसिंह जे.इ.एन.वाटर वर्क्स छतरगढ	350/–	बरामद
169.	एफ.ग्राई.ग्रार. नं. 51, दिनांक 14-10-80, धारा 379, ग्राई.पी.सी.	श्री चन्द्रसिंह वनरक्षक 440 ग्रार.डी.ग्रार.एम.सी.	1500/–	"
		पी.एस.पूगल		
170.	एफ.ग्राई.ग्रार. नं. 1, दिनांक 1-1-80, धारा 379, ग्राई.पी.सी.	श्री धर्मपालसिंह क्षेत्रीय वन ग्रधिकारी खजूवाला	1000/–	"
171.	एफ.ग्राई.ग्रार. नं. 9, दिनांक 21-3-80, धारा 371, ग्राई.पी.सी.	श्री भंवर राजपूत नि. रायसर	18 गाय बैल	
172.	एफ.ग्राई.ग्रार. नं. 18, दिनांक 21-6-80, धारा 379, ग्राई.पी.सी.	श्री फिरोज खां मुसलमान नि. राई	4000/– 4000/–	बरामद ग्रदम पता मुलजिम
173.	एफ.ग्राई.ग्रार. नं. 22, दिनांक 11-7-80 धारा 457, 380, ग्राई.पी.सी.	श्री ग्रशोक कुमार ग्ररोड़ा चक 22 यू.वाई.डी.	650/–	ग्रदम पता माल मुलजिम
174.	एफ.ग्राई.ग्रार. नं. 278, दि. 30–9–80, धारा 457, 380 ग्राई.पी.सी.	हाजी मौजा नि. 12, के.एस.डी.	24000/– 5330/–	बरामद ग्रदम पता मुलजिम
175.	एफ.ग्राई.ग्रार. नं. 39, दि. 16–12–80 धारा 379, ग्राई.पी.सी.	श्री ग्रर्जुनदास क्षेत्र वन ग्रधिकारी 61 ग्रार.डी.	400	ग्रदम पता माल मुलजिमान
		पी. एस. नोखा		
176.	एफ.ग्राई.ग्रार. नं. 12 दि. 25–1–80, धारा 458, 380 ग्राई.पी.सी.	श्री भंवरलाल सुथार नोखामंडी	5000/–	"

1	2	3	4	
177.	एफ.ग्राई.ग्रार.नं. 19, दि. 9-2-80 धारा 457, 390 ग्राई.पी.सी.	श्री किशोरसिंह राजपूत नि. नोखामंडी	269.15	अदम पता माल मुल
178.	एफ.ग्राई.ग्रार.नं. 21, दि. 18-2-80, धारा 457, 380, ग्राई.पी.सी.	श्री गोविन्दराम ब्राह्मण नि नोखामंडी	1100/-	,,
179.	एफ.ग्राई.ग्रार. नं. 37, दि. 12-3-80, धारा 457, 380 ग्राई.पी.सी.	श्री हजारीराम ब्राह्मण उदासर	1270/-	,,
180.	एफ.ग्राई.ग्रार. नं. 57, दि. 2-5-80 धारा 457, 380, ग्राई.पी.सी.	श्री बालूराम विश्नोई मुकाम	90/-	,,
181.	एफ.ग्राई.ग्रार. नं. 88, दि. 14-6-80 धारा 457,380 ग्राई.पी.सी.	श्री टीकूराम ब्राह्मण नि. नोखामंडी	225/-	,,
182.	एफ.ग्राई.ग्रार. नं. 110, दि. 19-7-80 धारा 457, 380 ग्राई.पी.सी.	श्री खुदाबक्स मुसलमान नि. नोखामंडी	500/-	,,
183.	एफ.ग्राई.ग्रार. नं. 131, दि. 11-8-80, धारा 380, ग्राई.पी.सी.	श्री सूरजाराम विश्नोई नि. राणीसर	300/-	,,
184.	एफ.ग्राई.ग्रार. नं. 150, दि. 3-9-80, धारा 379, ग्राई.पी.सी.	श्री हरिप्रसाद जे.इ.एन. ग्रार.एस.ई.बी. बीकानेर	1400/-	,,
185.	एफ.ग्राई.ग्रार. नं. 211, दि. 4-12-80, धारा 458, 380, ग्राई.पी.सी.	श्री वृजमोहन सैनी नि. नोखामंडी	35000/-	,,
186.	एफ.ग्राई.ग्रार. नं. 11, दि. 10-1-81, धारा 457, 380 ग्राई.पी.सी.	श्री फगूनाथ स्वामी मकासर	500/-	,,

1	2	3	4
187.	एफ. आई. आर. नं. 19, दि. 25–1–81, धारा 380, आई. पी. सी.	श्री त्रिलोकीदास मेघवाल नि. नोखामंडी	250/– अदम पता माल मुन.
188.	एफ. आई. आर. नं. 20, दि. 26–1–81 धारा 457, 380, आई. पी. सी.	श्री दुलजी स्वामी नि. नोखामंडी	1250/– "
		पी. एस. गजनेर	
189.	एफ. आई. आर. नं. 10, दि. 12–3–80 धारा 457, 380. आई. पी. सी.	मु. सरस्वती देवी माली नि. कोलायत	1600/– "
190.	एफ. आई. आर. नं. 19, दि. 26–4–80 धारा 457, 380, आई. पी. सी.	श्री गोपाल दास साध नि. कोलायत	1800/– "
191.	एफ. आई. आर. नं. 41, दि. 30-4-80, धारा 380, आई. पी. सी.	श्री मोडाराम मेघवाल नि. बोडमदेसर	1500/- "
192.	एफ. आई. आर. न. 15, दि. 24-4-80 धारा 379 आई. पी. सी.	श्री मोडाराम	1400/- "
		पी. एस. बज्जू	
193.	एफ. आई. आर. नं. 20, दि 19-6-80 धारा 379 आई. पी. सी.	श्री देवेन्द्र कुमार जे. इ. एन. आर. सी. पी.	18 प्लास्टिक पाइप "
		पी. एस. गंगाशहर	
194.	एफ. आई. आर. नं. 6, दि. 15-2-80	हजारीराम ब्राह्मण नि. गंगाशहर	21475/- "
195.	एफ. आई. आर. नं. 7, दि. 17-2-80, धारा 457, 380, आई. पी. सी.	श्री भंवरसिंह यादव, उदयरामसर	2845/- "

1	2	3	4
196.	एफ. आई. आर. नं. 10, दि 27-2-80, धारा 457, 380, आई. पी. सी.	श्री सुरेश चन्द रेगर नि. शिलाबाड़ी	275/- अदम पता माल मुलजिम
197.	एफ. आई. आर. नं. 19, दि. 18-3-80, धारा 457, 380, आई. पी. सी.	श्री धनराज सेठिया नि. भीनासर	2400 0/- ,,
198.	एफ. आई. आर. नं. 25, दि. 14-4-80, धारा 380, आई. पी. सी.	श्री महावीरसिंह यादव, उदरामसर	300/- ,,
199.	एफ. आई. आर. नं. 27, दि. 6-5-80, धारा 379, आई. पी. सी.	श्री दर्शनसिंह जे. ई. टी, बीकानेर	552/- ,,
200.	एफ. आई. आर. नं. 28, दि. 7-5-80, धारा 457, 380, आई. पी. सी.	श्री चम्पालाल वैद, गंगाशहर	1244-45 ,,
201.	एफ. आई. आर. नं. 29, दि. 11-5-80, धारा	श्री रामचन्द्र सुनार नि. गंगाशहर	2415/-
202.	एफ. आई. आर. नं. 30, दि. 11-5-80, धारा 379 आई. पी. सी.	श्री गोविन्द सिंह क्षेत्रीय वन अधि. कोलायत	968/-
203.	एफ. आई. आर. नं. 33, दि. 24-5-80, धारा 379, आई. पी. सी.	श्री अरुण कुमार सक्सैना क्षेत्रीय डी. डी. पी. बीकानेर	568/-
204.	एफ. आई. आर. नं. 34, दि. 26-5-80, धारा 379, आई. पी. सी.	श्री गोविन्द सिंह क्षेत्रीय वन अधि. कोलायत	484/-
205.	एफ. आई. आर. नं. 47, दि. 10-6-80, धारा 457, 380, आई. पी. सी.	श्री हनुमान मल माली, भीनासर	15000/- ,,

1	2	3	4	
206.	एफ. आई. आर. नं. 37, दि. 7-6-80 धारा 457, 380 आई. पी. सी.	श्री शिवनारायण ब्राह्मण निवासी भीनासर	22315/-	अदम पता माल मुलजिम
207.	एफ. आई. आर. नं. 41, दि. 12-6-80, धारा 457,380, आई. पी. सी.	श्री लक्ष्मीनारायण नाराल भीनासर	10000/-	"
208.	एफ. आई. आर. नं. 51, दि. 17-7-80 धारा, 457,380, आई. पी. सी.	श्री माणक चंद आचार्य, नि. गंगाशहर	235/-	"
209.	एफ. आई. आर. नं. 52, दि. 17-7-80, धारा 457,380, आई. पी. सी.	श्री मोतीसिंह राजपूत उदासर	6456/-	
210.	एफ. आई. आर. नं. 56, दि. 23-7-80, धारा 457, 380, आई. पी. सी.	श्री भंवरलाल बालक करमीसर	2000/-	"
211.	एफ. आई. आर. नं. 62, दि. 14-8-80, धारा 457, 380 आई. पी. सी.	श्री केशराम हरिजन पांडू चौक गंगाशहर	710/-	"
212.	एफ. आई. आर. नं. 63, दि. 18-8-80, धारा 379, आई. पी. सी.	श्री सहायक अभियंता आर. एस.- इ. बी, बीकानेर	325/-	"
213.	एफ. आई. आर. नं. 64, दिनांक 26-8-80, धारा 457,380, आई. पी. सी.	श्री सोहनलाल कुम्हार नि. रिडमलसर	1800/-	"
214.	एफ. आई. आर. नं. 75, दि. 7-10-80, धारा 457, 380, आई. पी. सी.	श्री नबीबक्स कोहरी नि. रिडमलसर	450/-	"

1	2	3	4	
215.	एफ. आई. आर. नं. 77, दि. 10-10-80, धारा 379, आई. पी. सी.	श्री राजेश कानवा वनपाल, नालबड़ी	1870/-	अदम पता माल मुलजिम
216.	एफ. आई. आर. नं. 82, दि. 14-10-80, धारा 457,380, आई. पी. सी.	श्री मुस्ताब मुसलमान नि. रिडमलसर	1250/-	,,
217.	एफ. आई. आर. नं. 91, दि. 13-11-80, धारा 379, आई. पी. सी.	श्री कैलाश यादव वनपाल बीकानेर	620/-	,,
218.	एफ. आई. आर. नं. 94, दि. 6-12-80, धारा 457,380, आई. पी. सी.	श्री सूरजाराम ब्राह्मण गंगाशहर	4530/-	,,
219.	एफ. आई. आर. नं. 5, दि. 14-1-81, धारा 457, 380, आई. पी. सी.	श्री भीखमचंद लूणिया नि. गंगाशहर	50/-	
220.	एफ. आई. आर. नं. 13, दि. 30-1-81, धारा 457, 380, आई. पी. सी.	श्री गणेशमल सुनार गंगाशहर	400/-	
221.	एफ. आई. आर. नं. 61, दि. 14-8-80, धारा 454, आई. पी. सी.	श्री जहूनलाल माली नि. गंगाशहर		अदम पता मुलजिम
222.	एफ. आई. आर. नं. 88, दि. 5-11-80, धारा 458, 324, आई. पी. सी.	श्री नारायणसिंह यादव नि. उदयरामसर		,,
223.	एफ. आई. आर. नं. 6, दि. 10-1-81, धारा 379; आई. पी. सी.	श्री बद्रीराम कंजर नि. नापासर	एक बकरा	अदम पता माल मुलजिम
224.	एफ. आई. आर. नं. 8, दि. 21-1-81, धारा 379, 295, आई. पी. सी.	श्री महावीरसिंह ओसवाल नि. मो. कोचरान बीकानेर	करकड़ा मंदिर	

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 5 देखें

डकैती 1980 व 31-1-81 तक जिला सवाईमाधोपुर सूची निम्न प्रकार है :—

नं.	नाम थाना	नाम ग्राम
1.	मासलपुर	उमरी
2.	,,	विनोबा
3.	गढ़मोरा	रोथी
4.	टोडाभीम	नागलशेरपुर
5.	,,	दीतली
6.	,,	नोयरता
7.	सपोटरा	इनायदी
8.	,,	गैरई
9.	रवाज नाङ्गर	लखनपुर
10.	खण्डार	कालडाडा
11.	,,	बिदरपुर
12	करौली	हिन्जापुर
13.	हिण्डौन	भयादरदा
14.	,,	भूडावाली
15.	कैलादेवी	कैलारेनी

बलात्कार 1980 व 31-1-81 तक जिला सवाईमाधोपुर–सूची निम्न प्रकार है:—

नं.	नाम थाना	नाम ग्राम
1	सपोटरा	भंवरपुरा
2.	,,	खावदा
3.	करोली	काशीपुरा
4.	गंगापुर	श्योरोली
5.	,,	खरेडा
6.	,,	रेलवे अस्पताल के पास गंगापुर
7.	,,	गंगापुर
8.	सलीमपुर	मंऊ
9.	,,	सलीमपुर
10	,,	मुंठीया
11.	,,	किरखड़ा
12.	हिण्डौन	चिनापुरा
13.	,,	रीठोली
14.	,,	युलवाड़ा
15.	बौंली	जस्टाना
16.	खण्डार	वीरपुर
17.	,,	मुकदपुरा
18.	मलारनाडूंगर	मलानाडूंगर
19.	,,	हारमोगार हीयाकटला
20.	सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर
21.	,,	बदलावकी झोंपड़ी
22.	,,	कस्बा स. माधोपुर
23.	मासलपुर	वीरेठा
24.	स्वाजनाडूंगर	कुश्तवा

(214)

कत्ल 1980 व 31-1-81 तक जिला सवाई माधोपुर–सूची निम्न प्रकार है:–

नं. 1	नाम थाना 2	नाम ग्राम 3
1.	बामनवास	मीनाकालेता
2.	"	भवरकी
3.	टोडाभीम	कमलपुरात नटोरावकी
4.	"	हारकरीरी
5.	"	बोवीस्क
6.	"	बोल
7.	"	रोजोली
8.	गंगापुर	गंगापुर
9.	"	रायपुर
10.	"	महुकला
11.	"	उदईकला
12.	"	न्यू कालोनी गंगापुर
13.	कैलादेवी	पप्परी
14.	गौंली	मोहम्मद कलां
15.	गढमोरा	दलपुरा
16.	"	गढमोरा
17.	"	विचपरी
18.	महुवा	धतूरी
19.	मन्डणायल	हारवाएकापुरा
20.	सपोटरा	नारोली
21.	"	गजुपुरा
22.	मन्डावर	धोलाखेड़ा
23.	"	एरायपुर
24.	"	हारकेशरी
25.	सलेमपुर	घाटरा
26.	करौली	दीपपुरा
27.	"	करौली
28.	"	करौली
29.	"	तमोलीपुरा

1	2	3
30.	करौली	मन्जूखांकीघर
31.	सवाई माधोपुर	सूरवाल
32.	"	सुनारी
33.	खण्डार	भांवरखेड़ातनपीपलदा
34.	मलारनाडूंगर	नीमोद

नोट:—चोरियों की सूची काफी लम्बी है जिसकी सूचना इकट्ठी कराई जा रही है। प्राप्त होने पर भिजवाई जावेगी।

सूची डकैती, बलात्कार, हत्या जनवरी, 80 से जनवरी, 81 तक जिला स. माधोपुर

क्र.सं.	तफसील जरायम	रिपोर्ट	अदम वकू	अदमतफ.	अदम पता	अदमसबूत	चालान	जे. तफ.	गिरफ.	चालान	सजा	रिहा	जेर तफ.	जेर तजवीज
1.	डकैती	15	—	—	3	1	8	3	30	26	—	—	4	
2.	बलात्कार	24	6	—	—	—	15	3	45	42	—	—	3	
3.	हत्या	34	2	—	2	—	24	6	104	93	—	—	11	
	योग	73	8	—	5	1	47	12	179	161	—	—	18	

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 6 की सूची।

कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या

क्र. सं.	जिले का नाम	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या
1.	अजमेर	8
2.	अलवर	14
3.	बांसवाड़ा	8
4.	बाड़मेर	8
5.	भरतपुर	9
	धौलपुर	4
6.	भीलवाड़ा	11
7.	बीकानेर	4
8.	बून्दी	4
9.	चित्तौड़गढ़	12
10.	चूरू	7
11.	डूंगरपुर	5
12.	गंगानगर	9
13.	जयपुर	17
14.	जैसलमेर	3
15.	जालौर	7
16.	झालावाड़	6
17.	झुंझुनू	8
18.	जोधपुर	9
19.	कोटा	11
20.	नागौर	11
21.	पाली	10
22.	सवाईमाधोपुर	10
23.	सीकर	8
24.	सिरोही	5
25.	टौंक	6
26.	उदयपुर	18
	योग:–	232

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न संख्या 59 की सूची

पशु पालन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	जिला	चिकित्सालय	स्वास्थ्य केन्द्र	औषधालय	योग
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	18	–	13	31
2.	अलवर	19	–	13	32
3.	बांसवाड़ा	9	–	7	16
4.	बाड़मेर	9	13	1	23
5.	भरतपुर	20	–	12	32
6.	भीलवाड़ा	10	–	15	34
7.	बीकानेर	9	9	3	21
8.	बून्दी	6	–	3	9
9.	चित्तौड़गढ़	17	–	13	30
10.	चूरू	10	8	2	20
11.	डूंगरपुर	10	–	5	15
12.	गंगानगर	22	3	9	34
13	जयपुर	29	–	21	50
14.	जैसलमेर	5	13	4	22
15.	जालौर	10	4	2	16
16.	झालावाड़	10	–	4	14
17.	झुन्झुनू	11	4	7	22
18	जोधपुर	15	8	4	27
19.	कोटा	17	–	12	29
20.	नागौर	17	11	6	34
21.	पाली	14	8	3	25
22.	स. माधोपुर	12	–	14	26
23.	सीकर	12	9	3	24

1	2	3	4	5	6
24	सिरोही	8	–	5	13
25.	टौंक	7	–	11	18
26.	उदयपुर	22	–	18	40
	योग :—	357	90	210	657

परिशिष्ट—8

अतारांकित प्रश्न संख्या 60 की सूची

सूची जिन्हें भू-आवंटन विशेष आवंटन नियम (24) के अन्तर्गत किया गया

क्र.सं.	नाम अधिकारी व पद	राज्य सेवा में रहते निधन होने से अधिकारी की पत्नी जिसे आवंटन किया गया	आवंटित भूमि का विवरण चक	मु.सं.	क्षेत्रफल (बीघों में)	राज्यादेश जिनके अधीन आवंटन किया गया।
1	2	3	4		5	6
1.	श्री मोहनलाल वर्मा, तहसीलदार उपनिवेशन	श्रीमती मनोहरीदेवी पत्नी स्व. श्री मोहनलाल वर्मा तहसीलदार	14 डी. ओ. एल.	14/14	25)	3(ए)(108) राज/उप/74, दि. 16-9-75
2.	श्री चैतन्य प्रकाश, आर. ए. एस.	श्रीमती मनुदेवी पत्नी स्व. श्री चैतन्य प्रकाश, आर.ए.एस.	2बी. डी.	214/20	23)19	3(13)राज./उप/76, दि. 6-3-76
3.	श्री शिवकुमार व्यास, आर.ए.एस., उपायुक्त उपनिवेशन	श्रीमती चम्पादेवी पत्नी स्व. श्री शिवकुमार व्यास, आर.ए.एस.	22 के. वाई. डी.	96/26	25)	3(42)राज./उप/76, दिनांक 8-11-76